सातवीं पंचवर्षीय योजना

1985—90

खण्ड-I

परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीति,
समष्टि-आयाम और संसाधन

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली

अक्तूबर, 1985

प्राक्कथन

योजनागत आर्थिक विकास के रास्ते पर हम अब लगभग चालीस साल पूरे कर चुके हैं । इन वर्षों में योजना प्रक्रिया में गहन विकास और परिष्करण हुआ है । आज यह हमारी राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था का अभिन्न अंग है । इससे एक राष्ट्रीय आम सहमति का विकास करने में सहायता मिली है कि हम गरीबी दूर करने और एक मजबूत तथा स्वावलंबी अर्थ-व्यवस्था निर्मित करने, और समानता तथा न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करने के मूल उद्देश्यों का किस तरह अनुपालन कर सकते हैं । योजना में, आर्थिक और सामाजिक विकास के दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में, अगले पांच वर्षों के लिए हमारे उद्देश्य और प्राथमिकताएं बताई गई हैं । इसमें हमारी जनता की सामाजिक आकांक्षाएं, तथा विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, समाविष्ट हैं ।

छठी योजना की सफलता के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत स्थिति में है । पिछले दशक, अथवा इसके आस-पास, सकल देशीय उत्पादन की संवृद्धि दर को गति तेज हुई । छठी योजना के लगभग 5 प्रतिशत की संवृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है । कृषि का निष्पादन, विशेष-रूप से खाद्यान्न में, प्रभावशाली रहा है । कमजोर वर्गों की मदद के लिए विशेष स्कीमों से युक्त, कृषि में लगातार संवृद्धि से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में काफी कमी हुई है । मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखा गया है और, प्रतिकूल विदेशी वातावरण के बावजूद, भुगतान शेष की स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला गया है । इन्हीं वर्षों में विश्व की अर्थ-व्यवस्था में सबसे खराब मन्दी महसूस की गई और अधिकांश विकासशील देश, यहां तक कि औद्योगिक देशों को भी, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । तुलना में भारतीय अर्थ-व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है ।

सातवीं योजना इन मजबूत आधारों पर निर्मित होगी । अर्थ-व्यवस्था की गति और उसके वेग को कायम रखते हुए, गरीबी दूर करने को, हम अधिक से अधिक कोशिश करने के लिए कटिबद्ध हैं। आर्थिक संवृद्धि के साथ, सामाजिक न्याय और चिरकाल से चले आ रहे सामाजिक प्रतिबंधों को भी दूर करना आवश्यक है, जिनसे कमजोर लोग पीड़ित रहे हैं । समाजवाद की हमारी संकल्पना का यही सार है । इस आदर्श के प्रति योजना में हमारी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि की गई है । योजना में अर्थ-व्यवस्था के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की तजवीज है । सच्ची आत्मनिर्भरता के लिए यह आवश्यक है । आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने घर के दरवाज़े बन्द कर दें । इसका तात्पर्य है एक मजबूत, स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास करना जो विश्व से व्यापक रूप में संबंधित हो और इसके साथ समानता की शर्तों पर व्यवहार करे ।

कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है । यह हमारी जनसंख्या के अधिसंख्य लोगों का आश्रय है । इसमें ही बड़ी मात्रा में उत्पादक रोजगार सृजित किया जा सकता है । सफल औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक, कच्चे माल और विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने के निमित्त, कृषि का तेजी से विकास जरूरी है । पिछले दशक में कृषि से संबंधित हमारी कार्य-नीति को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है । हमें सातवीं योजना में इसे और भी पुरजोर तरीके से जारी रखना होगा । योजना में कृषि विकास के लिए एक व्यापक कार्यनीति की छवि है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की संवृद्धि दर प्राप्त करना है । हमें अपनी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में, भूमि सुधारों सहित संस्थागत परिवर्तन लाने होंगे । हमारी कार्यनीति की एक प्रमुख विशेषता पूर्वी क्षेत्र में और शुष्क भूमि क्षेत्रों में हरित क्रान्ति का विस्तार करना है । इससे हमारे विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम होंगे और गरीबी को दूर करने में सीधे सहायता मिलेगी ।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम हमारी कार्यनीति के महत्वपूर्ण अवयव हैं । सातवीं योजना में इनका विस्तार किया जाएगा और इन्हें सुदृढ़ किया जाएगा । छठी योजना में प्राप्त अनुभव का, गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों की प्रभाविता में सुधार के लिए

इन्हें फिर से तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाएगा कि जिन लोगों को इनसे लाभ होना चाहिए उन तक ये पहुंचें ।

योजना से हमें आधुनिक, आत्म-निर्भर औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए मजबूत आधार मिला है । आज का भारतीय उद्योग बहुत विविधता से भरा हुआ है । कई तरह के उत्पादन करता है । इनमें से बहुत में ऊंचे स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है । सार्वजनिक क्षेत्रक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और उसने अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई है । अब हमारे उद्यमों का आधार बहुत विस्तृत है । हमारे पास प्रौद्योगिकी और प्रबंध की काफी जनशक्ति है । लेकिन कुछ कमजोरियां भी सामने आई हैं । हमारे उद्योगों का अधिकांश भाग ऊंची लागत से ग्रस्त है । गुणवत्ता पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । कई क्षेत्रों में हम पुरानी प्रौद्योगिकी से काम चला रहे हैं । अपने औद्योगिक विकास के रास्ते में हम मानो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां से हमें तेजी से आगे बढ़ना है । बाकी बचे रास्ते में, हमें अपना ध्यान इन समस्याओं को सुलझाने में लगाना होगा । हमारा जोर अधिक दक्षता पर, लागत में कमी पर और गुणवत्ता में सुधार की ओर होना चाहिए । इसके लिए नई प्रौद्योगिकी के अन्तर्लयन, पैमाने की व्यवस्था के लाभ, और अधिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक होगी ।

विकास का अर्थ केवल कारखाने, बांध और सड़क नहीं होता । विकास, इंसान और समाज का, उत्थान है । इसका लक्ष्य जनता की भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिपूर्णता है । सबसे अधिक महत्व है मानवीय उपादान का, मानवीय संदर्भ का । भविष्य में हमें इन प्रश्नों पर और अधिक ध्यान देना होगा । इन क्षेत्रों में सातवीं योजना ने बड़े विश्वास से पहल की है । मानव संसाधन विकास के लिए परिव्यय काफी बढ़ा दिए गए हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के ढांचे को भी इस तरह बदलना होगा कि हमारी जनता और अधिक परिपूर्ण जीवन बिता सके ।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे । योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि, केन्द्र और राज्यों की सरकारें, संसाधन जुटाने और उनका सही उपयोग करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को किस सीमा तक पूरा करती हैं । और सबसे अहम बात यह है कि हमारी इस योजना की कामयाबी का आधार जनता का उत्साह और मिल-जुल कर काम करने की भावना है ।

सार्वजनिक क्षेत्रक का परिव्यय, जो 180,000 करोड़ रुपए है, बृहत निवेश है । यह संसाधन जुटाने की क्षमता का कड़ा इम्तहान होगा । लेकिन विकास का रास्ता आसान नहीं होता, और न ही कड़े परिश्रम का कोई विकल्प है । शुरू से ही हमारी जनता चुनौतियों का सामना करने की शक्ति का परिचय देती रही है । अब हमारे सामने उद्देश्य यही है कि हम पिछड़ेपन को दूर करें और भारत के भविष्य का निर्माण करें । इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह योजना हमें काफी आगे ले जाएगी ।

राजीव गांधी

(राजीव गांधी)

नई दिल्ली

प्रस्तावना

योजना प्रक्रिया भारत के लोगों को पंडित जवाहर लाल नेहरु का बहुमूल्य उपहार है। इन्दिरा जी ने इस कोमल पौधे को बड़े स्नेह और बड़ी सावधानी से बड़ा किया। एक बार उन्होंने कहा था कि हमारे देश में योजना, सुव्यवस्थित प्रगति का, एक घोषणा-पत्र है। यह समय और स्थान का एक ऐसा आधार-स्वरूप उपलब्ध करती है जो क्षेत्रकों, प्रदेशों और राज्यों को एक सूत्र में बांधती है, और प्रत्येक वर्ष के प्रयत्नों का, बाद के वर्षों से संबंध, स्थापित करती है। सम्पूर्ण देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र को, तथा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के तंत्र को, सुदृढ़ करके इससे राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य में सशक्त योगदान मिलता है। योजना प्रक्रिया से विकास से संबंधित हमारी नीतियों के मूल उद्देश्यों, कार्यनीतियों और अभिकल्पों के बारे में, व्यापक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में बहुत योगदान मिला है। इससे राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के लिए व्यापक जन-समर्थन उत्पन्न हो सका है। जिससे हमारी राज्य व्यवस्था की संहति और स्थिरता में काफी वृद्धि हुई है।

2. गरीबी को दूर करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव उपयोग करके आधुनिक समाज का निर्माण करना और स्वावलंबी बनना भारत में योजना के मूल उद्देश्य रहे हैं। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछली योजनाओं का अमूल्य योगदान रहा है। सातवीं योजना, इस देश को गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के प्राचीन अभिशापों से मुक्ति दिलाने की, राष्ट्रीय-आकांक्षा में, एक और महत्वपूर्ण कदम है।

3. प्रभावी योजना का आधार वह चित्र होना चाहिए जिसकी हम भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं। दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदलने और इसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए हमें एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए, सातवीं योजना 15 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है। उद्देश्य यह रहा है कि, 2000 ई. तक आत्मनिर्भर संवृद्धि की आवश्यक दशाएं उत्पन्न हों और अपनी जनता के लिए खुशहाली की मूल भौतिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसका मतलब यह हैं कि हमें आर्थिक संवृद्धि को कायम रखना है और इसकी गति तेज करनी है। कृषि, उद्योग, मूलभूत संरचना तथा सामाजिक सेवाओं को उत्तरोत्तर दक्षता और उत्पादकता के उच्च स्तरों पर कार्य करना है। अपनी अर्थव्यवस्था में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का, पूर्ण लाभ उठाना आवश्यक है। इसके साथ-साथ, समाज के कमजोर वर्गों और अधिक पिछड़े क्षेत्रों की, आय और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किए गए उपायों को पुरजोर तरीके से जारी रखना जरुरी है। सातवीं योजना के उद्देश्यों और प्रणोद क्षेत्रों को, इसलिए, दीर्घावधि कार्यनीति के भाग के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 2000 ई. तक, वास्तव में गरीबी और निरक्षरता को दूर करने, लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने, और सभी के लिए खाना, कपड़ा और मकान की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा स्वास्थ्य की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार, योजना एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था तथा राज्य-व्यवस्था की स्थापना में सहायक होना है जो आधुनिक, सक्षम, प्रगतिशील, मानवीय हों और समानता तथा सामाजिक न्याय से परिपूर्ण हो।

4. पिछले दशक में, भारत के संवृद्धि निष्पादन में, काफी सुधार हुआ है। सातवीं योजना में अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि दर को पांच प्रतिशत वार्षिक औसत दर पर स्थिर करने के उद्देश्य द्वारा इस अनुकूल प्रवृति का लाभ उठाने की अपेक्षा की गई है। सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था, तथा कृषि (4 प्रतिशत) और उद्योग (8 प्रतिशत) के उत्पादन, की लक्षित संवृद्धि दरों का विहितार्थ, पिछली प्रवृत्तियों के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस प्रकार, सातवीं योजना के संवृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता होगी।

5. योजना तैयार करने में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पिछले वर्ष नीति-पत्र का अनुमोदन करते समय दिए गए, आदेश को ध्यान में रखा है। योजना तैयार करने में, भोजन, काम और उत्पादकता, इन तीन मूल

प्राथमिकताओं ने मार्गदर्शन किया है । इसके अलावा, संवृद्धि प्रक्रिया को कायम रखने में उनके निर्णायिक महत्व के कारण आधार-भूत संरचना की क्षमता में वृद्धि और मानव संसाधन विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और, छठी योजना के मुकाबले, इन दो क्षेत्रकों के लिए परिव्ययों के समानुपात में पर्याप्त वृद्धि की गई है ।

6. संसाधन आवंटन की प्रस्तावित पद्धति को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना रहेगा, और वनस्पति तेलों, दालों, सब्जियों और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी । उद्देश्य यह है कि प्रतिव्यक्ति खपत के बढ़ते हुए स्तरों पर, खाद्य सुरक्षा की एक विस्तृत व्यवस्था का निर्माण हो । क्षेत्रीय रूप से अधिक संतुलित कृषि विकास और उत्पादन की कार्यनीति के भाग के रूप में, पूर्वी राज्यों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि पर और शुष्क भूमि कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया है । योजना में, छोटे और मझोले किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने पर भी काफी जोर दिया गया है । योजना के कृषि कार्यक्रमों को, लगभग 13 मिलियन हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होने से, काफी लाभ मिलेगा। कृषि की संवृद्धि दर में भिन्नताएं, ऐसे प्रमुख कारक है जिनसे विकास की गति में क्षेत्रीय अन्तर उत्पन्न होते हैं, इसलिए योजना की कृषि कार्यनीति से, जिसमें कृषि विकास के अधिक समान और संतुलित वितरण पर बल दिया गया है, क्षेत्रीय असमानताएं भी कम करने में मदद मिलेगी ।

7. रोजगार के क्षेत्र में, योजना का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि रोजगार के अवसरों में, श्रमिक बल में वृद्धि की अपेक्षा, अधिक तेज वृद्धि रहे । कृषि का त्वरित विकास (विशेष रूप से कृषि के पिछड़े क्षेत्रों में), सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, अधिक गहन फसल प्रणालियों, और राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम, तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को जारी रखने से, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में काफी योगदान मिलेगा । उद्योग की संवृद्धि की तेज गति, और निजी क्षेत्र में काफी व्यापक आवास कार्यक्रम से, जिसके लिए संस्थागत साधनों से वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, दोनों से मिलकर पिछले समय की अपेक्षा, कृषि-इतर क्षेत्रक में काफी बड़े आकार में रोजगार उत्पन्न होगा । इस प्रकार सातवीं योजना रोजगारोन्मुख योजना है । योजना की अवधि में, श्रमिक बल में 39 मिलियन व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि के मुकाबले, रोजगार क्षमता में 40 मिलियन मानक श्रम वर्ष की वृद्धि होने की संभावना है । सातवीं योजना में, रोजगार संभाव्यताएं 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ेंगी । यह उसी दौरान की, श्रमिक बल की प्रत्याशित संवृद्धि दर से काफी अधिक है जो कि लगभग 2.5 से 2.6 प्रतिशत होगी ।

8. गरीबी दूर करना, भारत में योजना का एक प्रमुख मुद्दा रहा है । इस उद्देश्य के अनुरूप, सातवीं योजना की विकास कार्यनीति, और इससे उत्पन्न संवृद्धि स्वरूप से, पिछले समय की अपेक्षा, तेज गति से गरीबी कम होने की आशा की जाती है । योजना में, गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विस्तृत व्याप्ति की परिकल्पना की गई है । सरकारी क्षेत्रक के पास उपलब्ध, खाद्य भंडार की अधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, योजना दस्तावेज में परिकल्पित गति से भी अधिक तेज दर पर, गरीबी दूर करने के रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का विस्तार करना संभव हो सकता है । गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, अनेक कमियों को दूर करने और इन्हें तथा विभिन्न क्षेत्रकीय तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को, प्रत्येक क्षेत्र के समन्वित व्यापक विकास में परिवर्तित करने के लिए हर प्रयत्न किया जायेगा । योजना में हमारे समाज के अधिक कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों आदि के सामने आने वाली समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है । योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है कि, ऐसी स्थिति में जहां गरीबी काफी फैली हो, वहां आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं की संकल्पना केवल पुरुषों के अनुसार ही न बनी रहे, बल्कि उसमें स्पष्टतया महिलाओं की खास जरूरतों और मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए । इन उपायों के फलस्वरूप, गरीबी का अनुपात 1984-85 में 37 प्रतिशत से कम होकर, 1989-90 में 26 प्रतिशत से कम रह जाएगा । सुनिश्चित रूप में, गरीब व्यक्तियों की संख्या, 1984-85 में 273 मिलियन से घटकर, 1989-90 में 211 मिलियन रह जाने की संभावना है ।

9. इस योजना को तैयार करने में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसको ध्यान में रखा गया है, वह है कुशलता में वृद्धि और अधिक उत्पादकता । कृषि और उद्योग दोनों में वर्तमान परिसम्पत्तियों के बढ़ते हुए, और अधिक कुशल

उपयोग से, संसाधन-उपयोग की कुशलता में वृद्धि होगी, और पूंजीगत-उत्पादन-अनुपात में बढ़ोत्तरी के नियंत्रण में सहायता भी मिलेगी । नई कृषि-प्रौद्योगिकी की, एकाधिक फसल संभाव्यता प्राप्त करने के लिए, सिंचाई, जल प्रणाली और भूमि-उपयोग प्रबंध की एक समन्वित दिशा अपनाई जाएगी । उद्योग में, अतीत की तुलना में काफी अधिक जोर, आधुनिकीकरण, संतुलन-उपस्कर और प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश पर दिया जा रहा है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक संवृद्धि के लिए नीतिगत संरचना में, कम खर्चीली योजनाओं की स्थापना पर, और ऐसे पर्यावरण के सृजन पर विशेष बल दिया गया है जिसमें व्यापारिक फर्मों के आधुनिकीकरण के लिए, लागत कम करने के लिए, उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए और अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले । माइक्रोइलैक्ट्रोनिक्स, इनफारमैटिक्स, टैलीमैटिक्स, बायोटैक्नोलाजीस, मैटीरियल साइंसेज, ओसनोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेस टैक्नोलाजी में विकास, नूतन एवं आकर्षक अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं । हमारी उत्पादन प्रक्रिया में, इन नवोत्पन्न प्रौद्योगिकियों से परिचय के लिए, एक सुविचारित तथा समन्वित मार्ग अपनाने से, तकनीकी प्रगति, संरचनात्मक परिवर्तन और उत्पादकता में वृद्धि, दक्षता तथा गुणवत्ता के प्रति चेतना की गति को अधिक बल मिलेगा ।

10. कृषि और उद्योग अधिक तेजी से बढ़े इसके लिए, अन्तः संरचना में निवेशों पर अधिक बल दिया गया है ताकि, योजना में जिस सीमा और स्तर तक कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है उसमें बिजली, परिवहन और कोयले में कमियां न हों । सार्वजनिक क्षेत्रक के परिव्यय में, ऊर्जा के हिस्से में, महत्वपूर्ण वृद्धि का इरादा इस योजना में किया गया है । सार्वजनिक क्षेत्रक के कुल परिव्यय का लगभग 31 प्रतिशत ऊर्जा के लिए रखा गया है । बिजली का उत्पादन, इस योजना अवधि में, 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ने की आशा है । योजना में, ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की तरफ, काफी ध्यान दिया गया है । इसमें इस बात को रखा गया है कि 1.18 लाख अतिरिक्त गांवों को बिजली मिले और सिंचाई के लिए 23.9 लाख अतिरिक्त पम्प-सैट बिजली से चल सकें । ईंधन की आपूर्ति को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अन्य संघटक के रूप में शामिल किया गया है । बायोगैस के विकास और उपयोग के कार्यक्रम तथा नए धुआंरहित चूल्हों की संस्थापना का काफी अधिक विस्तार किया जाएगा ।

11. सातवीं योजना में एक दूसरा क्षेत्र जिस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, मानव संसाधन विकास का है । सामाजिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्ययों में छठी योजना के मुकाबले बहुत वृद्धि की गई है । इस योजना में, आत्म-सम्मान, स्वावलम्बन और सम्मानपूर्ण जीवन को सन्निहित कर मानव शक्ति की संभाव्यताओं के विकास को आसान करने की प्रस्तावना है । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की और सफाई की व्यवस्था में वर्तमान कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ, इन क्षेत्रों में नई शुरूआतों के न्यूनतम उपायों की प्रस्तावना है । योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की समूची जनसंख्या के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराने का विस्तार है । योजनावधि की समाप्ति तक, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की आधार-संरचना, ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों, उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मामले में, पूरी तरह काम करने लगेगी । इस प्रकार, पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा की एक ऐसी प्रणाली स्थापित हो जाएगी जिसमें बचाव, अभिवर्धन और उपचार सेवाओं का एक संतुलित सम्मिश्रण होगा । पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और सुरक्षा पर अधिक बल, सातवीं योजना की एक दूसरी प्रमुख बात है ।

12. जहां तक योजना के वित्तपोषण की बात है, मोटे तौर पर समष्टिगत अर्थों में, यह योजना पूरी तरह विश्वसनीय और निर्भर-योग्य है, क्योंकि योजनावधि के दौरान इसमें घरेलू बचतों और निवेश की दर में मामूली वृद्धि ही परिकल्पित है । निवेश की दर, 1984–85 में सकल देशीय उत्पाद के 24.5 प्रतिशत से, 1989–90 तक 25.9 प्रतिशत तक बढ़ेगी और घरेलू बचतों की दर, इसी अवधि में, 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 24.5 प्रतिशत होगी । योजना के वित्तपोषण के स्वरूप में घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा केवल उतनी सीमा तक है कि वह विवेक और सुरक्षा के दायरे में रहे । इसी प्रकार, योजना के लिए बाहरी सहायता, चालू खाते के भुगतान शेष में सकल देशीय उत्पाद के 1.6 प्रतिशत से अधिक के घाटे को जन्म नहीं देगी—ऐसी आशा है । ऋण सेवा अनुपात, योजनावधि वर्तमान प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । इस प्रकार यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती गई है कि योजना के अन्तर्गत और बाह्य वित्तपोषण में अस्वीकार्य जोखिमों का मानना शामिल न हो ।

13. लेकिन इस बात को मानना होगा कि सातवीं योजना के वित्तपोषण के लिए, संसाधन जुटाने के निमित्त दृढ़ और अधिक सघन प्रयास जरूरी होंगे । सकल देशीय उत्पादन से कराधान के अनुपात में, योजनावधि के दौरान, दो प्रतिशतता बिन्दुओं की बढ़ोत्तरी जरूरी होगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति पर योजना की सफलता नाजुक तरीके से टिकी हुई है । घाटे की अर्थव्यवस्था के अधिक सहारे से अगर बचना है तो सहायता अनुदानों और अन्य योजनेत्तर व्यय को कड़ाई से सीमित करना होगा । इसी प्रकार, अतिरिक्त निवेशों की आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था यदि अ–मुद्रास्फीतिकारक तरीके से करनी है तो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में अधिकाधिक संसाधन पैदा करने होंगे। बाहरी भुगतान की स्वयं-शोधिता बनाए रखने के लिए, निर्यात संवृद्धि को अधिक ध्यान देने की और आयात में वृद्धि को सीमित करने की जरूरत होगी । हमारे निर्यात निष्पादन में अभी भी संरचनात्मक बड़ी कमजोरियां हैं और हमारे भुगतान शेष के सुव्यवस्थित प्रबंध के लिए यह अच्छा होगा कि हमारे निर्यातों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की भावना में अधिकाधिक सुधार हों । इसके साथ ही साथ, हमें पेट्रोलियम, वनस्पति तेलों और चीनी के आयातों की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने होंगे ।

14. छठी पंचवर्षीय योजना के प्राक्कथन में, इंदिरा जी ने हम लोगों को याद दिलाया था कि किसी योजना का माप या कसौटी, उद्देश्य या आशय न होकर उपलब्धि होता है, आवंटन न होकर लाभ होता है । उनका कथन हर युग के लिए वैध और संगत है । यह सातवीं योजना के संदर्भ में भी उतना ही सार्थक है जितना वह पिछली योजनाओं के संदर्भ में है । इस प्रकार, सातवीं योजना का प्रभाव इस बात पर निर्भर होगा कि हम कितने निश्चय और कितनी गंभीरता से उसका कार्यान्वयन करते हैं । सातवीं योजना के दस्तावेज में ऐसे अनेक क्षेत्र दिए गए हैं जिनमें हमें अपने पिछले काम-काज के मुकाबले काफी सुधार करना होगा । योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है । यहां पर इन समस्या क्षेत्रों पर विस्तार से विचार-विमर्श करना संभव नहीं है । तथापि, क्योंकि योजना की सफलता के लिए इनमें से कुछ समस्याओं के उपयुक्त प्रभावशाली समाधान निकालना जरूरी है, कुछ प्रमुख समस्या-क्षेत्रों का संक्षेप में हवाला देना उचित होगा।

15. सबसे पहले, योजना के कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कृषि उधार प्रणाली को पुनः स्थापित करना और नई शक्ति प्रदान करना जरूरी होगा । कृषि की निवेश आवश्यकताओं को, कृषि उधार प्रणाली द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित किया जा सके इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि अतिदेय याने 'ओवर ड्यू' की बढ़ती राशियों पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए ।

16. दूसरे, कृषि और ग्रामीण विकास प्रशासन की गुणवत्ता में काफी सुधार जरूरी है । अगर हमें कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक भावना को स्थापित करना है तो सरकारी आधार-भूत स्तर के प्रशासन के तकनीकी ज्ञान और कौशल को बहुत अधिक सुधारना होगा । जिला और ब्लाक स्तर पर योजनाकार्य की जड़ें अभी मजबूत नहीं हो पाई हैं। जिला स्तर/ब्लाक स्तर पर योजना कार्य को प्रभावी बनाए बिना, गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए धन-राशि के अत्यधिक प्रवाह का प्रभाव, सीमित ही रह पाएगा ।

17. तीसरे, हमें परिवार कल्याण कार्यक्रम की न केवल मूल कार्यनीति, बल्कि उसकी विषय-वस्तु को भी नए नजरिए से देखना होगा ताकि जनसंख्या की वृद्धि दर में और अधिक तेजी से कमी आ सके ।

18. चौथे, केन्द्र और राज्यों में—दोनों ही जगह, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उत्पादकता, दक्षता और आन्तरिक संसाधनों के सृजन में बड़े सुधार लाने होंगे । गहन पूंजीगत उद्यमों में, आन्तरिक संसाधनों का सृजन विशेष रूप से कमजोर है और यह बात खासतौर पर बिजली, कोयला, इस्पात, परिवहन और उर्वरकों जैसे क्षेत्रक में बहुत स्पष्ट है । संग्रह की प्रक्रिया में, सार्वजनिक क्षेत्रक अपनी कुशल भूमिका निभाने योग्य हो, इसके लिए नई प्रशासनिक संरचनाएं और प्रबंध की नई संकल्पनाएं आवश्यक हैं ।

19. अन्ततः, राष्ट्रीय विकास के सभी चरणों में लोगों की सार्थक सहभागिता प्राप्त करने के लिए हमें प्रभावी उपाय करने आवश्यक हैं । राष्ट्रीय निर्माण के कार्य-कलापों में, लोगों की शक्तियों को जुटाने के लिए हमें पंचायती-राज संस्थाओं की संभाव्य क्षमताओं को पूरी तरह प्रयोग में लाना चाहिए । इसके साथ-साथ, हमें विकास कार्यों में संलग्न, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक संभाव्य

क्षमताओं का भी पूरी तरह उपयोग करना आवश्यक है।

20. हमारे देश में योजना, राष्ट्र के मूल लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक उपकरण है । महात्मा गांधी का स्वप्न था कि, अपने देश के प्रत्येक और हरेक व्यक्ति की आंखों के आंसुओं को पोंछा जाए । योजनागत विकास के रास्ते पर चलने की शुरूआत से हमारे देश ने जो बड़ी प्रगति की है, उस पर गर्व करना हमारे लिए उचित ही है । परन्तु, अभी भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें गीली हैं । इसलिए, हमारा काम स्पष्ट है । हमें पहले से भी कहीं अधिक गहन अभियान, गरीबी के विरुद्ध शुरू करना है । हाल के अनुभवों से पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्तियों के उपयोग से, अब पहले की अपेक्षा यह सुनिश्चित करना अधिक संभव है कि, अधिकांश मानव जाति का चिरकाल तक गरीब बने रहना, अपरिहार्य नहीं रह गया है । गरीबी हटाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु, यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि विकास, मुफ्त भोजन के समान है । रहन-सहन का स्तर उच्च उत्पादकता के मामले से जुड़ा हुआ है । इसके लिए पगडंडियां नहीं होती । आवश्यक संसाधन जुटाने, और आधुनिकीकरण तथा सामाजिक विकास की गति को कायम रखने के लिए सख्त निर्णय जरूरी होंगे । इसके साथ ही, हमें नई संरचनाओं, नए दृष्टिकोणों, नई नैतिक संहिता की जरूरत है । आप चाहें तो कह सकते हैं, कि ऐसी सांस्कृतिक क्रांति हमें लानी होगी, जिसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता हो, उत्कृष्टता की खोज पर बल हो, ताकि हम, दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का, अच्छे से अच्छा संभव उपयोग कर सकें ।

31. हमारा काम आसान नहीं है । अनेक चुनौतियां और अनिश्चितताएं हमारे सामने हैं । परन्तु, हमारे देश में अत्यन्त नम्यता, लचीलापन और शक्ति विद्यमान है। इसने अतीत में अनेक तूफानों से टक्कर ली है । अपनी जनता की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त विकास के स्वायत्त मार्ग को, खोज निकालने के संकल्प में हमारा राष्ट्र कृतनिश्चय है ।

22. सातवीं योजना, अभाव की चिन्ता और शोषण से मुक्त, नवीन भारत के निर्माण के लिए एक विशद राष्ट्रीय प्रयास की छवि प्रस्तुत करती है । इसके उद्देश्य, कार्यनीतियां तथा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि वे राष्ट्र के, सदा से संजोए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हों । यह योजना प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर, अधिकाधिक तेज गति से आगे बढ़ने के लिए, भारतीय जनता की सामासिक आकांक्षा की एक अभिव्यक्ति है । मुझे विश्वास है कि, राष्ट्रीय एकता और अनुशासन की भावना से मार्गदर्शन प्राप्त करके, हमारे सभी लोग इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, पूरी तत्परता, उत्कृष्टता और गंभीरता से काम करेंगे ।

नई दिल्ली ;

मनमोहन सिंह

(मनमोहन सिंह,)
उपाध्यक्ष,
योजना आयोग

योजना आयोग

राजीव गांधी	अध्यक्ष
मनमोहन सिंह	उपाध्यक्ष
पी. वी. नरसिंहराव	सदस्य
विश्वनाथ प्रताप सिंह	सदस्य
बूटा सिंह	सदस्य
सी. एच. हनुमन्तराव	सदस्य
एम. जी. के. मेनन	सदस्य
राजा जे. चेलय्या	सदस्य
हितेन भाया	सदस्य
आबिद हुसैन	सदस्य
सी. जी. सोमय्या	सचिव

विषय-सूची

अध्याय-1

योजनाबद्ध विकास : लेखा-जोखा और संभावनाएं

1.1 अब इसका सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वर्ष 1974-75 (पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ इसी वर्ष से हुआ था) से भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च संवृद्धि-पथ पर कदम रखा । विकास का यह क्रम तब से जारी है । संवृद्धि-वक्र में इस स्वागत योग्य परिवर्तन का मुख्य कारण है छठी पंचवर्षीय योजना का सफल क्रियान्वयन । कुल मिलाकर यदि छठी पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जाए तो इसका देश की संवृद्धि की गति को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय में बड़ा योगदान रहा है । इस योजना के सफल कार्यान्वयन से निर्धनता और अल्पविकास की दीर्घकालिक समस्याओं से झूझने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है । हाल ही के वर्षों में देश में हुई प्रगति से यह संकेत मिलता है कि यदि विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य स्पष्ट हों और उनके क्रियान्वयन के प्रबंध सुव्यवस्थित हों तो गरीबी हटाओ का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है ।

1.2 छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ उस समय हुआ जब 1979 के सूखे के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी । इसके साथ ही 1979 और 1980 में आयात किए जाने वाले तेल के भाव में और अधिक वृद्धि होने से हमारी आयात-निर्यात स्थिति और अधिक विकट हो गई । भुगतान-शेष की स्थिति खराब होने और उच्च स्फीति दर से आर्थिक प्रणाली और धारित संवृद्धि को ही खतरा पैदा हो गया । परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक स्थिरता फिर से लाने और संवृद्धि तथा विकास गति को अविछिन्न रखने के सफल प्रयास किए गए । इस योजना के उद्देश्य सुनिश्चित थे । अतः संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में इस योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन इस प्रकार है ।

संवृद्धि

1.3 छठी योजना में समस्त संवृद्धि लक्ष्य 5.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था । इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है । इस समस्त संवृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति को विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में 1.1 सारणी में देखा जा सकता है :—

1.4 छठी योजना में निर्धारित समस्त संवृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति इसलिए हो सकी कि कृषि के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हुई और सेवा क्षेत्र में द्रुत विकास हुआ । परन्तु खनन और विनिर्माण में आय की संवृद्धि दर लक्ष्य से काफी कम थी और यह बात छठी योजना के संवृद्धि अभिलेख के दुर्बल पक्षों में से एक है ।

सारणी-1.1

छठी योजना संवृद्धि दरें : लक्ष्य और वास्तविक (मूल्य जोड़ा गया)

(प्रति वर्ष प्रतिशतता)

	छठी योजना लक्ष्य	1979-80 से 1984-85 तक प्रत्याशित वास्तविक
कृषि	3.8	4.3
खनन और विनिर्माण	6.9	3.7
अन्य क्षेत्र	5.5	6.6
कुल	5.2	5.2

1.5 छठी योजना के दौरान कृषि उत्पादन मोटे तौर पर वही हुआ जो प्रत्याशित था और खाद्यान्न और तिलहन के संदर्भ से लक्ष्य लगभग पूरे कर लिए गए । यद्यपि योजना के मध्यवर्ती वर्षों में गन्ने का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक था परन्तु, अंतिम वर्ष में उक्त उत्पादन लक्ष्य से काफ़ी कम था । छठी योजना के दौरान कृषि उत्पादन को एक उल्लेखनीय बात यह है कि 1982-83 के दौरान खराब मौसम का प्रभाव सीमित ही था और यदि यह स्थिति दीर्घकाल तक बनी रहे तो इसे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता का संकेत माना जा सकता है परंतु चावल और गेहूं तथा धान और दालों के उत्पादन का असंतुलन यथावत बना हुआ है । जहां तक हरित क्रांति का प्रश्न है प्रादेशिक स्तर पर उसका प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा । इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन में जहां 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है वह कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र का 15 प्रतिशत भाग ही है । इसके अतिरिक्त चावल के उत्पादन को, विशेषकर पूर्वी प्रदेश में, बढ़ाने और वर्षा-प्रभावित और वर्षारहित कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

1.6 जहां तक उद्योग का संबंध है छठी योजना के दौरान इस्पात, उर्वरक और सीमेंट और कपड़े के मूल उद्योगों का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा । औद्योगिक उत्पादन की समस्त संवृद्धि दर भी प्रतिवर्ष लक्ष्य से कम थी और अस्थिर थी । अभी तक अर्थव्यवस्था इस औद्योगिक संवृद्धि पथ पर नहीं आ पाई है जिस पर उत्पादन धीरे-धीरे प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा । परंतु एक आशाजनक संकेत है छठी योजना के प्रथम

चार वर्षों में गैरसरकारी कंपनी क्षेत्र द्वारा स्थायी परिसंपत्ति में वास्तविक निवेश के रूप में प्रतिवर्ष 16 प्रतिशत की धारित वृद्धि । प्रफुल्लता की यही बात निजी पूंजी बाजार की द्रुत संवृद्धि में देखी जा सकती है । छठी योजना के दौरान मूल उद्योगों की मुख्य समस्या थी बिजली की कमी। सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने वाले कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनका विस्तार इसलिए रुक गया है कि देश में इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं हुई । इस कमी को इन वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करके इसलिए पूरा नहीं किया जा सकता कि इन उद्योगों की वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिक नहीं पातीं । कुछ मशीन-निर्माता और रासायनिक उद्योगों के विकास की गति इसलिए रुक गई है कि इनमें लगे यंत्रों का लागत-मूल्य अधिक था, इनमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और इनकी प्रचालन प्रक्रिया तथा इनके उत्पादन-डिज़ाइन पुराने पड़ गए हैं । इन समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र की निष्पादन-क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए । यदि ऐसा हो जाता है तो अन्य परिस्थितियां इस प्रकार अनुकूल हैं कि औद्योगिक उत्पादन और नियोजन में संवृद्धि की दर एक समान बनाई रखी जा सकती है ।

1.7 कोयला-प्रतिस्थापन के रूप में वाणिज्यिक ऊर्जा को यदि लिया जाए तो छठी योजना के दौरान इस ऊर्जा की वार्षिक दर 12 प्रतिशत बढ़ गई है । इस संवृद्धि की मुख्य विशेषता यह है कि कच्चे तेल का उत्पादन 1979-80 में 118 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 290 लाख टन हो गया है । वाणिज्यिक ऊर्जा की स्थिति यह रही है कि अब इसमें कोयले का स्थान तेल और बिजली ने ले लिया है । वाणिज्यिक ऊर्जा वस्तुतः एक ऐसी सार्वभौम आवश्यक वस्तु है जिसकी कमी के कारण सभी क्षेत्रों की संवृद्धि रुक जाएगी। वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन अधिकांश रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में होता है और योजना परिव्यय का 30 प्रतिशत भाग इसी कार्य में लग जाता है । अब ऐसी स्थिति आ गई कि यदि परिव्यय की इस प्रतिशतता को बढ़ाया जाता है तो ऊर्जा प्रयोक्ता क्षेत्रों की क्षमता तो बढ़ जाएगी पर उनकी उपयोगिता-क्षमता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता और उत्पादकता पर अधिक ध्यान दिया जाए और ऊर्जा प्रयोग पर उपयुक्त नियंत्रण रखा जाए ।

1.8 संवृद्धि का मुख्य निर्धारक तत्व है निवेश की मात्रा । इस दृष्टि से छठी योजना में निर्धारित निवेश राशि का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया था । इस अवधि में छठी योजना में 1,59,000 करोड़ रु० की निर्धारित निवेश राशि के मुकाबले कुल निवेश 1,43,000 करोड़ रु० (1979-80 मूल्यों में) का हो पाया । जहां तक देशी बचत का प्रश्न है छठी योजना के अनुसार 1984-85 में 24.5 प्रतिशत की कुल बचत दर की अपेक्षा की गई थी जिसके मुकाबले वास्तविक दर 23.3 प्रतिशत होने की संभावना है ।

1.9 छठी योजना के दौरान समस्त बचत का लक्ष्य पूरा होने में कमी इसलिए हुई कि सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का दर लक्ष्य से काफी कम रहा । वस्तुस्थिति यह है कि सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में बड़ी भारी बाधा आ गई और वस्तुतः योजना व्यय लक्ष्य से 21 प्रतिशत कम रहा । इस प्रकार की बाधाएं इसलिए उत्पन्न हुई कि विकासेतर व्यय में द्रुत वृद्धि हुई । इसका कारण यह था कि योजना की अवधि के दौरान यह व्यय चालू राजस्व आय की तुलना में अत्यधिक हो गया और सार्वजनिक उद्यमों, विद्युत बोर्डों, रेलवे और सड़क परिवहन निगमों में या तो लाभ की मात्रा कम थी या हानि ही हुई थी । आधार संरचना और मूल उद्योगों में सार्वजनिक निवेश पूर्ण अर्थव्यवस्था में व्यापक विकास के लिए एक प्रेरक तत्व का काम करता है । सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो इससे इसकी दीर्घ-कालीन संवृद्धि संभाव्यता समाप्त हो जाती है । राजस्व में आधिक्य के बजाय कमी न आ पाए और वित्तीय प्रणाली में अधिक नियंत्रण हो आदि बातों का प्राथमिकता के आधार पर विचार होना चाहिए ।

आधुनिकीकरण

1.10 प्रौद्योगिक विकास की व्यवस्था और आधार संरचना की सुविधाओं का दिया जाना विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है । ये सब बातें विकास की कार्य नीति में आवश्यक अंग के रूप में सम्मिलित की हुई हैं । छठी योजना में इस दिशा में विशेष प्रगति की गई है ।

1.11 छठी योजना के लक्ष्य के अनुसार कृषि में खाद्यान्न के अधिक उत्पन्न होने वाले जिन्सों का क्षेत्र 1979-80 के 352 लाख हेक्टर से बढ़कर 1984-85 में 560 लाख हेक्टर हो गया । रासायनिक उर्वरक की खपत 1979-80 के 53 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 84 लाख टन हो गई परन्तु बढ़ी हुई खपत योजना के लक्ष्य अर्थात् 96 लाख टन से कम थी । कृषि की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले कुछ राज्यों में उर्वरक की खपत में हुई अत्यधिक वृद्धि, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उपज में हुई वृद्धि और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज में हुई वृद्धि आदि से पता चलता है कि हरित क्रांति नए क्षेत्रों में फैल रही है । सिंचाई और जल-प्रबंध की दृष्टि से भी छठीं योजना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं । देश की सिंचाई क्षमता में 110 लाख हेक्टर की वृद्धि हुई है परन्तु अभी भी नहर व्यवस्था के आधुनिकीकरण, जल निकास व्यवस्था और जल-प्रबंध में सुधार करने की दिशा में बहुत कुछ करना शेष है । पशुधन में जहां 1979-80 में संकर गायों की संख्या 30 लाख थी वहां 1984-85 में यह संख्या 45 लाख हो गई । देश के मत्स्य उद्योगों के आधुनिकीकरण के एक मुख्य कार्यक्रम को छठी योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया जिसके अंतर्गत वहां अंगुलिमीनों की व्यवस्था की गई है और मछलियों को खुराक देने की व्यवस्था में भी सुधार

किया गया है ।

1.12 ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा उपयोग की रीति में परिवर्तन है । योजना के अंत में 64 प्रतिशत गांवों में बिजली लग चुकी थी और कृषि में बिजली की खपत प्रतिवर्ष 8.9 प्रतिशत बढ़ गई। इस समय प्रयोग में लाए जा रहे ट्रेक्टरों की संख्या 5,00,000 है, जिसे लगभग 35 लाख पशुओं की कर्षण-शक्ति के बराबर माना जा सकता है । हमारी कृषि के ऊर्जा आधार में परिवर्तन होने वाला है । छठी योजना में ग्रामीणों के परंपरागत ऊर्जा आधार का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने का प्रयास वायोगैस, सामाजिक वानिकी और ऊर्जा के अन्य रूपों के नवीकरण के माध्यम से प्रारम्भ हुआ । देश में मत्स्य-उद्योगों के आधुनिकीकरण के एक मुख्य कार्यक्रम को छठी योजना के दौरान क्रियान्वित किया जिसके अंतर्गत वहां अंगुलिमीनों की व्यवस्था की गई है और मछलियों को खुराक देने की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है ।

1.13 छठी योजना के दौरान उद्योग और आधार संरचना में अनेक मुख्य प्रौद्योगिक कदम उठाए गए हैं, जैसे कम्प्यूटर संख्या नियंत्रित (सी. एन. सी.) यंत्र उपकरणों से प्रतिदिन 3,000 टन सीमेंट संयंत्रों को तथा 500 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन एकक को चालू करना, एल. एस. आई. चिपों का विनिर्माण, कोयला खनन में पूर्णित समर्थन कलकों (सपोर्ट फेसों) का उपयोग, ईंधन-क्षम मोटर वाहनों के नए मॉडल का प्रयोग, कम्प्यूटरों के प्रयोग में तेजी, प्रथम इलैक्ट्रोनिक दूरसंचार केन्द्र को चालू करना और 3,000 टन अनुयान भार वाली गाड़ियों को चालू करना । पैट्रोलियम परिष्करणियों और पैट्रोलियम रासायनिक संयंत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए ताकि ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके ।

1.14 छठी योजना की प्रौद्योगिक उपलब्धियां निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं । उत्पादन की दृष्टि से उनका प्रभाव मुख्य रूप से नई परियोजनाओं पर तो पड़ा परन्तु कुछ ही वर्तमान परियोजनाएं प्रौद्योगिक विकास से प्रभावित हुई । प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता सुधार के वास्तविक अभिलेख को यदि देखा जाए तो वह कोई उत्साहजनक नहीं है । इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे मूल उद्योगों की क्षमता का उपयोग निम्न स्तर पर ही रहा । प्रौद्योगिक गुणवत्ता में सतत् सुधार हो यह बात द्रुत और कुशल औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है परन्तु मुख्य रूप से उक्त गुणवत्ता में ऐसा सुधार देखने में नहीं आया। ताप विद्युत संयंत्रों में "संयंत्र भार और कारक" के संदर्भ में सुधार अवश्य हुआ परन्तु बीसवीं सदी में सातवें दशक के मध्य भाग की तुलना में यह सुधार बहुत कम हुआ। रेलवे में वैगन के निर्माण की प्रतिशतता में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जहां तक ऊर्जा क्षमता का प्रश्न है परिवहन में वाणिज्यिक ऊर्जा के परीक्षण के अप्राप्त संभाव्य की मात्रा 20 प्रतिशत, उद्योग में 25 प्रतिशत और कृषि में 30 प्रतिशत रही ।

1.15 आज विश्व में औद्योगिक प्रौद्योगिकी से कुछ मुख्य परिवर्तन हो रहे हैं जिनके तीन महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं: (क) उत्पादन प्रक्रमों में कम्प्यूटरों तथा इलैक्ट्रानिकी का अनुप्रयोग ; (ख) आद्य चालकों (प्राइम मूवरों) और अन्य औद्योगिक उपस्कर में ईंधन क्षमता में सुधार और ; (ग) नई सामग्री का उपयोग । छठी योजना में यह प्रयास किया गया कि इन परिवर्तनों को अर्थव्यवस्था का अंग बताया जाए परन्तु अभी भी प्रौद्योगिक प्रगति को देखते हुए हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है । इसके आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए कपड़े, इस्पात और पूंजीगत माल के उत्पादन के विकास में बहुत कुछ किया जाना है ।

1.16 स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिए जाने के कारण ऊर्जा इंजीनियरी आदि, अनेक क्षेत्रों में तथा उनकी क्षमताओं में प्रगति करने की व्यापक आधार-संरचना तैयार कर ली गई है । जब उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने की कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप में सीमांकित किया जा चुका है तथा भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों ने कृषि परमाणु-ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा और उद्योग अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा कर दिखाया है । छठी योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मुख्य उपलब्धि यह है कि वर्तमान आधार संरचना को सुदृढ़ किया जाए और नए प्रणोद क्षेत्रों को विकसित किया जाए । छठी योजना के दस्तावेज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो सिफारिशें की गई थीं उनके सफल क्रियान्वयन का प्रयास किया गया है। जिन प्रमुख नए क्षेत्रों पर जोर दिया गया है वे हैं :—पर्यावरण, समुद्रविज्ञान, ऊर्जा के ऐसे क्षेत्र जो नए हैं या पुराने जिन्हें अनुप्राणित किया जा सकता है और जैव-प्रौद्योगिकी ।

1.17 छठी योजना में प्रौद्योगिकी नीति विवरण का समावेश था जिसका मुख्य उद्देश्य था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कार्यों के लिए प्रयोग । इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र को मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी क्योंकि देश में इसके अंतर्गत तकनीकी प्रतिभा का अधिकांश भाग काम कर रहा है । भारत में काम कर रहे इंजीनियरों की कम-से-कम दो तिहाई संख्या सार्वजनिक क्षेत्र में ही है। जहां तक अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यक्तियों का प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या का चतुर्थ/पंचम भाग है । इस विशाल प्रतिभा का उपयोग और अधिक रचनात्मक या उत्पादक रूप में विकास प्रधान विशिष्ट प्रौद्योगिक क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जैसा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम या परमाणु ऊर्जा में सफलतापूर्वक किया गया है।

आत्म-निर्भरता

1.18 छठी योजना उस समय तैयार की गई थी जब तेल की कीमतों में बड़ी तेजी से हुई वृद्धि के कारण भुगतान-शेष की स्थिति शोचनीय थी। छठी योजना के दौरान निर्यात और आयात दोनों धीरे-धीरे प्रत्याशा के विपरीत कम हो गए और समग्र व्यापार घटा (स्थिर कीमतों पर) प्रत्याशा से लगभग 18 प्रतिशत से अधिक था। परन्तु परोक्ष रूप से

हुई निवल आय अपेक्षाकृत कहीं अधिक थीं। चालू खाता घाटा (स्थिर कीमतों पर) प्रत्याशा से लगभग एक तिहाई कम था। इन बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के आदान से 1979-80 से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में ह्रास की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसमें स्थिरता आ गई। योजना के अंतिम तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और 1984-85 के अंत तक इसी निधि से पांच महीने में होने वाली आयातित वस्तुओं के मूल्य की राशि की व्यवस्था कर दी गई।

1.19 आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति की महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेल उत्पादन कार्यक्रम को द्रुत गति से निष्पादित किया जाए। देशीय कच्चे तेल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि से आयात की मात्रा में कमी हुई। तेल और पेट्रोलियम की वस्तुओं का खपत-अनुपात 1979-80 के 66 प्रतिशत से घटकर 1984-85 में 31 प्रतिशत हो गया। यदि इन वस्तुओं का आयात अनुपात 1979-80 अंक पर स्थिर रहता तो छठी योजना में इन वस्तुओं के आयात पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के कारण भुगतान-शेष की समस्या का समाधान करना असंभव हो जाता। उस स्थिति में खपत पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता और परिणामस्वरूप कृषि, उद्योग, परिवहन आदि क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ जाती।

1.20 भुगतान-शेष का प्रबंध करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति के कारण निवेश कार्यक्रमों में कटौती नहीं करनी पड़ी। छठी योजना के दौरान समग्ररूप में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी स्थायी निवेश में तीव्र वृद्धि होती रही। यह इस लिए ही संभव हो सकता कि हमारी आवश्यकता के यंत्रों की मांग को बहुधा देशीय उत्पादन से पूरा किया जा सका। अतः भुगतान-शेष के संदर्भ में निवेश कार्यक्रम में गति बनाए रखने के लिए कोई बड़ी अड़चन नहीं आई।

1.21 छठी योजना के दौरान भुगतान-शेष का एक दुर्बल पक्ष था निर्यात की मंद गति। मात्रा की दृष्टि से इसका दर लक्ष्य से कम था। दर की इस कमी का कारण विकसित अर्थ व्यवस्था वाले देशों में व्याप्त मंदी था। इससे योजना की अधिकांश अवधि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंदी का दौर रहा परन्तु इस संदर्भ में एक अन्य कारण का उल्लेख भी किया जा सकता है। वह है—देश में व्यवहार्य दीर्घकालीन निर्यात आधार को तैयार करने में हुई अपर्याप्त प्रगति। यदि हमें संवृद्धि के परिपेक्ष्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो विदेशी मुद्रा कमाने में भी हमें अधिक तेजी से आगे बढ़ना होगा।

1.22 आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कार्यनीति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विदेशी ऋण सेवा अनुपात को इस सीमा पर रखना होगा कि हम ऋण की राशि का भुगतान यथासमय कर सकें। 1979-80 में विदेशी ऋण सेवा निर्यात का 12.5 प्रतिशत थी और 1984-85 में यह अनुपात गिर कर 11.2 प्रतिशत हो गया परन्तु छठी योजना के दौरान भी विदेशी मुद्रा आदान की रीति-नीति में बड़ा परिवर्तन आया। बीसवीं सदी के सातवें दशक के अंत में विदेशी मुद्रा का आदान मुख्य रूप से उस रियायती सहायता के रूप में हुआ जो भारत सरकार को प्राप्त हुई। छठी योजना के दौरान विदेशी मुद्रा के इस आदान के दो महत्वपूर्ण रुप इस प्रकार हो गए: (क) सरकार द्वारा लिया गया बढ़ते हुए अनुपात में गैर रियायती आदान, और (ख) वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र द्वारा लिया गया पर्याप्त मात्रा में आदान। इन दोनों कारकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के शेष आदान और अनिवासी भारतीय निवेशों के कारण विदेशी ऋण की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी; अतः सातवीं योजना में भुगतान शेष का प्रबंध नियंत्रण करने के लिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

1.23 भारतीय विकास नीति में आत्म-निर्भरता को केवल इसी रूप में नहीं माना जाता कि बाहरी सहायता पर निर्भरता कम हो बल्कि इस रूप में भी माना जाता है कि देशीय क्षमताओं को बढ़ाया जाए और उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात को कम किया जाए जिनकी आवश्यकता और मांग देश में अधिक होने के कारण उनकी विश्व कीमतों पर प्रभाव पड़ता है या जिनकी अनिश्चित सप्लाई से हमारी अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों इन तीन वस्तुओं के आयात में छठी योजना पर निर्भरता कम हुई।

1.24 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को इस संदर्भ में देखना होगा कि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास के लिए हमारी प्रौद्योगिक क्षमता क्या भूमिका निभाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारी स्थिति सुधरी है और हम प्रौद्योगिक क्षमता को लेते भी हैं और अन्य लोगों को उसे देते भी हैं। इस समय औद्योगिक जानकारी, तकनीकी परामर्श और निर्धारित लागत औद्योगिक परियोजनाओं के संदर्भ में भारत तीसरी दुनिया का प्रमुख निर्यातकर्ता बन गया है। हाल ही में प्रौद्योगिकी का आयात भी द्रुत गति से हुआ है। यह बात विदेशी सहयोग से चलने वाले उद्योगों के अनुमोदन में वृद्धि से सिद्ध होती है।

1.25 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर अत्यन्त महत्व के क्षेत्रों में हम उल्लेखनीय आत्म-निर्भरता की ओर बढ़े हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में डिजाइन और न्यूक्लीय शक्ति के रिएक्टर तैयार करने और उन्हें चालू करने और इसमें काम में आने वाले कल-पुर्जों और भारी पानी को तैयार करने में हम काफी आत्मनिर्भर हो गए हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपग्रह के डिजाइन बनाने तथा उन्हें तैयार करने और उन्हे छोड़ने के लिए यान तैयार करने की हमारी क्षमता बढ़ी है। इससे हम कुछ ही वर्षों में अपने आप उपग्रह बनाने, छोड़ने और उसे चलाने, नियंत्रित रखने में सक्षम हो जाएंगे। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में अनुसंधान का प्रश्न बड़े महत्व का बना आ रहा

है। अब यह अनुसंधान कार्य कृषि उत्पादन के लिए बहुविध आधार प्रदान करने में समर्थ है। चिकित्सा अनुसंधान को छठी योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस अनुसंधान में कुष्ठ निवारण, प्रजनन क्षमता-नियंत्रण और संचार रोगों के नियंत्रण के लिए नए उपायों पर विशेष बल दिया गया है। आशा है कि अब सातवीं योजना में चिकित्सा अनुसंधान अपना अधिक प्रभाव दिखाने में समर्थ होगा।

सामाजिक न्याय

1.26 गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के उद्देश्य का छठी योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। समान रूप से सबकी उन्नति हो सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई कार्यनीति के लिए ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गरीबी भार के बारे में अपेक्षित सूचना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षणों में मिलती हैं और विगत दो सर्वेक्षणों के आंकड़ों को संक्षेप में, निम्न सारणी में दिया गया है :—

सारणी 1.2

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता	1977-78	1983-84 (अनन्तिम आंकड़े)
ग्रामवासी	51.2	40.4
नगरवासी	38.2	28.1
कुल	48.3	37.4

1.27 इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अवधि के दौरान गरीबी भार कम हुआ है। इस सुखद प्रवृत्ति का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक संवृद्धि की दर में और कृषि उत्पादन में प्रगति हुई है। छठी योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (स.ग्रा.वि.का.) में इस प्रकार व्यापक विस्तार हुआ कि इसमें देश के सभी विकास खंडों को सम्मिलित करने के अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से गांव में चलाए जा रहे कार्यों में बेरोजगारों को काम दिलाने का प्रयास किया गया है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित गरीब परिवारों को सम्मिलित करने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए थे। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए अध्ययन समेत विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से इस कार्यक्रम के दुर्बल पक्षों को चिन्हित किया गया है और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि होने वाली हानि आदि को कम किया जा सके, कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाया जा सके और विभिन्न योजनाओं की जीवन क्षमता में सुधार लाया जा सके।

1.28 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों के रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार लाना और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम से भी सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है। छठी योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा और प्रमुख तथा गौण स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से बढ़ गई थी। परिवार नियोजन उपायों के अंतर्गत नियोजित परिवारों की संख्या 1979-80 में 22.5 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 32.0 प्रतिशत हो गई। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार का प्रश्न है 2,31,000 गांवों में से 1,92,000 गांवों में पेय जल की व्यवस्था की गई, 54 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान दिए गए और मकान बनाने के लिए 19 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। नगरों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले 91 लाख लोगों को सुधरे हुए पर्यावरण की सुविधाएं प्रदान की गई।

1.29 शिक्षा और स्वास्थ्य की एक समस्या यह भी है कि इसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए। यद्यपि स्कूलों में बच्चों को भर्ती कराने के लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे परन्तु स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की उच्च प्रतिशतता का अर्थ यह है कि स्कूलों में उपस्थिति की वास्तविक दर बहुत ही कम है। इस प्रकार 1981 की जनगणना के कुछ प्राथमिक निष्कर्षों से पता चला है कि 1980-81 में विशेष आय वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में 1—8 कक्षाओं में भर्ती की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कहीं कम थी। स्वास्थ्य के संदर्भ में रुग्णता के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु समग्र मृत्यु दर में क्रमिक ह्रास और बाल मृत्यु दर से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का स्वास्थ्य सुधार पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा। अब परिवार कल्याण की समस्या पर विचार करते हैं। परिवार नियोजन कराने वाले वही लोग हैं जिन के पहले ही तीन या उससे अधिक बच्चे हैं और अशोधित जन्म दर में विशेष कमी होती हुई दिखाई नहीं देती। इस समय शिक्षा और स्वास्थ्य पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो धन खर्च किया जा रहा है वह चूंकि अनुमानतः 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है अतः इसका उपयोग प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य में होने वाले सुधार का विकास कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अतः राजकोष से जिस सेवा पर इतना खर्च किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर सावधानी से ध्यान देना आवश्यक है।

1.30 सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए पर्यावरण की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण की कीमत उनको चुकानी पड़ती है जिन्हें उन योजनाओं से लाभ नहीं होता परन्तु जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस प्रक्रिया से गरीब को ही हानि होती है क्योंकि वह अपना बचाव नहीं

कर पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में वन कटाई, मृदा-कटाव, बाढ़ और जला क्रान्ति से किसानों को बहुत हानि पहुंचती है। शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोग ही ऐसे हैं जो असुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं यह बात भोपाल गैस कांड से सिद्ध होती है। छठी योजना में सभी विकास क्षेत्रों में पर्यावरण की शुद्धता पर जोर दिया गया है। पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। पर्यावरण सुधार के लिए परिवीक्षण-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, वनों और जल-प्रदूषण संबंधी नया कानून बनाया गया और सभी मुख्य परियोजनाओं के बारे में पर्यावरण प्रभाव संबंधी सर्वेक्षण किया गया है।

भावी कार्यक्रम

1.31 छठी योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि 1982-83 में खराब मौसम के होते हुए, 1979 में तेल संकट के होते हुए और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के प्रतिकूल होते हुए भी आर्थिक संवृद्धि की गति को बनाए रखा गया। कृषि विकास और गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के द्रुत विस्तार ने गरीबी और बेरोजगारी के गढ़ पर कठोर प्रहार किए। इस प्रकार स्थूल रूप में छठी योजना ने देश को संवृद्धि के उद्देश्यों, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होने की बड़ी सहायता की। परन्तु विकास कार्यों के कुछ दुर्बल पक्ष भी हैं जिन्हें सुधारना आवश्यक है।

1.32 गरीबों के हितों की रक्षा और संवर्धन करने, आय और संपदा की विषमताएं दूर करने विकास के धरातल पर प्रादेशिक असमानताएं दूर करने, पर्यावरण को शुद्ध रखने, दीर्घकालीन संवृद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी आधार तैयार करने और अगली पीढ़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को विकास प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभानी होगी। ये बातें ऐसी हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से गैर सरकारी एजेंसियों के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार का इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण दखल हमारी संवृद्धि कार्यनीति का केन्द्र है।

1.33 यह बात स्पष्ट है कि सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सातवीं पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख समस्या है। इस प्रकार के संसाधन न जुटाए जाने से कृषि और उद्योग के संतुलित विकास में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र में विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निमित्त एक अधिक निश्चित प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन में दक्षता बढ़ाना और इन उद्यमों द्वारा अधिक अच्छे संसाधन सृजन करना इस प्रयत्न का एक प्रमुख संघटक होगा। सरकार के सामान्य बचत-निष्पादन में भी पर्याप्त सुधार होना आवश्यक है।

1.34 सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र ने भारत के औद्योगिक परिवर्तन की शुरूआत की है और इसे कायम रखा है। यह भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण और आर्थिक सत्ता के संकेन्द्रण को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अपने इस ऐतिहासिक कार्य को करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में योजना की दक्षता की प्राथमिकताओं और उत्पादकता के अनुरूप मूल संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने हैं। केवल जिस सीमा तक सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र निवेश योग्य आधिक्यों का सृजन करता है उसी सीमा तक यह, अर्थव्यवस्था के नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए शिल्पविज्ञान के प्रारम्भ और समावेशन, तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख साधन होने के कारण अर्थव्यवस्था के लिए एक पर्याप्त मूल भूत संरचनात्मक आधार उपलब्ध कराने की अपरिहार्य सामाजिक भूमिका निभा सकता है।

1.35 संसाधन जुटाने का संकीर्ण दृष्टिकोण, यदि केवल वित्तीय क्षेत्र तक ही सीमित है तो उससे विकास प्रक्रिया जिसमें मानव उपादान नितान्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, की विविधता (पेचीदगी) के प्रति न्याय नहीं हो पाता। अत्यधिक व्यापक अर्थ में, मानव संसाधनों के पर्याप्त विकास के बिना हम स्वतः विकास की प्रक्रिया में रुकावटों से नहीं बच सकते। अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनकारी शक्तियां समाज के सभी वर्गों की सृजनात्मक शक्तियां जुटा कर ही सुदृढ़ की जा सकती हैं सभी पहलुओं सहित शिक्षा से और विकास कार्यक्रमों के लोगों के संगठनों के जरिए उनकी सहभागिता से ही, त्वरित और निरंतर सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति हो सकती है सातवीं योजना में इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1.36 विकास प्रयास की दूसरी महत्वपूर्ण दुर्बलता है उत्पादकता संवृद्धि की निकृष्ट गति। उत्पादकता और दक्षता पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि क्षमता विस्तार और उत्पादन वृद्धि पर। पुरानी परिसम्पत्तियां, उपस्करों को बदलने और उनके रख-रखाव को प्राथमिगता दी जानी चाहिए। पूंजीगत परिसंपत्ति का बेहतर उपयोग, ऊर्जा की खपत और कच्चे माल के उपयोग तथा लागत में कमी सभी क्षेत्रों में होनी आवश्यक है। इन सुधारों के बिना विकास की गति को बनाए रखना कठिन है क्योंकि बचत-दर में भारी वृद्धि जो पहले ही अत्यधिक है, प्राप्त करना कठिन है भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता-क्षमता बढ़ाने और देशीय बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि लागत में कमी की जाए।

1.37 इस समय जिस भुगतान शेष की स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है वह पूर्वकालिक स्थिति से भिन्न है। रियायती सहायता का वातावरण भी इस समय अनुकूल नहीं है। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आदान की नीति अपनाने से देश ऋण के बोझ से दब जाएगा और उसकी अदायगी कठिन हो जाएगी। अतः व्यापार-शेष में उल्लेखनीय सुधार इसलिए आवश्यक है कि विदेशी भुगतान में व्यवहार्यता रखी जा सके। वनस्पति तेलों, उर्वरकों, इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादनों की

देश में वृद्धि करने से निस्संदेह आयात की मात्रा संयमित होगी। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर आयात प्रतिस्थापन द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का प्रबंध करने की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। अतः इस प्रकार बेहतर आयात प्रतिस्थापन पर लगातार जोर देने के अतिरिक्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अतीत की अपेक्षा उससे अधिक निर्यात संवर्धन किया जाए। निर्यात में त्वरित वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि न केवल व्यापार नीति में परिवर्तन किया जाए बल्कि कर संबंधी वित्तीय और औद्योगिक नीतियों में भी परिवर्तन लाया जाए।

1.38 कृषि और ग्रामीण विकास में अनेक नए कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न प्रशासनिक और संगठनात्मक स्थापनाएं हुई है परन्तु इन नए संगठनों और स्टाफ सदस्यों की व्यवस्था तो कर दी जाती है, परंतु पूर्ववर्ती स्थापनाओं और स्टाफ सदस्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। इस समय प्रशासन में क्षेत्र-स्तर और उच्च-स्तरों पर व्यापक "विकास नौकरशाही" काम कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय स्वशासी निकाय और सहकारी समितियां भी काम कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस सारी संरचना के सरल और विवेकसम्मत बनाया जाए ताकि पुनरावृत्ति को कम किया जा सके और सभी स्थानीय स्तरों पर पर्याप्त क्षैतिज समन्वय को सुनिश्चित किया जा सके। यह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि व्यय-भार को कम किया जा सके बल्कि इसलिए भी आवश्यक है ताकि कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सके, जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जा सके और सामान्य जन के लिए व्यवस्था को अधिक बोधगम्य बनाया जा सके।

1.39 शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और परिवार कल्याण में पहले लक्ष्य-प्रधान सुविधा-विस्तार या आंकड़ों पर जोर दिया जाता था। अब समय आ गया है कि इन क्षेत्रों में दी जा रही सेवा की गुणवत्ता पर और साक्षरता की प्रभावोत्पादकता वस्तु स्थिति रुग्णता-भार, मृत्यु दर, पोषकता-स्थिति और प्रजनन दर आदि पर अंततः हुए प्रभावों के रूप मे इन्हें मापा जाए।

1.40 आत्मनिर्भर संवृद्धि के निमित्त और अर्थव्यवस्था को विदेशी खतरों से बचाने के लिए, देशीय प्रौद्योगिकी-क्षमताओं का निर्णायक महत्व है। देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधार को मजबूत करने के लिए इन बातों के संबंध में द्वि-अंगीय कार्यनीति अपनाई जानी है, (1) ऊर्जा, अंतरिक्ष, संचार, कृषि, जनसंख्या-योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देशीय प्रौद्योगिकी क्षमताओं में वृद्धि करना; और (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रयत्न की शुरुआत करना ताकि देश विश्व के प्रौद्योगिकीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उत्पादकता में सुधार करने और अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतियोगी औद्योगिक ढांचे का निर्माण करने के लिए यह कार्यनीती आवश्यक है। संक्षेप में सातवीं योजना में, आत्मनिर्भरता के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आधार-संरचना को हमारी कार्यनीति के एक प्रमुख संघटक के रूप में उन्नत करके गुणात्मक रूप में एक अधिक उच्च स्तर तक पहुंचाने के वास्ते व्यवस्थित रूप से शुरुआत की गई है।

1.41 सातवीं योजना को अतीत के इन तत्वों पर पल्लवित-पुष्पित होना चाहिए—उच्च बचत दर, वैज्ञानिक तकनीकी और प्रबंधकीय जनशक्ति, सूखा और अंतर्राष्ट्रीय अशांति आदि सहने की क्षमता तथा गरीबों के लिए लाभकारी विकास योजनाएं। अब सामाजिक न्याय पर आधारित स्वावलंबी संवृद्धि के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ना संभव हो गया है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नीतियों और उनके निष्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन सुधार होने चाहिए। उद्योग, कृषि, प्रौद्योगिक के क्षेत्र में उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षित नीति परिवर्तन की आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन में संरचना के धरातल पर परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

अध्याय 2

विकास की सम्भावनाएं : वर्ष 2000 की ओर

2.1 सातवीं योजना का विकास कार्यक्रम आगामी 15 वर्ष, अर्थात् 1985–2000 की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना है। वर्ष 2000 और 21वीं शताब्दी में पदार्पण करते समय राष्ट्र के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुरूप सातवीं और उसके बाद की योजनाओं में पूंजी-नियोजन तथा नीति संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी है। अधिक स्पष्ट रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि इस शताब्दी के अन्त तक गरीबी का उन्मूलन और लगभग पूर्ण रोजगार की स्थितियां पैदा करना, भोजन, कपड़ा और रहने के लिए मकान आदि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सबके लिए प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि वर्ष 2000 तक आन्तरिक रूप से वित्तीय विकास और प्रौद्योगिकी विकास की क्षमता इतनी हो जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण होकर आगे बढ़ने लगे। जहां तक उद्योग का संबंध है कुशलता में निरन्तर वृद्धि की जानी चाहिए ताकि देश के मुख्य उत्पादन, प्रतियोगिता में, अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादनों का मुकाबला कर सके। लक्ष्य यह है कि भारत एक आधुनिक देश बन सके जिसकी अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी दृष्टि से निरन्तर आगे बढ़ती रहे, क्षमता का विस्तार होता रहे और सभी लोगों के कल्याण के लिए आधारभूत सामग्री और सांस्कृतिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने आवश्यक हैं।

2.2 इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करने आवश्यक है :—

(i) आर्थिक विस्तार और प्रौद्योगिकी विकास की गति बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करना;

(ii) जनता के गरीब वर्गों, गरीब क्षेत्रों तथा गरीब राज्यों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए कारगर प्रोत्साहनात्मक उपाय अपनाना;

(iii) स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाना;

(iv) जनसंख्या की वृद्धि दर को तेजी से घटाने के लिए उपाय करना।

दीर्घकालीन विकास कार्यनीति

2.3 अर्थव्यवस्था में उभरने वाली विभिन्न स्थितियों तथा योजना क्षितिज पर दिखाई देने वाली संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन कार्यनीति निर्धारित की जानी चाहिए। कार्यनीति तैयार करना तथा इससे संबंधित नीति के जिन पहलुओं पर बल दिया जाना है उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना भी जरूरी है।

2.4 दीर्घकालीन विकास कार्यनीति निर्धारण के लिए मुख्य आधार जनांकिकीय संभावना होती है। आगामी पन्द्रह वर्ष में श्रम शक्ति में आने वाले व्यक्तियों का जन्म हो चुका है। कुल मिलाकर आगामी 15 वर्षों में 12 करोड़ व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर उत्पादक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस समय जनसंख्या तथा श्रम शक्ति का जो वितरण है उसको तथा शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को बनाए रखने में सामाजिक तथा आर्थिक कार्यकलापों पर जो अत्यधिक खर्च करना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आधार संरचना और ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर वहां रोजगार चाहने वालों को वहीं रोजगार प्रदान किया जाए। इससे न केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता कम होगी बल्कि गांवों से शहर आने वालों की संख्या भी घटेगी।

2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, विकास प्रक्रिया में बढ़ते हुए खाद्यान्न की मांग, अधिक सघन कृषि विकास से अनुकूल आय तथा रोजगार की जटिलताएं और भुगतान शेष की भी कठिनाई कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए तेजी से कृषि उत्पादन करने की आवश्यकता है। अतः खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को भारतीय आयोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही होगी। खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनाज, तिलहन, दालों, फल सब्जी और दूध, अण्डे, मांस व मछली जैसी बलवर्धक चीजों के उत्पादन को भी पर्याप्त महत्व देना होगा।

2.6 जनांकिकीय संभावना से यह भी विदित होता है कि जोतों के आकार में निरन्तर कमी आती जाएगी। अतः कृषि क्षेत्र की चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब लघु जोतों की उत्पादकता बढ़ाने में जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जा सके। अनुभव यह बताता है कि जब छोटे किसानों को आवश्यक निवेश और सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं तो वे उत्पादन में काफी वृद्धि कर देते हैं। इसलिए इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना है कि छोटे किसान अपनी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकें। विस्तार

सेवाओं को यदि ठीक प्रकार से संगठित किया जाए तो वे इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयत्नों को समुचित सामूहिक कार्रवाई कर सहायता देनी होगी जिससे छोटे किसान सिंचाई, ऋण, हाट व्यवस्था और भण्डारण जैसी सुविधाओं का कारगर किफायती उपयोग कर सकें। इन कार्यकलापों के संचालन में सहकारी प्रयत्न काफी कुछ कर सकते हैं, परन्तु इन क्षमताओं की प्राप्ति उन सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर निर्भर करती है जो इस अभियान की अनेक कमजोरियों पर काबू पाने के लिए तैयार किए गए है। (सहकारी आन्दोलन संबंधी विभिन्न मामलों पर खण्ड-2, अध्याय-1 में आगे और विचार किया गया है)।

2.7 आर्थिक विकास की सफलताओं को, काफी हद तक जनसंख्या की वृद्धि बेकार कर देती है, इसके अलावा, काफी बचत का भी उपयोग इस जनसंख्या पर हो जाता है जिसका उपयोग अन्यथा प्रतिव्यक्ति आय और श्रम शक्ति की उत्पादकता तेजी से बढ़ाने पर किया जाता। अतः जनसंख्या की वृद्धि की दर घटाने के लिए कारगर उपाय अपनाने जरूरी है और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। परिवार कल्याण सेवाओं के विस्तार के अलावा, शिक्षा (विशेषकर लड़कियों की), स्वास्थ्य की देखरेख सुविधाएं (खासकर जो शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए बनाई गई है) तथा सामाजिक व आर्थिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। इसके अलावा छोटे परिवार के विचार को स्वेच्छा से स्वीकार करना भी आवश्यक है।

2.8 जीवन की गुणवता में निरन्तर सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। आवास और ग्रामीण बुनियादी संरचना की आवश्यकताएं भी बहुत ही आवश्यक हैं क्योंकि अब और वर्ष 2000 के बीच जनसंख्या में जो वृद्धि होगी उसका लगभग 60 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहेगा। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत नागरिक सुविधाओं की गुणवता के बारे में पहले ही असंतोष है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण इनमें और भी गिरावट आएगी और शहरी विकास तथा बुनियादी संरचना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें नई प्रेरणाप्रद कार्यनीति अपनानी होगी।

2.9 जनांकिकीय संभावना से प्रतीत होता है कि सामाजिक बुनियादी संरचना और आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकताएं काफी बढ़ जाएंगी। पूंजी की उपयोगिता और उत्पादकता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है फिर भी, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत विकास पूंजी-सघन चरण से गुजर रहा है। यह कृषि और उद्योग दोनों पर लागू होता है, खासकर जबकि बुनियादी संरचना में विनियोजन करते समय पूंजी सघनता को भी इसमें हिसाब में ले लिया जाता है। अतः विकास की गति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू बचत की दर बढ़ाई जाए और सार्वजनिक नीतियां ऐसी हों जो बचत के प्रयत्नों को समर्थन प्रदान करें।

2.10 दीर्घकालीन कार्यनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में कारगर ऊर्जा आयोजन किया जाना चाहिए। विकास के दौरान वाणिज्य ऊर्जा की मांग बढ़नी अवश्यम्भावी है। इसकी आवश्यकता, उत्पादन बढ़ाने तथा वाणिज्य ऊर्जा द्वारा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रतिस्थापन, दोनों में होगी। अतः यह आवश्यक होगा कि वाणिज्य ऊर्जा की मांग को सीमित रखने और ऊर्जा का खर्च कम करने के लिए ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाया जाए। आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कुछ सुरक्षित सीमाओं तक ही सीमित रखना होगा। भारतीय उर्जा नीति का मुख्य आधार कोयला होगा और जहां कहीं संभव हो तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग किया जाए। पत्थर के कोयले के उत्पादन के बारे में एक दीर्घकालीन नीति बनानी होगी और इस के परिवहन तथा मूल्य के बारे में भी ध्यान रखना होगा जिससे घरेलू क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकताओं के लिए कोयले को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार सख्त कोयले का अधिक उत्पादन करना और उद्योग में इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए अच्छे डिजाइनों के लिए बायलर की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक गैस के भण्डारों की इस समय जो जानकारी है तथा जो पूर्व अनुमान लगाया गया है उससे पेट्रोलियम की मांग सीमित रखने में सहायता मिलेगी। ऊर्जा आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार आयोजन कर पूर्ति लागत—प्रभावी आधार पर करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

2.11 ऊपर जो भी सुझाव दिए गए हैं उन सबके बावजूद भी आने वाले वर्षों में कच्चे तेल और पैट्रोल-जन्य पदार्थों का आयात भारत में काफी बढ़ने की संभावना है। आयातित तेल पर निर्भरता का अर्थ है कि भारत को भुगतान-शेष की व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में निर्यात प्रोत्साहन उपाय अपनाने होंगे। और कुशल आयात प्रतिस्थापन नीति अपनानी होगी (उदाहरण के लिए आयातित वनस्पति तेलों पर निर्भरता कम करने के लिए अपनाए गए उपाय)।

2.12 भविष्य में जिन महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों को लाना होगा उनसे उद्योग में विकास की दर बढ़ेगी और राष्ट्रीय उत्पादन तथा रोजगार प्रदान करने में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय उद्योगों को इस अवधि में 8-9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करना होगा। देश के निर्यात को बढ़ाने तथा कृषि निवेश की निवेश आवश्यकताओं तथा सार्वजनिक उपयोग के सामान की मांग को पूरा करने के लिए देश के निर्यात में निरन्तर वृद्धि करनी आवश्यक है। प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने तथा घरेलू प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का वातावरण पैदा करना

होगा जो विकास, लागत घटाने, गुणवता में सुधार लाने के लिए सहायक हो। उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीकों को उन्नत करने का काम एक ऐसा है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान बुनियादी ढांचे से सुदृढ़ संबंध बनाए रखना होगा।

2.13 पिछले चार दशकों के दौरान इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है और इसने अनेक क्षेत्रों, जैसे सौलिड स्टेट इलेक्ट्रानिक, लेसर इंटीगल आपटिक्स तथा आंकिक इलेक्ट्रानिक पर आधारित दूरसंचार को प्रणालियों में बड़े आशातीत परिवर्तन कर दिए हैं। ये गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अन्य नई तकनीकियां भी उभर रही है, जैसे बायो टेकनालोजी, रोबोटिक्स और नई सामग्री, भारत जैसे ही इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करेगा उसे इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

2.14. कारक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि और उद्योग दोनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक मात्रा में उपयोग करना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के प्रबंध की व्यवस्था निरन्तर करते रहना होगा ताकि तकनीकी प्रगति से कदम से कदम मिलाया जा सके। प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के काम में सुधार लाना आवश्यक है। विदेशी प्रोद्योगिकियों को अपनाने और आत्मसात करने के काम को अनुसंधान और विकास की सुविधाओं के साथ जोड़ना होगा ताकि अधिकतम संभव स्तर तक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। इसके साथ-साथ शिक्षा के स्तर को भी उन्नत करना होगा ताकि श्रम शक्ति के ज्ञान और कुशलताओं को उन्नत किया जा सके और परिणामतः नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रक्रियाओं का तेज रफतार से सूत्रपात किया जा सके।

2.15. भारत जैसे बृहद आकार और विविधता वाले देश में तीव्रगति से विकास करने के लिए योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो काम किए जाएं उन्हें करने के लिए भारत में क्षमता विद्यमान हो और वर्तमान आर्थिक जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं उन्हे झेला जा सके। आयोजना प्रक्रिया कारगर ढंग से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि विकेन्द्रीकरण पर समुचित बल दिया जाए, आन्तरिक लचीलेपन की व्यवस्था की जाए तथा सभी स्तरों पर अधिक से अधिक लोगों को काम में सहयोजित किया जाए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे विकास कार्यक्रम, खासकर कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित संसाधनों की उपलब्धता में क्षेत्र की उपलब्धताओं और क्षमताओं और विकास क्षमता का भरपूर ज्ञान रखना होगा।

2.16 विकास को भूमि, जल, खनिज इत्यादि संसाधनों के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। यदि इसे काफी लम्बे समय तक गतिशील बनाए रखना है तो इसमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो जिससे पर्यावरण का संरक्षण और अनुरक्षण भी हो सके। अतः भविष्य में हमारे सारे विकास कार्यक्रम आर्थिक और पारिस्थिति की के ठीक प्रकार उपयोग से अनुप्राणित होने चाहिए।

संसाधन आधार

2.17 देश के मुख्य संसाधन आधार हैं--(i) मानवीय संसाधन; (ii) पुनः नवीकरण न किए जाने वाले संसाधन जो कि प्रकृति की सम्पत्ति हैं और जिसका कुल आकार समय के साथ कम होता जाता है; और (iii) नवीकृत किए जाने वाले संसाधन जिनका निरन्तर निर्माण किया जा सकता है और जिसका आधार मानवीय संसाधनों से बढ़ाया जा सकता है।

मानवीय संसाधन

2.18. इस अध्याय में, बाद में वर्ष 2000 ई. में और उसके बाद जनांकिकीय आधार पर मानवीय संसाधनों की प्रवृत्तियों को बताया गया है। इसके साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के माध्यम से भी विचार किया गया है। कुछ समय बाद किसी देश के निवासियों का जीवनस्तर उस देश द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। केवल उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही काफी ऐसे संसाधन उपलब्ध किया जा सकते हैं जो तीव्र विकास के लिए संसाधन सुलभ करें। फिर भी, किसी देश में संगठन और वितरण प्रणाली सहित, अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संस्थागत संरचना में किसी प्रकार की असमानता नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार दीर्घकालीन विकास ध्यान में रखते हुए भारत में प्रौद्योगिकी क्रान्ति और सामाजिक स्तर पर सहयोगी आवश्यक परिवर्तनों, मानवीय पूंजी व संचार विकास को एक दूसरे से कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाना चाहिए।

भूमि संसाधन

2.19 भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3290 लाख हेक्टर है। इसके लगभग 1430 लाख हेक्टर में खेती होती है और यह क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43.5 प्रतिशत है। वनों के अन्तर्गत 750 लाख हैक्टर भूमि है जो कि कुल क्षेत्र का लगभग 23 प्रतिशत है। अकृषीय तथा बंजर भूमि 1004.5 लाख हैक्टर है।

2.20 भूमि संसाधन ऐसे हैं जिनका विस्तार नहीं किया जा सकता और उपलब्ध संसाधनों से ही बढ़ते हुए मानवीय व पशु संख्या के लिए खाद्य, घास, रेशों और ईंधन, खनिज उत्पादन; शहरीकरण तथा गैर-कृषि उपयोग के लिए भूमि का उपयोग इत्यादि की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति की जानी है। अनुमान है कि वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या एक अरब से कुछ ही कम होगी और पशुओं की संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता लगभग 0.94 हैक्टर थी। यह घटकर वर्ष

2000 में 0.33 हैक्टर रह जाएगी। इस प्रकार भूमि और मानव का निरन्तर घटता हुआ अनुपात, भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए अधिकतम उपयोग करने में सबसे बड़ी चुनौती है।

2.21 इस समय सड़क, रेल, जल-साधन, खनिज, रक्षा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न शहरी और ग्रामीण बस्तियों द्वारा लगभग 178 लाख हैक्टर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अनुमान है वर्ष 2000 तक इन कृष्येतर कार्यों के लिए 60 लाख हैक्टर और भूमि की आवश्यकता होगी।

2.22 असिंचित भूमि, सिंचित भूमि और घास व ईंधन सहित अन्य गैर-कृषि कार्यों के लिए जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा उस पर किए जा रहे अनुसंधान कार्य इस प्रकार के होने चाहिए जो भूमि के उपयोग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सकें। राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों और भूमि विकास कार्यनीति को ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से काम करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

2.23 लगभग 1050 लाख हैक्टर कृषि योग्य भूमि और 80 लाख हैक्टर गैर-वनीय और गैर-कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर भूक्षरण हो रहा है। इसके अलावा, 430 लाख हैक्टर क्षेत्र पानी के जमाव, क्षारीयता, खादर और झूम कृषि के कारण खराब हो गया है। भूक्षरण और भूमि खराब होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार लाख मिट्टी की और 53.7 और 34 लाख टन पादप पोषक तत्वों की हानि हो रही है। विकास की गंभीर चिन्ता यह होनी है कि किस प्रकार भूमि का सही उपयोग कर उसे क्षरण होने तथा उसको आगे और खराब होने से बचाया जाए। इसके साथ-साथ अस्वस्थ भूमि को पोषक तत्व प्रदान कर उसे उत्पादन देने वाली भूमि में बदलना होगा।

जल संसाधन

2.24 भारत जल संसाधनों से भरपूर है। देश में वर्षा की वार्षिक औसत लगभग 119.4 से.मी. है जिसे यदि कुल भौगोलिक 3290 लाख हैक्टर के हिसाब से गिना जाए तो जल वाला कुल क्षेत्र 3930 लाख हैक्टर मीटर आता है। भारत में पानी के क्षेत्र को 1780 लाख हैक्टर मीटर आंका गया है। परन्तु भूआकृति, स्थलाकृति, भूविज्ञान, निर्भरता, मात्रा और तकनीक की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके कुछ भाग को ही सिंचाई के उपयोग में लाया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 670 लाख हैक्टर मीटर सतही जल और 265 लाख हैक्टर मीटर भूमिगत जल को विकसित कर उसका उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई क्षमता को पूरी तरह विकसित कर फसल के अन्तर्गत जिस कुल क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है उसका अनुमान 1130 लाख हैक्टर लगाया गया है जबकि कुल फसल क्षेत्र 2000 लाख हैक्टर है। परन्तु उपलब्ध आंकड़ों से विदित होता है कि यदि जल संसाधनों के उपयोग के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाए और तद्नुसार कार्रवाई की जाए और जल का अन्तःघाटी अन्तरण, बड़े पैमाने पर झरनों व नदियों से उठान योजना का उपयोग और सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए तो 1130 लाख हैक्टर क्षेत्र से अधिक पर सिंचाई करना संभव होगा।

2.25 यह माना जाता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने में जो बहुत बड़ा काम हुआ वह अनाज और तंतुओं के उत्पादन में इतनी बड़ी वृद्धि करने का एक प्रमुख कारण है। छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ 1979-80 के अन्त में कुल सिंचाई क्षमता 566 लाख हैक्टर थी। छठी योजना के दौरान लगभग 110 लाख हैक्टर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ। इस प्रकार 1984-85 तक कुल लगभग 680 लाख हैक्टर क्षमता का निर्माण हो चुका था। वर्ष 2010 तक समस्त 1130 लाख हैक्टर सिंचाई की सुविधाएं जुटाना आवश्यक है।

जनांकिकी की संभावना

2.26 1971–1981 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि की वार्षिक दर 2.25% रही। इसकी तुलना 1961 और 1971 के दो दशकों की वृद्धि दर से करना आवश्यक है जो कि 2.22 प्रतिशत रही। 1951 और 1971 के दो दशकों के दौरान जन्म दर लगभग एक जैसी ही रही परन्तु मृत्यु दर में काफी कमी आई। 1971-81 के दशक में जन्म और मृत्यु दोनों दरों में कमी आई। वर्ष 1996-2001 के दौरान जन्म और मृत्यु दर का अनुमान क्रमशः 23.7 और 8.4 प्रति हजार लगाया गया है जबकि यह दर 1981–86 में 33.2 और 12.2 प्रति हजार रहेगी। इस प्रकार वर्ष 2000 में कुल जनसंख्या 97 करोड़ 20 लाख होने का अनुमान है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर 1981–86 में 2.10 प्रतिशत से घट कर 1996–2000 में 1.53 प्रतिशत रह जाएगी जैसा कि सारणी 2.1 में दिखाया गया है। यदि विगत प्रवृत्तियां यथावत चालू रहती तो वर्ष 2000 में जनसंख्या उपर्युक्त अनुमान से 7 करोड़ 80 लाख अधिक होती। जनसंख्या के बारे में जो भावी अनुमान दिए गए हैं उनमें आगामी योजनाओं में* सुगठित परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। वर्तमान गणना के आधार पर वर्ष 2006 से 2011 की अवधि में निवल प्रजनन दर घटकर केवल एक प्रतिशत रह जाएगी।

* इसमें सातवीं योजना और संभावित दस वर्ष की अवधि 1990–2000 शामिल है।

आयु ढांचा

2.27 वर्ष 1980 में भारत की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु की थी जबकि केवल 6 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर की आयु की थी। परन्तु प्रजनन और मृत्यु दर में संभावित कमी आने से भविष्य में आयु संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि सारणी 2.2 में बताया गया है। वर्ष 1990 में पन्द्रह वर्ष से कम लोगों का अनुपात 1980 की जनसंख्या के 39.7 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत रह जाएगा और वर्ष 2000 में और घटकर 31.6 प्रतिशत रह जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि आश्रित अनुपात** 1980 के 0.66 से घटकर 2000 में 0.46 रह जाएगा।

सारणी 2.1

1981–2001 में संभावित जनसंख्या के अनुमान

अवधि	अवधि के अंत में जनसंख्या (दस लाख में) (जैसाकि 1 मार्च को)		सामान्य प्रजनन दर		जन्म के समय जीवन की औसत संभावना (वर्ष)		जन्म दर	मृत्यु दर	वृद्धि दर
	जोड़	शहरी	पिछले पांच वर्षों की तुलना में कमी (%)	चरम स्तर	पुरुष	महिला			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1981–86	761	192	—	156	55.6	56.4	33.2	12.2	21.0
1986–91	837	230	13	136	58.1	59.1	29.7	10.7	19.0
1991–96	913	274	13	118	60.6	61.7	26.7	9.3	17.4
1996–2001	986	326	14	102	62.8	64.2	23.7	8.4	15.3

टिप्पणी :—स्तंभ (2) और (3) अवधि के अंत के बारे में हैं (जैसा कि 1 मार्च), इन्हें छोड़कर संभावनाएं अवधि के मध्य वर्ष से संबंधित हैं।

जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर प्रति हजार जनसंख्या के अनुसार है।

व्यापक रूप से 1.00 प्रजनन दर का अर्थ हुआ कि प्रत्येक पीढ़ी की माताओं के पास काफी लड़कियाँ हैं, जो जनसंख्या में उनका स्थान ले सकती हैं।

सारणी 2.2

वर्ष 1980–2000 में जनसंख्या की आयु संरचना

(1 मार्च के अनुसार)

(कुल जनसंख्या का प्रतिशत)

आयु वर्ग	1980	1985	1990	2000
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
0—4	14.18	13.91	12.85	10.67
5—14	25.54	24.34	23.15	20.96
15—59	54.07	55.51	57.50	60.79
60 जमा	6.21	6.24	6.50	7.58
जोड़	100.00	100.00	100.00	100.00

2.28 आशा है कि प्रजननशील आयुवर्ग 15–44 में महिलाओं की संख्या 1980 के 1410 लाख से बढ़कर 2000 में 2280 लाख हो जाएगी। इस अवधि में (सारणी 2.3) कुल महिला जनसंख्या में भी इस आयुवर्ग की महिलाओं की जनसंख्या बढ़ेगी।

श्रम शक्ति

2.29 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 32वें दौर (1977-78) में आयु, लिंग और निवास-स्थान के अनुसार सामान्य स्थिति भागीदार की दर पर श्रम शक्ति के जो अनुमान लगाए हैं वे सारणी 2.4 में दिए गए हैं। पिछले पन्द्रह वर्षों में नवजात जीवित शिशु 1985–2000 में श्रम शक्ति में शामिल होंगे। वर्ष 1985–90 के दौरान श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि 2.56 प्रतिशत की दर से होगी और 1990–2000 में 2.24 प्रतिशत की दर से, जबकि जनसंख्या की बढ़ोतरी की वार्षिक दर क्रमशः 1.96 प्रतिशत तथा 1.69 प्रतिशत होगी। श्रम शक्ति का उपयोग करने वाले कार्यों में इन दो अवधियों के दौरान श्रम शक्ति क्रमशः 390 लाख और 810 लाख होगी।

** वर्ष से कम आयु के बच्चों और 15 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या के अनुपात में दिखाया गया है।

सारणी 2.3

प्रजननशील आयुवर्ग में 1980–2000 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या (1 मार्च के अनुसार)

(दस लाख में)

वर्ष	कुल महिला जनसंख्या	आयु वर्ग 15–44 की महिलाएं	कुल महिला जनसंख्या के अनुपात में प्रजननशील महिलाओं की जनसंख्या (प्रतिशत)
(0)	(1)	(2)	(3)
1980 . . .	323.59	140.72	43.49
1985 . . .	360.74	160.25	44.42
1990 . . .	398.41	183.03	45.94
2000 . . .	472.64	227.67	48.17

वर्ष 1985 में पहले से बेरोजगारों की जो संख्या होगी उसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 में 1300 लाख नए रोजगार उपलब्ध करने होंगे। अतः आगामी पन्द्रह वर्षों में इतने नए रोजगार सुलभ करना एक बड़ी चुनौती होगी। कुल घरेलू उत्पादन की दर यदि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत रही, तो इसके लिए उद्योग में तेज गति से वृद्धि के साथ कृषि की अधिक बढ़ोतरी तथा खास रोजगार सुलभ करने के कार्यक्रमों को शुरु करना होगा। इसके परिणाम स्वरुप आशा है कि वर्ष 2000 तक सारी श्रम शक्ति को रोजगार देना संभव हो जाएगा।

शहरीकरण

2.30 वर्ष 2000 में शहरी जनसंख्या 31 करोड़ 50 लाख होने की संभावना है। यह कुल जनसंख्या का 32 प्रतिशत होगा। वर्ष 1981 और 2000 के बीच जनसंख्या की जो वृद्धि होगी यह उसका लगभग 54 प्रतिशत होगा। इस शताब्दी के आरम्भ से यदि शहरीकरण का ऐतिहासिक रिकार्ड देखा जाए तो विदित होगा कि शहरी जनसंख्या में 500 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि शहरों की संख्या में केवल 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई (1901 और 1981 के बीच); इसके बाद स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तर पर वर्तमान शहरों का विस्तार कर, न कि नए कस्बों की संख्या बढ़ाकर बढ़ी हुई जनसंख्या को खपा लिया गया।

2.31. शहरीकरण की जो प्रवृत्ति चल रही है उसके परिणाम-स्वरूप 1985—2000 में प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख ऋणी श्रम शक्ति बढ़ने की संभावना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शहरी बेरोजगारी की कितनी भयंकर स्थिति होगी और उसके लिए किस प्रकार रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इस बारे में विचार करना आवश्यक है।

सारणी 2.4

आयु, लिंग और निवास-स्थान के अनुसार श्रम शक्ति के अनुमान (रा.प.स.) का 32वां दौर (सामान्य स्थिति) (भागीदारी की दर) वर्ष 1980, 1985, 1990 और 2000 के बारे में (1 मार्च के अनुसार)

(दस लाख में)

वर्ष		5+			15+			15—59		
		पुरुष	स्त्री	जोड़	पुरुष	स्त्री	जोड़	पुरुष	स्त्री	जोड़
1980	ग्रामीण	148.86	66.24	215.10	139.74	60.36	200.10	128.53	57.73	186.26
	शहरी	44.84	10.81	55.65	43.72	10.12	53.84	41.71	9.71	51.42
	जोड़	193.70	77.05	370.75	183.46	70.48	253.94	170.24	67.44	237.68
1985	ग्रामीण	164.18	73.21	237.39	154.81	67.07	221.88	142.61	64.18	206.79
	शहरी	54.69	13.32	68.01	53.42	12.52	65.94	51.00	12.02	63.02
	जोड़	218.87	86.53	305.40	208.23	79.59	287.82	193.61	76.20	269.81
1990	ग्रामीण	180.64	80.69	261.33	171.08	74.42	245.50	157.43	71.18	228.61
	शहरी	66.91	16.54	83.45	65.48	15.63	81.11	62.48	14.99	77.47
	जोड़	247.55	97.23	344.78	236.56	90.05	326.61	219.91	86.17	306.08
2000	ग्रामीण	208.52	93.45	301.97	198.94	87.22	286.16	181.32	83.01	264.33
	शहरी	101.10	24.91	126.01	97.84	23.73	121.57	92.86	22.66	115.52
	जोड़	309.62	118.36	427.98	296.78	110.95	407.73	274.18	105.67	379.85

2.32 हाल में हुई जनगणना से विदित होता है कि लगभग 60 प्रतिशत शहरी जनसंख्या श्रेणी–1 शहरों अर्थात् उन शहरों में रहते हैं जिनकी संख्या एक लाख अथवा अधिक है। अन्य 26 प्रतिशत शहरी जनसंख्या श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 के शहरों (जिनकी जनसंख्या 20,000 से एक लाख तक है) में रहते हैं। बाकी कस्बों में केवल 14 प्रतिशत शहरी जनसंख्या रहती है।

2.33 भारी भ ड़-भाड़, आगे विस्तार की भौतिक सीमाएं और महानगरीय शहरों में बहुत ज्यादा पूंजी विनियोजन को ध्यान में रखते हुए आगामी अवधि में मुख्य बल उन शहरों की जनसंख्या सीमित रखने पर विचार किया जाएगा जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है। लोग छोटे शहरों और कस्बों में बसे, इसके लिए सुनिश्चित तिथि निश्चित करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोजगार प्रोत्साहन नीतियों, शहरीकरण की नीतियों, शहरी वित्तीय व्यवस्थाओं और औद्योगिकीकरण व परिवहन नीतियों में समन्वय लाना होगा। विद्यमान बुनियादी संरचना बहुत ही कम होने के कारण शहरीकरण से जो भयंकर स्थिति और समस्याएं पैदा होंगी उनका सामना करने के लिए प्रेरक कार्य-नीतियां बनानी होंगी ताकि शहरी बुनियादी संरचना हेतु भारी मात्रा में जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उन्हें जुटाया जा सके। कार्यनीति का मुख्य काम होगा नगर-पालिकाओं को कार्यशील बनाना और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। पूंजी बाजार से संसाधन प्राप्त कर अधि-कांश धन की पूर्ति करनी होगी। भूमि विकास और मकानों के निर्माण पर काफी बल देना होगा ताकि भावी योजना के अन्त तक शहरी आवास की कमी की समस्या को काफी हद तक निपटाया जा सके।

विकास की सम्भावनाएं

2.34 वर्ष 2000 तक जन आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तथा संसाधनों की जो स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए गणितीय नमूने का उपयोग कर विकास का एक ढांचा तैयार किया गया है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि किस प्रकार मिले-जुले उद्देश्यों को अधिक-से-अधिक प्राप्त किया जा सके। जो वैकल्पिक विकास प्रतिरूप तैयार किए गए हैं, उनमें से विकास का एक प्रतिरूप चुन लिया गया है। यह प्रतिरूप इस प्रकार का है कि इस पर कार्य करने से अर्थव्यवस्था काफी उच्च स्तर पर बनी रहेगी और साथ-साथ आगे भी बढ़ती रहेगी। इन नमूने के ढांचों से यह स्पष्ट है कि हमने जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उनमें उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाकर आधुनिकीकरण करना है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

2.35 आगामी पन्द्रह वर्ष, अर्थात् 1985—2000 की अवधि में कुल घरेलू उत्पादन 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है। सारणी 2.5 में भावी योजना 1990—2000 के बारे में स्थूल रूप से बताया गया है। इसके लिए 1984-85 का वर्ष आधार माना गया है। कुल घरेलू उत्पादन के अनुरूप पूंजी निर्माण की दर 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 26.4 प्रतिशत और घरेलू बचत की दर 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 25.8 प्रतिशत आंकी गई है। कुल घरेलू उत्पादन के हिसाब से विदेशी बचत (वर्तमान लेखा बकाया) का योगदान 1989-90 के 1.4 प्रतिशत से घट कर 1999—2000 में 0.6% रहने की सम्भावना है।

2.36 क्षेत्रीय मूल्यों को जोड़कर 1989-90 से 1999–2000 की अवधि के दौरान सम्भावित विकास की दर सारणी 2.6 में दी गई है। इस अवधि में जो कीमत बढेगी, उसके अनुसार अधिकतम विकास की दर निर्माण, उद्योग और उसके बाद बिजली गैस, और जलपूर्ति की होगी।

2.37 घटक लागत पर भावी योजना अवधि में जो कुल जोड़ा गया मूल्य होगा, उसका क्षेत्रीय गठन सारणी 2.7 में दिया गया है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि भावी योजना अवधि के दौरान विकास के द्वारा मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन आएंगे। उसका कारण यह है कि बड़ी तेजी से औद्योगीकरण होगा, निर्माण का भाग 1984-85 के कुल स्तर के 15 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 20 प्रतिशत के आस पास हो जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बिजली, गैस, जलपूर्ति और परिवहन सहित बुनियादी आधार क्षेत्रों के भागों में वृद्धि होगी। सेवाओं का भाग 31% से बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो जाएगा। तदनुसार कृषि का भाग लगभग 37% से बदल कर 25.5 प्रतिशत रह जाएगा। ये संरचनात्मक परिवर्तन हाल में औद्योगीकृत राष्ट्रों द्वारा प्राप्त अनुभव के अनुसार हैं।

सारणी 2.5

आर्थिक समष्टिगत जोड़

(1984-85 के मूल्यों के आधार पर करोड़ रुपये)

	1984-85	1989-90	1999-2000
लागत मूल्य पर कुल घरेलू उत्पादन . .	193428	246881	402143
सहायक अनुदान को घटाकर अप्रत्यक्ष कर . .	24334	35064	65939
बाजार मूल्यों पर कुल घरेलू उत्पादन . .	217762	281945	468082
विदेशों से निवल घटक आय	(—) 681	(—) 500	(—) 100
अन्य चालू अन्तरण .	2799	3000	3500
निपटान योग्य आय . .	219880	284445	471482
कुल घरेलू बचत . .	50738	68997	120540
उपभोग व्यय : जोड़ . .	169142	215448	350942

1	2	3	4
निजी . . .	146308	185285	301810
सार्वजनिक . .	22834	30163	49132
कुल घरेलू पूंजी निर्माण .	53338	72997	123540
विदेशी बचत . .	2600	4000	3000
घरेलू बचत की दर .	23.3	24.5	25.8
विनियोजन की दर .	24.5	25.9	26.4
बचतों की सीमांत दर .		28.4	27.7

सारणी 2.6

घटक लागत पर कुल बढ़ाए गए मूल्य के अनुसार सम्भावित क्षेत्रीय विकास की दर ।

(प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि)

क्रम सं०	क्षेत्र	1989-90	1999-2000
		1984-85	1989-90
(0)	(1)	(2)	(3)
1.	कृषि	2.5	2.4
2.	खनन और निर्माण . . .	6.8	6.9
	(क) खनन . . .	11.7	3.5
	(ख) निर्माण . . .	5.5	7.8
3.	बिजली गैस और जलपूर्ति . .	7.9	7.7
4.	माल तैयार करना . . .	4.8	4.9
5.	परिवहन	7.1	5.3
6.	सेवाएं	6.1	5.8
	जोड़	5.0	5.0

कृषि की सम्भावनाएं

2.38 योजना के 3-1/2 दशकों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति की है परन्तु इसकी वृद्धि और विकास देश भर में एक समान नहीं रहा । विभिन्न प्रणाली और कृषि विकास की दर, खासकर अनाज उत्पादन की दर में क्षेत्रीय असमानताएं पैदा करती हैं । इसके अलावा मुख्य फसलों, दालों और तिलहनों का उत्पादन इतना नहीं है कि वह बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरी कर सके ।

2.39 कृषि विकास की जो भावी योजना तैयार की गई है, उसका उद्देश्य अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रखना और दालों, तिलहनों और तन्तुओं के बारे मे आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था । इसके अन्य उद्देश्य हैं :— अधिकतम रोजगार के अवसर सुलभ करना और भूमि संरक्षण करना, और पर्यावरणीय रक्षा के उपाय करना है ताकि मिट्टी, जल और अन्य संसाधनों में जो प्राकृतिक सम्पत्ति उपलब्ध है, वह बेकार न होने पाए ।

सारणी 2.7

उपादान्तागत पर 1984-85, 1989-90 और 1999-2000 के दौरान कुल जोड़े गए मूल्य का क्षेत्रीय गठन

(प्रतिशत)

क्रम सं०	क्षेत्र	1984-85	1989-90	1999-2000
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि . . .	36.9	32.7	25.5
2.	खनन और निर्माण .	18.1	19.8	23.6
	(क) खनन . .	3.5	4.8	3.8
	(ख) निर्माण . .	14.6	15.0	19.8
3.	बिजली गैस और जलपूर्ति	2.0	2.3	2.9
4.	माल तैयार करना .	6.2	6.2	6.1
5.	परिवहन .	5.6	6.2	6.4
6.	सेवाएं . .	31.2	32.9	35.5
	जोड़ . .	100.00	100.00	100.00

2.40 इस शताब्दी के अन्त में देश की कुल जनसंख्या 97 करोड़ 20 लाख होने की संभावना है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है 1985-2000 की अवधि में कुल घरेलू उत्पादन 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ने की आशा है । यदि इसी प्रकार गतिविधियां चलती रहीं, तो वर्ष 2000 में खाद्यान्नों की आवश्यकता का अनुमान 2400 लाख टन के आस-पास लगाया गया है (सारणी 2.8 देखें) । इस लक्ष्य की पूर्ति उर्वरकों और सिंचित क्षेत्रों का अधिक उपयोग करने तथा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने से ही संभव हो पाएगा । खाद्यान्नों एवं अन्य फसलों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1999–2000 तक उर्वरक की आवश्यकता का अनमान लगभग 200 लाख टन लगाया गया है और सिंचाई का 1000 लाख हेक्टेयर ।

2.41 यद्यपि अनाज का उत्पादन प्राप्त करना सम्भव प्रतीत होता है, परन्तु दालों और तिलहनों के मामले में बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । दालों और तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने होंगे । अनेक उच्च उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करनी होंगी जिन पर सूखे का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और उन्हें उत्पादन के काम में उपयोग में लाना होगा ।

सारणी 2.8

मुख्य जिन्सों के उत्पादन और सेवाओं के भावी लक्ष्य : 1989-1990 और 1999-2000

क्रम सं.	जिन्स	यूनिट	84-85	89-90	*1999-2000
1.	खाद्यान्न	दस लाख टन	150	178–183	235–240
2.	कोयला	–वही–	147.44	226	417
3.	लिगनाइट	–वही–	7.8	15.2	30
4.	लौह अयस्क और कन्सन्ट्रेट	–वही–	42.2	58.1	85
5.	कपड़ा	दस लाख मीटर	11,950	14,500	21,600
6.	कागज और गत्ता	हजार टन	1361.2	1,800	2,930
7.	एल डी पोलिथिलिन	–वही–	107.1	186	490
8.	एच डी पोलिथिलिन	–वही–	38.9	125	235
9.	पौलिप्रोपेलिन	–वही–	27.3	79	180
10.	पी. वी. सी.	–वही–	84.0	233	455
11.	नेत्रजनित्र उर्वरक (एन)	–वही–	3,917	6,560	11,400
12.	फासफेटिक उर्वरक ($पी_2ओ_2$)	–वही–	1,264	2,190	4,180
13.	सीमेंट	दस लाख टन	30.1	49	87
14.	बिक्री योग्य इस्पात (प्लेन कारबन)	–वही–	8.77	12.64	21
15.	एलयूमीनियम	हजार टन	276.5	499	850
16.	साफ किया हुआ तांबा	–वही–	33.5	42.7	130
17.	जिंक	–वही–	57.6	89	150
18.	जस्ता	–वही–	14.2	27	60
19.	बिजली का उत्पादन	बिलियन किलो वाट	167	295.4	558-600
20.	रेल द्वारा भेजा जाने वाला माल	दस लाख टन	263	340	520

2.42 इस शताब्दी के अन्त तक भावी योजना में कृषि को उस स्तर तक ले जाना है जहाँ यह इनकी अपेक्षा अधिक विज्ञान पर आधारित तथा उद्योग से संबद्ध होगी। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों-जैसे जैव-प्रौद्योगिकी, आनवंशिकी, इंजनियरी, फोटो सिंथेसिस, टिसू-कल्चर, जैव, कीटनाशक और फेरोमोनस में अनुसंधान करना होगा।

2.43 अनुसंधान के विस्तार और विविधीकरण के अलावा भावी योजना में सिंचाई तथा कृषि विस्तार सेवाओं के संबंध में आधुनिक प्रबंध तकनीकें शुरू करने की कल्पना की गई है। कृषि विकास के कार्यक्रम में भूमि सुधार करना और सहकारी आन्दोलन को जीवित करना भी महत्वपूर्ण कार्य है।

2.44 सभी उपलब्ध सिंचाई क्षमताओं का उपयोग करने के बाद भी लगभग 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसा रह जाएगा जो वर्षा पर निर्भर करेगा। इस समय स्थिति यह है कि कुल फसल क्षेत्र का 70 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और इससे लगभग 43 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अतः जनता को खुशहाल बनाने के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रफल की उत्पादकता बढ़ानी बहुत आवश्यक है। भावी योजना में कृषि के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य नीति यह बनी कि शुष्क कृषि, प्रयोगशाला से खेती पर नई प्रौद्योगिकी के अन्तरण को बढ़ावा देने, कृषि के लिए अधिक धन उपलब्ध करने और शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में हाट सुविधाएं देने के बारे में किए जाने वाले अनुसंधान में वृद्धि की जाए जिससे नई प्रौद्योगिकियों को शीघ्रता से उपयोग में लाने में सहायता मिले।

2.45 भावी योजना में कृषि विकास के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य उद्योग से प्राप्त होने वाले उत्पादों को बढ़ाने के काम की उच्च दर निश्चित की गई है। भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों के लिए और उन लोगों के लिए भी, जो पहाड़ी क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं, पशु पालन आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है।

2.47 पशु पालन से होने वाले उत्पादनों के सीधे उपभोग की मांग वर्ष 2000 में इस प्रकार होने का अनुमान है:— दूध 640 लाख टन, अन्डे 285000 लाख, और मांस 20 लाख टन। इसके लिए जो विकास कार्यक्रम बनाया गया है, उसका उद्देश्य इस शताब्दी के अन्त तक दूध, अंडे मांस, और ऊन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

2.47 आय और रोजगार दोनों के मामले में मत्स्य उद्योग में काफी क्षमता विद्यमान है। जनता को आवश्यक प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध करने के अलावा इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इस क्षेत्र का विकास करने से अर्थ व्यवस्था और लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2000 तक मछली उत्पादन का लक्ष्य 60 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। इस

में से लगभग 20 लाख टन अन्तर्स्थलीय क्षेत्र से प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार उत्पादन करने से देश के लगभग 25 लाख मछुआरे लाभान्वित होंगे। इस शताब्दी के अन्त तक मछली का प्रति व्यक्ति उपभोग 3.5 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम होने की संभावना है।

2.48 अपेक्षित स्तर तक मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्षों में मछली पकड़ने और पालने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना होगा। इसके अलावा नई जैविकी-प्रौद्योगिकियों, आक्सीकरण, तालाबों में शैवाल पालन, बायोगैस का उत्पादन, भूमि और जल प्रबन्ध के लिए पानी का पुनः उपयोग करने से उत्पादकता में बहुत वृद्धि होगी।

वन-उद्योग

2.49 राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में यह परिकल्पना की गई है कि देश के कुल भौगोलिक भाग के कम से कम 1/3 भाग पर जंगल हो, पहाड़ी क्षेत्र में 60 प्रतिशत भाग पर तथा मैदानी क्षेत्र में 20 प्रतिशत भाग पर इसके विपरीत देश के कितने भाग पर जंगल है, इस बारे में विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। राज्य वन विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों को जोड़ा जाए तो 750 लाख हैक्टेयर भूमि पर वन हैं, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल 23 प्रतिशत के बराबर के है। परन्तु राष्ट्रीय रिमोटसेंसिंग एजेंसी के अनुमानों के अनुसार 1972—75 में 550 लाख हेक्टयर पर जंगल थे और यह क्षेत्र 1980—82 में घटकर 460 लाख हेक्टेयर रह गया है। राष्ट्रीय रिमोटसेंसिंग एजेंसी के अनुसार अनुमानतः लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रतिवर्ष वन विहीन हो रहा है। इसके साथ-साथ यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, जब यह देखने में आता है कि वन का आधा क्षेत्र खराब हो गया है या उस पर अपेक्षित संख्या में वृक्ष नहीं हैं। इतनी तेजी से वन घटने का मुख्य कारण है मानव तथा पशु संख्या में वृद्धि, ईंधन और घरेलू ऊर्जा के लिए बढ़ती हुई लकड़ी की मांग और वन उत्पादों अर्थात् कागज, गत्ता तथा निर्माण कार्यों के लिए औद्योगिक मांग में वृद्धि। वनों की कमी का कारण बड़ी तेजी से भूक्षरण हो रहा है और पारिस्थितिकीय नुकसान हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रेगिस्तान बढ़ रहा है। इसका समाज पर भी बहुत गम्भीर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर पहाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्र पर। अतः देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1.3 भाग पर वन उगाने का लक्ष्य वर्ष 2000 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

औद्योगिक सम्भावनाएं

2.50 वर्ष 1950 के बाद जब योजना का सूत्रपात किया गया तो उस समय विभिन्न प्रकार की औद्योगिक संरचना की गई जो तैयार सामान के आयात करने को बंद कर देश में उत्पादन करने से संबंधित था। अतः आधारभूत और भारी उद्योग में काफी क्षमता पैदा करने के लिए इस काम में बहुत बड़ी मात्रा में विनियोजन किया गया। भारत और दूसरे देशों का आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य बदल गया है और औद्योगिकीकरण का एक नया चरण आरंभ हो गया है। इस चरण में अब मुख्य बल तकनीकी प्रगति और कुशलता पर दिया जा रहा है। अनुदार नीति का अनुसरण कर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से बचने के लिए जो संरक्षण प्रदान किया गया, उससे माल तैयार करने की लागत बढ़ गई जिससे घरेलू बाजार का विस्तार और अधिक तेजी से निर्यात का विकास रुक गया। अतः स्पष्ट है कि अधिक कुशलता को प्रोत्साहित और प्रेरित कर समुचित पर्यावरण का निर्माण करना होगा, जिससे अपेक्षित दिशा में अधिक उत्पादन और तेजी से औद्योगिकीकरण किया जा सके। इसके लिए आत्मनिर्भता के उद्देश्य के अनुसार प्रोत्साहनों को एक समन्वित प्रणाली लागू करनी होगी। सामान तैयार करने के कामों में वृद्धि करने के अलावा उपयुक्त संशोधित नीति ढांचे के अन्तर्गत उदीयमान उद्योगों का पुनर्गठन और शुरू करने का काम भी करना होगा। इससे भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा।

2.51 उपयुक्त प्रतिरूप की अनुक्रिया से भारतीय उद्योग में जो परिवर्तन आएगा उससे वह न केवल अपने आपको त्वरित विकास के लिए सुव्यस्थित सुसज्जित और यांत्रिक व्यवस्था कर पाएगा, वरन् नए क्षेत्रों में भी कार्य आरम्भ कर सकेगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्योग की प्रौद्योगिकी और प्रबंध को उन्नत बनाना होगा खर्च में तालमेल बिठाना होगा, ऐसे कार्यक्रम आरंभ करने होंगे जो मूल्य के जोड़ को बढ़ाएं और चयनात्मक निर्यात अभियान शुरू करना होगा। लघु उद्योग, विनिर्माण के कार्यकलाप के अभिन्न अंग बने रहेंगे और विकास कार्यक्रमों के साथ नीति का अभिन्नीकरण कर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि लघु उद्योग और ग्रामोद्योग निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगीकरण का जो कार्यक्रम सातवीं योजना में आरम्भ किया जाएगा, वह आठवीं और नवीं योजना में चालू रहेगा और उसे गति प्रदान करनी होगी। सरकारी हस्तक्षेप के मामले में गुणात्मक परिवर्तन लाना होगा जिसके अन्तर्गत विकास भूमिका, उद्योग के साथ अधिक विचार विनिमय तथा उद्योग व्यापार और वित्त के मध्य अधिक सघन संबंध स्थापित करने होंगे। 1985-2000 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास औसत वार्षिक 8-9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा की जा सकती है।

2.52 वर्ष 2000 में माल तैयार करने वाले जो उद्योग होंगे, गुणवत्ता की दृष्टि से वे आज के उद्योगों से नितान्त भिन्न होंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र को अधिक मात्रा में कुल घरेलू उत्पादन करना होगा। कुल मूल्य में माल तैयार करने वालों का अंशदान 1984-85 में लगभग 15 प्रतिशत था वह 1999-2000 में बढ़कर 20 प्रतिशत के लगभग हो जाएगा। इस उत्पादन वृद्धि का मुख्य कारण पेट्रो-रसायन तथा प्लास्टिक, उर्वरक एल्यूमीनियम, इलैक्ट्रानिक, दूर संचार उपस्कर और कम्प्यूटरों का अधिक मात्रा में निर्माण होना है।

इलैक्ट्रानिक्स का कुल उत्पादन 50 हजार करोड़ रु० मूल्य तक बढ़ने की सम्भावना है। दूसरे शब्दों में 1984-85 में प्राप्त स्तर से यह लगभग 25 गुना होगा। प्लास्टिक का उत्पादन पांच गुना, और उर्वरक तथा एल्यूमिनियम का लगभग तीन गुना हो जाएगा।

2.53 आधारभूत उद्योगों के अलावा त्वरित औद्योगिकीकरण के कार्यक्रम में मुख्य बल आम उपभोग की वस्तुओं और निर्यात अभिमुख उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने पर दिया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ष 2000 तक उचित मूल्य पर आम उपभोग का सामान सुलभ करने, पर्याप्त रोजगार क्षमता पैदा करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए बनाया गया है। ये उद्योग कृषि के साथ अपने संबंधों में निरंतर वृद्धि करेंगे और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी अर्थ व्यवस्थाओं में अच्छा समन्वय प्रदान कर सकेंगे।

2.54 भारत 21 वीं सदी के आरंभ में अन्य देशों में हो रहे विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए भावी योजना अवधि में आवश्यक प्रयत्न करने होंगे। आरंभ में उन्नत मशीनी औजार, इलैक्ट्रानिकी, फाइबर आप्टिकोव लेजर तथा जैव-प्रौद्योगिकी जैसे अनेक उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित करने होंगे। इससे हमारी कुशल जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग की उन्नति के लिए नए द्वार खुल जाएंगे।

2.55 अर्थ व्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहना होगा। इसको एक प्रकार से गति प्रदान करने वाला होना होगा और उभरती हुई नई उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा इसके अलावा औद्योगिक विकास में भी इसे काफी बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसे पूंजी विनियोजन के लिए काफी मात्रा में संसाधन जुटाने होंगे। देश में इंजीनियरी योग्यता वाली जनशक्ति में से अधिकांश को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और कुशल सहायक माल तैयार करने वाले उद्योगों के विकास को गति प्रदान करनी होगी। यह उद्योगों के लिए संसाधन जुटाने के लिए भी काम करेगा।]

ऊर्जा सम्भावनाएं

2.56 वर्ष 1999-2000 में वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं का अनुमान उपभोक्ताओं के मुख्य वर्गों के अनुसार सारणी 2.9 में दिए गए हैं।

2.57 ऊर्जा क्षेत्र के प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस प्रकार तेल की खपत को कम किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के विस्तार को सुव्यवस्थित किया जाए। वर्ष 2000 में तेल की मांग के बारे में जो संकेत दिए गए हैं, उनका अर्थ है कि इतनी भारी मात्रा में आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा कि उससे भुगतान शेष की समस्याएं पैदा होंगी। अत: तेल के स्थान पर देश में उपलब्ध किसी अन्य ऊर्जा संसाधन का उपयोग करने के बारे में सक्रिय रूप से काम किया जाए।

सारणी 2.9

वर्ष 1999–2000 में वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं का अनुमान

ऊर्जा	उपभोग का क्षेत्र				अन्य	जोड़
	घरेलू	उद्योग	परिवहन	कृषि		
बिजली (बिलियन कि. वा.)	81.4–83.5	249.0–282.8	8.28–8.9	40.9–41.5	44.42–48.0	424.0–465.0
कोयला (मिलियन अथवा दस लाख टन)	14.0	161.0	7.81	—	5.19	188.0*
तेल (दस लाख टन)	17.73	12.0	29.86	8.1	5.0	72.7
ईंधन की लकड़ी (दस लाख टन)	191.6	—	—	—	—	191.6
उपले (दस लाख टन)	105.0	—	—	—	—	105.0
बेकार वनस्पति (दस लाख टन)	59.0	—	—	—	—	59.0

*बिजली क्षेत्र द्वारा उपभोग की गई निवल कोयले की मात्रा।

ऊर्जा पूर्ति के विकल्प

2.58 वर्ष 2000 के लिए बिजली की कुल खपत की आवश्यकता 424–465 बिलियन किलोवाट अनुमानित की गई है। सहायक उपभोग तथा पारेषण एवं वितरण में होने वाली हानियों को छोड़कर कुल बिजली की आवश्यकता 558–600 बिलियन किलोवाट आंकी गई है। वर्ष 1999–2000 में स्थापित बिजली स्वउपयोग संयंत्रों से लगभग 25 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन होने की आशा है। अत: शेष प्रतिष्ठानों से 533–575 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने की अपेक्षा की जाती है। जहां तक बिजली

उत्पादन के तरीके का संबंध है, पन-बिजली और परमाणु बिजली एककों को अधिक मात्रा में बिजली पैदा करनी होगी, जबकि अधिकतर बिजली का उत्पादन आज तापीय बिजली-घरों में किया जा रहा है। परंतु इन दोनों प्रकार के बिजली उत्पादन के तरीकों से काम लेने में काफी समय लग जाता है। इस अवधि को कम करना होगा। आशा है कि आगामी दो दशकों में परमाणु बिजली का उत्पादन दस हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगा। पन-बिजली की उत्पादन क्षमता का अनुमान 89530 मेगावाट लगाया गया है। और इसमें छोटे पन-बिजली घरों से पैदा की जाने वाली 5 हजार मेगावाट बिजली को शामिल नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में अभी बहुत कम कार्य हुआ है। इस कार्य में विभिन्न भू-भागों की परिस्थिति की बाधक सिद्ध होगी पारस्परिक हित की पन-बिजली परियोजनाओं को पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कार्यान्वित करने के लिए जो अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होगा, उसकी बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं और इसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

कोयला

2.59 कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा। संभावित मांग की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999-2000 में 417 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना होगा। अतः कोयले के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्यनीति यह होनी चाहिए कि निश्चित नान-कोकिंग कोयले के भंडार से कोयले निकालने के प्रयत्न बढ़ाने और "निश्चित" वर्ग के अन्दर अधिक कोयले के भंडार ढूंढने के काम को अधिक व्यापक स्तर पर किया जाए। खोज के काम को उन क्षेत्रों के पास अधिक किया जाए जहां उपभोग केन्द्र हैं इस कार्यनीति का दूसरा पहलू यह है कि कोयले के खुदान की औद्योगिकियों को दीर्घकालीन कोयला नीति के अनुसार उन्नत किया जाए, कोयले की खोज का काम आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से किया जाए और वासरियों के उपस्कर में सुधार लाया जाए। कोयले को भूमिगत गैस में परिवर्तन होने और उसको टुकड़ों में निकालने के काम के बारे में परीक्षण कर विकसित किया जाना चाहिए।

हाइड्रो कार्बन

2.60 वर्ष 1999-2000 में सीधी ऊर्जा के उपयोग के लिए तेल उत्पादों के 72.2 मिलियन टन अनुमानित है तेल उत्पादों जैसे, नेफथा, ईंधन का तेल, एल.एस.एच.एस. बिटुमेन, पेट्रोलियम कोक आदि से प्राप्त होने वाले अन्य 15 मिलियन टन की आवश्यकता गैर-ऊर्जा कार्यों के लिए होगी। इस प्रकार तेल उत्पादों की आवश्यकता 87.7 मिलियन टन आंकी गई है। यह मानकर कि 7 प्रतिशत का नुकसान तेल शोधक कारखानों में हो जाता है, कच्चे तेल की आवश्यकता का अनुमान 94.3 मिलियन टन लगाया गया है।

2.61 वर्ष 1984-85 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 29 मिलियन टन से कुछ अधिक हुआ। आशा है कि 1989-1990 तक यह बढ़कर 35 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की संशोधित 20 वर्षीय भावी योजना में बताया गया है कि 2004-05 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 50 मिलियन टन के आसपास होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 1999-2000 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन 40 से 50 मिलियन टन के बीच होगा और इस प्रकार आयातित कच्चे तेल की आवश्यकता 44.3–54.3 मिलियन टन रह जाएगी। इससे अर्थ व्यवस्था पर एक भारी बोझ पड़ेगा और खासकर भुगतान शेष की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। अतः तेल की खपत में बचत करने और देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने में निरंतर और सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा स्रोतों का नवीकरण

2.62 आने वाले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति संतुलित बनाए रखने के लिए ग्रामीण बिजलीकरण का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम को बड़ी तेजी से चलाना होगा जिससे वर्तमान शताब्दी के अंत तक सभी गांवों को बिजली दी जा सके। परन्तु ऊर्जा के नए नवीकृत स्रोतों को उपयोग में लाना भी आवश्यक होगा। इस समय ग्रामीण भारत में ऊर्जा का अधिकतर भाग गैर-वाणिज्यिक स्रोतों अर्थात ईंधन की लकड़ी, और कृषि अपशिष्ट और पशु अवशेषों से प्राप्त होता है। यद्यपि देश में जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, उसमें गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रतिशत घट गया है, फिर भी वास्तविकता यह है, कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में वनों का सफाया हो रहा है। इसके साथ साथ मांग बढ़ने से ईंधन की लकड़ी का अभाव हो गया है और उसका मूल्य बढ़ गया है। इससे गरीब लोगों को खाना पकाने के लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा न मिलने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार आगामी 15 वर्षों के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य यह होगा कि अर्थ-व्यवस्था के इस संक्रमण काल में ग्रामीण बिजलीकरण के कार्यक्रम को तेजी से चलाया जाए और नए ऊर्जा कार्यक्रम को गतिशील बनाया जाए। ये दोनों बातें मिल कर ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

2.63 नई ऊर्जा के मुख्य स्रोत है—सौर-ऊर्जा (तापीय और फोटोवोल्टेक), वायु और जैव ऊर्जा (बायोगैस और बायोमास सहित) विकेंद्रित छोटे हाइडल संयंत्र स्थापित करके भी काफी क्षमता प्राप्त की जा सकती है। लागत प्रभावी प्रक्रिया दूसरा शहरी कूड़ा-कर्कट का उपयोग करना केवल पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा, बल्कि इससे घरेलू और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए ऊर्जा भी सुलभ होगी। देश के चुने हुए क्षेत्रों में सागरीय ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा का विकास किया जा

सकता है। सुदूर भविष्य में हाइड्रोजन का गतिशील ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग में आने की संभावना है।

2.64 नवीकृत ऊर्जा स्रोतों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों को, जलाने की लकड़ी सुलभ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों को लगाने का कार्यक्रम आरंभ करना होगा। बंजर भूमि पर पौध लगाने का आधुनिक तरीका अपनाना होगा। इससे ईंधन की लकड़ी की उपलब्धता में काफी सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने में बायोगैस और बायोमास विकसित और उपयोग करने के कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

खनिज संसाधन

2.65 16 खनिजों के बारे में पुनराप्ति भंडारों और उनके जीवनकाल का आनुमान सारणी 2.10 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि तांबा, सोना, अच्छी किस्म का इस्पात और कच्चा लोहा, उपयोग्य मैंगनेटाइट, कायनाइट, जस्ता, इस समय खनन करने योग्य क्रोमाइट, मेगनेसाइट, मगनीज अयस्क, उच्च किस्म के राकफोस्फेट, भारी सिल्मेनाइट और जिंक का जीवनकाल 50 वर्ष से कम है और इस समय उपयोग्य राक फास्फेट एस एम एस ग्रेड का चूना और कोकिंग कोयले के 50 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम आयु है। अनेक खनिजों की भविष्य में जो मांग होगी, और उनकी पूर्ति की जो स्थिति होगी, वह बहुत ही चिन्तनीय होगी। अतः खनिज भंडारों का पता लगाने और उनकी खोज करने तथा खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक आधार पर सुनियोजित प्रबंध करने के लिए निरंतर और सतत प्रयास करने की जरूरत है।

2.66 भावी योजना में खनिजों की खोज की कार्यनीति में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :—

(1) देश के भूगर्भीय मानचित्र को जल्दी से पूरा करना;

(2) नए भंडारों तथा उथली गहराई की नई घाटियों का पता लगाने के लिए आधुनिक खोज तकनीकों को अपनाना, उत्तर और तटीय क्षेत्रों के जलोढ मैदानों में छिपे भंडारों को स्पष्ट करना और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में छिपे हुए दक्षिण के ड्रैपों की गहराई का पता लगाना ;

(3) जाने हुए खनिज क्षेत्रों में खोज के काम का विस्तार करना—गहराई और विस्तार दोनों ही प्रकार से सीमांकन करना—जहां कहीं भी क्षेत्र के भूगर्भीय अध्ययन से विस्तार की संभावनाएं नजर आएं ;

(4) फोटो भू-विज्ञान उपग्रह बिम्ब, भू-भौतिकी, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग का उपयोग कर खनिज दोहन को बहुविधाओं से सुदृढ़ करना ; और

(5) भू-वैज्ञानिक प्रतिरूपों में सुधार लाना, जिससे खनिज संपदा के निक्षेप (भंडार) के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

सारणी 2.10

जानकारी वाले खनिज भंडारों के जीवनकाल का सूचांक घटने की संभावित दर के अनुसार

क्रम सं.	खनिज	पुनः प्राप्त करने योग्य भंडार (1-1-80 के अनुसार 10 लाख टन)	1980—94 के दौरान आशय (दस लाख टन)	पुनराप्ति योग्य भंडार 1-1-95 के अनुसार (दस लाख टन)	वर्ष 1994-95 के दौरान संभावित उत्पादन (दस लाख टन)	उत्पादन के 1994-95 के स्तर से बकाया जीवनकाल (वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बॉक्साइट[2]	2,157	51	2,106	7	301
2.	क्रोमाइट[3]					
	(1) सभी ग्रेडों का जोड़	135	6	129	0.93	139
	(2) इस समय खनन करने योग्य (सभी ग्रेड)	52	6	46	0.93	49
3	कोयला					
	(1) कोकिंग[4]	6,629	563	6,006	65	93
	(2) नान-कोकिंग	32,357	2,168	30,189	260	116
4.	तांबा					
	(1) केवल उत्पादन देने वाली खानें और परियोजनाएं	1.95	0.78	1.17	0.065	18
	(2) सभी किफायती और सीमांत किफायती भंडार	3.15	0.78	2.37	0.065	36
5.	डोलोमाइट[5] उपयोग योग्य ग्रेड	2,867	51	2,816	5,68	496
6.	सोना	79,300 कि.ग्रा.	40,300 कि.ग्रा.	39,000 कि.ग्रा.	4,000 कि.ग्रा.	10

1	2	3	4	5	6	7
7.	इस्पात और कच्चा लोहा					
	(क) हेमाटाइट					
	(1) (उच्च ग्रेड 65% एफई)	749	229.66	519	16	32
	(2) (मध्यम ग्रेड (62—65 % एफई)	6,090	447.54	5,642	31	182
	(3) निम्न ग्रेड (62% एफई)	2,937	282.91	2,654	27	98
	(ख) प्रयोज्य मैंगनेटाइट	771	64	707	24	29
8.	कायनाइट	1.43	0.65	0.78	0.054	14
9.	जस्ता					
	(1) उत्पादन करने वाली /विकसित हो रही खानें	1.687	0.522	1.165	0.059	20
	(2) सभी भंडार	2.746	0.522	2.234	0.059	38
10.	चुना[6] (एस. एम. एस. ग्रेड)					
	(1) समस्त भंडार	1,033	23	1,010	1.85	446
	(2) (वर्तमान पूर्ति आधार का भंडार)	189	23	166	1.85	90
11.	मैंगनेसाइट	ग्रेडवार भंडारों के बारे में सही आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण जीवन सूचकांक का अनुमान नहीं लगाया गया है।				
12.	कच्चा मैंगजीन					
	(1) उच्च ग्रेड	20	8	12	0.79	15
	(2) निम्न ग्रेड	54	13	41	1.34	31
13.	पाइराइट	95	4	91	0.61	149
14.	राक फास्फेट और एपेटाइट					
	(1) प्रयोज्य ग्रेड (20% पी$_2$ ओ$_5$)	97	16	81	1.4	58
	(2) केवल उच्च ग्रेड	20	12	8	1.1	7
15.	सिलिमैनाइट					
	(1) भारी	0.213	0.116	0.097	0.013	7
	(2) बीच सैंड	11.49	0.337	11.116	0.037	300
16.	जिंक					
	(1) उत्पादन करने वाली/विकासित हो रही खानें	6.845	1.403	5.442	0.152	36
	(2) सभी भंडार	9.043	1.403	7.640	0.152	50

1. मौजूदा प्रौद्योगिकी और कीमत के अंतर्गत पुनः प्राप्त करने योग्य भंडार। उक्त भंडार का अनुमान 1-1-80 की स्थिति के अनुसार लगाया गया है। इसमें बाद के महत्वपूर्ण अनुमान भी शामिल हैं। कोयले के मामले में, भारत में 0.5 मीटर और इससे अधिक मोटी परत तथा नीचे 1200 मीटर की गहराई तक में मिलने वाले कोयले की सभी किस्मों के कुल स्रोतों का अनुमान लगाया गया है। 1-2-83 की स्थिति के अनुसार पुनः प्राप्त करने योग्य इसके भंडार का और वर्ष 1983-84 की अवधि के लिए रिक्तीकरण का अनुमान लगाया गया है।

2. यद्यपि बाक्साइट भंडार काफी मात्रा में है, किंतु अपवर्तक, रसायन और अपघर्षक ग्रेडों के भंडार सीमित हैं और जिस भंडार की जानकारी है, वह उपयोग के वर्तमान स्तर की दर से आगामी 30 वर्ष में खत्म हो जाएगा।

3. यद्यपि क्रोमाइट का भंडार काफी मात्रा में उपलब्ध है, किंतु अपवर्तक निर्माता अपवर्तक ग्रेड के अयस्क की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके भंडार के बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं मिली है।

4. यह ध्यान में रखा जाए कि कोकिंग कोयले के उपर्युक्त भंडार में से प्राइम कोकिंग कोयले का भंडार कुल 1913 मिलियन टन है, जो निःसंदेह संतोषजनक स्थिति नहीं है।

5. यह सामान्य चित्रण है। "लोसिलिका डोलोमाइट" की पूर्ति की स्थिति दुष्कर बनी हुई है।

6. यह सामान्य चित्रण है। "लो सिलिका लाइमस्टोन" की पूर्ति की स्थिति दुष्कर बनी हुई है।

2.67 खनिज इन्वेन्टरी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खनिजों के व्यापार के संबंध में नीति निर्धारित की जाए। जिन खनिजों की स्थिति अधिक अच्छी है उनके निर्यात के बारे में अधिक उदार नीति अपनाई जा सकती है, परन्तु जहां तक उच्च ग्रेड मैंगनीज और उच्च ग्रेड इस्पात और कच्चा लोहा कियानाइट, सिलिमैनाइट और क्रोमाइट का संबंध है, निक्षेप की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा कर प्रतिबंधित नीति अपनाई जाए।

2.68 जब कभी विदेशी संसाधनों की स्थिति ठीक हो और आयात मूल्य तथा विदेशों से माल की सप्लाई की स्थिति अनुकूल हो, उस समय अधिक मात्रा में आयात करना और अपक्षय की दर को कम करने को तरजीह दी जाए जिससे दुर्लभ खनिजों के निक्षेप का जीवनकाल बढ़ाया जा सके।

समुद्र विकास

2.69 भारत का समुद्री तट काफी विस्तृत लगभग 6 हजार किलोमीटर का है और इसका आर्थिक क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अतः आर्थिक और सामाजिक कार्यों के लिए समुद्री संसाधनों को प्राप्त करने की व्यापक क्षमता विद्यमान है। जिन महत्वपूर्ण समुद्री स्थलों से संसाधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, उनमें हैं, अनेक मुहाने, अप्रवाही जलक्षेत्र, कच्छ वनस्पति द्वीप और मूंगा की चट्टानें।

2.70 भारत के समुद्रों में मछलियों की 1800 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। वर्ष 1984-85 में 17 लाख टन मछली उत्पादन किया गया जबकि उत्पादन क्षमता का अनुमान 50 लाख टन है। अन्य समुद्री संसाधनों को भी अधिकतम सीमा तक विकसित कर उपयोग में लाने की व्यवस्था जरूरी है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण पिछले कुछ वर्षों में जीवित और निर्जीव संसाधनों की वैज्ञानिक खोज ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। जिन मुख्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं : सर्वेक्षण, दक्षिणी ध्रुव अनुसंधान समुद्र के गहरे तल से पोली-मैटेलिक नोड्यूलों की खोज, समुद्र को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषण को रोकना, सागर ऊर्जा का विकास और उन तकनीकों को विकसित करना जिनका उपयोग जीवित और मृत संसाधनों के लिए किया जा सकता है।

परिवहन

2.71 जनसंख्या की वृद्धि और जिस दीर्घकालीन विकास की परिकल्पना की गई है उसके अनुसार वर्ष 2000 तक परिवहन का बुनियादी आधार नितांत भिन्न हो जाएगा। परिवहन के परिदृश्य के लिए एक सुनियोजित तथा बहु-प्रतिरूप प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी, जो अधिक से अधिक इ प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करेगी। अन्य प्रकार के परिवहनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

2.72 यद्यपि रेल और सड़क परिवहन के मुख्य साधन होंगे फिर भी, परिवहन के पूरक के रूप में नागरिक उड्डयन, तटीय जहाजरानी, अन्तर्जलीय परिवहन और उत्पादन पाइपलाइन देश को भावी परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। देश के आकार, उसकी विभिन्न स्थलीय और जलवायु की स्थिति तथा मुख्य औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्रों में बहुत ज्यादा फासला होना – कुछ ऐसी बाते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए वायु परिवहन सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक हो जाएगा। भारत की तटीय सीमा 5560 किलोमीटर है और लक्षीय जहाजरानी तटीय परिवहन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ऊर्जा की दृष्टि से यह परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है। तटवर्तीय क्षेत्रों में लम्बी दूरी तक माल ढोने का काम इसे ही दिया जाना चाहिए और इसको समेकित परिवहन व्यवस्था के साथ जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार अन्तर्देशीय जल परिवहन में भी ऊर्जा की खपत कम होती है। अतः परिवहन के तरीके में जो महान क्षमताएं विद्यमान हैं उनका अधिक उपयोग करने की ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।

2.73 गांवों के आवागमन में सुधार आएगा और 60% गांव समस्त वर्ष के दौरान यातायात गम्य रह सकेंगे, जबकि इस समय केवल 34% गांव ही ऐसे हैं। देश में सड़कों की सघनता प्रति सौ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वर्तमान 46 कि.मी. से बढ़कर 60 कि.मी. हो जाएगी।

2.74 रेलें लगभग 5200 लाख टन माल की ढुलाई करेंगी। इस प्रकार आगामी 15 वर्षों में रेलों द्वारा ढोया जाने वाला माल अब से दुगुना हो जाएगा। रेल पटरियों की संख्या में भी लगभग 3000 कि.मी. की वृद्धि होगी और इस प्रकार रेल पथों की कुल लम्बाई 65 हजार कि.मी. हो जाएगी।

2.75 बड़े महानगरों में अलग-अलग किस्म के परिवहन की वृद्धि की जाएगी जिससे शहर के अंदर यात्री अधिक सुगमता से इधर-उधर आ जा सकें।

2.76 कुशल परिवहन प्रणाली बनाए रखने के लिए उसके निर्माण और रख-रखाव पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा, अतः सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मध्य सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित कर उसमें सुधार लाया जाना चाहिए। सुधरी निर्माण प्रणालियां अपनाकर लागत में कमी लाई जाएगी।

संचार

2.77 हाल में इलैक्ट्रानिक, कम्प्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसने दूर संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में नई संभावनाएं प्रकट कर दी हैं। पहले जो हाथ से काम करके और इलैक्ट्रा-मैकेनिक प्रणालियां हैं उनसे उभरकर अब दूर संचार इलैक्ट्रानिक प्रणालियों में परिवर्तित हो रहा है और इसमें भी "अनालाग" आकिकीय संरचना की ओर बढ़ रहा है। दूर संचार को कम्प्यूटर प्रणालियों से जोड़कर संचार की नई प्रणालियां—जैसे टेलि-मैटिक्स तथा इनफरमैटिक्स—उभर रही हैं। इन गतिविधियों और उपग्रह संचार के कारण जिससे भूमि पर तारों से दूर संचार के लिए (सुदूर तथा आपातकालीन संचार के लिए) जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उन कठिनाइयों से निजात पा ली गई है और देश दूरसंचार के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए जिस प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है उसे आसानी से विकसित किया जा सकता है।

2.78 उपर्युक्त दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के काम पर

सातवीं योजना अवधि में कार्य होगा जिससे उसका 1990 तक काफी कुछ कार्यान्वयन किया जा सकेगा । आगामी 15 वर्ष की अवधि के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें टेलीफोनों की संख्या जो छठी योजना के अंत में 29 लाख थीं 2000 तक 300 लाख तक हो जाएगी । 2000 वर्ष तक एकीकृत डिजीटल नेटवर्क के अन्तर्गत लगभग 90 प्रतिशत संचार नेटवर्क को लाने का प्रस्ताव है। भूमिगत संचरण तारों (केबल) के लिए प्रकाशीय तंतुओं का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जाएगा ।

2.79 संचार के आधुनिक माध्यमों को आम जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, परिवार नियोजन, शिक्षा और संस्कृति के प्रचार के लिए उपयोग में लाया जाएगा ।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

2.80 पर्यावरण के ये मुख्य घटक हैं सजीव और निर्जीव संसाधन, राष्ट्रीय विकास और समाज कल्याण के लिए ये दोनों घटक बहुत ही आधारभूत हैं । जनसंख्या की वृद्धि, गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग/अनियोजित उपयोग के कारण पर्यावरण पर गंभीर दबाव है । देश के पर्यावरण को कई कमियों को तीव्र आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय देने के साथ ठीक किया जा सकता है । परन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपेक्षित परिवर्तनों के लिए जो विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं उनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े । योजना के आरम्भ से ही सभी विकासात्मक परियोजनाओं में पर्यावरणीय उपादान और पारिस्थितिकीय आवश्यकताएं शामिल करनी होंगी ।

2.81 वर्ष 2000 तक देश का औद्योगिकीकरण ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि यदि कारगर उपचारात्मक उपाय नहीं अपनाए गए तो वायु, जल और भूमि प्रदूषण की भयंकर और जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। कारखानों के अपशिष्टों को न केवल उत्पादन स्तर पर बल्कि मझौले स्तरों पर भी सावधानीपूर्वक निपटाना होगा । इसके अलावा इस प्रकार की सामग्री का भंडारण, अनुरक्षण और परिवहन की व्यवस्था भी बड़ी सावधानीपूर्वक करनी होगी । हमारी जो निर्णायात्मक प्रक्रियाएं हैं उनमें इस बात को स्पष्ट रूप से मानना होगा कि पर्यावरण को निशुल्क संसाधन के रूप में नहीं मानना चाहिए और इसे अन्य प्राकृतिक संसाधन, जिनके निवेश के लिए अदायगी करनी पड़ती है, के समान ही माना जाए । इस संबंध में जो व्यवस्था की जाए उस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा । परियोजना आयोजन में, कच्चे माल जनशक्ति और धन की उपलब्धि के अलावा पर्यावरण के बारे में निर्णय लेना होगा और पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करने या प्रदूषित होने से बचाने के लिए विनियोजन की व्यवस्था करनी होगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक नई किस्म की विशेषता विकसित करनी होगी और किसी परियोजना के लिए सर्वोत्तम स्थान चुनने के लिए उसका उपयोग करना होगा।

2.82 पर्यावरण शिक्षा और सभी स्तरों पर जागृति पैदा करने के लिए इसे भावी योजना का अभिन्न भाग बनाना होगा। आधुनिक माध्यमों का उपयोग, प्रशिक्षण, सूचना प्रदान करना और सभी पर्यावरणीय कार्यक्रमों में लोगों को सहयोजित करने का प्रयत्न करना होगा और समुचित दृष्टिकोण का यह एक मुख्य अंश होगा। संरक्षण पारिस्थितिकी विकास, प्रदूषण नियंत्रण आदि सहित पर्यावरण और परिस्थितिकी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करना आवश्यक होगा ।

जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक विकास

2.83 जैसे कि आरम्भ में ही बताया जा चुका है कि इस शताब्दी के आगामी 15 वर्षों में आर्थिक विकास और मानवीय संसाधनों का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो सके और हमारे लोगों के रहन-सहन के स्तर में पर्याप्त मात्रा में सुधार आए । विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन के रहन-सहन और गुणवत्ता में वर्ष 2000 में क्या परिवर्तन आएगा यह सारणी 2.11 में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सभी स्तरों में क्या परिवर्तन आएंगे और विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तनों का इसमें क्या भाग होगा।

2.84 खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपयोग 1984-85 में 178 कि. ग्रा. था उसका 1999-2000 में बढ़कर 215 कि. ग्रा. होने की संभावना है। इस प्रकार प्रतिवर्ष औसत दर में 1.3% वृद्धि होने की संभावना है जबकि पिछले दो दशकों में इसमें स्थिरता बनी हुई थी । 1999-2000 में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन 1984-85 के दुगुने से भी अधिक होगा । इसका सबसे उल्लेखनीय प्रभाव गरीबी के विस्तार पर पड़ेगा। गरीबी का रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2000 में घटकर 5% रह जाएगा। जहां तक रोजगार की व्यवस्था का संबंध है, श्रमशक्ति में इस दौरान लगभग 390 लाख आएंगे जबकि सातवीं योजना में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की संख्या 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्ष अनुमानित की गई है। इस प्रकार योजना के अंत में बेरोजगारों की संख्या योजना के आरम्भिक वर्ष से कम होगी। वर्ष 1985—2000 के बीच बेरोजगारों की संख्या निरन्तर घटती रहेगी और इस अवधि के बाद रोजगार के अवसरों की संख्या 3180 लाख मानक व्यक्ति वर्ष पहुंचने की संभावना है। यह पूर्ण रोजगार प्रदान करने के बराबर होगा।

2.85 अधिक उपभोग, अच्छी सफाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं, पीने के पानी की पूर्ति करने और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद आशा है कि वर्ष 2000 तक पुरुषों का जीवनकाल 63.3 वर्ष और महिलाओं का 64.7 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार शिशुओं की मृत्यु दर शताब्दी के अंत में घटकर 60 प्रति हजार से कम हो जाएगी। सातवीं योजना कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत 16.16 मीटर से बढ़कर 22.36 मीटर हो जाएगी जिससे प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। सातवीं योजना के आरम्भ में मृत्यु दर 11.9 प्रति हजार थी वह घटकर 8.2 प्रति हजार रह जाएगी। जन्म दर भी 32.6 प्रति हजार की दर से घटकर केवल 23.1 प्रति हजार रहने की संभावना है परन्तु फिर भी, इस शताब्दी के समाप्त होने पर जनसंख्या लगभग 1.5% की दर से बढ़ती रहेगी। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि वर्ष 2000 में प्रजनन की दर 99 प्रति हजार रह जाएगी जबकि 1985 में यह 152 प्रति हजार थी। स्पष्ट है कि 21वीं शताब्दी के आरम्भ के वर्षों में जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को और तेजी से चलाना होगा।

सारणी 2.11

परिवर्तन के समाजिक आर्थिक सूचक (1985—2000)

	1984-85	1989-90	1999-2000
1. जीवन काल की संभावना पुरुष	56.1	58.6	63.3
(वर्षों के अनुसार) महिला	57.0	59.7	64.7
2. शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म दर)	106	90	60
3. मृत्यु दर (प्रति हजार)	11.9	10.4	8.2
4. जन्म दर (प्रति हजार)	32.6	29.1	23.1
5. प्रजनन दर (प्रति हजार)	152	132	99
6. शहरीकरण (प्रतिशत)	24.70	26.85	32.20
7. प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन (1984-85 के मूल्यानुसार) (रुपयों में)	2,616	3,027	4,163
8. खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उपयोग (कि० ग्रा०)	178	193	215
9. प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय (1984-85 के मूल्यानुसार) (रुपयों में)	1,979	2,271	3,124
10. प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत (मीटर)	16.16	17.78	22.36
11. प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन (किलोवाट)	226	362	578—621
12. बचत—कुल घरेलू उत्पादन अनुपात (प्रतिशत)	23.3	24.5	25.8
13. विनियोजन —कुल घरेलू उत्पादन अनुपात (प्रतिशत)	24.5	25.9	26.4
14. विदेशों से बचत—विनियोजन अनुपात (प्रतिशत)	4.9	5.5	2.4
15. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत	37	26	5
16. श्रम शक्ति (दस लाख में 15+आयु वर्ग में)	288	327	408
17. रोजगार (दस लाख मानक—व्यक्ति वर्ष)	187	227	318

स्वास्थ्य और शिक्षा

2.86 वर्ष 2000 तक स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्मिकों को इस समय जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी आधार को और स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना होगा।

2.87 वर्ष 2000 तक निरक्षरता बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी और सभी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आशा है कि 6-14 आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या नगण्य रह जाएगी। सतत और निरंतर शिक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा। नई शताब्दी के आरम्भ में माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाएगा जिनमें वीडियो प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर शामिल है और ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

स्वपोषी विकास

2.88 वर्ष 2000 तक घरेलू बचत की दर कुल घरेलू बचत का लगभग 26% बचत की सीमांत दर 27% और विदेशी बचत पर निर्भरता की मात्रा कम हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी शताब्दी में अपने आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत भी घटकर केवल 5% रह जाएगा और इस प्रकार लगभग पूरे रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तथा खाने और कपड़े की प्रति-व्यक्ति खपत की दर में काफी वृद्धि हो जाएगी। लोगों के जीवन यापन में भी उल्लेखनीय सुधार और गुणवत्ता दिखाई देगी तथा अधिकांश लोग अपने जीवन यापन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

अध्याय-3

सातवीं योजना में, उद्देश्य कार्यनीति और संवृद्धि स्वरूप

उद्देश्य

3.1 भारतीय अर्थ-व्यवस्था के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण, संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसी रूपरेखा के अंतर्गत प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ दिशात्मक परिवर्तन किए जाते हैं जिसमें नई मजबूरियों और नई संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सातवीं योजना के नीति पत्र में उन नीतियों और कार्यक्रमों की तलाश करने पर बल दिया गया है, जिससे तेजी से खाद्यान्नों का उत्पादन, रोजगार के अवसर और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सके। पिछले अध्याय में विकास के परिप्रेक्ष्य की रूपरेखा में जिन दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, उन्हें प्राप्त करने के लिए ये तीनों प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य हैं।

कार्य-नीति

3.2 उत्पादन से जुड़ा रोजगार उत्पन्न करना सातवीं योजना की विकास कार्य नीति का मूल तत्व है। गहन खेती की संभावनाएं बढ़ा कर यह लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए—सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी, कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों तथा छोटे किसानों तक नई कृषि प्रौद्योगिकी पहुंचाई जाएगी, उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाया जाएगा। आवास, शहरी सुविधाओं, सड़कों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए श्रम-प्रधान निर्माण-कार्यों में विस्तार किया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा तथा औद्योगिक संवृद्धि के ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा। उत्पादक रोजगार पैदा करने पर जोर देते हुए सातवीं योजना का उद्देश्य है—गरीबी के फैलाव को काफी कम करना तथा गांवों और कस्बों में गरीबों का जीवन-स्तर सुधारना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवकों के लिए भी रोजगार अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ऋणदाता संस्थाओं और विकास के दूसरे कार्यक्रमों में विस्तार करने से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

3.3 गरीब परिवारों की क्रय-शक्ति बढ़ने से जन उपभोग की वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न, कपड़ा और आवास की मांग तेजी से बढ़ने लगेगी। मुद्रास्फीति रोकने के लिए इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना होगा। अतः सातवीं योजना की कार्य नीति में इस बात की अपेक्षा की गयी है कि खाद्यान्नों, भोज्य तेल, चीनी, कपड़ा, खाना पकाने का ईंधन और जन उपभोग की अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा आवास विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए। वस्तुतः इन वस्तुओं के उत्पादन में तेजी लाने से भी गरीबों के लिए उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने के प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

3.4 अधिक खाद्यान्न का उत्पादन सातवीं योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खाद्यान्न उत्पादन कम होने से ग्रामीण लोगों की आमदनी में भी कमी हो जाएगी तथा मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने लगेगा। फलस्वरूप गरीबों की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और सार्वजनिक संसाधन समाप्त होने लगेंगे। रोजगार उन्मुख विकास कार्य नीति अपनाने के साथ इन जोखिमों का अधिक खतरा है। अतः विशेषकर अविकसित क्षेत्रों में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, सरकारी वसूली, बफर स्टाक और सार्वजनिक वितरण के आधार पर व्यापक खाद्य सुरक्षा प्रबंध करना सातवीं योजना के महत्वपूर्ण घटक हैं।

3.5 कम उत्पादकता, भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख कमजोरियों में से एक है। इस कमजोरी के कई कारण हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अल्प उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है—पूंजी उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव। अनेक क्षेत्रों का उत्पादन, उनमें लगाई गई पूंजी के अनुरूप नहीं बढ़ा। सातवीं योजना में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अब तक जिन परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया, उनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए। वर्तमान अवस्था में जबकि सरकारी निवेश के लिए संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं, पूंजी के उपयोग में कार्य-कुशलता बरतने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। मौजूदा पूंजी के असंतोषजनक उपयोग से उत्पन्न हुई कमी को पूरा करने के लिए नई क्षमता पर पूंजी लगाना अविवेकपूर्ण होगा। कार्यान्वयन में विलम्ब होने, कुशल प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान न देने तथा लागत प्रभावी तरीके अपनाने से परिसम्पत्ति निर्माण की लागत में प्रायः वृद्धि हुई है। सातवीं योजना के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्था को उच्च विकास दर के रास्ते पर लाने के लिए सभी क्षेत्रों और वह भी विशेषकर सिंचाई, बिजली, परिवहन और उद्योग के क्षेत्र में क्षमता के उपयोग में सुधार करना

तथा परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू करना बहुत जरूरी है ।

3.6 उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ने से पूंजी प्रधान और संसाधन प्रधान वस्तुओं और सेवाओं, जिनमें से अधिकांश मध्यवर्ती हैं और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जिनका उपयोग किया जाता है, की लागत कम करने में मदद मिलेगी। घरेलू बाजार में विस्तार करने तथा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लागत में कमी करना बहुत आवश्यक है । अतः सातवीं योजना में, उद्योगों में नई सुविधाओं के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश करने की बजाए विद्यमान सुविधाओं की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

3.7 देश इस समय भुगतान संतुलन की प्रत्याशाओं का सामना कर रहा है, जिसके साथ उत्पादकता और कार्य-कुशलता भी जुड़ी हुई है । देश को रियायती दर पर मिलने वाली सहायता धीरे-धीरे कम होती जा रही है, जो पहले से ही हमारी जरूरतों की अपेक्षा कम मिल रही है । अतः सातवीं योजना में भुगतान संतुलन की व्यवस्था पूर्णतः निर्यात और अप्रत्यक्ष आय बढ़ाने पर निर्भर है । यदि निर्यात से होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है और उसे कायम रखा जाता है तो न केवल भुगतान संतुलन की व्यवस्था आसान हो जाएगी, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में काम-काज बढ़ाया जा सकेगा । इसके फलस्वरूप मित-व्ययिता से लाभ उठाया जा सकेगा और लागत तथा कीमतें कम की जा सकेंगी, जिससे देशीय बाजार का विस्तार होगा । लेकिन यदि निर्यात को शेष आर्थिक ढांचे से पृथक समझा गया तो निर्यात में सफलता हासिल नहीं की जा सकती । अतः सातवीं योजना में निर्यात नीति को उत्पादकता और लागत को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है । इस संदर्भ में कीमतों को कम करने की दृष्टि से कार्य-संचालन की मात्रा तथा निवेशों की कराधान व्यवस्था में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3.8 कार्य-कुशलता और रोजगार सृजन का मानव संसाधनों के विकास कार्यक्रमों के साथ घनिष्ठ संबंध है । पिछली योजनाओं में शिक्षा और जन-शक्ति के विकास की ओर ध्यान दिए जाने से शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है । विभिन्न लाभभोगी-उन्मुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यकौशल का भी निर्माण हुआ । अब हमारे सामने सबसे प्रमुख कार्य है—पाठ्य-क्रमों और शिक्षण के तरीकों में गुणात्मक सुधार करना, ताकि उन्हें प्रासंगिक बनाया जा सके और नए विकास कार्यों के लिए विद्यार्थियों, कामगारों और कारीगरों को उपयोगिता, ज्ञान और हुनर का प्रशिक्षण दिया जा सके । इसके अलावा मानव संसाधन विकास में उन कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है, जिनसे लोगों का स्वास्थ्य-स्तर सुधरे तथा विकास की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अपंगों जैसे निर्बल वर्गों को अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाए । कुल मिला कर सातवीं योजना की विकास कार्य नीति में मानव संसाधनों के विकास के लिए तेज प्रयास करने की परिकल्पना की गयी है ।

3.9 सातवीं योजना में उत्पादकता और रोजगार पर जोर देने का उद्देश्य है—उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में विस्तार करना । बड़े पैमाने के उद्योगों और आधारिक संरचना के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता अधिक नहीं है । क्योंकि ये उद्योग पूंजी प्रधान है । फिर भी, उद्योगों का विस्तार होने पर भावी-सम्पर्कों के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होता है । विशेषकर लघु और मझौले उद्योगों का विस्तार होने से उत्पादक रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होगी । इस क्षेत्र को आधुनिक शिल्प-विज्ञान, निवेश, ऋण और जोखिम-पूंजी प्रदान करने से इसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना की अपेक्षा सातवीं योजना में तीव्र औद्योगिक विकास की परिकल्पना की गयी है ।

3.10 सातवीं योजना के कार्यान्वयन के लिए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नई टैक्नोलोजी के विकास और उसे अमल में लाने की आवश्यकता होगी । योजना में विज्ञान और टेक्नोलोजी के लक्ष्यों को कार्यरूप देने की परिकल्पना की गयी है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए देशी शिल्प-वैज्ञानिक क्षमताओं का पूरा विकास किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रासंगिक विदेशी शिल्प-विज्ञान भी उपलब्ध किया जाएगा तथा उसे खपाने और विकसित करने पर जोर दिया जाएगा ।

3.11 सातवीं योजना का उद्देश्य है—नए क्षेत्रों में हरित क्रान्ति का विस्तार करना । इसके लिए पूर्वी क्षेत्र में चावल की पैदावार बढ़ाई जाएगी तथा वर्षा आधारित और शुष्क भूमि पर कृषि उपज में वृद्धि की जाएगी । ऐसा करने पर उन क्षेत्रों की कृषि उपज तेजी से बढ़ेगी, जो राष्ट्रीय संदर्भ में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं । सातवीं योजना में मानव संसाधन विकास की विशेष भूमिका द्वारा सामाजिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने में भी मदद मिलेगी । सातवीं योजना के इन मूल तत्वों तथा संसाधन हस्तान्तरण, उद्योगों के स्थान निर्धारण, क्षेत्र विकास और न्यूनतम आव-श्यकताओं की व्यवस्था से संबंधित मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों से आर्थिक और सामाजिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने में मदद मिलेगी ।

3.12 पर्यावरण की कीमत पर नए शिल्प विज्ञान की स्थापना तथा आर्थिक उन्नति का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए । आगे चल कर पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ नीतियां विकास की दृष्टि से भी स्वस्थ साबित होंगी। अतः पर्यावरण सुरक्षा सातवीं योजना की विकास नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना में अनेक नए उपक्रम शामिल किए गए हैं । इस संदर्भ में

गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए एक प्रमुख अन्तर्विषयी कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया जा सकता है ।

3.13 लोगों की भागीदारी से ही सातवीं योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है । इस उद्देश्य से योजना के विकेन्द्रीकरण तथा विकास प्रबंध के लिए कारगर कदम उठाने का प्रस्ताव है । साथ ही स्वयं-सेवी एजेन्सियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे, योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भागीदार बनाने का विचार है ।

3.14 ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वयं-सेवी संगठनों के अनुप्रेरक योगदान तथा गरीबी-रोधक और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इनके द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को अभी तक पूरा महत्व नहीं दिया गया है । इन स्वयं-सेवी संगठनों का कार्यक्षेत्र जिस प्रकार का है, उसी से ये असंगठित है । यही उनकी मूल शक्ति और यही कमजोरी भी है । इस बात को सभी मानते हैं कि सरकार स्वयं उन सभी परिवारों तक नहीं पहुंच सकती, जो गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं । इसके अलावा ग्रामीण और शहरी विकास तथा गरीबी-उन्मूलन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण तथा वैकल्पिक तरीकों, जिनका स्वयं-सेवी क्षेत्र में परीक्षण किया गया है से सबक सीखा जा सकता है। स्वयं-सेवी संगठन परम्परागत रूप से राहत और पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के क्षेत्रों में कार्य करते आ रहे हैं । लेकिन ये संगठन पेय जल की व्यवस्था, बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास, भूमिगत जल सर्वेक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास, जैसे—अन्य क्षेत्रों तथा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कई दूसरे कार्यक्रमों में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मदद करने में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। अनेक स्वयं-सेवी एजेन्सियों ने अनेक वर्षों के कार्यकाल से सक्षम तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करने की दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है । फिर भी गरीबी उन्मूलन और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकारी एजेन्सियों ने स्वयं-सेवी संगठनों की सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं किया है । इसका आंशिक कारण यह है कि ऐसा कोई संस्थागत मंच नहीं है, जहां स्वयं-सेवी एजेन्सियां और सरकार एक स्थान पर मिल सकें । इस प्रकार के मंच स्थापित किए जाने की आवश्यकता है । य मंच सरकारी क्षेत्र और स्वयं-सेवी क्षेत्र के बीच सम्पर्क सूत्र का काम करेंगे । इसके अलावा छोटे ग्राम-समूहों को सरकार से पैसा दिलाने में भी ये संगठन मदद करेंगे और बदले में सरकार को विभिन्न विकास-कार्यक्रमों की प्रगति और समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकेगी ।

3.15 संक्षेप में सातवीं योजना की विकास नीति का उद्देश्य है—गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं पर सीधा प्रहार करना । इसकी सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में सुधार करने और संसाधनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने की आवश्यकता है । सुधारों के लिए जो प्रयास किए जाएंगे, वे इस प्रकार हैं—मानव-संसाधनों का तेजी से विकास करना, विकास कार्यों तथा देशी शिल्प वैज्ञानिक क्षमताओं का बारीकी से चयन करना, खेतों, कारखानों और दफ्तरों में नई टैक्नोलोजी का विस्तृत उपयोग करना, क्षमता के उपयोग तथा परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर अधिक जोर देना तथा उन नीतियों का अनुसरण करना, जिनसे मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन की लागत कम की जा सके ।

वृहत आयाम

3.16 पिछले पृष्ठों में जिस विकास-नीति की रूप-रेखा बनाई गयी, उसे परिमाणात्मक शब्दों में परिभाषित किया गया है, वे उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया—जनसांख्यिकीय घटक, देशी और विदेशी संसाधनों को उपलब्ध करने की मजबूरी, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर सम्पर्क, पुनर्वितरण नीतियों का प्रभाव, तथा कार्य-कुशलता में सुधारों व टेक्नोलोजी में परिवर्तनों का प्रभाव ।

3.17 पांचवीं योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि-दर (साधन लागत पर) 5 प्रतिशत होने की संभावना है। छठी योजना में इतनी ही वृद्धि-दर प्राप्त की गयी थी । यह दर पिछले दशक की औसत वृद्धि दर से थोड़ी अधिक है। उल्लेखनीय है कि 1984-85 को आधार मान कर सातवीं योजना 5% वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल मिलाकर सामान्य है, जबकि छठी योजना में आधार वर्ष 1979-80 में राष्ट्रीय आय सामान्य से काफी कम थी।

3.18 सातवीं योजना में क्षेत्रवार विकास दर के अनुमान सारणी—3.1 में दिए गए हैं, जिसमें उत्पादन का मूल्य (निवश सामग्री की लागत सहित) तथा वर्धित मूल्य दिया गया है । कृषि उत्पादन की वृद्धि-दर लगभग 4 प्रतिशत होने की संभावना है । यह वृद्धि-दर उस उपभोग के अनुरूप है, जो आय बढ़ने तथा गरीबी और बेरोजगारी दूर होने से बढ़ सकता है । खनिजों और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में लगभग 8.3% बिजली, गैस और जल-पूर्ति में 10.4% तथा परिवहन सेवाओं में 8% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की संभावना है । इस प्रकार सातवीं योजना में उद्योग और आधारिक संरचना के विकास को अधिक तेज करने की परिकल्पना की गयी हैं ।

3.19 क्षेत्रक विकास के जिस स्वरूप की परिकल्पना की गयी है, उससे संरचनात्मक कायापलट की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। 1984-85 और 1989-98 में राष्ट्रीय आय का स्वरूप सारणी-3.2 में दिया गया है ।

सारणी 3.1

साधन लागत के आधार पर सकल उत्पादन के मूल्य की अनुमानित सेक्टोरल या क्षेत्रक-वृद्धि दरें 1989-90/1984-85

क्रम सं	क्षेत्रक	सकल वर्धित मूल्य (प्रतिशत प्रति वर्ष)	सकल उत्पादन का मूल्य
1.	कृषि	2.5	4.0
2.	खनन और विनिर्माण	6.8	8.3
	(क) खनन	11.7	13.0
	(ख) विनिर्माण	5.5	8.0
	(1) खाद्य उत्पाद	3.2	6.4
	(2) वस्त्र	2.8	5.0
	(3) लकड़ी और कागज उत्पाद	5.3	8.5
	(4) चमड़ा और रबड़ उत्पाद	2.9	4.3
	(5) रसायन उत्पाद	6.7	9.5
	(6) कोयला और पैट्रोलियम उत्पाद	4.8	6.2
	(7) अधात्विक खनिज उत्पाद	3.1	5.6
	(8) मूल धातुएं	5.5	8.1
	(9) गैर-विद्युत् इंजीनियरी उत्पाद	8.2	11.8
	(10) विद्युत् इंजीनियरी उत्पाद	9.5	12.5
	(11) परिवहन उपकरण	8.2	10.8
	(12) विविध उद्योग	8.7	9.8
3.	बिजली, गैस और जलपूर्ति	7.9	12.0
4.	निर्माण	4.8	4.8
5.	परिवहन	7.1	8.0
6.	सेवाएं	6.1	6.6
	जोड़	5.0	6.6

कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों का वर्ष 1989-90 में योगदान सकल देशीय उत्पादन का 33 प्रतिशत होने की संभावना है जबकि खनन, विनिर्माण, निर्माण बिजली और परिवहन का भाग 34.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, सातवीं योजना के अंत तक, कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रकों का योगदान सृजित आय के रूप में, मोटे तौर पर बराबर अनुपात म, अर्थात प्रत्येक का लगभग एक-तिहाई होगा।

सारणी 3.2

सकल वर्धित मूल्य की क्षेत्रक संरचना

1984-85 और 1989-90

(प्रतिशत)

क्रम संख्या	क्षेत्रक	1984-85	1989-90
1	2	3	4
1.	कृषि	36.88	32.68
2.	खनन और विनिर्माण	18.13	19.76
	(क) खनन	3.47	4.73
	(ख) विनिर्माण	14.66	15.03
	(1) खाद्य उत्पाद	1.67	1.53
	(2) वस्त्र	2.52	2.27
	(3) लकड़ी और कागज उत्पाद	1.05	1.06
	(4) चमड़ा और रबड़ उत्पाद	0.39	0.36
	(5) रसायन उत्पाद	1.99	2.16
	(6) कोयला और पैट्रोलियम पदार्थ	0.72	0.71
	(7) अधात्विक खनिज उत्पाद	0.80	0.73
	(8) मूल धातुएं	2.04	2.09
	(9) गैर-विद्युत् इंजीनियरी उत्पाद	0.98	1.15
	(10) विद्युत् इंजीनियरी उत्पाद	0.77	0.95
	(11) परिवहन उपकरण	0.82	0.95
	(12) विविध उद्योग	0.91	1.07
3.	बिजली, गैस और जलपूर्ति	2.00	2.29
4.	निर्माण	6.21	6.16
5.	परिवहन	5.60	6.19
6.	सेवाएं	31.20	32.92
	जोड़	100.00	100.00

3.20 सातवीं योजना में जिस वृद्धि-दर की परिकल्पना की गई है, उसके लिए कुल 322,366 करोड़ रु. के पूंजी-निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से 94 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था घरेलू संसाधनों से की जाएगी। योजना के आधार वर्ष और अंतिम वर्ष के वृहत आर्थिक समुच्चय सारणी 3.3 में दिए गए हैं। आशा है कि घरेलू बचत की दर 1984-85 में सकल घरेलू उत्पाद के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 24.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका अर्थ हुआ 28.4 प्रतिशत की एक सीमान्त बचत दर। इन अनुमानों का विस्तृत विश्लेषण योजना की वित्त व्यवस्था वाले अध्याय में किया गया है।

सारणी 3.3

वृहत आर्थिक समुच्चय

(1984-85 के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु०)

	1984-85	1989-90
1	2	3
साधन लागत के आधार सकल घरेलू उत्पाद	1,93,428	2,46,881
उपदान घटाकर अप्रत्यक्ष कर	24,334	35,064
बाजार मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद	2,17,762	2,81,945

1	2	3
विदेशों से निवल साधन आय	(–) 681	(—) 500
अन्य चालू हस्तांतरण . .	2,799	3,000
प्रयोज्य आय . . .	2,19,880	2,84,445
सकल घरेलू बचत . .	50,738	68,997
उपभोग व्यय-कुल . .	1,69,142	2,15,448
गैर-सरकारी . . .	1,46,308	1,85,285
सरकारी . .	22,834	30,163
सकल घरेलु पूंजी निर्माण .	53,338	72,997
विदेशी बचत . . .	2,600	4,000
घरेलू बचत की दर . .	23.3	24.5
पूंजी निवेश की दर . .	24.5	25.9
बचत की सीमान्त दर . .		28.4

3.21 सकल पूंजी-निवेश की दर 1984-85 में सकल घरेलू उत्पाद के 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 25.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। आशा है कि सातवीं योजना में "वृद्धिकारक पूंजी उत्पादन अनुमान" (आई.सी.ओ. आर.) जिसका संबंध योजना अवधि के दौरान कुल पूंजी निवेश की तुलना में बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के साथ है, 5 के आस पास हो जाएगा। छठी योजना में प्राप्त किए गए आई.सी.ओ.आर. से यह अनुपात थोड़ा अधिक है, लेकिन 5.5 के प्रवृत्ति मूल्य से थोड़ा कम है। कार्य कुशलता पर बल देना सातवीं योजना की नीति का एक निर्णायक अंग है, जिसके कारण निम्न मूल्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

3.22 सरकारी क्षेत्र में योजना का परिव्यय 180,000 करोड़ रु. होगा, जिसमें 25,782 करोड़ रु. का चालू विकास परिव्यय और 154,218 करोड़ रु. का सकल पूंजी-निवेश शामिल है। आधारिक संरचना और मानव संसाधनों के विकास के लिए धनराशि के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है, क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने में इसकी भूमिका निर्णायक साबित होगी। योजना अवधि में कुल पूंजी-निवेश में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 48 प्रतिशत होगा। कुल-निवेश में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र का हिस्सा 17 प्रतिशत तथा गैर-निगमित उद्यमों तथा परिवारों का हिस्सा 35 प्रतिशत होगा।

सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का सेक्टोरल अथवा क्षेत्रीय आवंटन

3.23 सारणी 3.4 (क), 3.4 (ख) और 3.4 (ग) में सातवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के परिव्ययों का सेक्टोरल आवंटन दिया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि धन आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र (30.45 प्रतिशत), ग्रामीण विकास, कृषि, विशेष-क्षेत्र के कार्यक्रमों और सिंचाई (22.09 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं (16.31 प्रतिशत) को मिलेगा, हिसाब मिलाकर सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय का दो-तिहाई (68.85 प्रतिशत) बनता है। इस प्रकार योजना का रुख विद्युत, कृषि व ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवाओं और मानव संसाधनों के विकास की ओर मोड़ा गया है।

3.24 सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गयी है, ताकि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि-दर कायम रखी जा सके। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में निवेश की जाने वाली धन राशि का आवंटन करते समय नई परियोजनाओं की अपेक्षा उन क्षेत्रों को वरीयता दी गयी है, जो अधिक लाभप्रद है अथवा जहां अतिरिक्त क्षमता की तात्कालिक आवश्यकता है, क्योंकि नई परियोजनायें सातवीं योजना के बाद ही उत्पादन कर पायेंगी। विद्यमान पूंजी भंडार की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया है, जिसके लिए प्रतिस्थापन संतुलन-उपकरण और आधुनिकीकरण पर पूंजी-निवेश किया जाएगा। अन्त में आधुनिक संरचना वाले क्षेत्रों, उत्पादन के शेष क्षेत्रों, मानव संसाधन विकास क्षेत्र तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तथापि आठवीं योजना में विकास की गति बनाए रखने के लिए विद्युत, कोयला और रेलवे जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करना आवश्यक हो सकता है। राष्ट्रीय महत्व की सड़कों, नागर विमानन, कृषि अनुसंधान और भंडारण सुविधाओं के लिए भी कुछ अतिरिक्त धनराशि का आवंटन जरूरी हो सकता है। अर्थव्यवस्था में होने वाली प्रगति के आधार पर सातवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन तथा वार्षिक योजना की समीक्षा करते समय इन मामलों में निर्णय लिया जा सकता है।

सारणी 3.4 (क)
सरकारी क्षेत्र का परिव्यय—सातवीं योजना

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	कुल	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	10573.62 (5.87)	4056.71 (4.25)	6248.40 (7.74)	268.51 (7.13)

1	2	3	4	5	6
2.	ग्रामीण विकास	9074.22 (5.04)	1901.59 (5.13)	4142.84 (5.13)	29.79 (0.79)
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3144.69 (1.75)	—	3144.69 (3.90)	—
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	16978.65 (9.43)	834.93 (0.87)	15949.77 (19.77)	193.95 (5.15)
5.	ऊर्जा	54821.26 (30.45)	31492.14 (32.96)	22786.15 (28.24)	542.97 (14.41)
6.	उद्योग और खनिज	22460.83 (12.48)	18552.97 (19.42)	3785.88 (4.69)	121.98 (3.24)
7.	परिवहन	22971.02 (12.76)	16459.37 (17.23)	5772.50 (7.15)	739.15 (19.61)
8.	संचार, सूचना और प्रसारण	6472.46 (3.60)	6365.82 (6.66)	99.33 (0.12)	7.31 (0.19)
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2466.00 (1.37)	2303.43 (2.41)	157.28 (0.20)	5.29 (0.14)
10.	सामाजिक सेवाएं	29350.46 (16.31)	10350.90 (10.84)	17182.88 (21.29)	1816.68 (48.21)
11.	अन्य	1686.79 (0.94)	216.14 (0.23)	1428.28 (1.77)	42.37 (1.13)
	कुल जोड़	180000.00	95534.00	80698.00	3768.00

(कोष्टकों में दी गयी संख्यायें कालम के जोड़ का प्रतिशत है।)

(सारणी 3-4(क) (समाप्त)

सारणी 3.4(ख)
सातवीं योजना 1985-90 के लिए सेक्टरवार (क्षेत्रवार) धनराशि का आवंटन

(करोड़ रूपये)

क्र.सं.	विकास शीर्ष	सातवीं योजना का परिव्यय			
		कुल	केन्द्र	राज्य	सं. रा. क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	**कृषि**	**10,573.62**	**4,056.71**	**6,243.40**	**268.51**
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	704.60	425.00	277.17	2.43
	फसल पालन	3,311.80	1,305.00	1,948.44	58.36
	मृदा और जल संरक्षण पशु पालन और दुग्ध	740.39	110.00	597.36	33.09
	उत्पादन	1,076.68	410.00	622.64	44.04
	मछली पालन	499.19	170.00	305.42	23.77
	वनोद्योग तथा वन्य जीव प्राकृतिक विपत्तियों की	1,859.10	446.71	1340.08	72.31
	व्यवस्था	21.10	10.00	11.10	—
	कृषि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम	149.44	60.00	86.44	3.00
	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, खाद्य संसाधन	307.08	275.00	31.07	1.01
	कृषि वित्त संसाधनों में पूंजी निवेश	353.66	195.00	158.56	0.10
	सहकारिता	1,400.58	500.00	870.18	30.40

1	2	3	4	5	6
	बागान	150.00	150.00	—	—
2.	**ग्रामीण विकास**	**9,074.22**	**4,901.59**	**4,142.84**	**29.79**
	समेकित ग्रामीण विकास तथा तत्संबंधी कार्यक्रम	3,473.99	1,864.38	1609.61	—
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2,487.47	1,250,81	1,236.66	—
	सामुदायिक विकास और पंचायती संस्थाएं	416.15	—	396.30	19.85
	विशेष रोजगार कार्यक्रम	509.24	—	509.24	—
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम	1,743.78	1,743.78	—	—
	भूमि सुधार	395.83	36.71	353.88	5.24
	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	47.76	5.91	37.15	4.70
3.	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	**3,144.69**	..	**3,144.69**	..
	पर्वतीय क्षेत्र	753.50	..	753.50	..
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	200.00	..	200.00	..
	पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	116.50	..	116.50	..
	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	585.69	..	585.69	..
	जनजातीय क्षेत्र	756.00	..	756.00	..
	उत्तर-पूर्वी परिषद	675.00	..	675.00	..
	अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम	58.00	..	58.00	..
4.	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण**	**16,978.65**	**834.93**	**15,949.77**	**193.95**
	बड़ी और मझौली सिंचाई	11,555.56	50.00	11,445.96	59.60
	लघु सिंचाई	2,804.99	135.00	2,615.52	54.47
	कमान क्षेत्र का विकास	1,670.71	500.00	1,161.91	8.80
	बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्री कटाव को रोकना	947.39	149.93	726.38	71.08
5.	**ऊर्जा**	**54,821.26**	**31,402.14**	**22,786.15**	**542.97**
	विद्युत्	34,273.46	11,051.54	22,686.76	535.16
	ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोत	519.55	412.35	99.39	7.81
	पेट्रोलियम	12,627.67	12,627.67	—	—
	कोयला	7,400.58	7,400.58	—	—
6.	**उद्योग और खनिज**	**22,460.83**	**18,552.97**	**3,785.88**	**121.98**
	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	2,752.74	1,284.84	1,378.52	89.38
	बड़े और मंझोले उद्योग	19,708.09	17,268.13	2,407.36[1]	32.60[2]
7.	**परिवहन**	**22,971.02**	**16,459.37**	**5,772.50**	**739.15**
	रेलवे	12,334.55	12,334.30	0.25[3]	—
	सड़कें	5,200.04	1,019.75	3,666.98	513.31[4]
	सड़क परिवहन	1,990.10	203.92	1,444.73[5]	41.45[6]
	पत्तन और प्रकाश-गृह	1,260.42	1,134.79	97.31	28.32
	नौवहन	826.88	693.42	7.00	126.46
	अन्तर्देशीय जल परिवहन	225.73	155.00	67.20	3.53
	नागर विमानन	757.84	730.21	24.72	2.91
	फरक्का	326.16	138.68	164.31	23.17
	फरक्का बराज	49.30	49.30	—	—
8.	**संचार, सूचना और प्रसारण**	**6,472.45**	**6,365.82**	**99.33**	**7.31**
	डाक	295.00	295.00	—	—
	दूरसंचार	4,538.74	4,530.00	8.49[7]	0.25[8]
	प्रसारण	700.00	700.00	—	—
	दूरदर्शन	700.00	700.00	—	—
	सूचना और प्रचार	127.90	137.00	90.84	7.06
	फिल्म	41.51	41.51	—	—
	इन्सैट —स्पेस सेगमेंट	69.31	69.31	—	—

1	2	3	4	5	6
9.	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	**2,466.00**	**2,303.43**	**157.28**	**5.29**
	परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक अनुसंधान	315.00	315.00	—	—
	(इन्सैट-स्पैस सेगमेंट सहित)	543.09	458.43	81.57	3.09
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	355.00	355.00	—	—
	पर्यावरण और पारिस्थितिकी/वायु एवं जल-प्रदूषण निवारण व नियंत्रण तथा गंगा कार्य योजना	427.91	350.00	75.71	2.20
	महासागर विकास	100.00	100.00	—	—
	अंतरिक्ष	700.00	700.00	—	—
	न्यायिक प्रयोगशाला तथा पुलिस बेतार	25.00	25.00	—	—
10.	**सामाजिक सेवाएं**	**29,350.46**	**10,350.90**	**17,182.88**	**1,816.68**
	शिक्षा, संस्कृति और खेल	6,382.65	2,388.64	3,488.71	505.30
	स्वास्थ्य और चिकित्सा	3,392.89	897.34	2,240.33	255.22
	परिवार कल्याण	3,256.26	3,256.26	—	—
	आवास और शहरी विकास	4,259.50	457.88	3,281.09[9]	520.53[10]
	जलपूर्ति और स्वच्छता	6,522.47	1,236.83	4,848.06	437.58
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,520.43	281.22	1,219.21	20.00
	अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	930.00	930.00	—	—
	समाज और महिला कल्याण	1,012.36	799.97	191.87	20.52
	पोषाहार	1,740.18	7.32	1,693.86	39.00
	श्रम और श्रमिक कल्याण	333.72	95.44	219.75	18.53
11.	**अन्य**	**1,686.79**	**216.14**	**1,428.28**	**42.37**
	सांख्यिकी	93.02	40.78	48.24	4.00
	विस्थापित लोगों का पुनर्वास	146.13	146.03	—	0.10[11]
	योजना तंत्र	75.50	8.16	64.54	2.80
	जिला योजना	627.06	—	622.31	4.75
	लेखन सामग्री और छपाई	62.08	6.00	50.08	6.00
	लोक निर्माण	568.82	—	549.92	18.90
	विकास के लिए प्रशिक्षण	16.81	4.93	8.98	2.90
	सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	46.51	2.50	41.21	2.80
	राजभाषा हिंदी	2.00	2.00	—	—
	अन्य	1.12	—	1.00[12]	0.12[13]
	गैर आबंटित	47.74	5.74	42.00	—
	कुल जोड़	180,000.00	95,534.00	80,698.00	3,768.00

1. नाप-तोल के लिए 9.59 करोड़ रु. शामिल हैं।
2. नाप-तोल के लिए 1.51 करोड़ रु. शामिल हैं।
3. कोंकण रेलवे के लिए।
4. रज्जुपथ के लिए 0.15 करोड़ रु. शामिल हैं।
5. अन्तः माडल परिवहन अध्ययन के लिए 0.75 करोड़ रु. तथा "सिटी बस टर्मिनल" और "पार्किंग" के लिए 1.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।
6. अन्तः माडल परिवहन अध्ययन के लिए 0.80 करोड़ रुपये तथा मोटर वाहन स्कंध के लिए 0.35 करोड़ रु. शामिल हैं।
7. गुजरात में बेतार उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए।
8. लक्षद्वीप में रेडियो-टेलीफोन संपर्क स्थापित करने के लिए।
9. राज्य राजधानी परियोजनाओं के लिए 231.08 करोड़ रु. शामिल हैं।
10. राज्य राजधानी परियोजनाओं के लिए 63.50 करोड़ रु. शामिल हैं।
11. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास के लिए ।
12. राष्ट्रीय लघु बचतों के लिए 9.80 करोड़ रु. तथा संसदीय कार्यों के लिए 0.20 करोड़ रु. शामिल हैं।
13. लघु बचत योजनाओं के लिए 0.05 करोड़ रु. तथा लेखाओं के सुदृढ़ीकरण और गोवा गजेटियर के लिए 0.07 करोड़ रु. शामिल हैं।

सारणी 3.4 (ग)

सातवीं योजना 1985—90 के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार धनराशि का आवंटन

(करोड़ रु.)

सं.	विकास-शीर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	उद्योग और खनिज	परिवहन	संचार, सूचना और प्रसारण	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	सामाजिक सेवाएं	अन्य	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	क. राज्य												
1.	आंध्र प्रदेश	278.80	272.00	—	1488.10	1105.90	312.90	272.70	12.60	10.30	1385.90	60.80	5200.00
2.	असम	305.75	128.50	10.10	334.00	486.50	103.10	166.20	2.50	5.00	498.25	60.10	2100.00
3.	बिहार	278.15	458.05	4.50	1724.00	1083.00	216.60	403.10	2.00	4.60	861.85	64.15	5100.00
4.	गुजरात	386.40	135.49	—	1676.31	1447.50	259.67	377.40	16.07	8.00	1432.39	260.77	6000.00
5.	हरियाणा	277.34	47.52	15.10	594.61	1012.75	56.55	201.32	4.80	17.34	549.71	122.96	2900.00
6.	हिमाचल प्रदेश	231.62	36.54	—	74.50	263.61	26.57	172.50	1.00	1.25	213.64	28.77	1050.00
7.	जम्मू और काश्मीर	166.25	42.12	95.90	120.36	279.32	72.75	160.70	2.03	2.00	449.07	19.50	1400.00
8.	कर्नाटक	300.00	184.00	—	725.00	801.00	247.00	260.00	7.00	4.00	852.00	130.00	3500.00
9.	केरल	316.75	124.50	5.50	384.00	398.80	208.00	182.50	4.50	21.40	406.75	47.30	2100.00
10.	मध्य प्रदेश	434.43	305.87	—	1976.48	2660.00	165.04	353.38	3.24	23.34	1070.61	7.61	7000.00
11.	महाराष्ट्र	655.61	680.49	320.49	1890.61	3053.04	365.00	779.69	7.60	4.00	2656.47	87.00	10500.00
12.	मणिपुर	56.60	10.35	—	78.00	36.42	24.30	72.50	1.00	2.50	120.87	18.46	430.00
13.	मेघालय	74.95	12.08	10.00	11.60	71.50	19.35	83.50	0.60	1.70	122.12	32.60	440.00
14.	नागालैंड	73.00	19.80	8.00	15.00	33.80	28.20	102.50	3.50	0.85	100.20	15.15	400.00
15.	उड़ीसा	239.55	202.65	—	696.00	788.50	140.35	193.50	3.00	4.00	386.80	45.65	2700.00
16.	पंजाब	325.98	65.99	21.10	370.00	1639.60	123.31	184.20	3.25	5.00	520.56	26.01	3285.00
17.	राजस्थान	180.86	146.77	—	797.15	879.72	190.69	139.84	1.60	8.40	630.06	24.91	3000.00
18.	सिक्किम	48.50	3.97	—	16.05	34.94	8.72	46.68	0.47	0.80	62.96	6.91	230.00
19.	तमिलनाडु	422.10	288.20	—	330.00	2010.00	285.00	282.00	3.00	8.70	2072.65	48.35	5750.00
20.	त्रिपुरा	73.80	29.95	—	48.00	48.00	16.25	53.00	1.27	2.50	161.04	6.19	440.00
21.	उत्तर प्रदेश	786.96	604.25	26.00	2200.00	3403.00	600.53	1077.99	12.50	15.00	1678.33	42.44	10447.00
22.	पश्चिम बंगाल	345.00	334.75	69.00	400.00	1249.25	316.00	217.30	5.80	6.60	950.65	230.65	4125.00
23.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (केन्द्र/जी. बी. नि. द्वारा धन की व्यवस्था)	—	—	2550.00[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	2559.00[1]
24.	गैर आवंटित	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.00	42.00
	जोड़ क. राज्य	6248.40	4142.84	3144.69	15949.77	22786.15	3788.85	5772.50	99.33	157.28	171.28	1428.28	80698.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ख. संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह .	26.06	0.65	—	2.70	25.02	2.06	176.52	0.65	0.37	45.04	6.03	285.00
2. अरुणाचल प्रदेश . .	84.10	7.95	—	26.00	36.90	0.75	127.55	0.50	0.20	104.45	2.60	400.00
3. चंडीगढ़ . . .	4.98	1.27	—	0.60	28.58	2.27	10.55	0.40	0.20	154.13	0.02	203.00
4. दादर एवं नागर हवेली . .	9.71	0.89	—	6.38	3.22	1.49	8.61	0.13	0.24	14.40	1.08	46.17
5. दिल्ली . . .	25.13	4.66	—	69.27	368.55	63.60	270.75	2.33	1.78	1187.35	6.58	2000.00
6. गोवा दमग व दीव . .	33.37	3.99	—	70.45	36.25	15.60	54.89	1.10	1.55	134.19	8.61	360.00
7. लक्षद्वीप . . .	12.00	1.86	—	1.00	4.00	1.52	9.20	0.88	0.25	12.38	0.74	43.83
8. मिज़ोरम . . .	50.40	3.70	—	8.50	28.20	13.35	59.55	0.70	0.20	81.70	13.70	260.00
9. पांडिचेरी . . .	22.76	4.92	—	9.05	12.25	12.34	21.53	0.60	0.50	83.04	3.01	170.00
जोड़—ख. संघ रा. क्षे. .	**268.51**	**29.79**	—	**193.95**	**542.97**	**121.98**	**739.15**	**7.31**	**5.29**	**1816.68**	**42.37**	**3768.00**

सारणी 3.4 (ग) जारी
सातवीं योजना 1985-90 के लिए राज्यवार क्षेत्रवार धनराशि का आवंटन

(करोड़ रु०)

1. निम्नलिखित के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के वास्ते केन्द्र की ओर से धनराशि की व्यवस्था शामिल हैं:—

	(करोड़ रु०)
(क) पर्वतीय क्षेत्र	753.50
(ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	200.00
(ग) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	116.50
(घ) जनजाति क्षेत्र	756.00
(ङ) उत्तर-पूर्वी परिषद्	575.00
(च) अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम	58.00
जोड़	2559.00

(1) जीवन बीमा निगम से 100 करोड़ रु० का ऋण शामिल है।

राज्यों से स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कीमों का राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा निश्चित किया जाएगा।

3.25 सारणी 3.4 (घ) म व्यापक आर्थिक कार्यक्षेत्र के अनुसार पूंजी निवेश का विभाजन बढ़ाया गया है। कुल पुंजी निवेश में कृषि, सिंचाई और सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 19.1 प्रतिशत होगा तथा खनन और विनिर्माण में 32.5 प्रतिशत, बिजली, परिवहन और संचार में 24.2 प्रतिशत तथा सेवाओं 24.2 प्रतिशत हिस्सा होगा। बिजली, रेलवे और संचार पर लगभग समस्त पंजी निवेश, कृषि, सिंचाई और सम्बद्ध क्षेत्रों में 45 प्रतिशत पूंजी निवेश तथा खनन और विनिर्माण 41 प्रतिशत पूंजी निवेश सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा। पूंजी निवेश के आवंटन का परिकलन सेक्टोरल पूंजी उत्पादन के अनुपातों के उपयोग से किया गया है, जिनका अनुमान पिछले आंकड़ों और नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर लगाया गया है।

3.26 अगले अध्याय में सातवीं योजना के लिए भुगतान संतुलन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। व्यापक पारामीटरों का सारांश सारणी 3.5 में दिया गया है। 1984-85 के मूल्यों के आधार पर आयात में 5.8 प्रतिशत तथा निर्यात में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। अप्रकट स्रोतों के निवल आय मिलाकर चालू लेखे में 20,000 करोड़ रु. का घाटा होने की संभावना है, जिसके लिए सहायता और उधार लेकर धन की व्यवस्था की जाएगी। इन अनुमानों में आकस्मिक आयात के लिए धनाशि की व्यवस्था तथा आरक्षणों म मामूली वृद्धि शामिल है।

गरीबी और बेरोजगारी पर असर

3.27 अब यह बात स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से गरीबी की समस्या पर काफी असर हुआ है। नवीनतम राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण अनंतिम परिणामों पर आधारित गरीबी के प्रभाव के अनुमान प्रथम अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। इस सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1977-78 और 1983-84 के बीच लगभग 3.60 करोड़ लोगों ने गरीबी की रेखा पार करली थी।

3.28 आशा है कि सातवीं योजना की विकास नीति और इससे उत्पन्न विकास के ढांचे से गरीबी और अधिक तेज गति से कम होगी। आर्थिक विकास और योजना कर्यक्रमों से गरीबी पर जो प्रभाव पड़ा, वह सारणी 3.6 में बताया गया है। जिन लोगों का उपभोग स्तर गरीबी की रेखा से नीचे है, उनकी संख्या 1984-85 में 36.9 प्रतिशत से 1989-90 में 25.8 प्रतिशत तक

सारणी 3.4 (घ)
सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा कुल अर्थ-व्यवस्था के अनुसार सकल पूंजी निवेश और वृद्धिकारक सकल घरेलू उत्पाद (1985-90)

(1984-85 के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु.)

क्रम सं.	क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश			वृद्धिकारक सकल, घरेलू उत्पाद (साधन लागत)		
		सरकारी	गैर-सरकारी	कुल	सरकारी	गैर-सरकारी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	27,574	34,048	61,622	875	8,512	9,387
2.	खनन, उत्खनन और विनिर्माण	42,455	62,172	1,04,627	6,641	7,065	13,706

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिजली . . .	32,149	419	32,568	1696	91	17,87
4.	रेलवे . . .	12,334	--	12,334	726	--	726
5.	अन्य परिवहन . .	8,871	18,015	26,886	1,309	2,402	3,711
6.	संचार	6,355	--	6,355	824	--	824
7.	अन्य सेवाएं . . .	24,480	53,894	77,974	10,050	13,262	23,312
	जोड़ . . .	1,54,218	1,68,148	3,22,366	22,121	31,332	53,453

सारणी 3.4 (क)
भुगतान संतुलन

(करोड़ रुपये)

क्रम सं	मद	सातवी योजना 1985-90 (1984-85 क मूल्यों पर)
1.	निर्यात	60.7
2.	आयात . . .	94.5
3.	व्यापार शेष	—34.7
4.	अदृश्य निवल . .	14.7
5.	चालू लेखे के आधार पर शेष . . .	—20.0
6	निवल सहायता और अन्य आधार . .	20.9
7.	विदेशी मुद्रा आरक्षण का उपयोग . . .	—0.2
	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा . .	1.57

कम हो जाएगी। स्पष्ट शब्दों में गरीबी की संख्या 1984-85 में 27.30 करोड़ से घटकर 1989-90 में 21.10 करोड़ तक रह जाने की संभावना है। इसमें सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। विकास के अपेक्षित स्वरूप तथा गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने के परिणाम-स्वरूप गरीबी अनुपात में गिरावट आने की संभावना है। इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगारी गारंटी कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि इन गरीबी उत्मूलन कार्यक्रमों से यह आशा नहीं की जा सकती कि इनसे दीर्घकालीन आधार पर गरीबी दूर हो जाए। उन्नतिशील अर्थ-व्यवस्था और विकासशील कृषि क्षेत्र के ढांचे के अन्दर ही गरीबी और अल्प विकास की समस्याओं पर स्थायी प्रहार करने की आशा की जा सकती है। गरीबी दूर करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण लोगों का रहन-सहन सुधारने के लिए तेज कृषि विकास के अनुकूल प्रभाव को सुदृढ़ किया जा सके। हमारे सामने प्रमुख काम है--लाभ भोगी उन्मुख विभिन्न कार्यक्रमों, क्षेत्रक कार्यक्रमों और क्षेत्र विकास की योजनाओं को प्रत्येक जिले/ब्लाक के समग्र विकास के अनुरूप संगठित करना। इसके लिए संसाधन-निधि, आवश्यकताओं और विकास की क्षमताओं को ध्यान में रखना होगा।

3.29 सारणी 3.7 में रोजगार पर विकास के प्रस्तावित स्वरूप का प्रभाव बताया गया है। आर्थिक गतिविधि के लक्ष्य स्तरों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली रोजगार क्षमता का परिकलन मानव दिवसों के रूप में किया जाता है और फिर उसे मानक वर्षों के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक मानव वर्ष 8 घंटे वाले एक दिन की दर से 273 मानव कार्यदिवसों के बराबर है। सातवीं योजना में 4 करोड़ मानक मानव वर्ष तक रोजगार क्षमता बढ़ने की संभावना है, जबकि श्रम-शक्ति लगभग 3.90 करोड़ लोग बढ़ने की संभावना है। रोजगार क्षमता प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जबकि श्रम-शक्ति में प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है।

3.30 रोजगार क्षमता में सबसे अधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र तथा फसल उत्पादन से भिन्न अन्य सहायक कार्यों में होगी। इस क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष रोजगार क्षमता बढ़ेगी, जो कि ग्रामीण श्रम शक्ति में प्रतिशत की संभावित वृद्धि दर से बहुत अधिक है। इस प्रकार सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार उपलब्ध होगा। गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रोजगार क्षमता बढ़ने की संभावना है। इससे कुछ श्रम-शक्ति का कृषि क्षेत्र से गैर कृषि कार्यों में स्थानांतरित होने की संभावना है।

सारणी 3.6
गरीबी का प्रभाव

क्रम सं.	वर्ष	गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)			गरीबों की संख्या (मिलियन)		
		ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	1977-78 *	51.2	38.2	48.3	253.1	53.7	306.8
2.	1984-85 **	39.9	27.7	36.9	222.2	50.2	272.7
3.	1989-90	28.2	19.3	25.8	168.6	42.2	210.8

टिप्पणी * उपभोक्ता व्यय वितरण संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32 वें दौर के आधार पर अनुमानित (1977-78)।
** उपभोक्ता व्यय वितरण सबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38वें दौर (अनंतिम), 1983 के आधार पर ।

3.31 रोजगार नीति की व्याख्या अगले अध्याय में की गयी है। रोजगार नीति का तत्व इस बात पर आधारित है कि औद्योगिक विकास की दर बढ़ने पर भी अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या को पूर्णतः संगठित औद्योगिक क्षेत्र में नहीं खपाया जा सकता, इसलिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों को तेज करके, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विविध रूप देकर तथा निर्माण और पूंजी-निर्माण के बड़े कार्यक्रम आरम्भ करके अतिरिक्त रोजगार पैदा करना होगा । सातवीं योजना के रोजगार अनुमानों में विकास नीति का यह रूख प्रतिबिम्बित होता है।

3.32 सातवीं योजना में यह परिकल्पना भी की गयी है कि छठी योजना में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जारी रखा जाए और इन में विस्तार किया जाए। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों मे 245.80 करोड़ मानव-दिवसों का अतिरिक्त रोजगार (9.04 मिलियन मानक मानव वर्ष) उत्पन्न होने की संभावना है । ये कार्यक्रम विशेषकर उन भूमिहीन श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास भूमि रूपी साधन नहीं है। देश में खाद्यान्न की स्थिति तथा सरकारी क्षेत्र की एजन्सियों के पास खाद्यान्न भंडार की स्थिति के आधार पर रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों मे सातवीं योजना के चालू प्रावधानों की तुलना में अधिक तेज गति में विस्तार किया जा सकता है।

सारणी 3.7
सातवीं योजना में रोजगार की रूपरेखा
(मिलियन मानक मानव वर्ष)

क्रम सं	क्षेत्र	1984-8 में अनुमानित रोजगार	1989-90 में अनुमानित रोजगार	सातवीं योजनना के दौरान रोजगार में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	96.108	114.092	17.984
	(क) फसल क्षेत्र	58.750	65.720	6.970
	(ख) गैर-फसल क्षेत्र	37.358	48.372	11.014
2.	खनन और उत्खनन	1.153	1.494	0.341
3.	विनिर्माण	26.790	33.466	6.676
4.	निर्माण	10.427	12.624	2.197
5.	बिजली	1.031	1.498	0.467
6.	रेल	1.544	1.688	0.144
7.	अन्य परिवहन	9.440	11.810	2.370
8	संचार	0.951	1.224	0.273
9.	अन्य सेवाएं	39.261	49.165	9.904
	जोड़	186.705	227.061	40.356

3.33. ग्रामीण क्षेत्रों मे बहुत सारे गरीब लोगों का पता लगा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही गरीबी की ओर भी ध्यान देना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लगातार शहरों में बस रहे हैं, जिसके कारण हमारे शहरों और कस्बों में तेजी से गन्दी बस्तियां खड़ी हो रही हैं । इससे अनौपचारिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अकुशल और कम वेतन वाली नौकरियों के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सातवीं योजना में शामिल नगर विकास कार्यक्रमों गन्दी बस्तिओं के निवासियों का रहन-सहन का स्तर सुधारने की ओर विशेष जोर दिया गया है। तथापि शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक बहु-आयामीय नीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि :—

(क) बेरोजगारों; विशेषकर महिलाओं और युवकों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया जा सका ।
(ख) अल्प वेतन वाली नोकरियों में कार्यरत लोगों की आय बढ़ाई जा सके,
(ग) निजी काम-धंधों मे लगे लोगों के उत्पादन और आय में वृद्धि की जा सके, तथा
(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल जैसी मूल सुविधाएं शहरों में रह रहे गरीबों को उपलब्ध कराई जा सके।

इस दिशा में प्रमुख शहरी क्षेत्रों में कुछ मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । इन मार्गदर्शी परियोजनाओं से उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी तथा कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण, विस्तार, ऋण, विपणन

तथा बुनियादी ढांचे को आधार मिलेगा। इससे शहरों में गरीबी की समस्या से निपटने में मदद मिल सकेगी। यदि संभव हुआ तो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में स्वयं-सेवी संगठनों की मदद ली जाएगी।

3.34 गरीबी और बेरोजगारी पर सातवीं योजना से जो प्रभाव पड़ेगा, उससे अर्थ-व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इस समय चोटी की 30 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधे से अधिक उपभोग व्यय तथा अधिकांश विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं का सेवन करती है। सातवीं योजना के अन्त तक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या का अनुपात घट जाने तथा बेरोजगारी कम हो जाने से खाद्य वस्तुओं तथा अनेक विनिर्मित उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। घरेलू बाजार का आकार बढ़ने से तेज औद्योगिक उन्नति को एक आधार मिल सकता है। इससे भी रोजगार आगे और तेजी से बढ़ेगा। अतः सातवीं योजना की कार्यनीति में, जहां एक ओर रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी कम करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, वहां दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था में विकास की गति को भी मजबूती मिलेगी।

क्षेत्रक विकास की रूप-रेखा

कृषि

3.35 सातवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र का विकास सकल उत्पादन के रूप में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर तथा वर्धित मूल्य के रूप में 2.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से होने की संभावना है। यह वृद्धि दर 1979-80 के निम्न आधार पर संशोधनों के बाद छठी योजना में प्राप्त वृद्धि दर से काफी अधिक है। मांग बढ़ने की संभावना तथा खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता बनाए रखने के आधार पर यह ऊंची वृद्धि-दर उचित है। इसके साथ-साथ उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। सारणी 3.8 में प्रमुख कृषि जिन्सों की पैदावार के अनुमान दिए गए हैं तथा सारणी 3.9 में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल और उपज दर के अनुमान दिए गए हैं।

3.36 यदि कृषि उत्पादन के विकास को सही दिशा दी जाए तो गरीबी और बेरोजगारी पर दृढ़ता से प्रहार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि अधिकांश अतिरिक्त उपज छोटे और सीमांत किसानों तथा वर्षा आधारित और शुष्क भूमि से प्राप्त होगी। पूर्वी और दक्षिण भारत में चावल की उपज बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जायेंगे। इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए संख्यावाचक अनुमान इसी नीति के संदर्भ में तैयार किए गए हैं।

3.37 कृषि उपज बढ़ाने तथा गरीबी और बेरोजगारी पर सफलतापूर्वक प्रहार करने के लिए भूमि सुधार उपायों को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। विशेषकर नए सिंचाई क्षेत्रों में जोत भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए सातवीं योजना में गहन प्रयास किए जायेंगे। अनौपचारिक काश्तकारों के काश्तकारी अधिकारों को ठीक-ठीक दर्ज करके और लगान को विनियमित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें आधुनिक साज-सामान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सारणी 3.8

उत्पादन के अनुमान : कृषि वस्तुएं

क्रमसं.	वस्तु	यूनिट	1984-85	1989-90	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
1.	चावल	मिलियन टन	60	73-75	4.0-4.6
2.	गेहूं	वही	45	56-57	4.5 4.8
3.	मोटा अनाज	वही	32	34-35	1.2 1.8
4.	दालें	वही	13	15-16	2.9 4.2
5.	सभी खाद्यान्न	वही	150	178-183	3.5 4.1
6.	तिलहन	;वही;	13	18	6.7
7.	गन्ना	वही	180	217	3.8
8.	कपास	प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें	7.5	9.5	4.8
9.	पटसन और मेस्ता	प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें	7.5	9.5	4 8
10.	चाय	मिलियन कि.ग्रा.	645	766	3.5
11.	कॉफी	वही	165	180	1.8
12.	दूध	मिलियन टन	38.8	50.9	5.6
13.	अण्ड	हजार मिलियन संख्या	13.48	19.90	8.1
14.	रबड़	हजार टन	187	265	7.2

जोत भूमि की चकबन्दी और छोटे सीमान्त किसानों को जोत भूमि के संलग्न भूखण्ड बनाने से भूमिगत जल का दोहन करने तथा विभिन्न सेवाओं को किफायती व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। किसानों के हितों की रक्षा करने, विशेषकर उन्हें ऋण और साज-सामान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भू-अभिलेखों को अद्यतन रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। अतः इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सातवीं योजना के दौरान अधिक से अधिक प्रयास किए जायेंगे।

सारणी 3.9

क्षेत्रफल और उत्पादन के अनुमान 1984-85 और 1989-90

क्षेत्रफल मिलियन हैक्टेयर में.
उपज कि.ग्रा. हैक्टेयर में.

क्रम सं.	फसल	उत्पादन इकाई	1984-85			1989-90		
			क्षेत्रफल	उत्पादन	उपज	क्षेत्रफल	उत्पादन	उपज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	चावल	मिलियन टन	41.2	60	1,456	44.0	73.0 से 75.0	1,659 से 1705
2.	गेहूं	-वही-	24.6	45	1,829	28.0	56.0 से 57.0	2,000 से 2036
3.	मोटे अनाज	-वही-	41.0	32	780	40.1	34.0 से 35.0	848 से 873
4.	दालें	-वही-	23.5	13	553	25.7	15.0 से 16.0	584 से 623
5.	खाद्यान्न	-वही-	130.3	150.0	1,151	137.8	178.0 से 183	1,292 से 1328
6.	तिलहन	-वही-	18.8	13.0	691	20.3	18.0 से	887
7.	गन्ना	-वही-	3.2	180.0	56250	3.3	217	65,758
8.	कपास	प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें	8.0	7.5	160	8.5	9.5	190
9.	पटसन और मैस्ता	प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की मिलियन गांठें	1.1	7.5	1,226	1.2	9.5	1,425
10.	अन्य फसलें		18.6			18.9		
11.	अखिल भारत		180.0			190.0		

3.38 जोत भूमि में विस्तार करके कृषि उपज बढ़ाने की अब केवल सीमित क्षमता रह गयी है। योजना अवधि के दौरान बोई जाने वाली भूमि में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, जो 143 मिलियन हैक्टेयर के आस-पास रहेगी। फिर भी योजना के दौरान सिंचाई की क्षमता 13 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ जाएगी। इससे अधिक उपज वाली किस्मों के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, बहु-फसल लगाने में मदद मिलेगी तथा फसल की गहनता 1984-85 में 1.26 से बढ़ कर 1989-90 में 1.33 तक हो जाएगी। इस प्रकार सकल जोत भूमि 1984-85 में 180 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 190 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ जाने की संभावना है। इसका अर्थ है—लगभग 1 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि। जोत भूमि के विस्तार की सीमित क्षमता का अभिप्राय है कि योजना में विनिर्दिष्ट उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें मुख्यतः उपज बढ़ाने पर निर्भर रहना है। उपज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे—उत्तम बीज और खेती के उत्तम तरीकों का प्रसार, सिंचाई का विस्तार तथा उर्वरकों की खपत 1984-85 में 8.4 मिलियन टन से बढ़ा कर 1989-90 तक 13.5–14.0 मिलियन तक करना।

3.39 विकास का उपर्युक्त स्तर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशा में विशेष प्रयास किए जायेंगे। मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में चावल उपज बढ़ाना, "वाटर शेडों" के विकास तथा उन्नत तरीके अपनाने पर जोर देकर शुष्क कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना तथा पैदावार की अस्थिरता को कम करना, तिलहनों और दलहनों की उपज बढ़ाने के लिए अनुसंधान और प्रबन्धकार्यक्रमों को तेज करना तथा छोटे और सीमान्त किसानों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना। सातवीं योजना में वनरोपण कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस संदर्भ में नवगठित परती भूमि विकास बोर्ड की भूमिका का विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जिससे वन रोपण और पेड़ लगाने के एक व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से परती भूमि का विकास करने के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कृषि कार्यनीति के अन्य सम्बद्ध पहलु हैं—अधिक उपज वाली किस्मों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ाना (उर्वरक के उपयोग की कार्य-कुशलता सुधारने पर जोर देते हुए, समय पर महत्वपूर्ण साज सामान उपलब्ध करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना तथा किसानों को शीघ्रता और कारगर ढंग से टैकनोलोजी का हस्तान्तरण करने के लिए प्रशिक्षण और प्रणाली की रूप रेखा के आधार पर विस्तार कार्य को सुदृढ़ करना।

3.40 कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार करना। जो चालू सिंचाई योजनायें निर्माण के अग्रिम चरण में पहुंच गयी है, उन्हें जल्दी पूरा करने पर जोर दिया जाएगा तथा जल प्रबन्ध में सुधार करके उत्पन्न की गयी क्षमता का तेजी से उपयोग किया जाएगा। नई शुरूआत केवल सूखा प्रवृत्त, जनजातीय

और पिछड़े क्षेत्रों में मझौली सिंचाई योजनाओं और लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों, जहां भूमिगत जल का अभी तक बहुत कम उपयोग हुआ है, भूमिगत जल के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। बेहतर जल प्रबन्ध और सतही तथा भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग करके इन क्षेत्रों में चावल की उपज बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

3.41 प्रमुख फसलों के निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

चावल : विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में चावल की उपज बढ़ाना सातवीं योजना में कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। योजना के अन्त तक चावल की फसल वाले लगभग आधे क्षेत्र को सींचा जाएगा तथा इस सिंचित क्षेत्र से लगभग दो-तिहाई चावल की उपज प्राप्त होगी। पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से समस्त उपज दर 36 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है तथा कुल पैदावार 1984-85 में 60.0 मिलियन टन से बढ़ कर योजना अवधि के अन्त में 73-75 मिलियन टन तक होने की संभावना है।

गेहूं : आशा है, गेहूं की फसल वाली 80 प्रतिशत से अधिक भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ जाएगी। 10 प्रतिशत तक उपज बढ़ने की संभावना है, क्योंकि किस्मों में सुधार, सिंचाई और उर्वरकों के इस्तेमाल से पहले ही प्रमुख लाभ प्राप्त कर लिए गए हैं। गेहूं की कुल उपज 1984-85 में 45 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 में 56–57 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है।

मोटे अनाज : पीछे के रुप को देखते हुए मोटे अनाज की खेती में गिरावट आने की संभावना है। फिर भी, शुष्क भूमि में खेती पर जोर देने से लगभग 10 प्रतिशत उपज बढ़ने की संभावना है। इससे मोटे अनाज की कुल पैदावार 1984–85 में 32 मिलियन टन से बढ़कर 1989–90 में 34–35 मिलियन टन तक हो जाएगी।

दालें : गरीब परिवारों के लिए दालें प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अतः सातवीं योजना में दालों के फसल क्षेत्र में विस्तार करके इनकी पैदावार बढ़ाने का प्रस्ताव है। दालों की उपज में 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। अतः 1984-85 में दालों की कुल उपज 13.0 मिलियन टन से बढ़कर 1989–90 में 15–16 मिलियन टन तक हो जाएगी।

तिलहन : छठी योजना के दौरान भोज्य तेलों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए सातवीं योजना में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। प्रमुख तिलहनों के फसल क्षेत्र में 1.5 मिलियन हैक्टेयर तक वृद्धि होने की संभावना है तथा 28 प्रतिशत तक पैदावार बढ़ने की आशा है। प्रमुख तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य 1984–85 में 13 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 में 18 मिलियन टन तक हो जाएगा।

गन्ना : गन्ने की पैदावार में 17 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। 1984-85 में गन्ने का उत्पादन 180 मिलियन टन से बढ़कर 1989–90 में 217 मिलियन टन तक हो जाएगा। गन्ने के उत्पादन में यह वृद्धि चीनी, गुड़ और खण्डसारी की अनुमानित मांग और उत्पादन के अनुरूप है।

कपास : कपड़े की अनुमानित मांग और वैकल्पिक रेशों की उपलब्धता से उत्पन्न कपास की अनुमानित मांग प्रत्येक 170 कि.ग्रा. वाली 95 लाख गांठें होने की संभावना है। इसमें 3.1 लाख गांठों के निर्यात करने की मांग शामिल है। फसल क्षेत्र में वृद्धि करके और पैदावार में 19 प्रतिशत की वृद्धि करके कपास का उत्पादन 1984-85 में 75 लाख गांठों से बढ़ा कर उपयुक्त स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

खनन और विनिर्माण

3.42 सातवीं योजना के दौरान खनिज और विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में प्रति वर्ष 8.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य सारणी 3.10 में दिए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में संभावित मत और उत्पादन के लक्ष्य में नियोजित आयात निर्यात अथवा भण्डार में परिवर्तन के कारण अन्तर है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के संबंध में सामग्री का संतुलन सारणी 3.11 में प्रस्तुत है।

3.43 सातवीं योजना की औद्योगिक नीति में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया है : (क) बुनियादी ढांचे, विशेषकर विद्युत सुविधा में सुधार करना; (ख) आधुनिकीकरण और परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर अधिक ध्यान देना, (ग) प्रौद्योगिकी को अद्यतन रूप देना, (घ) उत्पादकता में सुधार करना; (ङ) लागत में कटौती और प्रतिस्पर्धता में सुधार करना; (च) नए उत्पादों का सूत्रपात करना; और (छ) जिन प्रमुख उद्योगों से देश को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है, उनके त्वरित विकास के लिए विशेष प्रयास करना।

3.44 उत्पादकता पर जोर देने, क्षमता का अधिक उपयोग करने, मध्यवर्ती वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध करने तथा हाल ही में उद्योग, व्यापार और मुद्रा-नीतियों में परिवर्तन करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि करने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की आशा है। जिन वित्तीय अनुमानों पर योजना आधारित है, उनमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित ऋण भी शामिल है।

सारणी 3.10

उत्पादन के अनुमान-खनिज, विनिर्मित वस्तुएं तथा बुनियादी सेवायें

क्रम सं.	मद	इकाई	1984-85	1989-90	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
1	2	3	4	5	6
1.	कोयला	मिलियन टन	147.44	226	8.9
2.	लिग्नाइट	वही	7.8	15.2	14.6

1	2	3	4	5	6
3.	कच्चा तेल	मिलियन नट	28.99	34.53	3.6
4.	कच्चा लोहा	-वही-	42.2	58.1	6.6
5.	चीनी	-वही-	6.2	10.2	10.5
6.	वनस्पति	हजार टन	920.0	1,210.0	5.6
7.	कागज और कागज गत्ता	-वही-	1,361.2	1,800.0	5.7
8.	अखबारी कागज	-वही-	197.1	340.0	11.5
9.	कपडा (मिल और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र)	बिलियन मीटर	11.95	14.50	3.9
10.	पटसन की वस्तुएं	हजार टन	1,368.0	1,625.0	3.5
11.	पैट्रोलियम पदार्थ	मिलियन टन	33.23	45.06 45.47	6.3 6.5
12.	लो डेंसिटी पोलिथीलीन	हजार टन	107.2	186.0	11.7
13.	हाई डेंसिटी पोलिन	वही	38.9	125.0	26.3
14.	पोलिथीलीन	-वही-	27.3	79.0	23.7
15.	पी.वी.सी.	-वही-	84.0	233.0	22.6
16.	सिन्थेटिक रबड़	-वही-	38.1	72.0	13.6
17.	पोलियस्टर स्टेपल फाइबर और फिलामेंट यार्न	-वही-	95.2	191.0	14.9
18.	नाइलोन फिलामेंट यार्न	-वही-	33.0	56.7	11.45
19.	विस्कोस स्टपल फाइबर और फिलामेंट यार्न	-वही-	133.5	224.0	10.9
20.	डी०एम०टी०	-वही-	26.6	194.0	48.8
21.	काप्रोलैक्टम	-वही-	16.3	133.0	52.2
22.	नाइट्रोजनीय उर्वरक	मिलियन टन	3.92	6.56	10.9
23.	फास्फेटिक उर्वरक	-वही-	1.26	2.19	11.6
24.	कास्टिक सोडा	हजार टन	687.9	950.0	6.7
25.	सोडा राख	हजार टन	80.0	1,140.0	7.3
26.	सीमेंट	मिलियन टन	30.1	49.0	10.2
27.	इस्पात (बडे और छोटे इस्पात संयंत्र)	-वही-	8.77	12.64	7.6
28.	बिक्री के लिए कच्चा लोहा	-वही-	1.22	1.76	7.6
29.	एलुमीनियम	हजार टन	276.5	499.0	12.5
30.	ताँबा (परिष्कृत)	-वही-	33.5	42.7	5.0
31.	जिंक	-वही-	57.6	89.0	9.1
32.	सीसा	मिलियन टन	14.2	27.0	13.7
33.	मशीनी औजार	करोड रु.	303	500	10.5
34.	ट्रैक्टर	हजार संख्या	85	135	9.7
35.	ट्रांसफार्मर	मिलियन कि.वा.	24.45	32.0	5.5
36.	बिजली की मोटर	मिलियन हार्स पावर	4.93	6.5	5.7
37.	हाइड्रो टर्बाइन	मे.वा.	200	1,400	47.6
38.	थर्मल टर्बाइन	-वही-	2,900	3,700	5.0
39.	व्यावसायिक वाहन	हजार सं.	96.8	160	10.6
40.	विद्युत उत्पादन	-वही- कि.वा.	167	295.4	12.1
41.	रेलवे (आरंभिक यातायात)	मिलियन टन	263	340	5.3
42.	बन्दरगाह (निपटाया गया यातायात)	-वही-	106.73	147.03	5.6
43.	इलैक्ट्रोनिक्स	करोड़ रु.	2,090	10,860	39.04

3.45 उत्पादन, आयात और निर्यात के अनुमान तैयार करते समय खनन और विनिर्माण के विभिन्न उप-क्षेत्रों के बीच परस्पर सम्पर्कों को ध्यान में रखा गया है । चूंकि अधिकांश खनिज और औद्योगिक उत्पाद व्यापार जन्य हैं, इसलिए आकस्मिक आयात के माध्यम से कच्ची सामग्री की रुकावटों को ठीक किया जा सकता है । फिर भी विद्युत जैसे कुछ निवेश ऐसे हैं, जिनका कोई विकल्प नहीं है । जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है--छठी योजना में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी बाधा विद्युत-शक्ति की कमी थी। अतः सातवीं योजना में औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 12.6 प्रतिशत की दर से अधिक बिजली उपलब्ध करने का प्रस्ताव है । विद्युत पूर्ति की यह वृद्धि-दर छठी योजना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि-दर से बहुत अधिक है ।

3.46 खनिज और औद्योगिक उत्पादन की कुछ खास-खास बातों पर नीचे विचार किया गया है ।

(क) कच्चा तेल : बम्बई हाई में उत्पादन बढ़ने के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हुई है । अब इस प्रकार का कोई भी तेल क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसका दोहन किया जाना हो । अतः सातवीं योजना के दौरान तेल के उत्पादन में साधारण वृद्धि होने की संभावना है । कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 1984-85 में 29 मिलियन टन से बढ़ कर 1989-90 में 34.5 मिलियन टन होने की संभावना है । कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि तटवर्ती काम्बे बेसिन और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होने की संभावना है कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों को मिला कर

कुल खपत की तुलना में निवल आयात का अनुपात 1984-85 में 31.0 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 38 प्रतिशत हो जाएगा । अनुपात का यह स्तर छठी योजना के आरम्भिक स्तर से भी काफी कम है । दक्षिण घाटी क्षेत्र के विकास के साथ ही प्राकृतिक गैस ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगी, इसका उत्पादन 1984-85 में 7.2 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़ कर 1989-90 में 14.9 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाने की संभावना है ।

सारणी 3.11

प्रमुख वस्तुओं के लिए सामग्री संतुलन

क्रम सं.	वस्तु	वर्ष	इकाई	घरेलू मांग	उत्पादन	निर्यात	आयात	**भण्डार में परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कच्चा लोहा	1984-85	मिलियन टन	18.00	42.0	24.50	--	--
		1989-90	-वही-	29.20	58.10	28.90	--	--
2.	कच्चा तेल	1984-85	-वही-	35.56	28.99	6.48	13.64	0.59
		1989-90	-वही-	48.04-48.89	34.53	--	13.51 14.36	
3.	चीनी	1984-85	-वही-	7.20	6.20	0.01	1.00	0.01
		1989-90	-वही-	9.80	10.20	0.40	--	--
4.	वस्त्र	1989-90	बिलियन मीटर	13.20	14.50	1.30	--	--
5.	सूती धागा	1989-90	मिलियन कि.ग्रा.	1,165.7	1,193.1	27.4	—	
6.	पटसन विनिर्माण	1989-90	मिलियन टन	1.36	1.63	0.27	--	--
7.	अखबारी कागज	1984-85	हजार टन	385	197	--	210	22
		1989-90	-वही-	494	340	--	154	--
8.	नाइट्रोजनित उर्वरक	1984-85	मिलियन टन	5.64	3.92	--	2.02	0.30
		1989-90	-वही-	9.1 9.3	6.56	--	2.54- 2.74	--
9.	फास्फेटिक उर्वरक	1984-85	-वही-	1.87	1.26	--	0.75	0.14
		1989-90	-वही-	3.00-3.20	2.19		0.81 1.01	—
10.	पोटासिक उर्वरक	1984-85	मिलियन टन	0.86	--	--	0.86	
		1989-90	-वही-	1.40-1.50	-- --	-- --	1.40 1.50	--
11.	इस्पात फ्लैट प्रोडक्टस	1984-85	-वही-	4.20	2.86	उ. नहीं	उ. नहीं	--
		1989-90	-वही-	5.47	5.37	0.29	0.39	—
12.	इस्पात-नान फ्लैट प्रोडक्ट्स	1984-85	मिलियन टन	6.61	5.83	लागू नहीं	लागू नहीं	--
		1989-90	-वही-	8.38	7.27	0.09	1.20	--
13.	इस्पात-कुल	1984-85	-वही-	10.81	8.69	0.15	1.99	0.28
		1989-90	-वही-	13.86	12.65	0.38	1.59	--
14.	एलुमीनियम	1984-85	हजार टन	310	276.5	--	56.0	22.5
		1989-90	-वही-	450	499	--	—	49.0
15.	तांबा (परिष्कृत)	1984-85	-वही-	109.6	33.5	--	76.1*	--
		1989-90	-वही-	141.4	42.7	—	98.7*	--
16.	जिंक	1984-85	-वही-	130.6	57.6	--	73.0	—
		1989-90	-वही-	162.8	89.0	--	73.8	—
17.	सीसा	1984-85	-वही-	61.2	14.2	—	47.0	—
		1989-90	-वही-	80.0	27.0		58.0	अनुमानित लाए

-*टोल स्मैलटिंग शामिल हैं ।

--इस में शामिल हैं ।

**अनुमानित ।

पेट्रोलियम क्षेत्र के परिव्ययों की निरंतर समीक्षा की जाएगी और यदि बडे तेल भण्डारों का पता चला तो इनमें संशोधन करने क आवश्कता पड़ेगी ।

(ख) **कोयला** : कोयले पर आधारित ताप बिजली उत्पादन, लोहा और इस्पात रेल परिवहन व अन्य उद्यमों तथा घरेलू क्षेत्र में कोयले की मांग के योजनागत लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कोयले का उत्पादन 1984-85 में 147.44 मिलियन टन से 1989-90 में 226 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा । उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि सिंगरौली जैसी खुली खानों से प्राप्त की जाएगी । इनमें से अधिकांश खानें मौजूदा अथवा प्रस्तावित पावर स्टेशनों से जुड़ी है । 1989-90 तक कोयले की मांग बढ़ कर 236.7 मिलियन टन तक पहुंच जाने की संभावना है । मांग और उत्पादन के बीच का अन्तर कोयले के भण्डार और कोकिंग कोयले के आयात से पूरा किया जाएगा । कोकिंग या कोयले के संरक्षण और इस्पात कारखानों में खपाए जाने वाले देशी कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए भी कोकिंग कोयले का आयात जरुरी है । सारणी 3.15 में कोयले के लिए सामग्री संतुलन बताया गया है ।

(ग) **चीनी** : गन्ने के 217 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के आधार पर चीनी का उत्पादन 1984-85 में 6.2 मिलियन टन से 1989-90 में 10.2 मिलियन टन तक बढ़ने की आशा है । मौजूदा क्षमताओं के बेहतर उपयोग से तथा विद्यमान यूनिटों में अधिकतम विस्तार करके गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाएगा । चीनी के उत्पादन का जितना अनुमान लगाया गया है, उससे चीनी का आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा 1989-90 में 0.4 मिलियन टन चीनी का निर्यात भी किया जा सकेगा । उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मूल्य नीति निर्धारित करनी होगी, ताकि चीनी मिलों, गुड़ और खाण्डसारी निर्माताओं में गन्ने का इष्टतम वितरण किया जा सके ।

(घ) **वस्त्र** : सूती, विस्कोस और सिन्थैटिक धागों से बने कपड़े का कुल उत्पादन 1984-85 में 11.95 बिलियन मीटर से बढ़कर 1989-90 में 14.50 बिलियन मीटर होने की आशा है । प्रस्तावित लक्ष्य से सारी घरेलू मांग पूरी हो जाएगी और साथ ही 1989-90 में 1.3 बिलियन मीटर कपड़े का निर्यात भी किया जा सकेगा । क्षेत्रक, कपड़े की किस्म तथा सूती धागों और कृत्रिम रेशों की तत्संबंधी आवश्यकताओं के रूप में नियोजित उत्पादन की संरचना, सारणी 3.12 में प्रस्तुत है ! जहां तक सूती कपड़े का संबंध है, हैण्डलूम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाएगा, जो कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत होगा । योजनागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से धागे और ऋण उपलब्ध करने के लिए कारगर व्यवस्था करनी होगी तथा मार्कीटिंग व डिजाइनों का विकास करने के लिए इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करनी होगी । उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलों का आधुनिकीकरण और उत्पादकता में सुधार किया जाएगा । कृत्रिम रेशों का उपयोग बढ़ जाएगा तथा सातवीं योजना के अन्त तक मिश्रित, विस्कोस और सिन्थैटिक रेशों का उत्पादन बढ़ जाएगा, जो कपड़े के कुल उत्पादन का 40) प्रतिशत के लगभग बैठेगा (रेशमी और ऊनी कपड़ों को छोड़ कर

(ङ) **कृत्रिम रेशे** : वस्त्र उद्योग में रेशे के प्रयोग में परिवर्तन होना इस बात का परिचायक है कि कृत्रिम रेशों का उत्पादन 1984-85 में 261,700 टन से बढ़ कर 1989-90 तक 489,500 टन हो जाएगा । इससे अनुमानित मांग पूरी हो जाएगी और रेशे का आयात भी नहीं करना पड़ेगा । कम खर्चीले संयंत्रों की स्थापना पर जोर देने से लागत घटाने की भी काफी गुंजाइश रहेगी । सातवीं योजना के अन्त तक पोलियस्टर, नायलन और विस्कोस से कपड़ा तैयार करने के लिए लगभग 30 प्रतिशत रेशों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी (रेशम और ऊन को छोड़कर) ।

(च) **पटसन विनिर्माण** : पटसन विनिर्माण का उपयोग बोरी और टाट के रूप में पैकिंग सामग्री के लिए किया जाता है । विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, जिसमें पैकिंग सामग्री के रूप में बोरियों और टाट का उपयोग किया जाता है, तथा सिन्थैटिक पैकिंग सामग्री द्वारा संभावित प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए 1989-90 में पटसन विनिर्माण की घरेलू मांग, 1,355,000 टन आंकी गयी है । 1989-90 में पटसन विनिर्माण के निर्यात की मांग 270,000 टन आंकी गई है । पटसन और मेस्ता उत्पादन की क्षमता 1984-85 में 75 लाख गांठों से बढ़ कर 1989-90 में 95 लाख गांठ हो जाने के साथ-साथ 1984-85 में पटसन विनिर्माण का उत्पादन 1,300,000 टन से बढ़ कर 1989-90 में में 625,000 टन हो जाएगा । उत्पादन का यह स्तर घरेलू और निर्यात की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।

(छ) **उर्वरक** : सातवीं योजना में उर्वरकों की कुल मांग 8.4 मिलयन टन से बढ़कर 13.5—14.0 मिलयन टन होने की संभावना है, जिसका अभिप्राय है—लगभग 10 से 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर । संभावित अनुसूचियों के आधार पर उत्पादन में प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है और 1989-90 तक यह 8.75 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा । आयात की कुल मात्रा में वृद्धि होगी लेकिन खपत में से आयात की मात्रा 1984-85 में 41.2 प्रतिशत से घट कर 1989-90 में 35.2-37.5 प्रतिशत तक रह जाएगी । पश्चिमी तट से लेकर उत्तरप्रदेश तक गैस पाइप लाइन के साथ-साथ स्थापित किए जा रहे गैस-आधारित उर्वरक यूनिटों से सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा । मौजूदा नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग की क्षमता का उपयोग 1984-85 में 74.5 प्रतिशत से बढ़ कर 1989-90 में 79.5 प्रतिशत हो जाएगा ।

(ज) **पेट्रोरसायन** : सातवीं योजना के दौरान पेटोरसायन उद्योग में अधिक विस्तार किया जाएगा । कृत्रिम रेशों के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्लास्टिक की प्रमुख कच्ची सामग्रियों (एल डी पी ई, एच डी पी ई, पी पी और पी वी सी) का उत्पादन 1984-85 में 257,400 टन से बढ़ कर 1989-90 में 623,000 टन हो जाने की संभावना है । इसका अभिप्राय है—लगभग 19 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर । उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि इंडियन पेट्रोकैमिकल्स, बड़ौदा और महाराष्ट्र स्थित

गैस आधारित नई कम्पनियों में होगी ।

सारणी 3.12

1989-90 में कपड़े का उत्पादन तथा सूती धागे और कृत्रिम रेशों की मांग

क्रम सं.	मद	कपड़े का उत्पादन (मिलियन मीटर)	सूती धागे की मांग (मिलियन कि.ग्रा.)	कृत्रिम रेशों की मांग (मिलियन कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5
1.	विशुद्ध सूती वस्त्र	8,750	951.2	—
	(1) मिल	3,050	381.2	—
	(2) पावरलूम	2,200	220.0	—
	(3) हैण्डलूम	3,500	350.0	—
2.	सूती और कृत्रिम रेशों का मिश्रण	2,414	138.0	141.2
3.	कपड़ा (कृत्रिम रेशे)	3,336	—	316.9
4.	अन्य प्रयोजनों के लिए धागे/रेशे की आवश्यकता	—	103.7*	31.4
5.	जोड़	14,500	1,193.1	489.5

* निर्यात शामिल है ।

(झ) **सीमेंट** : सातवीं योजना के दौरान सीमेन्ट की मांग में प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है, जो 1989-90 तक 49 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी । इस क्षमता तक उत्पादन करने के लिए पहले ही लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं । आशा है कि घरेलू उत्पादन से सारी मांग पूरी हो जाएगी । योजना में यह परिकल्पना की गयी है कि सीमेन्ट उद्योग की क्षमता का उपयोग 1984-85 में 70.8 प्रतिशत से बढ़ा कर 1989-90 में 81.7 प्रतिशत तक कर दिया जाए । इसके लिए यह मान लिया गया है कि बिजली और कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा ।

(ट) **इस्पात** : तैयार इस्पात की मांग लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ने की संभावना है, जो 1989-90 तक 13.86 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी । क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके 1989-90 तक इस्पात का उत्पादन 12.65 मिलियन टन हो जाएगा । इस प्रकार मांग और उत्पादन के बीच 1.21 मिलियन टन का अन्तर रह जाएगा । फिर भी, मांग के स्वरूप और वस्तुवार क्षमताओं के बीच असमानताएं हैं । विशाखापत्तनम संयंत्र के विलम्ब से चालू होने के कारण, "नान फ्लैट" उत्पादों (रेल सामग्री से भिन्न) की मांग उत्पादन से अधिक होगी । अतः 1.2 मिलियन टन का आयात करना पड़ेगा । फ्लैट प्रोडक्टों में प्लेटों, गाल्वनाइज्ड प्लेन । गाल्वनाइज्ड कारुगेटेड शीटों और टिन प्लेटों का उत्पादन मांग से अधिक होने की संभावना है तथा हाट रोल्ड शीटों क्वाइलों, स्केल्प और इलेक्ट्रिकल स्टील शीटों का उत्पादन मांग से कम होगी, जिसकी पूर्ति करने के लिए 0.39 मिलियन टन का आयात करना पड़ेगा ।

(ठ) **अलौह धातुएं** : अलौह क्षेत्रक में मुख्य विकास यह होगा कि उड़ीसा स्केलटर के चालू हो जाने पर सातवीं योजना में एलुमिनियम का उत्पादन काफी बढ़ जाएगा 1989-90 तक एलुमिनियम का उत्पादन 499,000 तक पहुंच जाएगा, जबकि मांग का स्तर 450,000 टन तक रहने की संभावना है । तांबे की मांग के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी और लगभग 69 प्रतिशत आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा । जिंक और सीसे के मामले में घरेलू उत्पादन बढ़ने की आशा है । जिंक का आयात 56 प्रतिशत से घट कर 45 प्रतिशत और सीसा का आयात 77 प्रतिशत से घट कर 66 प्रतिशत रह जाएगा ।

(ड) **इंजीनियरी उद्योग** : सातवीं योजना के दौरान गैर विद्युत इंजीनियरी उद्योग का सकल उत्पादन प्रतिवर्ष 11.8 प्रतिशत की दर से, विद्युत इंजीनियरी उद्योग का उत्पादन प्रतिवर्ष 12.5 प्रतिशत की दर से तथा परिवहन उपकरण उद्योग का उत्पादन प्रति वर्ष 10.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है । सातवीं योजना के दौरान मशीनी औजार उद्योग के उत्पादन में बहुत प्रगति होने की आशा है । आटोमोटिव सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा सातवीं योजना के दौरान प्रोडक्ट क्वालिटी और टेक्नोलोजी में काफी परिवर्तन हो जाएगा । "आयल-फील्ड इक्विपमेन्ट" और "प्रोसेस प्लांट इक्विपमेन्ट", जिनका इस समय अधिक आयात किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इंजीनियरी उद्योग की मौजूदा सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए उत्पाद विकास तथा नई टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर भी योजना में बल दिया गया है ।

(ढ) इलेक्ट्रोनिकी : सातवीं योजना में उत्पादन प्रक्रिया और कार्यालय में इलेक्ट्रोनिकी का इस्तेमाल तथा उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में विस्तार करने की परिकल्पना की गयी है । इलेक्ट्रोनिक सामान का उत्पादन 1984-85 में 2,090 करोड़ रु. से बढ़ कर 1989-90 में 10,860 करोड़ रु. तक हो जाने की संभावना है । इसका अभिप्राय: है—प्रतिवर्ष 39 प्रतिशत की वृद्धि दर । योजना में कम्प्यूटरों, दूर-संचार उपकरणों प्रोसेस कंट्रोल प्रणालियों तथा टेलीविजन सेट जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का तेजी से उत्पादन बढाने की परिकल्पना की गयी है।

बुनियादी सेवाएं :

3.47 सातवीं योजना के लिए निर्धारित उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति विद्युत आपूर्ति और परिवहन जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी-सेवाओं के संचालन पर निर्भर है । इन सेवाओं की

कमी से उत्पन्न होने वाली रुकावटों के कारणों हाल ही के वर्षों में क्षमता का कम उपयोग हुआ और उत्पादन में हानि हुई है। अतः सातवीं योजना में यह सुनिश्चित करने पर अधिक जोर दिया गया है कि महत्वपूर्ण सेवाओं में पूंजी-निवेश और उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों में लगने वाली अधिक पूंजी को ध्यान में रखते हुए संरक्षण उपायों के माध्यम से इन सेवाओं की माग में किफायत बरतने पर भी जोर दिया जाना है। बिजली के उपयोग में किफायत बरतने के लिए नई विद्युत-प्रधान परियोजनाओं को पास करते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। इसी प्रकार औद्योगिक कार्य-कलापों को फैलाने के मामले में एक सुविधा सुविचारित-नीति से परिवहन सेवाओं के उपयोग में किफायत बरती जा सकती है।

3.48 कुछ महत्वपूर्ण मदों (वस्तुओं) के संबंध में उत्पादन के अनुमानों के बारे में नीचे बताया गया है :—

बिजली : 1984-85 और 1989-90 में बिजली की मांग और पूर्ति का संतुलन सारणी 3.13 में प्रस्तुत है। सातवीं योजना में बिजली की प्रति वर्ष मांग 12.2 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जो 1989-90 तक 223.3 बिलियन कि.वा. तक पहुंच जाएगी। योजना में 1989-90 तक 22,245 मे. वा. की क्षमता चालू करने का विचार है। "यूटिलिटीज" और "कैप्टिव" संयंत्रों से की जाने वाली सप्लाई, मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी। ताप विद्युत क्षमता के उपयोग में वृद्धि की जाएगी। 1984-85 में ताप विद्युत की क्षमता 50.1 प्रतिशत थी।

रेलवे : 1989-90 में रेल परिवहन की मांग सारणी 3.14 में दी गई है। प्रारम्भिक माल ढुलाई के रूप में रेलों का लदान 1984-85 में 263 मिलियन टन से 1989-90 में 340 मिलियन टन तक बढ़ जाने की संभावना है। औसत परिवहन मार्ग 680 कि.मी. के आसपास होने की संभावना है। यात्री यातायात प्रति वर्ष 2 प्रतिशत बढ़ाने की परिकल्पना योजना में की गयी है। इसके अन्तर्गत लम्बी दूरी के यात्री यातायात तथा अधिक जन संख्या वाले उपनगरीय यातायात को प्राथमिकता दी जाएगी। रेलों के लिए रखी गयी धनराशि की बराबर समीक्षा की जाती रहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन की रुकावटों से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न न हो।

सारणी 3.13

बिजली की मांग और पूर्ति का संतुलन

(हजार मिलियन कि.वा.)

क्रम सं.	मद	1984-85	1989-90	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
1	2	3	4	5
क. मांग				
1. औद्योगिक		75.0	139.30	13.2
2. घरेलू		15.27	26.88	12.0
3. कृषि		20.65	32.42	9.4
4. अन्य		14.82	27.63	13.3
5. कुल		125.74	223.23	12.2
ख. पूर्ति]				
1. उपयोगिताओं द्वारा उत्पन्न (2+3+4)		156.70	280.40	12.3
2. अतिरिक्त खपत		10.86	18.23	—
3. टी और डी हानियां		29.17	52.44	—
4. उपयोगिताओं से पूर्ति		116.67	209.73	12.5
5. गैर-उपयोगिताओं द्वारा उत्पादन (6+7)		10.37	15.00	7.7
6. अतिरिक्त खपत		1.30	1.50	—
7. गैर-उपयोगिताओं से पूर्ति		9.07	13.50	8.3
8. कुल उत्पादन (1+5)		167.07	295.40	12.1
9. कुल पूर्ति (4+7)		125.74	233.23	12.2

सारणी 3.14

रेल यातायात की मांग 1989-90

(प्रारंभिक यातायात के मिलियन टन)

क्रम सं.	वस्तु	1989-90 (लक्ष्य)
1.	समेकित इस्पात संयंत्र	
	(1) इस्पात संयंत्रों से तैयार वस्तुएं (बिक्री के लिए कच्चा लोहा और नरम इस्पात)	11.00
	(2) इस्पात संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री (कोयले से भिन्न)	28.00
	जोड़ :	39.00
2.	कोयला	152.00
3.	निर्यात के लिए लौह अयस्क	12.00
4.	सीमेंट	23.00
5.	खाद्यान्न	24.00
6.	उर्वरक	15.00
7.	पी ओ एल से बनी वस्तुएं	22.00
8.	अन्य वस्तुएं	38.00
9.	कुल सामग्री	15.00
	कुल जोड़	340.00

अन्य परिवहन : सातवीं योजना के अन्त तक प्रमुख बन्दरगाहों द्वारा निपटाया जाने वाला यातायात 1984-85 में 106 .73 मिलियन टन के मुकाबले 147 मिलियन टन आंका गया है। तटवर्ती नौवहन द्वारा 7 मिलियन टन तटवर्ती नौभार होने की संभावना है। एयर इंडिया के यात्री यातायात में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गयी है तथा इंडियन एयरलाइन्स के यात्री यातायात में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

संचार : सातवीं योजना में 9.5 लाख अतिरिक्त सीधी एक्सचेन्ज लाइनें बिछाने की परिकल्पना की गयी है। लम्बी दूरी के स्विचिंग और ट्रांसमिशन तथा विदेश संचार सेवा में भी प्रर्याप्त विस्तार करने की परिकल्पना की गयी है। इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज लगाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा।

सामाजिक सेवाएं

3.49 सातवीं योजना में मानव संसाधन के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, जलपूर्ति और स्वच्छता के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे में विस्तार किया जाएगा। शिक्षा की क्वालिटी और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1—8) में 25 मिलियन तक नामांकन बढ़ने की सभावना है। 1989-90 तक 6—14 वर्ष के आयु वर्ग में 92 प्रतिशत जनसंख्या को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसाधारण बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनौपचारिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मौजूदा स्कूलों का बेहतर उपयोग करके तथा व्यवसायीकरण पर विशेष जोर देकर सैकण्डरी स्कूलों में 5 मिलियन तक नामांकन बढ़ने की संभावना है। शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। इस अभियान के एक अंग के रूप में प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, ताकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को अच्छी किस्म की शिक्षा दी जा सके। वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को तेज किया जाएगा, ताकि 1990 तक 15—35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाया जा सके। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी सुधारने और उसे समेकित करने पर जोर दिया जाएगा।

सारणी 3.14(क) (जारी)

इस्पात, उर्वरक, कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात उपलब्धता अनुपात

(हजार टन)

मद	1979-80	1983-84	1984-85 (अनुमानित)	1989-90 (अनुमानित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. तैयार इस्पात				
1. उत्पादन	6,900	6,140	8,690	12,650
2. आयात	1,898	लागू नहीं	1,990	1,593
3. उपलब्धिता (सकल)	8,798		10,680	14,243
4. (3) के प्रतिशत के रूप में (2)	21,57		18,63	11.18
ख. उर्वरक				
(क) नाइट्रोजनीय				
1. उत्पादन	2,226	3,485	3,917	6,560
2. आयात	1,295	656	2,020	2,54—2,740
3. उपलब्धता (सकल)	3,521	4,141	5,937	9,100—9,300
4. (3) के प्रतिशत के रूप में (2)	36.78	15.84	34.02	27.91–29.46
(ख) फास्फेटिक)				
1. उत्पादन	757	1,048	1,264	2,190
2. आयात	237	143	745	810—1010
3. उपलब्धता (सकल)	994	1,191	2009	3,000–3200
4. (3) के प्रतिशत के रूप में (2)	23.84	12.01	37.08	27.00–31.56
(ग) कुल उर्वरक				
1. उत्पादन	2,983	4,533	5,181	8,750
2. आयात (के 2 ओ सहित)	2,005	1,355	3636	4,750–5250
3. उपलब्धता (सकल)	4,988	5,888	8817	13,300–1400
4. (3) के प्रतिशत के रूप में (2)	40.20	23.01	41.24	35.10–47.50
ग कच्चा तेल				
1. उत्पादन	11,766	26,020	28,990	34,530
2. आयात	16,131	1,04,451	7,164	13,510–14,360
3. उपलब्धता (निवल)	27,887	36,465	36,154	48,040–48,890
4. (3) के प्रतिशत के रूप में (2)	57.81	28.64	19.82	28.12–29.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
घ पैट्रोलियम पदार्थ				
1. उत्पादन	25,794	32,926	33,226	45,060–45,470
2. आयात	4,724	4,328	6,013	6,940–7,203
3. उपलब्धता (सकल)	30,518	37,254	39,239	52,000–52,672
4. (3) के प्र श: के रूप में (2)	15.48	11.62	15.32	13.35–13.67

1. निवल कच्चे तेल का निर्यात। 1984-85 के कच्चे तेल और पैट्रोलियम पदार्थों के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. इसमें से 1.5 मिलियन टन का निर्यात शामिल है।

सारणी 3.15

सामग्री संतुलन : कोयला : 1989-90

(मिलियन टन)

क्रम सं०	मद	1984-85 (अनुमानित)	1989-90 (मांग)
1.	इस्पात संयंत्र और कोयला भट्टियां	23.70 + 0.70*	41.10
2.	बिजली	62.21 / 2.15	120.00 / (9.00)
3.	रेलवे	9.50	8.00
4.	सीमेंट	7.09	12.60
5.	उर्वरक	3.86	6.50
6.	साफ्ट कोक/एलटीसी	2.15	5.00
7.	अन्य उद्योग :		
	(क) कैप्टिव पावर	26.46	10.00
	(ख) ईंट/वस्त्र इत्यादि		29.00
8.	कोयला खान में खपत	4.15	4.00
9.	निर्यात	0.11	0.50
10.	कुल मांग	139.23 + 0.70* (2.15)	236.70 सेय: 237.00 (9.00)
11.	उत्पादन	247.44	226.00
12.	आयात	0.70	—
13.	भण्डार में परिवर्तन	(+) 8.21	11.00

*आयातित कोयला। टिप्पणी—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मध्यम हैं।

स्वास्थ्य : सातवी योजना के अन्त तक वर्तमान जनसंख्या के मानदण्डों के आधार पर अपेक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों, उप-केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के रूप में प्रारंभिक स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे को पूर्णतः कार्यशील बना दिया जाएगा संचारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जाएगा, टीका लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना में सर्वसाधारण को टीका लगाने को परिकल्पना की गयी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक उत्साह से लागू किया जायेगा, ताकि 42 प्रतिशत तक दम्पत्ति सुरक्षा दर प्राप्त की जा सके। इसके लिए स्त्री-शिक्षा तथा मां और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा।

जलपूर्ति और स्वच्छता : अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति और स्वच्छता दशक (1981–91) के उद्देश्यों की पूर्ति करने के प्रयोजन से सातवीं योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या को पर्याप्त पेय जल सुविधायें तथा 80 प्रतिशत शहरी आबादी और 25 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आवास और शहरी विकास : सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के 2.71 मिलियन गरीब परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। अपना मकान स्वयं बानने की योजना तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए ग्रामीण आवास निर्माण योजना को प्रोत्साहित करने से मुख्यतः मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए निजी आवास निर्माण की गति तेज होगी। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार कार्यक्रम से लगभग 90 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

3.50 ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकतायें पूरी करना : सातवीं योजना में 1.18 लाख गांवों तथा सिंचाई के लिए 23.9 लाख पम्पसेटों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। खाना पकाने के लिए ऊर्जा की बढ़ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ईंधन की लकड़ी उपलब्ध की जाएगी। जलाऊ लकड़ी के पौधे उगाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में धुंआ रहित नए विकसित चूल्हे लगाने के कार्यक्रम में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। वायो गैस तैयार करने व उसका उपयोग करने के कार्यक्रम में भी अधिक विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए उर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को तेज किया जाएगा।

क्षेत्रीय संतुलन

3.51 सातवीं योजना में विकास के जिस स्वरूप की परिकल्पना की गयी है—उससे विकास के स्तर में अन्तः क्षेत्रीय विषमतायें कम होने की संभावना है। विशेषकर चावल, मोटे अनाज, दलहनों और तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में चावल की पैदावार बढ़ाने तथा शुष्क भूमि और वर्षा आधारित खेती करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि

नीति को नई दिशा देने तथा सूखा प्रवृत्त रेगिस्तानी, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने से पिछड़े क्षेत्रों में कृषि उपज बढ़ाने तथा प्रति व्यक्ति आय की विषमताएं कम करने में मदद मिलेगी।

3.52 सातवीं योजना में मानव संसाधन विकास के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाने की परिकल्पना की गयी है। स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में, वर्तमान मानदण्डों के आधार पर अपेक्षित स्वास्थ्य उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह काम करने लगेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में अन्त: क्षेत्रीय विषमतायें काफी कम हो जाएंगी। सातवीं योजना की महत्वपूर्ण आकांक्षा है—सर्वसाधारण को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना तथा वयस्कों की निरक्षरता दूर करना। इससे शैक्षिक स्तर पर अन्त: क्षेत्रीय विषमतायें कम हो जाएंगी। इसी प्रकार जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतिकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भी अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं कम होंगी। अत: सातवीं योजना के सफल क्रियान्वयन से पिछड़े क्षेत्रों की मानव संसाधन क्षमता में काफी सुधार हो जाएगा तथा बुनियादी सुविधाएं उनकी पहुंच तक आ जाएंगी।

3.53 कृषि उत्पादकता तथा मानव संसाधन क्षमता किसी क्षेत्रीय की आर्थिक दशा के सूचक होते हैं। अत: इन दो बातों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताएं कम करने से अन्त: क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के काम में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा सातवीं योजना में कुछ ऐसे नीतिगत उपाय किए जाएंगे, जिनसे क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या पर सीधे प्रहार किया जा सकेगा।

3.54 योजना पर होने वाला खर्च पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को संसाधनों का हस्तांतरण करते समय प्रत्येक राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय सहायता का बंटवारा करने से संबंधित गाडगिल फार्मूले में विशेष श्रेणी के राज्यों, (असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश) की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए पहली प्राथमिकता दी गयी है। इन राज्यों को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। छठी योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा संशोधित किए गए फार्मूले में भी शेष केन्द्रीय सहायता की 20 प्रतिशत राशि केवल उन राज्यों में बांटने की व्यवस्था की गयी थी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें पांचवी योजना से गाडगिल फार्मूला वाले अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता अधिक मिल रही है। सातवीं योजना में भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के साथ इसी प्रकार की उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा केन्द्र द्वारा इसी प्रायोजित विनिमय स्कीमों के तहत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संसाधनों का आंबटन करते समय आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान रखा जाएगा। छठी योजना में बाजार ऋणों का बंटवारा करने के फार्मूले में संशोधन किया गया था, ताकि उन राज्यों को अधिक राशि बांटी जा सके, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम हो। सातवीं योजना में भी इन राज्यों के साथ यही वर्ताव किया जाएगा। कम विकसित क्षेत्रों को संस्थागत ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होगी। सातवीं योजना के दौरान पिछड़े जिलों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेश सहायता, परिवहन सहायता, रियायती वित्त तथा अन्य प्रोत्साहन देना जारी रखा जाएगा। इन नीतियों में संशोधन किया जाएगा, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक ढांचे को विविधता प्रदान करने के कार्य को अधिक कारगर बनाया जा सके।

कुछ वृहद आर्थिक आशय

3.55 योजना में प्रस्तावित संवृद्धि प्राप्त करने तथा परिवर्तन लाने के प्रमुख वृहद आर्थिक आशयों पर नीचे संक्षेप में विचार किया गया है।

बचत

3.56 सातवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत के औसत मूल्य की बचत की जाएगी। छठी योजना में सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत मूल्य की बचत की गयी थी। इतनी मात्रा में सरकारी बचत करने के लिए सरकारी और सार्वजनिक उद्यमों की बचत में वृद्धि करने के उद्देश्य से रचनात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

3.57 अनुमान है कि घरेलू बचत की तुलना में आर्थिक बचत का अनुपात छठी योजना में 43 प्रतिशत से बढ़ कर सातवीं योजना में 47 प्रतिशत तक हो जाएगा। आर्थिक बचत में वृद्धि करने के लिए अनुकूल वृहद-आर्थिक वातावरण बनाने के अलावा, वित्तीय संस्थाओं की घरेलू बचत बढ़ाने के लिए घरेलू बचत के स्वरूप में प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए कारगर उपाय बरतने होंगे।

उपभोग

3.58 आय के वितरण में वृद्धि होने की संभावना के कारण खाद्यान्न की खपत पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उपभोग के इस स्वरूप की रक्षा की जानी होगी। इसके लिए विशेषकर छोटे और सीमान्त कृषकों की उत्पादन क्षमता में अधिक से अधिक वृद्धि करनी होगी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का विस्तार करके खाद्यान्नों का सापेक्ष मूल्य नियंत्रित करना होगा। छोटे और सीमान्त किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए अनुसंधान विकास और कार्यक्रम, विस्तार सहायता तथा ऋण और विपणन के लिए संस्थागत प्रबन्ध की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

उद्योग

3.59 सातवीं योजना में उद्योग की संवृद्धि दर बढ़ाने की परिकल्पना की गयी है। यह संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए तैयार वस्तुओं के निर्यात और घरेलू मांग में वृद्धि करनी होगी। एक कुशल औद्योगिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय करने होंगे तथा लागत घटाने क्वालिटी में सुधार करने तथा टेक्नोलोजी की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। सरकारी उद्यमों के प्रबंध में संरचनात्मक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि ये उद्यम उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें तथा अपने विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में आन्तरिक संसाधन उत्पन्न कर सकें।

अध्याय 4

योजना की वित्त व्यवस्था

4.1 योजना की वित्त व्यवस्था में विनियोजन के लिए अपेक्षित मात्रा में संसाधन एकत्रित करने होते हैं। इसमें, कतिपय आधारभूत तथ्य जैसे न्यायसंगतता तथा कुशलता का ध्यान रखते हुए, बिना मुद्रास्फीति के कराधान सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों को नया मोड़ देना पड़ता है। भौतिक और वित्तीय आयोजन की परस्पर निर्भरता इस बात से उजागर होती है कि विनियोजन के लिए कितने संसाधन सुलभ किए जा सकते हैं। यह विनियोजन की दर और आय की वृद्धि पर निर्भर होता है। परन्तु विनियोजन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बिना मुद्रा स्फीति के कितने संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार एक व्यावहारिक योजना के लिए विनियोजन तथा वित्तीय लक्ष्य एक साथ निर्धारित करने होते हैं। इस प्रकार इस अभ्यास में भी दोनों प्रकार के लक्ष्यों को पुनरावृत्ति की प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे के अनुरूप निर्धारित किया गया है।

4.2 विनियोजन के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों में आन्तरिक बचत और विदेशों से प्राप्त होने वाली पूंजी आती हैं। आन्तरिक बचत से कितना धन जुटाया जा सकता है यह, अर्थव्यवस्था गत वर्षों में किस प्रकार काम करती रही है तथा उसकी दीर्घकालीन प्रवृत्तियां किस प्रकार रही है, पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इसमें यह देखना होता है कि जनता में बचत के प्रति क्या रुख है, कर प्रणाली कितनी लचीली है तथा कराधान, प्रोत्साहन व संस्थागत तथा नीति परिवर्तनों के माध्यम से बचत बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं।

4.3 यह सच है कि इस समय जो स्थिति है उसमें पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। हाल के वर्षों में जिस पद पर बचत की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था में उससे ऊंची दर पर बचत की जा सकती है। कुल बचत की दर 1978-79 में 24.6 प्रतिशत हो गई थी परन्तु छठी योजना के दौरान लगभग 23 प्रतिशत पर स्थिर हो गई। अतः सातवीं योजना का एक महत्वपूर्ण भाग यह होगा कि आन्तरिक बचत की दर में वृद्धि की जाए।

4.4 वित्तीय आयोजन में केवल भौतिक विनियोजन के लक्षित आकार के अनुरूप संसाधन ही नहीं जुटाने होते हैं, वरन कुल उपलब्ध बचत को मुख्य विनियोजन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार धन का आबंटन भी करना होता है। इसके बाद क्षेत्रीय बचतों के सकेंतों अर्थात् घरेलू बचत, निजी निगम, सरकारी तथा सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों के माध्यम से कुल उपलब्ध आन्तरिक संसाधनों का हिसाब लगाया जाता है। अनन्तर क्षेत्रों के विनियोजन लक्ष्य बनाए जाते हैं, अन्तः क्षेत्रीय अन्तरण को गुंजाइश रखते हुए तथा विदेश से प्राप्त होने वाली पूंजी (जिसमें वाणिज्यिक उधार की वांछित राशि शामिल है) का हिसाब लगाकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए संसाधन तथा धनराशि के उपयोग का निश्चय किया जाता है। उससे यह पता लग जाता है कि "बेशी" में घाटे वाले" क्षेत्रों में कितनी बचत का अन्तरण करना है।

4.5 सरकारी क्षेत्र (वर्तमान राजस्व—वर्तमान खर्च) की बचत के संकेत तैयार करते समय राजस्व लेखे में केन्द्र और राज्य सरकारें युक्तियुक्त जिन उपायों को अपना कर अतिरिक्त संसाधन जुटा सकते हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। राजस्व लेखा में प्रशासन, संरचानत्मक परिवर्तन और दरों में समायोजन कर संसाधन बढ़ाने होंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यमों में, बचत का अनुमान लगाते समय (धारित लाभ और ह्रास) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कार्य का प्रभाव, कुशलता तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया मूल्यों में आवश्यक समायोजन करने को भी हिसाब में लिया गया है। संभावित कुल कराधान राजस्व, सरकार द्वारा घरेलू क्षेत्र में किए जाने वाले अन्तरणों तथा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को भी हिसाब में जोड़ा गया है। बचत दर को मूल्यों की दर की प्रवृत्ति का उपयोग कर घरेलू क्षेत्र की बचत निश्चित की जाती है। गैर वित्तीय कम्पनियों के कार्य संचालन और वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय कम्पनियों की विगत प्रवृत्तियों के आधार पर निजी निगम क्षेत्र की बचतों का अनुमान लगाया गया है।

4.6 सारणी 4.1 में प्रयोजन आय उपभोग और बचत का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है। घरेलू क्षेत्र की बचत, उसकी 1984-85 में जो प्रायोज्य आय थी उसका 20.5 प्रतिशत आंका गया है और आशा है कि 1989-90 में भी यह इसी स्तर पर बनी रहेगा, परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का जहां तक संबंध है वह उसकी प्रायोज्य आय के 29.1 प्रतिशत से बढ़कर 32.4 प्रतिशत होने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र में बचत बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि प्रायोज्य आय में उसका भाग बढ़ेगा (14.6 प्रतिशत से 15.7 प्रतिशत) और सीमांत बचत की भी ऊंची दर (41%) रहेगी। सार्वजनिक उद्योगों से जो भी अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे वह

विनियोजन के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करेंगे। कुल घरेलू बचत में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 18.5 प्रतिशत से बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो जाएगा और घरेलू क्षेत्र का भाग 74.2 प्रतिशत से घटकर 69.6 प्रतिशत रह जाएगा। इस प्रकार योजना की सफलता काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए बचत के प्रयत्नों पर निर्भर है। इस संबंध में जो उपाय अपनाए जाएंगे उन्हें बाद में इस अध्याय में बताया गया है।

सारणी 4.1

प्रायोज्य आय, उपभोग और बचत-क्षेत्रवार

क्रम सं० मद	1984-85 की कीमतों पर		जोड़ का प्रतिशत	
	1984-85	1989-90	1984-85	1989-90
1. सार्वजनिक क्षेत्र				
(i) प्रायोज्य आय .	32198	44606	14.6	15.7
(ii) उपभोग .	22834	30163	10.4	10.6
(iii) बचत . .	9364	14443	4.2	6.1
2. निजी निगमित और सहकारी क्षेत्र				
(i) प्रायोज्य आय .	3737	6514	1.7	2.3
(ii) उपभोग .	—	—	—	—
(iii) बचत . .	3737	6514	1.7	2.3
3. घरेलू क्षेत्र				
(i) प्रायोज्य आय .	183945	233325	83.7	82.0
(ii) उपभोग .	146308	185285	66.5	65.1
(iii) बचत . .	37637	48040	17.2	16.9
4. जोड़				
(i) प्रायोज्य आय .	219880	284445	100.0	100.0
(ii) उपभोग .	169142	215448	76.9	75.0
(iii) बचत . .	50738	68997	23.1	24.0

4.7 कुल मिलाकर योजना अवधि में कुल घरेलू बचत विभिन्न क्षेत्रों में क्या होगी इसका ब्यौरा सारणी 4.2 में दिया गया है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का भाग क्रमशः 19 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होने की संभावना है। यद्यपि घरेलू क्षेत्र का भाग पहले से कम होगा फिर भी, वह सबसे ज्यादा (71 प्रतिशत) रहेगा। घरेलू क्षेत्र की जो कुल बचत होगी, उसमें से 47 प्रतिशत वित्तीय सम्पत्तियों के रूप में होंगे।

4.8 योजना विनियोजन के लिए कुल संसाधनों की उपलब्धि का अनुमान लगाते समय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संसाधन जुटाने के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे उसमें बचत का विशेष महत्व रखा गया है परन्तु निजी क्षेत्र की बचत का अनुमान उसके गत वर्षों के कार्यकलाप के आधार पर लगाया गया है। यह कहना उचित न होगा कि थोड़े समय में बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। अनुमानित सीमांत बचतों की दर का मूल्य केवल 28.4 प्रतिशत लगाया गया है फिर भी, समुचित नीति अपनाकर तथा संस्थागत परिवर्तन कर इसको बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

4.9 सातवीं योजना अवधि में कुल सकल देशीय बचत की राशि 302,366 करोड़ रु. होगी। विदेशी मुद्रा 20,000 करोड़ रु. तक मिलने की संभावना है। इस प्रकार कुल संसाधनों की राशि 322,366 करोड़ रु. हो जाएगी। जो कि योजना में परिकल्पित विनियोजन राशि के बराबर है। क्षेत्रों की बचत, अन्तः क्षेत्रीय पूंजीअन्तरण (ऋण/उधार) और क्षेत्रों का विनियोजन सारणी 4.3 में बताए गए हैं। सार्वजनिक और निजी निगम क्षेत्रों की बचत उनकी विनियोजन योजनाओं से कम है। पारिवारिक क्षेत्र से की बचत उसमें किए जाने वाले विनियोजन से अधिक है। अतः यह परिकल्पना की जाती है कि परिवारिक क्षेत्र से अन्य दो घरेलू क्षेत्रों में 102,253 करोड़ रु. तक अन्तरित किए जा सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों से सार्वजनिक क्षेत्र को 18 हजार करोड़ रु. और निजी निगम क्षेत्र को 2 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है प्रत्येक घरेलू क्षेत्र में विनियोजन के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी यह सारणी 4.4 में बताया गया है। सातवीं योजना अवधि में पूंजीगत लेखे में कितना धन आएगा, इसके ब्यौरे में व्यापक जानकारी मिल जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र विनियोजन जो कि 154,218 करोड़ रु. का होगा, उसमें से 32 प्रतिशत तक अपनी बचतों से, 56 प्रतिशत निजी बचतों से हुंडी (ड्राफ्ट) लेकर और लगभग 12 प्रतिशत विदेशों से उधार लेकर पूरा किया जाएगा। निगमित क्षेत्रों का कुल विनियोजन 54,236 करोड़ रु० तक होने की संभावना है और इसमें से 53 प्रतिशत की व्यवस्था यह क्षेत्र अपनी बचत से करेगा, पूंजीगत बाजार के माध्यम से पारिवारिक क्षेत्र से 28 प्रतिशत लेगा, 15.3 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से लेगा और बाकी 3.7 प्रतिशत विदेशों से उधार लेगा।

सारणी 4.2

मूल क्षेत्र के अनुसार सकल देशीय बचत (1985—90)

(1984-85 की कीमतों के अनुसार)

क्रम सं० क्षेत्र	राशि (करोड़ रु०)	कुल की प्रतिशतता
1. सार्वजनिक बचत . . .	57422	19.0
(i) सरकारी और सार्वजनिक उद्यम (गैर वित्तीय) . . .	49156	16.3
(ii) सार्वजनिक उद्यम (वित्तीय) .	8266	2.7
2. निजी बचत . . .	244944	81.0
(i) पारिवारिक क्षेत्र . .	216165	71.5
(क) वित्तीय बचत	102253	33.8
(ख) वास्तविक परिसम्पत्ति . .	113912	37.7
(ii) सहकारी क्षेत्र सहित निजी निगमित क्षेत्र	28779	9.5
3. कुल देशीय बचत . . .	302366	100.0

सारणी 4.3
कुल परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था (1985—90)

(1984-85 की कीमतों पर—करोड़ रु०)

क्रम सं०	क्षेत्र	निजी बचत	घरेलू क्षेत्रों से अन्तरण			बाकी विश्व	विनियोजन	वर्तमान कुल परिव्यय	कुल परिव्यय
			सार्वजनिक	निजी निगमित	पारिवारिक				
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सार्वजनिक	49151 +8266* = 57422	(—)8266	—	87062	18000	154218	25782	180000
2.	निजी निगमित	28779	8266	—	15191	2000	54236	—	54236
3.	पारिवारिक	216165	—	—	(—)102253	—	113912	—	113912
	जोड़	302366	—	—	—	20000	322366	25782	348148

*वित्तीय संस्थानों की कुल 10 हजार करोड़ रु० की बचत में से 8266 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

सारणी 4.4
निवेश की वित्तीय व्यवस्था (1985—90)

(1984-85 की कीमतों पर—करोड़ रु०)

	निजी	निगमित सरकार	पारिवारिक	जोड़
निवेश	54236	154218	113912	322366
द्वारा वित्तीय व्यवस्था				
1. अपने संसाधन	28779	57422*	216165	302366
से उधार लेकर				
(क) पारिवारिक क्षेत्र	15191	87062	(—)102253	—
(ख) सरकारी क्षेत्र (सार्वजनिक वित्तीय संस्थान)	8266	(—)8266	—	—
(ग) बाकी विश्व	2000	18000	—	20000
कुल आधार (क+ख+ग)	25457	96796	(—)102253	20000

टिप्पणी: (1) *इसमें निवेश के लिये उपलब्ध बचत में सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों की 8266 करोड़ रु० की बचत शामिल है।

(2) (—) यह चिन्ह उधार देना दर्शाता है।

4.10 पारिवारिक क्षेत्र की कुल बचत 216165 करोड़ रु. होगी। उसमें से लेखे में 102253 करोड़ रु. की वित्तीय बचत होने का अनुमान है जो कि 47 प्रतिशत आता है। पारिवारिक क्षेत्र में भौतिक परिसम्पत्तियों के अनुमान दस वर्षों में व्यक्तिगत प्रायोज्य आय के साथ उनके संबंध के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय बचत किस रूप में होगी इसका ब्यौरा सारणी 4.5 में दिया गया है, जबकि पारिवारिक क्षेत्र में हुंडियों (ड्राफ्ट) के माध्यम से जो विनियोजन किया जाएगा। वह सारणी 4.6 में बताया गया है। 5 वर्ष की अवधि में पारिवारिक क्षेत्र में कुल वित्तीय बचत कुल मिलाकर 134,681 करोड़ रु. होगी और निबल रूप से (अर्थात् देनदारियों में) निबल वृद्धि के रूप में 102,253 करोड़ रुपये होगी। पारिवारिक क्षेत्र में मुख्य वित्तीय बचत इस प्रकार है:—

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी समितियों में जमा, मुद्रा जीवन बीमा निधि, भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और कारपोरेट शेयरों सहित सरकारी प्रत्याभूतियों में जमा विभिन्न शीर्षों में धनराशि का अनुमान किस आधार पर लगाया जाएगा। यह परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

निजी निगमित क्षेत्र की बचत

4.11 निजी निगमित क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है अर्थात् (I) गैर वित्तीय संस्थान और (II) वित्तीय संस्थान।

सारणी 4.5
पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतें (1985—90)

(1984-85 की कीमतों पर (करोड़ रुपये)

1. मुद्रा	8527
2. सहकारी समितियों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा	57288
3. गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमा	8592
4. जीवन निधियां	9845
5. भविष्य निधि	34675
6. सरकार पर निबल दावे	8750
7. निगमित/सहकारी समितियों के शेयर और डिबेंचर	2911
8. आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं की प्रत्याभूति	23
9. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	2500
10. अन्य परिसम्पत्तियां	1570
जोड़	134681
देनदारी और निबल	(—)32428
वित्तीय परिसम्पत्ति	102253

गैर-वित्तीय संस्थाओं में ये शामिल हैं (1) गैर-सरकारी सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कम्पनियां; और (2) सहकारी ऋण न देने वाली समितियां । वित्तीय संस्थानों में (क) सहकारी बैंक और ऋणदाती समितियां (ख) अराष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक और (ग) निजी वित्तीय और निवेश कम्पनियां आती हैं।

सारणी 4.6

व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक वित्तीय बचत से ड्राफ्ट (हुंडी) लेकर (1985–90)

(1984-85 की कीमतों पर करोड़ रुपयों)

मद	सरकार	निजी निगमित क्षेत्र	जोड़
1. मुद्रा . . .	8527	—	8527
2. बैंकों में जमा . .	28107	3595	31702
3. गैर बैंकिंग जमा .	1857	5600	7457
4. जीवन बीमा निगम .	4950	874	5824
5. भविष्य निधि . .	34675	—	34675
6. सरकार पर दावे .	7064	—	7064
7. निगम का भाग .	—	2911	2911
8. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया सहित प्रत्याभूतियां .	1882	641	2523
9. अन्य परिसम्पत्तियां .	—	1570	1570
जोड़ . . .	87062	15191	102253

4.12 1985–90 के लिए गैर सरकारी, गैर-वित्तीय सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कम्पनियों की बचत का अनुमान बिक्री, निर्धारित पूंजी निर्माण इन्वेन्ट्री, उधार ह्रास, लाभ आदि का विस्तृत अध्ययन करके लगाया गया है। निजी वित्तीय संस्थानों और सहकारी समितियों में बचत का अनुमान उनमें गत प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर लगाया गया है। सातवीं योजना अवधि में निजी निगमित क्षेत्र की कुल बचत 28,778 करोड़ रुपये तक लगाई गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के लिए संसाधन—छठी योजना

4.13. छठी पंचवर्षीय योजना (सारणी 4.7) में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के लिए विभिन्न स्रोतों से मिलने वाले धन का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि केन्द्र और राज्यों दोनों के यहां समान दर पर वर्तमान राजस्व की बकाया पर तेजी से कमी आई है। यद्यपि केन्द्र और राज्यों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बजट संबंधी जो उपाय किए, वह मूलतः परिकल्पित लक्ष्यों से काफी ज्यादा है। फिर भी वर्तमान राजस्व की देशी सहित वे मूल अनुमान से केन्द्र में 862 करोड़ रुपये और राज्यों के मामले में 4,101 करोड़ रुपये कम रहे। (सभी वर्तमान कीमतों के अनुसार)

सारणी 4.7

सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय के लिए वित्तीय प्रणाली–छठी योजना 1980—85

(करोड़ रुपये)

	मूल अनुमान			अद्यतन अनुमान		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
	(1979-80 की कीमतों पर)			(वर्तमान कीमतें)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
योजना परिव्यय	48900	48600	97500	60689	50132	110821
1. वर्तमान राजस्व से बकाया						
(क) 1979-80 की दरों पर	1178	13300	14478 (—)	4427	6320	1893
(ख) अतिरिक्त संसाधन जुटाना	8390	4134	12524	13133	7013	20146
जोड़ (क+ख)	9568	17434	27002	8706	13333	22039
2. सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान						
(क) 1979-80 की दरों पर	9911	(—) 516	9395	12418	(—) 6608	5810
(ख) अतिरिक्त संसाधन जुटाना	3900	4878	8778	5700	7124	12824
जोड़ (क+ख)	13811	4362	18173	18118	516	18634

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. बाजार ऋण पर	15000	4500	19500	17401	4719	22120
4. लघु बचत	2112	4351	6463	3855	6057	9912
5. भविष्य निधि	1660	2042	3702	1805	2151	3956
6. वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	—	2722	2722	—	2582	2582
7. विविध—पूंजी प्राप्तियां (निवल)	6170	(—)2161	4009	10090	(—)2725	7365
8. विदेशी संसाधनों से प्राप्ति	9929	—	9929	8529	—	8529
9. विदेशों में जमा पूंजी से धन निकालना	1000	—	1000	—	—	—
10. घाटे की अर्थ व्यवस्था/अन्तराल, जिसके लिये व्यवस्था नहीं की गई	5000	—	5000	10927	4757	15684
11. कुल संसाधन	64250	33250	97500	79431	31390	110821
12. केन्द्रीय सहायता						
(क) राज्य योजनाओं के लिये	(-)15350	(+)15350	—	(-)17567	(+)17567	—
(ख) प्राकृतिक विपदाओं की राहत के लिये	—	—	—	(—)1175	(+)1175	—
13. योजना के लिये उपलब्ध संसाधन	48900	48600	97500	60689	50132	110821

4.14 अतिरिक्त संसाधन जुटाने सहित, चालू राजस्व से जो बेशी होगी, उससे छठी योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 28 प्रतिशत उपलब्ध होने की परिकल्पना की गई थी किन्तु वास्तविक रूप से केवल 20% की ही पूर्ति की जा सकी। वर्तमान राजस्व के अंशदान में जो कमी आई, उसका मुख्य कारण, गैर योजना व्यय का तेजी से बढ़ना और आंशिक रूप से छठी योजना अवधि में मुद्रा स्फीति कारक प्रभावों का बढना है। इसके अलावा सामान्य सेवाओं को बनाए रखने की लागत बढ़ना और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त देने का काम भी इसी के अन्तर्गत करना पड़ा। वस्तुतः मुद्रा स्फीति के कारण सरकार के पास संसाधन बढ़ने के बजाए, घट गए क्योंकि राजस्व में उस तेजी से वृद्धि नहीं हुई जिससे सरकार द्वारा लिए जाने वाले सामान और सेवाओं की लागत बढ़ी। सार्वजनिक उद्यमों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के जो प्रयत्न किए वह भी लागत बढ़ने के कारण काफी हद तक नगण्य हो गए। मुद्रास्फीति के प्रभाव के अलावा चालू परिव्यय की गई राज्य योजनाओं से बाहर अपनी बचत बद्धताओं में निरंतर वृद्धि करते रहे परन्तु योजना परिव्यय के प्रति जो उनकी बचतबद्धता थी वह उनकी राजस्व प्राप्तियों से कई गुणा बढ़ गई (आधार वर्ष की दरों के अनुसार)। अतः बढ़ते हुए खर्च के अनुसार जो उनकी देनदारी थी, उसकी पूर्ति करने में वे असफल रहे। कुल घरेलू उत्पादन में कर का अनुपात, जो 1980-81 में 15.86 प्रतिशत था वह 1982-83 में बढ़कर 16.65 प्रतिशत हो गया परन्तु 1983-84 में घटकर 16.25 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार कुल घरेलू उत्पादन के अनपात में करेत्तर राजस्व में अनुपात कुल सरकारी राजस्व का 18 प्रतिशत होता था, वह बढ़कर 1980-81 में 3.32 प्रतिशत, 1982-83 मे 3.80 प्रतिशत परन्तु 1983-84 में घटकर 3.50 रह गया राजस्व की स्वतः जो वृद्धि हुई वह राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि के अनुपात में कम थी अतः छठी योजना में राजस्व बढ़ाने के लिए जो उपाय अपनाए गए वह राजस्व में स्वतः वृद्धि कम होने के कारण नकारा हो गए। इसमें संदेह नहीं कि बजट व्यवस्था को बचत में कमी न आने देने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों में समुचित उपाय अपनाने आवश्यक है परन्तु इस समय पीछे की ओर जो प्रवृत्ति चल रही है उस तत्काल बंद करना संभव नहीं है। अतः तत्काल भविष्य में आरम्भ की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की जो गंभीर समस्याए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

4.15 वर्ष 1979-80 की दर पर केन्द्र के सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान मूल अनुमान से 2,507 करोड़ रुपये अधिक था परन्तु राज्य सार्वजनिक उद्यमों के मामले में बहुत ज्यादा कमी आई। मूलतः आधार वर्ष की दरों के अनुसार इनमें 516 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान था परन्तु वास्तविक हानि 6608 करोड़ रुपये की राज्य सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अधिक मात्रा में संसाधन जुटाने के परिणामस्वरूप भी उनका कुल अंशदान मुश्किल से 516 करोड़ रुपये हुआ जबकि मूल परिकल्पना 4362 करोड़ रुपये की थी। केन्द्र और राज्य--दोनों के उद्यमों को मिलाकर उन पर छठी योजना अवधि में 56,360 करोड़ रुपये खर्च हुआ और योजना संसाधनों (अतिरिक्त उपायों की प्राप्तियों सहित) में उनका अंशदान 18,634 करोड़ रुपये हुआ।

4.16 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह और आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में धन उपलब्ध करे। परन्तु छठी योजना की वित्त व्यवस्था का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों ने अपने निजी आंतरिक संसाधनों से अपने विकास परिव्यय का केवल 28 प्रतिशत उपलब्ध किया। यह मुख्यतः बजट व्यवस्था पर निर्भर है जो कि उनकी योजना परिव्यय का 56 प्रतिशत था। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे राज्य उद्योगों के मामले में मुश्किल से उनके विकास परिव्यय का 3.5 प्रतिशत भाग उनके आंचलिक संसाधनों से उपलब्ध हो सका। केन्द्र के उद्यमों की अपेक्षा, राज्य उद्यम, राज्य बजट व्यवस्था के समर्थन पर अधिक आश्रित थे। यह जो 4,472 करोड़ रुपए की हानि हुई तथा राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों में जो 961 करोड़ रुपए की हानि हुई, उससे स्पष्ट हो जाता है। यह अनुमानित हानि छठी योजना की अवधि के बारे में है। इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों का विकास के लिए संसाधन जुटाने का काम करना असंभव प्रतीत होता है। इस बात से सभी सहमत हैं कि सार्वजनिक उद्यमों में जो बेशी होती है वह भी विकास का मुख्य आधार होगा। यह अनुमान लगाना भी ठीक नहीं होगा कि केन्द्र और राज्यों के सभी सार्वजनिक उद्यम सातवीं योजना अवधि में तत्काल नया मोड़ ले लेंगे और देश के बढ़ते हुए विकास खर्च के लिए संसाधन जुटाने में सफल होंगे।

4.17 बजट व्यवस्था में बचत का निरंतर घटने और अपने आंतरिक संसाधनों द्वारा अपनी योजना परिव्यय के लिए पर्याप्त रूप में अंशदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों की असमर्थता के कारण सरकार को सार्वजनिक योजना क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था करने में घरेलू आधार पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ा। कुल घरेलू उधार छठी योजना सार्वजनिक परिव्यय का 35 प्रतिशत था। इससे पहले की योजना में चौथी योजना को छोड़कर घरेलू बाजार का उधार 21 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक था। उधार पर अधिक निर्भरता के कारण सरकार के बजट पर बहुत अधिक बोझ पड़ गया क्योंकि इसमें ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की वापसी के लिए भी व्यवस्था की जानी थी। इसके अलावा जहां तक राज्यों का उधार लेने का प्रश्न है, इसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए किया जाना या उसका आंशिक उपयोग राजस्व खर्च की पूर्ति के लिए किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार संसाधन निरंतर घट रहे हैं।

4.18 संक्षेप में छठी योजना अवधि में जो विकास वित्त संरचना उभरी उससे विदित होता है कि देश में विकास की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए संसाधान जुटाने के कार्य की बहुत गंभीर सीमाएं हैं।

4.19 घटते हुए संसाधनों के सामने वित्तीय संसाधन जुटाने का काम केन्द्र और राज्य दोनों के लिए सातवीं योजना में एक प्रमुख चुनौती है। अतः इस समय विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की जो प्रणाली है उसकी पुनः-रचना की आवश्यकता है ताकि उभरते हुए असंतुलनों को ठीक किया जा सके और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस वित्तीय आयोजन किया जा सके। इस संबंध में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि गतिशील स्थिति में चुनौती के अनुसार कितनी मात्रा में संसाधन जुटाए जा सकते हैं और कहां तक वे अपने आप को संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक परिवर्तनों से समायोजित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि संसाधन घटने की प्रक्रिया को तत्काल रोककर यथा समय उसका रुख बदलना होगा यदि विकास को संरक्षण प्रदान करना है। संक्षेप में भारतीय राजकोष प्रणाली पर गैर मुद्रास्फीति तरीके से पर्याप्त संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। इसके अलावा बचत और उत्पादन के विकास के मामले में भी पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी होगी।

4.20 राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में उपर्युक्त व्यापक ढांचे के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के लिए संसाधनों की व्यवस्था का विश्लेषण करने में पिछली प्रवृत्तियों, अर्थ-व्यवस्था के विकास की कल्पित दर और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भावी दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होता है। निर्यात दल ने जो विस्तृत अभ्यास किए उनके आधार पर तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें और सरकार का उन पर निर्णय के आधार पर अनुमानित किए गए हैं। अनुमानों को ठोस रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भविष्य निधि आयोग, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, केन्द्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और विभिन्न अन्य अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श कर लिया गया है। 1984-85 के मूल्यों के आधार पर संसाधनों का अनुमान लगाया गया है और यह मान लिया गया है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान मुद्रा-स्फीति नहीं होगी। संशोधित संकेत व्यापक रूप से आठवें वित्त आयोग ने 1984--1989 अवधि में विकास दर की प्राप्तियों का जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार है।

सार्वजनिक क्षेत्र योजना के लिए वित्तीय संसाधन--- सातवीं योजना

4.21 सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय वित्त व्यवस्था के लिए जो समग्र संसाधन उपलब्ध होंगे, 1984-85 की कीमतों पर उनका अनुमान 180,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। अनुमान का ब्यौरा सारणी 4.8 में दिया गया है। केन्द्र और राज्यों के संबंध में अलग-अलग अनुमान परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

4.22 परिशिष्ट से यह स्पष्ट है कि उधार और सार्वजनिक उद्यमों सहित 148,000 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे अथवा यों कह सकते हैं कि योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए जितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता

है उसके 82.2 प्रतिशत संसाधन बजट व्यवस्था से सुलभ होंगे। विदेशी संसाधनों का भाग 18,000 करोड़ रुपए या अनुमानित संसाधनों का 10 प्रतिशत होगा। बाकी 14 हजार करोड़ रुपए (कुल का 7.8 प्रतिशत) योजना के लिए संसाधनों की पूर्ति घाटे की वित्तीय व्यवस्था से की जाएगी। वित्त व्यवस्था की प्रत्येक मद पर संक्षिप्त टिप्पणी नीचे दी जा रही है।

चालू राजस्व से बकाया :

4.23 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपना चालू योजनेत्तर व्यय पूरा करने के बाद चालू राजस्व में जो बकाया राशि होगी उसका 1984-85 की कराधान दर पर अनुमान (–) 5,249 करोड़ रु. होगी। इन अनुमानों में विगत प्रवृत्तियों के आधार पर कर और करेत्तर राजस्व के समान वृद्धि उत्पादन की सम्भावित वृद्धि पर उनकी अनुक्रिया तथा आने वाले वर्षों में उनसे प्राप्त होने वाली आय और उनको इकट्ठा करने में सुधार को ध्यान में रखा गया है। केन्द्र के कराधान और 1985––90 के लिए सांविधिक अनुदान राज्यों के भाग के लिए जो व्यवस्था की गई है वह 1988-89 तक लागू आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर है और योजना के अंतिम वर्ष पर भी लागू होगी। केन्द्र और राज्यों के संसाधनों में जो समायोजन किया जाएगा उसमें आगामी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर जब सरकार का निर्णय होकर लागू किए जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा।

सारणी 4.8

सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के अनुमान––1985––90

(1984-85 की कीमतों पर करोड़ रु०)

		राशि
1	1984-85 के कराधान की दरों के अनुसार चालू राजस्व से बकाया	(–) 5,249
2	सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान . .	35,485
3	बाजार ऋण (निवल) . . .	30,562
4	लघु बचतें	17,916
5	राज्य भविष्य निधियां . . .	7,327
6	वित्तीय संस्थाओं से अवधिक ऋण . .	4,639
7	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (निवल) . .	13,618
8	अतिरिक्त संसाधन जुटाना . . .	44,702
9	विदेश से निवल पूंजीगत प्राप्ति . .	18,000
10	घाटे की वित्त व्यवस्था . . .	14,000
11	कुल संसाधन	180,000

4.24 जहां तक खर्च का संबंध है जो मामूली वार्षिक वृद्धि होती है उसकी पूर्ति योजनेत्तर खर्च की विभिन्न मदों के सामान्य विकास से की जा सकती है। इसके अलावा पिछली छः योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र विनियोजन द्वारा जो विभिन्न परिसम्पत्तियां निर्मित हुई हैं, उनके ठीक प्रकार से रख-रखाव के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जैसे सड़कें, सिंचाई प्रणालियां, सार्वजनिक भवन और अन्य सुविधाएं। जब तक कठोर वित्तीय अनुशासन लागू नहीं किया जाता और योजनेत्तर खर्च को बढ़ने से रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाये जाते तो राजस्व लेखे में अनुमानित शेष में और गिरावट आने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप अनुमोदित परिव्ययों के वित्त पोषण में असंतुलन उत्पन्न होगा।

केन्द्रीय सरकार

4.25 सातवीं योजना अवधि के लिए 1984-85 के कराधान के आधार पर केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 138,399 करोड़ रुपए लगाया गया है। यह राशि केन्द्रीय करों में राज्यों का भाग निकालने के बाद है। योजनेत्तर राजस्व का अनुमान 150,410 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस प्रकार योजना अवधि में 12,011 करोड़ रुपए का घाटा होता है। अनुमान का विस्तृत ब्यौरा सारणी 4.9 में दिया गया है।

4.26 केन्द्र के चालू राजस्व में बकाया का अनुमान निम्नलिखित मुख्य सभावनाओं के आधार पर लगाया गया है:––

(1) मुख्य करों से राजस्व अर्थात् आयकर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमाकर का अनुमान आठवें वित्त आयोग द्वारा 1984–89 के दौरान इसी विकास की दर पर लगाया गया है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र योजना की वित्त व्यवस्था करने के लिए धन उधार लेने के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए केन्द्र में योजनेत्तर राजस्व खर्च का लगभग 1/3 भाग ब्याज की अदायगियों में चला जाता है। आगामी पांच वर्षों के लिए जो अनुमान लगाए गए हैं उनका आधार विभिन्न वर्गों के ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दरें हैं। इसमें सातवीं योजना अवधि के दौरान जो नया कर्जा लिया जाएगा तथा जो बकाया ऋण/अदायगियां हैं उनको भी शामिल किया गया है।

(3) इस समय योजनेत्तर राजस्व खर्चे के एक बहुत बड़े भाग का उपयोग योजना से बाहर अन्य कार्यकलापों की सहायता के उपयोग में भी लाया जा रहा है। ये योजनाएं ऐसी हैं, जिनका योजना के आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है या मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिन्हें बहुत आवश्यक समझा जाता है। इनमें मुख्यतः उर्वरक, अनाज और निर्यात संवर्धन के लिए दी जा रही सहायताएं शामिल हैं। योजना के लिए अधिकतम

संसाधन जुटाना आवश्यक है अतः आगामी 5 वर्षों में दी जाने वाली सहायताओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वह निम्नतम आवश्यकताओं पर रखी गई है जिससे समस्त उत्पादन विकास मूल्य और स्थिरता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

(4) इन अनुमानों में 1984-85 के अंत तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तों के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है। इस संबंध में केन्द्र पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण जो बोझ पड़ेगा उसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अभी यह पता नहीं है कि उसकी राशि कितनी होगी।

(5) सुरक्षा पर्यावरण तथा छठी योजना की स्कीमों से निर्मित परिसम्पत्तियों के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है ताकि चालू राजस्वों से योजना के लिए कितना कुछ धन मिल पाएगा, इसका कुछ ठीक-ठीक निश्चय किया जा सके।

सारणी 4.9

चालू राजस्व से बकाया—केन्द्र (1985—90)

(1984-85 की कीमतों पर करोड़ रु०)

	राशि
1. राजस्व प्राप्तियां	
1 कर से प्राप्तियां (सकल)	138,941
2 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग घटाकर	(–) 36,087
3 राजस्व (निवल)	102,854
4 करेत्तर राजस्व	35,545
कुल राजस्व प्राप्तियां	138,399
2. योजनेतर राजस्व व्यय	
1 ब्याज-भुगतान	46,222
2 राजसहायता	16,805
3 रक्षा	45,000
4 अन्य गैर-विकास व्यय	33,911
5 छठी योजना की स्कीमों पर रख-रखाव खर्च	1,684
6 राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को अनुदान	6,135
7 विदेशी सरकारों को अनुदान	653
कुल योजनेत्तर राजस्व व्यय	150,410
3. चालू राजस्व से बकाया (1—2)(—)	**12,011**

राज्य सरकारें

4.27 सातवीं योजना अवधि में सभी राज्य सरकारों की सम्मिलित राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कर-दर और शुल्क के 1984-85 के स्तर पर 141,124 करोड़ रु. लगाया गया है। इसके विपरीत इसी अवधि में योजनेतर राजस्व खर्च का अनुमान 134,362 करोड़ रु. लगाया गया है। इस प्रकार चालू राजस्व में से 6762 करोड़ रु. की निवल शेष राशि राज्य क्षेत्र में योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए उपलब्ध होगी। अनुमान के विस्तृत ब्यौरे सारणी 4.10 में दिए गए हैं। योजना अवधि में राजस्व प्राप्तियों और योजनेत्तर खर्च के अनुमानों के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुए। पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों के और आठवें वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई विकास की दर, जो उन्होंने विभिन्न करों के संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित की है, उनको ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। "वन" के अन्तर्गत करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर का अनुमान राज्य सरकारों को वन उद्योग कार्यशील योजना कार्यक्रम के अनुसार है।

4.28 जहां तक योजनेतर व्यय के लिए व्यवधान का संबंध है, कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों-जैसे सड़कें और पुल, अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं, सार्वजनिक भवन, पुलिस इत्यादि को छोड़कर पहले से ही खर्च बढ़ने का अनुमान लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगाया गया है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामले में पुंजीगत परिसम्पत्तियों और पहले निर्मित सेवाओं का अधिकतम उपयोग निश्चित कर अधिक खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 1984-85 के अंत तक राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों, स्कूल के अध्यापकों और स्थानीय निकायों के रोजगारों के वेतन बढ़ाने से बढ़े हुए खर्च के लिए भी, पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने उनकी सिफारिशें लागू करने का निर्णय ले लिया है। अतः इस प्रकार के निर्णयों से राज्य सरकारों के ऊपर जो देनदारी बढ़ेगी, उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकारों से प्राप्त ठोस अनुमानों के आधार पर कर दी गई है।

सारणी 4.10

चालू राजस्व से बकाया—राज्य (1985—90)

(1984-85 की कीमतों पर करोड़ रु.)

	राशि
1. राजस्व प्राप्तियां	
(1) कर राजस्व	79,396
(2) करेत्तर राजस्व	20,425
(3) केन्द्रीय करों में भाग	36,087
(4) केन्द्र से अनुदान	5,216
कुल राजस्व प्राप्तियां	141,124
2. राजस्व व्यय	
(1) ऋण सेवाएं	20,351
(2) अन्य गैर-विकासोत्तर योजनेतर विकासात्मक व्यय	106,019
(3) छठी योजना स्कीमों पर रख-रखाव व्यय	7,992
कुल राजस्व व्यय	134,362
3. चालू राजस्व से बकाया (1—2)	6,762

सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान

4.29 सार्वजनिक उद्यमों का सकल अधिशेष (प्रतिधारित लाभ ह्रास) का अनुमान 1984-85 के दौरान शुल्कों, भाड़ों और उत्पादन मूल्यों के आधार पर 35,485 करोड़ रुपए लगाया गया है, जैसा कि 4.11 में बताया गया है।

सारणी 4.11

सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान (1985—90)

(1984-85 के मूल्यों पर—करोड़ रुपए)

उद्यम	राशि
1 रेलवे	4,225
2 डाकतार	1,729
3 अन्य केन्द्रीय उद्यम	31,500
4 राज्य बिजली बोर्ड	(–) 1,569
5 राज्य सड़क परिवहन निगम	(–) 415
6 अन्य राज्य उद्यम	15
जोड़	35,485

रेलवे

4.30 योजना अवधि में रेलवे से मिलने वाले कुल अधिशेष का अनुमान 4225 करोड़ रुपए लगाया गया है जो कि मुख्यतः ह्रास के लिए की गई व्यवस्था है। ये अनुमान माल भाड़ा और यात्री यातायात की बढ़ोत्तरी के आधार पर लगाया गया है।

डाकतार

4.31 जहां तक डाकतार का संबंध है कुल अधिशेष 172 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2482 करोड़ रुपए दूर-संचार स्कंध के हैं और (—) 753 करोड़ रुपए डाक स्कंध के हैं। ये अनुमान भी योजना अवधि के दौरान होने वाले दूरसंचार और डाकतार सेवाओं की प्रत्याशित संवृत्ति पर लगाए गए हैं।

अन्य केन्द्रीय उद्यम

4.32 पत्तनों और दामोदर घाटी निगम सहित "अन्य केन्द्रीय उद्यमों" के अंशदान का अनुमान 31,500 करोड़ रुपए लगाया गया है जैसा कि सारणी 4.12 में दिखाया गया है। इन अधिशेषों में यह भी मान लिया गया है कि क्षमता का अधिक उपयोग किया जाएगा, संचालनात्मक कुशलता में वृद्धि होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी क्योंकि 7वीं योजना में मूलतः इन्हीं बातों पर अधिक बल दिया गया है।

सारणी 4.12

अन्य केन्द्रीय उद्यमों का अंशदान

(1984-85 की कीमतों पर—करोड़ रुपए)

उद्यम	राशि
1. कुल आंतरिक संसाधन	
(1) प्रतिधारित लाभ	5,184
(2) ह्रास	24,893
(3) जमा आदि	1,698
जोड़—1	31,775
2. उपयोग	
(1) ऋण की अदायगियां	4,917
(2) कार्यशील पूंजी	2,600
(3) अन्य प्रभार	317
जोड़—2	7,834
3 योजना के लिए उपलब्ध कुल आंतरिक संसाधन (1—2)	23,941
4 तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्तियां	5,259
5 इस्पात विकास निधि से लेखे में प्राप्तियां	2,300
जोड़ (3+4+5)	31,500

राज्य उद्यम

4.33 राज्य उद्यमों में प्रमुख हैं—राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य सड़क परिवहन निगम। इन दोनों को मिलाकर टैरिफ के वर्तमान स्तर पर सातवीं योजना अवधि के दौरान 1984 करोड़ रुपए का नगद नुकसान होने की संभावना है।

बाजार ऋण

4.34 सरकारी प्रत्याभूतियों में बैंक निदेश की सांविधिक व्यवस्था और अन्य संस्थागत अंशदाताओं की प्रतिभूतियों का विनियोजन करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन दोनों की बढ़ोत्तरी योजना अवधि में निवल बाजार उधार का अनुमान 36,108 करोड़ रुपए लगाया गया है। बैंकों की नई शाखाएं खुलने से वाणिज्यिक बैंकों में जमा की जो वृद्धि होगी तथा जो अन्य उपाय अपनाए जाएंगे और अन्य अंशदाताओं जैसे जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि से जो अदृश्य संसाधन बढ़ेंगे उनको इस अनुमान में शामिल नहीं किया गया है।

4.35 कुल बाजार उधार की 36,108 करोड़ रुपए की राशि में से 30,562 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। बाकी 5546 करोड़ रुपए का उपयोग अन्य वित्तीय संस्थाएं करेंगी। सार्वजनिक परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए उपलब्ध धन राशि में से 20620 करोड़ रु. केन्द्रीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए आवंटित किए गए हैं और बाकी 9942 करोड़ रुपए

राज्य योजनाओं के खर्च के लिए रखे गए हैं। इस आधार पर बाजार उधार में राज्यों का भाग लगभग 33 प्रतिशत और केन्द्र का भाग 67 प्रतिशत आता है।

4.36 राज्य योजनाओं के लिए बाजार उधार की 9942 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से 7012 करोड़ रुपए की राशि राज्यों में बांट दी गई है। इसमें आधार वर्ष के स्तर पर एक समान वृद्धि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इन राज्यों में विकास की गति बनाए रखने के लिए कम विकसित राज्यों के लिए अलग से 2930 करोड़ रुपए बाजार उधार की व्यवस्था की गई है।

लघु बचत

4.37 लघु बचत से प्राप्ति गत कुछ वर्षों से कुछ अधिक होने की संभावना है, यह वृद्धि 1980-81 के 1121 करोड़ रुपए से बढ़कर 1984-85 में 3300 करोड़ रुपए होने की संभावना है। लघु बचत में परिवार अंशदान की वृद्धि तथा अन्य अभिकरणों जैसे—कर्मचारी भविष्य निधि तथा निजी क्षेत्रों की अन्य भविष्य निधियों की राशि को मिलाकर योजना अवधि के दौरान लघु बचत से 17,916 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

राज्य भविष्य निधियां

4.38 पिछली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए तथा अंशदान की वर्तमान दर, और केन्द्र और राज्य सरकारों में कर्मचारी बढ़ने, को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना अवधि में केन्द्र से 2300 करोड़ रुपए तथा राज्यों से 5027 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है।

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

4.39 यह मद अनेक बजट शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों और वितरण की निवल बकाया को दर्शाता है। पूंजीगत प्राप्तियों में कृषकों, सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होने वाले ऋण और अग्रिम धन, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा तथा निधियों से प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। 31 मार्च, 1985 के अनुसार गैर-योजना ऋणों तथा अग्रिम जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और विदेशी सरकारों, आयातित उर्वरकों पर दी जाने वाली रियायत तथा राज्य के ओवर-ड्राफ्टों के समायोजन के लिए गुंजाइश रखते हुए इस शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र-राज्यों के लिए 12,618 करोड़ रुपए निवल बकाया रहने की संभावना है।

वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण

4.40 वित्तीय संस्थान जैसे—जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, ग्रामीण बिजलीकरण निगम और कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक से राज्यों को आवास निर्माण, जल पूर्ति, बिजली, परिवहन और कृषि सहकारी समितियों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 3539 करोड़ रुपए का ऋण मिलने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी 'बिल्स रिडिस्काउंटिंग स्कीम" के अंतर्गत राज्य योजनाओं के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। वित्तीय संस्थानों से ऋण निधि में कितना धन प्राप्त होगा इसका विस्तृत विवरण सारणी 4.13 में दिया गया है।

सारणी—4.13

वित्तीय संस्थानों से राज्यों को प्राप्त होने वाले आवधिक ऋण (1985--90)

(1984-85 की कीमतों पर—करोड़ रुपए)

	राशि
1. जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम .	2,335*
2. भारतीय रिजर्व बैंक (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)	222
3. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम . .	982
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक .. .	1,100
जोड़:—	4,639

*उत्तरपूर्वी परिषद को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया 100 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है।

टिप्पणी:—करार द्वारा दिए जाने वाले ये ऋण समस्त रूप में बताए गए हैं क्योंकि इन संस्थानों को दी जाने वाली अदायगियों की अलग से व्यवस्था की गई है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

4.41 उद्यमों सहित केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सातवीं योजना अवधि में 44702 करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें जिन खास उपायों को अपनाएगी उनका निर्णय वर्षानुवर्ष विद्यमान आर्थिक स्थिति के अनुसार किया जाएगा। परन्तु संसाधन जुटाने के विभिन्न उपायों में से जिस को अपनाया जाए वह इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके कारण से स्फीतिकारक प्रभाव न पड़े और वह विकास, उत्पादकता और बचत को अनुप्राणित करें।

4.42 प्रत्यक्ष करों का जहां तक संबंध है, उनका ठीक प्रकार से पालन, करों की चोरी रोकने और कर-प्रहार कम करने के लिए समुचित कार्रवाई करनी होगी। हाल ही में कर और सम्पत्ति कर की दरों में जो कटौती की गई है, उससे सीधे करों को कठोरता से लागू करने में सहायता मिलेगी। यह माना गया है कि करों को युक्तिसंगत और सरल बनाने से उनके अनुपालन और लागू करने में सहायता मिलती है। निगम कर का जहां तक संबंध है, इसे सरल करने के लिए हाल ही में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। युक्तिसंगत उपायों के अंश के रूप में वर्तमान मशीनवार रियायत देने की अपेक्षा यदि एकमुश्त ह्रास रियायत दी जाए तो इससे प्रक्रिया में सफलता लानी संभव हैं।

4.43 अप्रत्यक्ष करों का जहां तक संबंध है, मुख्य बल कर-दरों के समायोजन और उन्हें युक्तिसंगत बनाने पर देना होगा। इसके अलावा विशिष्ट करों तथा निर्दिष्ट एवं यथामूल्य करों द्वारा शनैः शनैः प्रतिस्थापन्न से करों में सुधार लाने की काफी गुंजाइश है। विकल्प के रूप में मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट दरों में समय-समय पर तालमेल बिठाया जाए। विद्यमान कर रियायतों में उनको छोड़कर जो प्राथमिकता क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, समीक्षा करने की आवश्यकता होगी और इस समीक्षा में जो उचित नहीं समझे जाएंगे उन करों को समाप्त कर दिया जाएगा।

4.44 सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सामान्यतया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले और खासकर कृषि क्षेत्र में लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में निवेश को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आय से अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। ये दोनों विद्यमान और नए कार्यकलापों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.45 सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्र और राज्य दोनों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए परांजपे समिति के सुझावों के अनुसार पूंजीगत प्रभार पर 10 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए और इस तरह रेलवे को 5736 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व के रूप में जुटाने चाहिए। परन्तु इस समय रेलवे की वित्तीय स्थिति बहुत ही कठिन है अतः किराया-भाड़ा में वृद्धि कर 2500 करोड़ रुपए तक की किराया और भाड़ों आदि में संशोधन कर अतिरिक्त संसाधनों के रूप में प्राप्त किए जा सकेंगे। दूरसंचार कार्यक्रमों का विस्तार और डाक संचालन में होने वाले घाटे को कम करने के लिए इन विभागीय उद्योगों से फिलहाल 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है।

4.46 सामान्यतया अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन भी बहुत ही असंतोषप्रद है। इस समय इन उद्यमों के लिए योजना परिव्यय मुख्यतः और गैर बजट संसाधनों और केन्द्रीय बजट समर्थन से की जा रही है और वे अपने आंतरिक संसाधनों से अपनी योजना परिव्ययों का केवल 1/3 भाग ही जुटा पाते हैं। इन उद्यमों की गतिशीलता को सुधारने और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर इनका वित्तीय भार कम करने के लिए यह परिकल्पना की गई है कि ये अपनी मूल्यनीति को युक्तियुक्त कर तथा अन्य उपायों से सब मिलाकर 11490 करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटा पाएंगे। अन्य उपायों में क्षमता के उपयोग में सुधार उत्पादकता स्तर बढ़ाने, इन्वेन्टरियां आदि कम करने का काम शामिल है।

4.47 केन्द्रीय बजट से जो रियायत दी गई हैं, उनमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यद्यपि यह संभव नहीं है कि इस परिपाटी को तुरंत बदल दिया जाए फिर भी इस बात के प्रयत्न किए जाने चाहिए कि वे रियायतें चाहे स्पष्ट हों या अस्पष्ट—उनको कम के करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि योजना के लिए बचत की जा सके।

4.48 केंद्रीय योजना के लिए वित्त व्यवस्था करते समय यह अपेक्षा की गई है कि केन्द्र 22490 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सफल होगा। इनमें से 8250 करोड़ रुपए केन्द्र कर और करेतर राजस्व में वृद्धि कर जुटाएगा जबकि रेलवे और डाकतार समेत केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों से 14240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

4.49 राज्य योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य सरकारें 22,212 करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सहमत हो गई हैं। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों और उनके उद्यमों द्वारा निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। इस कार्य में आय-लचीली कर प्रणाली कर प्रशासन की सुदृढ़ता और सार्वजनिक उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाने पर बल देने की आवश्यकता है।

4.50 आशा है कि राज्य विभिन्न करों और गैर कर उपायों से राजस्व प्राप्त करने के उपायों से लगभग 13 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटा पाएंगे। इन उपायों में कर दरों में परिवर्तन करने, करों की चोरी कम करने, कर कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और अधिक मात्रा में कर एकत्रित करना शामिल है। राज्यों की कर दरों में एक क्षेत्र के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करने, कर तथा करेतर उपायों द्वारा राजस्व प्राप्त करने की काफी गुंजाइश है।

4.51 राज्य उद्यम क्षेत्र में सातवीं योजना अवधि में राज्य बिजली बोर्डों को वाणिज्यिक हानि शुल्क की विद्यमान दर के अनुसार 11,757 करोड़ रुपए होगी। अतः रख-रखाव में सुधार लाने, अनावश्यक स्टाफ को कम करने, परेषण और वितरण हानियों को घटाने और समय-समय पर शुल्क की दरें समायोजित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इस प्रकार इन उद्यमों की वित्तीय क्षमता में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। कुछ हद तक लागत बढ़ने सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य बिजली बोर्ड सातवीं योजना अवधि में 7 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाए।

4.52 राज्य सड़क परिवहन निगमों में भी बहुत ज्यादा कमियां हैं, जिनको दूर करने के लिए उपाय अपनाए जाने चाहिए। वर्तमान दरों के अनुसार इन सबसे सातवीं योजना अवधि में 1,434 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है। प्राथमिक अनुमान यह बताते हैं कि यदि योजना के प्रथम वर्ष में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, योजना के तीसरे वर्ष में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तथा यात्रियों की संख्या बढ़ाने, स्टाफ-बस अनुपात, बसों का अधिकतम उपयोग करने और ठीक प्रकार से रखरखाव का कार्य करके कुशलता का 5 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो ये सब उपाय मिलकर सातवीं योजना अवधि में 2700 करोड़ रुपए अतिरिक्त संसाधन जुटा सकते हैं। परन्तु लागत आदि बढ़ाने की कतिपय संभावनाओं को ध्यान में रखकर राज्य सड़क परिवहन निगमों

से 2,200 करोड़ रुपए के लगभग अतिरिक्त संसाधन तो प्राप्त किए ही जा सकते हैं।

4.53 राज्य सरकारों के विभागीय उद्यमों में बहु-उद्देशीय बड़ी और मध्यम सिंचाई निर्माण कार्यों को प्रप्तियां सातवीं योजना अवधि के कार्यशील व्यय से 966 करोड़ रुपये कम रहेंगे। अतः पानी की दरों को उपयुक्त स्तर पर निश्चित करना होगा जिससे राज्यों के चालू राजस्व में से सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए निरन्तर रियायती सहायता की व्यवस्था न करनी पड़े। छठी योजना अवधि में सिंचाई दरों में संशोधन कर राज्यों ने केवल 79 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जबकि लक्ष्य 325 करोड़ रुपए की व्यवस्था का था। सातवीं योजना अवधि में राज्यों की सिंचाई दरों से अधिक धन प्राप्त करना होगा जिससे कम से कम चालू खर्च की पूर्ति हो सके।

4.54 सातवीं योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय यह आवश्यक प्रतीत होता है कि योजना जैसे-जैसे बढ़ती रहे उसके लिए वित्तीय व्यवस्था करने में कोई कठिनाई न आए और आधार स्तर संसाधनों का जो अनुमान लगाया गया है उसमें आने वाली कमी को होने वाले लाभ से बराबर किया जा सके। छठी योजना अवधि का अनुभव यह बताता है कि केन्द्र और राज्य दोनों ने मिलकर 11,668 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने के लक्ष्य से अधिक धन जुटाया परन्तु यह सब चालू रख रखाव की इकाइयों और सार्वजनिक उद्यमों के अंशदान में अनुमानित स्तर से 16,170 करोड़ रुपए कम होने के कारण बेकार हो गया। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि केन्द्र और राज्य दोनों आधार स्तर पर संसाधनों का अंशदान देने का जो अनुमान लगाए उसमें किसी प्रकार की कमी न आए और यदि आवश्यकता पड़े तो परिकल्पित राजस्व से अधिक संसाधन जुटाकर इसे पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में यदि कहीं कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति अतिरिक्त संसाधन जुटाकर पूरी की जाती है।

विदेश से पूंजी की निवल प्राप्ति

4.55 वर्ष 1984-85 के मूल्यों पर, 1985--90 सार्वजनिक क्षेत्र योजना के लिए विदेशों से 18,000 करोड़ रुपए मिल नेकी संभावना है। यह अनुमान आयात, निर्यात, वर्तमान अदृश पूंजीगत आदान-प्रदान के विस्तृत विवरण से भुगतान शेष पर आधारित है। सार्वजनिक क्षेत्र योजना के परिव्यय का कुल 10% विदेशों से प्राप्त होने की संभावना है।

अपूरित अंतराल/घाटे की वित्त व्यवस्था

4.56 सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिए योजना परिव्यय 180,000 करोड़ रुपए रखा गया है जबकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले साधन 166,000 करोड़ रु. है। इस प्रकार 14,000 करोड़ पए की जो कमी है उसकी पूर्ति घाटे की अर्थव्यवस्था से करने का प्रस्ताव है। वर्तमान मूल स्थिति और आर्थिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस मात्रा में घाटे की अर्थव्यवस्था करना सुरक्षित प्रतीत होता है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4.57 केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों का अनुमान 129,039 करोड़ रुपए लगाया गया है। इनमें से 29,737 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं की सहायता के रूप में राज्यों को दे दिए जाएंगे और इस प्रकार संघ शासित क्षेत्र सहित केन्द्र की सातवीं योजना परिव्यय के लिए 99,302 करोड़ रुपये बाकी बचते हैं। केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दी जाने वाली 29,737 करोड़ रुपए का आबंटन सारणी-4.14 में दिखाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र--निधियों के स्रोत तथा उपयोग

4.58 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा, सातवीं योजना अवधि के दौरान योजनागत और योजनेतर खर्चों के लिए, विभिन्न उपादानों से जुटाए जाने वाले संसाधनों का तथा उनके उपयोगों का ब्यौरा परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

सारणी-4.14

राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता (1985--90)

(1984-85 की कीमतों के अनुसार—करोड़ रुपए)

1. क्षेत्र कार्यक्रम	2,459
(1) पहाड़ी क्षेत्र	870
(2) जनजातीय क्षेत्र	756
(3) उत्तर पूर्वी परिषद	575
(4) सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	200
(5) अन्य कार्यक्रम	58
2. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	3,800
3. संशोधित "गांडगिल सूत्र" के अंतर्गत सहायता	23,627
(1) विशेष वर्ग के राज्य	7,102
(2) अन्य राज्य	16,525
कुल सहायता (1+2+3)	29,886
4. राहत कार्यों के लिए दी गई अग्रिम योजना सहायता के समायोजन को घटाकर	(-) 149
5. राज्य योजनाओं के लिए निवल केन्द्रीय सहायता	29,737

वित्तीय व्यवस्था की प्रणाली की राजकोषीय जटिलताएं

4.59 पूर्व योजना अवधियों में कर राजस्व से होने वाली प्राप्तियां राष्ट्रीय आय या कुल घरेलू उत्पादन के विकास के अनुरूप न्यूनाधिक रूप में स्वतः ही बढ़ती रही। परन्तु छठी योजना अवधि में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक मूल्य कर कुल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप पर कम हुआ। कारण था 1980-81 और 1984-85 के दौरान किसी प्रकार भी अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाए जा सके। केन्द्रीय स्तर पर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए जो उपाय

अपनाए गए थे उनसे यद्यपि 1984-85 तक कुल घरेलू उत्पादन के 1.58 प्रतिशत की प्राप्ति हुई लेकिन कुल घरेलू उत्पादन से केन्द्रीय कर का अनुपात केवल 0.14% बढ़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि दर बढ़ाने आदि से अतिरिक्त कर जुटाने के जो उपाय किए गए उनसे राजस्व के स्वतः विकास में कमी हुई अथवा कर प्रणाली की संरचना और कार्य कुछ इस प्रकार रहे कि वह आमदनी और कार्य के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता। राज्य करों की स्थिति भी इसी प्रकार की रही यद्यपि बिक्रीकर में स्वतः विकास हुआ परन्तु यह आय की वृद्धि के अनुपात से बहुत कम रहा। अतिरिक्त संसाधन जुटाए बिना कुल घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धा के रूप में कुल राज्य कर राजस्व में कमी आई और छठी योजना अवधि में वह 5.09 से घटकर 4.83 रह गया।

4.60 यह बहुत ही चिंता का विषय है कि पिछले दशक या उससे भी कुछ पहले से, चालू लागत स्तर पर गैर-कृषि कुल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष करों से होने वाली आमदनी (भू-राजस्व और कृषि आयकर को छोड़कर) निरन्तर घट रही है। यह 1975-76 में गैर-कृषि कुल घरेलू उत्पादन के 5.8 प्रतिशत से घटकर 1983-84 में 4.2 प्रतिशत रह गई। सभावना तो यह थी कि आर्थिक विकास के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि होगी। अतः प्रत्यक्ष करों के असफल रहने के परिणाम-स्वरूप सरकार को अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर रहना पड़ा जो 1975-76 के बाजार मूल्य के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन के 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में बढ़कर 14.0 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर 3.4 प्रतिशत से घटकर 2.3 प्रतिशत रह गये।

4.61 यह तथ्य कि गैर-कृषि कुल घरेलू उत्पादन तथा समस्त घरेलू उत्पादन से प्रत्येक करों का अनुपात निरन्तर घटता रहा है और छठी योजना अवधि का यह अनुभव भी बिल्कुल घरेलू उत्पादन की लगभग 2.3 प्रतिशत कर दर समायोजन आदि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किए गए वृहत प्रयत्नों के बावजूद कर अनुपात में केवल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि आई, यह स्पष्ट सूचित करता है कि कर प्रणाली और इसको लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था में पुनः संरचना और सुधार की नितांत आवश्यकता है। यह दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का एक प्रमुख काम है और इसे सातवीं योजना में शुरु किया जाना चाहिए। सातवीं योजना के संसाधनों के बारे में जो अभ्यास किए जा रहे हैं, उनमें यह मान लिया गया है कि स्वतः विकास तथा नीति संबंधी जो उपाय अपनाए जाएंगे उनसे कुल कर का अनुपात 1984-85 के 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 18.3 प्रतिशत हो जाएगा। योजना की सफलता काफी हद तक इस लक्ष्य की प्राप्ति पर निर्भर करती है।

4.62 सारणी 4.15 यह बताती है कि गैर-कृषि कुल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में 1975-76 से 1983-84 तक प्रत्यक्षकरों की क्या स्थिति थी। इससे यह देखने में आता है कि निगम कर के अलावा कुल घरेलू उत्पादन से केंद्रीय तथा राज्य के प्रत्यक्ष करों का अनुपात निरंतर घटता जा रहा है। इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है।

4.63 छठी योजना अवधि में सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की प्रवृत्तियों तथा सातवीं योजना में बजट संकेत (अतिरिक्त संसाधन जुटाने को छोड़कर) यह बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की स्थिति बहुत संकटमय है और कुछ समय यह स्थिति बने रहने की संभावना है। इस बात को देखकर यह आवश्यक हो जाता है कि राजकोषीय प्रबंध और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति अपनाई जाए। अध्याय-6 में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है।

सारणी–4.15

वर्तमान घटक लागत पर कुल गैर-कृषि समस्त घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष कर 1975-76 से 1983-84 तक

कर का स्वरूप	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984
1. निगम कर . .	2.24	2.17	2.54	2.34	2.31	1.84	2.35	2.30	2.32
2. आयकर . .	3.15	2.78	2.09	2.20	2.22	2.11	1.76	1.65	1.51
3. सम्पत्ति कर. .	0.14	0.14	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08
4. भूमि राजस्व और कृषि आयकर . .	0.68	0.52	0.50	0.53	0.37	0.28	0.32	0.27	0.27
5. अन्य प्रत्यक्षकर .	0.26	0.41	0.35	0.16	0.13	0.25	0.41	0.41	0.27
6. कुल प्रत्यक्षकर .	6.47	6.02	5.58	5.33	5.14	4.57	4.94	4.72	4.45
7. कुल प्रत्यक्षकर (भूमि राजस्व और कृषि आयकर को छोड़कर) .	5.79	5.50	5.08	4.80	4.77	4.29	4.62	4.45	4.18

परिवार क्षेत्र की वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का अनुमान

मुद्रा

स्थिर कीमतों पर उत्पादन लागत के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन के लिए परिवार की मांग के संकेत तैयार किए गए हैं। कुल घरेलू उत्पादन घटक के भी दो नमूने के चल अंकों पर लागत निश्चित की गई है। यह धारक बांडों में किए गए निवेश और मुद्रा में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं।

जमा

जमा में वृद्धि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और गैर-बैंकिंग कम्पनियों के जमा शामिल हैं। बैंकों की जमा घटक लागत पर कुल घरेलू उत्पादन के कार्य और कुल घरेलू उत्पादन की वृद्धि पर अनुमानित किए जाते हैं। परिवार क्षेत्र का भाग 79 प्रतिशत कल्पित किया गया है। गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमा, बैंकों के पास जमा राशि का 15 प्रतिशत माना गया है।

जीवन बीमा निधि

यह परिवार बचत जीवन बीमा निधि के रूप में होती है और जो एक प्रकार की संविदा है। योजना अवधि के दौरान जीवन बीमा निधि में 9845 करोड़ रुपए वृद्धि का अनुमान है।

भविष्य निधि

भविष्य निधियों में जमा होने वाली राशि में केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य भविष्य निधियां आती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि में जो जमा होती है उसमें कर्मचारियों और मालिक का अंशदान और निवेश पर ब्याज शामिल होता है। स्थिर बाजार मूल्यों के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में जो भविष्य निधि जमा होती है उसके अनुसार घटती हुई जमा के आधार पर संकेत निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल घरेलू उत्पादन का बाजार मूल्य बढ़ने और स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में कृषि इतर आय का अनुपात भी शामिल है।

शेयर और डिबेंचर निगम और सहकारी समितियों तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटें

निवेश में निगम सहकारी समितियों का भाग और डिबेंचरों के संकेत स्थिर बाजार मूल्य के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में अचल अंक से संबंधित कर लगाए गए हैं। इसमें कुल घरेलू उत्पादन का बाजार मूल्य तथा राष्ट्रीय आय में कृषि इतर आय का अनुपात और वृद्धि भी शामिल हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बचत का अनुमान इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों से जो प्रवृत्तियां देखने में आई हैं, उनके आधार पर लगाया गया है।

सरकार के पास जमा

परिवार क्षेत्र में सरकार से मिलने वाली निवल राशि में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और लघु बचत तथा धारक बैंकों का अंशदान आता है। इनका अनुमान चालू बाजार मूल्य पर कुल घरेलू उत्पादन और अन्य विभिन्नताओं पर फैलाकर—जैसे-लघु बचतों में तेजी से वृद्धि और हाल के वर्षों में धारक बांडों के रूप में किए गए निवेश के आधार पर लगाया गया है।

आवधिक ऋणदात्री तथा अन्य वित्तीय सस्थानों की प्रतिभूतियां

इनका अनुमान स्थिर मूल्यों पर घटक लागत के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में हुई घट-बढ़, कुल घरेलू उत्पादन के घटक मूल्य में हुई वृद्धि और कृषि इतर आय का राष्ट्रीय आय से अनुपात के आधार पर लगाया गया है।

अन्य परिसम्पत्तियां

अन्य परिसम्पत्तियों के अनुमान निजी कंपनियों तथा राज्य बिजली बोर्ड के साथ व्यापार के आदान-प्रदान की स्थिति को दर्शाते हैं और 1984-85 के मूल्यों के आधार पर इनका अनुमान 1570 करोड़ रुपए के आसपास लगाया गया है।

वित्तीय देनदारियां

वित्तीय देनदारियों का हिसाब कुल पारिवारिक वित्तीय परिसम्पत्तियों का व्यक्तिगत प्रायोज्य आय और भौतिक परिसम्पत्तियों की बचत के आधार पर तैयार किया गया है। इनका कुल अनुमान 32,428 करोड़ रुपए आंका गया है जो कुल पारिवारिक वित्तीय सम्पत्तियों का 24 प्रतिशत आता है।

सातवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुमान--1985--90

(1984-85 के मूल्यों के अनुसार करोड़ रुपए)

	केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित)	राज्य	जोड़ (कालम 1 + 2)
1. वर्तमान राजस्व से बकाया (कराधान की 1984-85 की दरों के अनुसार)	(-) 12,011	6,762	(-) 5,249
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंशदान			
(क) केन्द्र:--			
1. रेलवे	4,225	--	4,225
2. डाक-तार	1,729	--	1,729
3. अन्य उद्यम	31,500	--	31,500
(ख) राज्य :--			
1. राज्य बिजली बोर्ड	--	(-) 1,569	(-) 1,569
2. राज्य सड़क परिवहन निगम	--	(-) 415	(-) 415
3. अन्य	--	15	15
जोड़ (2)	37,454	(-) 1,969	35,435
3. बाजार से उधार (निवल)	20,620	9,942	30,562
4. लघु बचतों का भाग	6,377	11,539	17,916
5. राज्य भविष्य निधियां	2,300	5,027	7,327
6. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (निवल)	19,809	(-) 7,191	12,618
7. इकरारनामों के अन्तर्गत प्राप्त ऋण	--	4,639†	4,639
8. अतिरिक्त संसाधन जुटाना	22,490	22,212	44,702
9. विदेशों से निवल पूंजीगत प्राप्तियां	18,000	--	18,000
10. घाटे की वित्तीय व्यवस्था	14,000	--	14,000
11. कुल संसाधन	129,039	50,961	180,000
12. राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	(-) 29,737	29,737	--
13. कुल संसाधन	99,302	80,698	180,000

† इसमें उत्तर-पूर्वी परिषद् के लिए जीवन बीमा निगम से लिया गया 100 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है।

परिशिष्ट-III

सार्वजनिक क्षेत्र—निधियों के स्त्रोत का उपयोग : सातवीं योजना : 1985—90

(करोड़ रुपए)

प्राप्तियां	केंद्र और संघ शासित क्षेत्र	राज्य	जोड़	1984-85 के मूल्यों पर खर्च	केंद्र और संघ शासित क्षेत्र	राज्य	जोड़
क. राजस्व प्राप्तियाँ				गैर-योजना			
1. कर राजस्व (कुल)	138,941	79,396	218,337	1. ब्याज की अदायगी	46,222	20,351	66,573
2. (केंद्रीय करों में राज्यों का भाग (--)	36,087	36,087	--	2. छठी योजना की स्कीमों पर रख-रखाव खर्च	1,684	7,992	9,676
3. करेत्तर राजस्व	35,545	20,425	55,970	3. सहायता	16,805	--	16,805
4. केन्द्र से अनुदान	--	5,216	5,216	4. रक्षा	45,000	--	45,000
				5. अन्य विकासेत्तर खर्च	33,911	106,019	139,930
				6. राज्य, संघ शासित क्षेत्र और स्थानीय निकायों के अनुदान	6,135	--	6,135
				7. विदेशी सरकारों को अनुदान	653	--	653
उप जोड़ (राजस्व प्राप्तियां)	138,399	141,124	1279,523	उपजोड़ (खर्च गैर-योजना)	150,410	134,362	284,772
ख. अन्य प्राप्तियां				ख. योजना परिव्यय			
1. सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान	37,454	(—) 1,969	35,485	1. कृषि	4,325	6,249	10,574
2. बाजार ऋण	20,620	9,942	30,562	2. ग्रामीण विकास	4,931	4,143	9,074
3. लघु बचतों का भाग	6,377	11,539	17,916	3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	3,145	3,145
4. राज्य भविष्य निधियां	2,300	5,027	7,327	4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,029	15,950	16,979
5. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (निवल)	19,809	(--) 7,191	12,618	5. ऊर्जा	32,035	22,786	54,821
				6. उद्योग और खनिज	18,675	3,786	22,461
6. इकरारनामों के अंतर्गत प्राप्त ऋण	--	4,639	4,639	7. परिवहन	17,199	5,772	22,971
7. अतिरिक्त संसाधन जुटाना	22,490	22,212	44,702	8. संचार सूचना और प्रसारण	6,373	99	6,742
				9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2,309	157	2,466
8. विदेशों से प्राप्त निवल पूंजीगत प्राप्तियां	18,000	--	18,000	10. समाज सेवाएं	12,167	17,183	29,350
				11. अन्य	259	1,428	1,687
उपजोड़ (अन्य प्राप्तियां)	127,050	44,199	171,249	उपजोड़*	99,302	80,698	180,000
कुल प्राप्तियां (राजस्व जमा अन्य प्राप्तियां (क जमा ख)	265,449	185,323	450,772				
(ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	(–) 29,737	29,737	--				
(घ) घाटे की वित्तीय व्यवस्था	14,000	--	14,000				
कुल जोड़ (क जमा ख जमा ग जमा घ)	249,712	215,060	464,772				
				कुल जोड़ (क जमा ख)	249,712	215,060	464,772

*योजना परिव्यय का हिसाब 1 करोड़ रुपए के पूर्णांक तक लगाया गया है।

अध्याय–5
भुगतान शेष

सामान्य

5.1 द्वितीय तेल आघात और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में जो उल्लेखनीय बिगाड़ आया, भारत इस संकट से अपने आप को उबारने में सफल रहा। अनावश्यक आयात को बंद करने की जो कार्यनीति अपनाई गई उसमें छठी योजना में अवास्तविक विनियोजन की वास्तविक विनियोजन की गति बनाई रखी। इस नीति का अनुसरण करते हुए विनियोजन की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई और थोड़े ही समय में चालू लेखा घाटा बरदाश्त करने योग्य स्तर पर बनाए रखा जा सका और इसके भुगतान शेष की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से विस्तृत निधि सुविधा से एस डी आर के अंतर्गत 5 विलियन निकाल कर आवश्यक भुगतान शेष की व्यवस्था की गई। इन उपायों की सफलता इस बात से देखी जा सकती है कि कुल घरेलू उत्पादन का वार्षिक विकास 5.2 प्रतिशत की निर्धारित दर से होता रहा। ऊर्जा आयात की निर्भरता में तेजी से कमी आई तथा कुल घरेलू उत्पादन में चालू लेखा घाटा भी कम हुआ। बाहरी अदायगी-स्थिति में सुधार आने से भारत ने विस्तृत निधि के अंतर्गत 5 विलियन एस डी आर निकालने की जो व्यवस्था की थी उसमें से 1.1 विलियन नहीं लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान ऋण सेवा दायित्व में बड़ी तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक उधार के जो इकरारनामे किए गए हैं उन सहित विदेशी ऋण की औसत शर्तें बहुत कठोर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिए गए धन की अदायगी की जानी है और रियायती सहायता में बहुत गिरावट आ गई है। अंतः एक बार फिर भुगतान शेष को विपरीत विदेशी कारणों का बोझ सहना पड़ेगा। यह बोझ वास्तविक रियायती सहायता के कम होने, ब्याज की दर अधिक होने तथा विदेशी ऋण तथा उधार की परिपक्वता की अवधि कम होने के रूप में होगी। छठी योजना में भुगतान शेष सुदृढ़ करने के लिए समायोजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें तीव्रता लानी होगी ताकि 1980 के उत्तरार्ध में अवांछित विकल्पों से जो स्थिति पैदा हो गई थी उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। अर्थात् आयात की कमी के कारण अधिक मात्रा में ऋण लेना पड़ा और विकास की गति कम करनी पड़ी।

छठी योजना

अनुभव

5.2 कुल मिलाकर जैसे पहले आरंभ में अपेक्षा की जा रही थी कि उसकी तुलना में छठी योजना अवधि में भुगतान शेष की स्थिति अच्छी रही। वर्ष 1980—85 के दौरान,

सारणी–5.1

भुगतान शेष 1980—85: चुने हुए संकेतक

1980—85:—चुने हुए संकेतक

	व्यापार में घाटा (हजार करोड़ रु.)	चालू लेखे का घाटा (बाजार मूल्यों पर कुल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता से)	पी ओ एल आयात उपयोग अनुपात (प्रतिशत)	विदेशी मुद्रा[1] में आरक्षित निधि (आयात समानता के महीने)
	1	2	3	4
1980-81	5.8	1.4	73	4.6
1981-82	5.8	1.8	57	3.0
1982-83	5.4	1.3	46	3.6
1983-84	5.9	1.1	36	4.3
1984-85[2]	5.2	1.0[2]	31	5.0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय

1 सोने और एस० डी० आर० को छोड़कर

2. योजना आयोग के अंतिम अनुमान

अब चालू लेखे का घाटा प्रत्याशित राशि का दो-तिहाई आंका गया है। यही कारण है कि प्रत्याशित विदेशी सहायता के मुकाबले में निवल सहायता काफी कम मिलने तथा अन्य उधारों में मामूली वृद्धि होने पर भी जमा विदेशी मुद्रा तीन महीने में आयात किए जाने वाले सामान के मूल्य से अधिक रहा। इस अनुकूल स्थिति के अनेक कारण हैं। अच्छा कार्य संचालन, खासकर बुनियादी संरचना का, ऊर्जा आयात का तेजी से प्रतिस्थापन, इस्पात, अलोह धातुओं, सीमेंट और उर्वरक उद्योगों के प्रतिस्थापन में तेजी से वृद्धि और कृषि में उत्पादन में निरंतर वृद्धि होने से आयात की मात्रा काफी घट गई। इनसे अर्थव्यवस्था को गैर-उत्पादक आयात पर अंकुश से मुक्त करके चुनी हुई वस्तुओं के आयात करने में भी उदारता बरती जा सकी और वस्तुतः कुल आयात में लगभग 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ निवल अदृश्य आमदनी योजना संकेतों की अपेक्षा काफी अधिक हुई। इसका मुख्य कारण है विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अप्रत्याशित रूप से भारत को धन भेजना। अंत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और दूसरे तेल आघात से अन्य आयात की जाने वाली सामग्री के मूल्य बढ़ने से

यद्यपि मूल्य में वृद्धि हुई परन्तु जितनी अपेक्षा की जा रही थी उससे कम रही ।

सारणी 5.2

भुगतान शेष का निष्पादन 1980-85

(1979-80 के मूल्यों के अनुसार हजार करोड़ रु .)

	छठी योजना के संकेत	अनुमानित वास्तविक
निर्यात	41.1	33.0
आयात	—58.9	—54.0
व्यापार शेष	—17.8	—21.0
अदृश्य, निवल	8.7	14.6
चालू लेखा घाटा	—9.1	—6.4
वित्त व्यवस्था	9.1	6.4
निवल सहायता	5.9	3.8
अन्य उधार	5.1	5.3
विदेशी मुद्रा जमा का उपयोग (— =वृद्धि)	1.0	—0.6
निर्यात की क्रयशक्ति घटने से आयात में कमी आने से होने वाला नुकसान	—2.9	—2.1

5.3 बहरहाल निर्यात की आमदनी लक्ष्य से कम रही । असामान्य आंतरिक और बाह्य प्रतिकूल गतिविधियों के कारण निर्यात का निष्पादन निराशाजनक रहा । भारतीय निर्यात की संवृद्धि काफी हद तक विश्व व्यापार के विस्तार पर निर्भर करता है । योजना अवधि के पहले तीन वर्ष 1980-83, व्यापार में गंभीर अंतर्राष्ट्रीय गिरावट से ग्रसित रहे और विश्व व्यापार में एक प्रकार से स्थिरता बनी रही । अनेक उत्पाद या उत्पादन समूह जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे इंजीनियरी का सामान, चमड़ा और चमड़े का सामान, कपड़ा पर विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के बाजार में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने सामान को संरक्षण देने की नीति पुन: शुरू कर दी । कई बार बिजली की कमी के कारण भी निर्यात की जाने वाली सामग्री का उत्पादन घटा, जबकि अन्य प्रकार का उत्पादन जैसे चाय और समुद्री उत्पादन के काम में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। घरेलू बाजार में इस प्रकार की प्रवृत्तियों निरंतर चलती रहने से कुल घरेलू उत्पादन में निर्यात का जो छोटा-सा भाग था वह घटकर और भी कम हो गया । इंजीनियरी का सामान, चमड़ा और चमड़े के सामान का निर्यात जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है या उसमें एकदम कमी आने लगी और पोशाक, रसायन और संबद्ध उत्पादन, रत्न और जेवरात के निर्यात में भी कोई खास तेजी नहीं आई तथा अनिर्धारित चीजों के निर्यात का विस्तार जिसमें विविध प्रकार के कृषि उत्पादन आते हैं, के निर्यात में भी, योजना अवधि में कमी आई ।

5.4 निर्यात में हुई कमी तथा छठी योजना में परिकल्पना स्तर से अधिक व्यापार घाटा होने से भविष्य में भुगतान शेष की कठिनाईयों से निबटना कठिन होगा । इस कठिनाई में और भी वृद्धि आएगी क्योंकि विशेषकर कच्चे तेल के उत्पादन के क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन की गुंजाइश बहुत ही कम है । योजना अवधि 1985-90 में इस समस्या से जूझना होगा । बावजूद इसके कि वर्तमान जमा राशि तथा कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में चालू लेखे में जो कमी आई है उन दोनों का अनुपात एक समान है ।

सातवीं योजना

भावी संकेत

5.5 *1960 के मध्य से निर्यात किए जाने वाली विभिन्न जिन्सों में काफी विविधता आई है । यह विविधता निर्यात से होने वाली आमदनी में काफी घट-बढ़ होने का प्रभाव है। इसके साथ-साथ 1970 के आसपास से इंजीनियरिंग सामान सहित छोटी वस्तुओं के निर्यात, रसायन और सम्बद्ध उत्पादन रत्न और जेवरात, पोशाक चमड़ा और चमड़े से बना सामान तथा समुद्री उत्पादनों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है । बढ़ रहे निर्यात में जिन जिन्सों का अधिक उपयोग हुआ है, यद्यपि वे चीजें ऐसी हैं, जिनका स्वत: ही प्रतियोगी और विशेषीकृत लाभ है पर इन चीजों में भी संरक्षण देने की प्रथा या स्थानीय पूर्ति समस्याओं के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ सकता है । यद्यपि इस प्रकार जिन्सों का संकेन्द्रण कुछ थोड़े समय के लिए बना रह सकता है परन्तु प्रस्तावित नीतियों प्रतियोगी वस्तुओं के निर्यात पर बल देने से केवल योजना निर्यात लक्ष्य पर्याप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी बल्कि योजना अवधि के बाद अधिक तेज और विविध प्रकार के निर्यात का विकास करने में आधारशिला का काम करेगी ।

5.6 सातवीं योजना में विदेश व्यापार और उपयोगिताओं के लिए जो कार्यनीति अपनाई गई है उससे निर्यात में वृद्धि होने के साथ-साथ निर्यात की आमदनी से होने वाले वास्तविक विकास में भी काफी वृद्धि होगी । अनुमान है कि 1985-90 के दौरान निर्यात की मात्रा में प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी । यह परिकल्पना सांख्यिकीय भविष्य-वाणियों के आधार पर की गई है और कुछ मामलों में विभिन्न जिन्सों और जिन्सों के समूह की उपलब्धि और घरेलू मांग के आधार पर निश्चित की गई है । इसकी पिछली निर्यात निष्पादन के विश्लेषण से जांच की जा चुकी है और योजना अवधि में विदेशी व्यापार नीति में क्या परिवर्तन आएंगे उनके प्रभाव को भी आंका गया है । निर्यात संकेतों का जिन्स ब्यौरा सारणी 5.3 में दिया गया है ।

5.7 निर्यात के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उनमें से

*इस समय विभिन्नता की मात्रा कुछ विकसित देशों के निर्यात के समान है ।

अधिकांश भाग की प्राप्ति औद्योगिकी उत्पादों के निर्यात से होगी उनमें भी इंजीनियरी का सामान, रसायन और सम्बद्ध उत्पाद, सिले-सिलाए वस्त्र तथा रत्न और आभूषण अधिकांश भाग यानी अनुमानित निर्यात के आधे से भी अधिक की पूर्ति करेंगे । आभूषणों को छोड़कर यह निर्यात योजना अवधि में कुल घरेलू उत्पादन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ेगा । वस्तुतः दीर्घकालीन निर्यात विकास में भी अधिक मात्रा में तैयार सामान और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्यात पर भी विकास होगा । परन्तु कृषि जिन्सों के विपरीत इसमें एक बात यह है कि माल तैयार करने की वृद्धि भूमि उपलब्धि के अनुसार नहीं बढ़ती जबकि कच्चा सामान और अन्य विदेश की कमी को आयात से पूरा किया जा सकता है । इसके अलावा तैयार सामान का जो विश्व व्यापार है वह बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है और बाजार में उसकी बिक्री करना कोई कठिन काम नहीं है ।

सारणी 5.3

माल का निर्यात (फोब)

(वर्ष 1984-85 के मूल्यों के अनुसार करोड़ रु.)

उत्पादन/उत्पाद समूह	1984-85	1989-90	सातवीं योजना जोड़ 1985-90
1. चाय	718	770	3724
2. कॉफी	221	232	1136
3. अनिर्मित तम्बाकू	212	258	1193
4. काजूगिरी	217	312	1334
5. तैयार भोजन	328	424	1918
6. मसाले	217	270	1243
7. समुद्री उत्पाद	388	446	2113
8. पटसन का सामान	207	222	1078
9. कच्चा लोहा	438	608	2676
10. चमड़ा और चमड़े से निर्मित सामान	533	577	2796
11. सूती कपड़े	380	440	2077
12. पोशाक	875	1336	5683
13. इंजीनियरी का सामान	870	1862	7011
14. रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	760	1224	5105
15. आभूषण	1367	1663	7700
16. अन्य दस्तकारी की वस्तुएं	415	494	2307
17. उप जोड़ (1 से 16 तक)	8146	11138	49094
18. अन्य	1816	2693	11559
19. कुल जोड़ (17+18)	9962	13831	60653

5.8 यद्यपि यह थोड़ी मात्रा में होगा फिर भी अनेक छोटी बड़ी जिन्सों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आमदनी महत्वपूर्ण होगी । यह जिन्स कच्ची धातुओं से साबुन की टिकिया तक हो सकती है लेकिन इनमें चावल, गेहूं, फल और सब्जियां जैसी कृषि जिन्सों (पौध-उत्पाद, तम्बाकू और तैयार भोजन को छोड़कर) भी शामिल है । इस वर्ग के सामान का निर्यात वास्तविक कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में काफी तेजी से रहा है लेकिन इनका कुल घरेलू उत्पादन से आंशिक संबंध है क्योंकि इस पर आंतरिक कारणों की अपेक्षा विश्व बाजार का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है । इसमें कोई विशेष परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इसके निर्यात में वृद्धि करने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि इसमें शामिल अनेक जिन्स जैसे आधारभूत खाद्य या कृषि जिन्सों, भूमि सिंचाई सुविधाओं और अन्य संसाधनों पर निर्भर करती है।

5.9 अन्य श्रेणी की जिन्सों जिनमें अन्य वस्तुओं के अलावा चाय, मसाले, सूती कपड़ा, चमड़ा और चमड़े से निर्मित सामान तथा समुद्री उत्पादन आते हैं के विकास के संकेत कुल घरेलू उत्पादन के विकास की गति के साथ चलते हैं। इन चीजों का निर्यात उनकी उपलब्धि पर निर्भर करता है और घरेलू मांग बढ़ने या उत्पादन कम होने या दोनों के कारण पूर्ति को स्थिति गंभीर हो जाती है । अतः इनके बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे सुधरी उत्पादकता उपायों को अपनाने में माध्यम अवधि से उत्पादन की विस्तार की संभावनाओं पर आधारित है और इस तरह वास्तविक संकल्पनाए हैं । उत्पादन बढ़ाने में विनियोजन का कुल कितना प्रभाव पड़ा, इसका पता कुछ समय बाद ही चलता है । अन्य वस्तुओं की तुलना में पटसन निर्माण, सूती कपड़ा (मिल और हैंडलूम) कच्चा लोहा और अनिर्मित तम्बाकू, जहां निर्यात की संभावनाएं विश्व बाजार पर अवलंबित हैं, के लिए सीमित लक्ष्य रखे गए हैं । इसका निर्यात बहुत धीमी गति से बढ़ेगा क्योंकि कुछ विकसित देशों ने अपने देश में निर्मित सामान को संरक्षण देकर इसके आयात पर अंकुश लगा रखे हैं । जहां तक पटसन से निर्मित सामान का संबंध है, इसके निर्यात पर सिंथेटिक प्रतिस्थापन तथा अन्य देशों में निर्मित पटसन के सामान के साथ प्रतियोगिता से प्रभावित होगा ।

5.10 सातवीं योजना अवधि के दौरान सांकेतिक आयात में 5.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की संभावना है अथवा उससे थोड़ी ही अधिक होगी, जिस गति से अर्थ-व्यवस्था आगे बढ़ेगी । परन्तु ऐसी अधिकांश आयातित चीजों की आवश्यकता जैसे—पेट्रोल, तेल, स्नेहक, धातुएं, अखबारी कागज, खाने के तेल, अनुमान से कुछ अधिक मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ घरेलू उत्पादन से थोड़ा अधिक पड़ेगा । अनुमानित अधिकतर जिन्सों की आयात की पड़ताल, खास जिन्स के अधिशेष तथा निवेश-उत्पाद की उपलब्धता से सहायता की जाती है । अन्य आयात की जाने वाली चीजों में अनेक प्रकार की जिन्सें और उत्पादन हैं और चीजें

उनके अनुमानित आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण समेकित रूप में किया जाता है ।

5.11 अनुमान है कि पेट्रोल जन्य पदार्थों की मांग 5.5–6.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा । उपभोग में यह वृद्धि विकास और कुल घरेलू उत्पादन की संरचना में परिवर्तन की अभिव्यक्ति ही नहीं करते वरन् ऊर्जा मूल्य नीति तथा पेट्रोल जन्य पदार्थों की मांग को सीमित रखने के लिए किए गए अन्य उपायों का प्रभाव भी बताते हैं । कच्चे तेल का उत्पादन 1984-85 में 290 लाख टन हुआ जो कि 1989-90 में 345 लाख टन हो जाएगा । इसका यह मतलब हुआ कि छठी योजना अवधि की अपेक्षा देश में कच्चे तेल की उपलब्धि में मामूली वृद्धि होगी । इस प्रकार कच्चे तेल और पेट्रोल जन्य पदार्थों के आयात का मूल्य* तेल शोधन की क्षमता पर निर्भर करेगा और यह बढ़कर 34.46 करोड़ रुपए होने का अनुमान है या 1984-85 के कुल आयात बिल के 22 प्रतिशत तथा वर्ष 1989-90 में 5136 करोड़ रुपए या 25 प्रतिशत होने का अनुमान है ।

5.12 नत्रजन और फास्फैटिक उर्वरकों का उत्पादन योजना में 35.6 लाख टन (नत्रजन पौष्टिकता के अनुसार) होने की परिकल्पना की गई है । यह काफी अच्छी वृद्धि होगी और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि मांग में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी और तैयार उर्वरकों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । परन्तु उर्वरक उत्पादन के लिए देश, जिन आयातित सामग्रियों पर निर्भर है, उनकी मांग भी काफी बढ़ जाएगी । इस प्रकार उर्वरक और उर्वरक निवेश-दोनों को मिलाकर योजना अवधि में लगभग दस प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि होगी ।

5.13 इस्पात, सीमेंट, नकली रेशे तथा फिर से ठीक किए गए रेशे, अखबारी कागज और अलौह धातुएं उन अधिकांश जिन्सों में से हैं, जिनका आयात कम होने की संभावना है या अयात स्थापन में प्रगति होने से मामूली वृद्धि होगी । इस प्रकार इस्पात का आयात (कच्चा इस्पात, और विशेष इस्पात) अनुमान से 85 करोड़ रुपए कम होगा और उनका कुल आयात, जो कि 1984-85 में 6.2 प्रतिशत था, घट कर 1989-90 में 4.3 रह जाएगा । सीमेंट के मामले में योजना अवधि के आरम्भ में ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी और 1985-86 के बाद इसे आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हाथ से बने सूत का आंतरिक उत्पादन भी काफी बढ़ जाएगा और 1989-90 तक यह आंतरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी होगा । जहां तक अखबारी कागज का संबंध है, इसका आयात योजना अवधि के दौरान लगभग 1/3 घट जाएगा । अलौह धातुओं के संबंध में 1.6 प्रतिशत मामूली प्रतिवर्ष बढ़ने का जो अनुमान लगाया गया है, उसका कारण जिन्स और एल्यूमीनियम के उत्पादन में भारी वृद्धि होना है । एल्यूमीनियम का आयात योजना के अन्तिम वर्ष से एक वर्ष पहले पूर्णतया समाप्त होने की संभावना है । कोकिंग कोयले का आयात बहरहाल बढ़ेगा परन्तु एक छोटी जिन्स होने के कारण इसका भाव 1989-90 में कुल आयात बिल में 1 प्रतिशत से भी कम होगा ।

5.14 इस समय अनाज का काफी बड़ा भण्डार जमा है और उत्पादन बढ़ने तथा सिंचाई के विस्तार होने से सूखे का प्रभाव बहुत कम रहेगा । अतः अनाज आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी । परन्तु खाने के तेलों के आयात में कुछ कमी आने की संभावना है । इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई आंतरिक मांग और आंतरिक उत्पादन में अपेक्षा से ज्यादा वृद्धि होने के लिए मध्यकालीन क्षमता का कम होना है ।

5.15 जिन चीजों का आयात बड़ी मात्रा में नहीं करना, उनमें बहुत ही उच्च किस्म के उत्पादन है और इस समय कुल आयात का लगभग आधा भाग इन्हीं का है । उपस्कर, हिस्से पुर्जे, औषधियां और दवाइयां, सूक्ष्म यंत्र, निर्यात के लिए आयात किए जाने वाले बिना पालिश के हीरे, उन महत्वपूर्ण आयातों में हैं जो बाकी वर्ग में आते हैं । यद्यपि यह इकाई स्तर से कम है, फिर भी, कुल घरेलू उत्पादन को देखते हुए अधिकांश जिन्सों में न आने वाली चीजों के आयात में लचीलापन बना रहेगा और इसमें 1973-74 और 1981-82 के मध्य 2.17 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है । आयात में इस प्रकार का लचीलापन आने का मुख्य कारण यह है कि उपभोग की मांग सीमित रखी गई और 1970-80 के मध्य चुनी हुई चीजों के आयात में उदारीकरण लाने से पहले उनकी इन्वेन्टिरिया तैयार कर ली गई । हाल ही में छठी योजना के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकांश जिन्सों के समूह में न आने वाली चीजों का आयात और कुल घरेलू उत्पादन में समानता आ रही है । तदनुसार भारी मात्रा में आयात न की जाने वाली जिन्सों की आवश्यकता है । आयात लचीलेपन के अनुसार 1.2 आंकी गई है । इसका अर्थ यह हुआ कि औसत वार्षिक विकास में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी । भारी मात्रा में आयात की जाने वाली जिन्सों का सातवीं योजना का ब्यौरा सारणी 5.4 में दिया गया है ।

5.16 सातवीं योजना में व्यापार के जो संकेत तैयार किए गए हैं, उनमें अनुमानित गतिविधियों के कारण, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । अतः ऐसी घटनाओं के लिए जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती, कुछ व्यवस्था करनी आवश्यक हो जाती है । तदनुसार समस्त आयात पूर्वानुमानों में आकस्मिकता की गुंजाइश रखी गई है । इस संबंध में सबसे पहला जोखिम व्यापक रूप से सूखा पड़ना है । कृषि क्षेत्रों को अवर्षा के कारण पैदा होने वाले प्रभाव का सामना करने के लिए ठीक प्रकार से सुसज्जित किया जा रहा है । लेकिन इसके अलावा अर्थ-व्यवस्था और विदेशी व्यापार के

सभी मूल्य रुपयों में 1984-85 में नियत मूल्यों पर आधारित हैं

क्षेत्र में जो नुकसान होंगे, उनकी अधिकांशतः अनदेखी ही की जा रही है। दूसरी बात यह है कि भारत का निर्यात-व्यापार विश्व व्यापार के विकास पर निर्भर करता है और मध्यकालीन विश्व व्यापार की प्रवृत्तियां कुछ अनिश्चित ही चली आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि वर्तमान संकेतों के अनुसार सातवीं योजना में व्यापार की शर्तों में कुछ गड़बड़ होने से लगभग 700 करोड़ रुपए या उससे काफी कम, जो 1980-85 में हुआ, नुकसान होने की संभावना है। भारत का व्यापार ऐसा है कि इस पर अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का प्रत्यक्ष सीधा प्रभाव पड़ता है जो कि वस्तुतः एक स्थाई रूप धारण कर लेते हैं। अन्त में भुगतान अधिशेष में अन्य तत्वों की अपेक्षा अदृश्य आमदनी के संकेत बहुत ही कम दृढ़ रहते हैं।

सारणी 5.4

माल का आयात (सिर्फ)

(1984-85 के मूल्यों के अनुसार करोड़ रुपए)

उत्पादन/उत्पाद समूह	1984-85*	1989-90	सातवीं योजना का जोड़ 1985-90
1	2	3	4
1. कच्चा तेल और पेट्रोल जन्य पदार्थ**	3446	5136	22273
2. रासायनिक उर्वरक और उर्वरक का कच्चा माल	1819	3015	13144
3. तैयार लोहा और विशेष इस्पात	973	888	4340
4. मुख्य अलौह धातुएं***	350	380	1908
5. सीमेंट	33	—	33
6. अखबारी कागज	120	86	473
7. खाने का तेल	1200	909	4545
8. कोकिंग कोयला	50	164	600
9. बनावटी रेशा और फिर से ठीक किया गया रेशा	67	—	143
10. उपजोड़ (1 से 9 तक)	8058	10578	47459
11. आकस्मिक आयात सहित अन्य	7542	10116	47978
12. जोड़— आयात (10 जमा 12)	15600	20694	9.5437

*अस्थाई अनुमान

**सकल कच्चा और तैयार माल का निर्यात

***एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, जस्ता, टिन और निकल।

5.17 विदेशों में रहने वाले भारतवासी जो धन भारत भेजते हैं, या यात्रा प्राप्तियां भेजते हैं, वह सकल अदृश्य आमदनी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। विदेशों से भारत भेजने वाले भारतीय सबसे ज्यादा धन मध्यपूर्व के देशों से भेजते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार के आसपास विद्यमान अनिश्चितताओं के कारण विकास योजनाओं और खर्च में काफी गड़बड़ हो जाती है। अतः उस संबंध में कि कितना धन भारत आएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। विदेशों से आने वाले धन का अनुमान एक सामान्य निम्नस्तर पर ही लगाया जा सकता है और वास्तविक रूप में इसमें कुछ न कुछ कमी आ ही सकती है। अदृश्य रूप से प्राप्तियों के संकेत यह बताते हैं कि इससे प्राप्तियां बहुत कम हैं, लेकिन अपरम्परागत जैसे परामर्श सेवाएं और विशेषीकृत विशेषज्ञता निर्यात के बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत कम हैं। कुल मिलाकर अदृश्य आमदनी से माल लेखे में होने वाले घाटे को आधे से कुछ ज्यादा पाटने की संभावना है और सातवीं योजना अवधि में इसकी राशि छठी योजना अवधि से कम होने की संभावना है।

5.18 पर्यटन के विकास की जो संभावनाएं की गई थी वह 1980 के आस-पास जो गंभीर अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी आई उसका इस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और बाजार के मुख्य स्रोत को प्रभावित किया। परन्तु जैसे अन्तर्राष्ट्रीय जैसे बाजार आर्थिक क्षेत्र के देश मन्दी के दौर से उभरेंगे वैसे-वैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार पर्यटन के विकास की दर आगे बढ़ने लगेगी। सकल अदृश्य के अनुमान लगाते समय यात्रा प्राप्तियों से प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

5.19 विदेशी बचत आवश्यकता के चालू लेखे में जो घाटा बना हुआ था, उसे सातवीं योजना में भी परिलक्षित कर दिया है और अब यह अदृश्य प्राप्तियां 20,000 करोड़ रुपए तक होंगी परन्तु इसके तदनुरूप वित्तीय आवश्यकता बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि निर्यातों के आयात की क्रयशक्ति घट गई है और आयात मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सातवीं योजना में 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की भी पूर्ति करनी होगी, ताकि उनका स्तर अपेक्षित न्यूनतम तीन महीने के व्यापार आयात से नीचे न गिरने पाए।

5.20 विदेशी उधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 20,900 करोड़ रुपए का जो अनुमान लगाया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि कुल घरेलू उत्पादन विकास लक्ष्य प्राप्त कर आयातित वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा इसके आकार और गठन भावी ऋण सेवा दायित्व को प्रबंधीय सीमा में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। विदेशी उधार कार्यक्रम की गतिशीलता आमतौर पर परम्परागत संकेतों—जैसे चालू प्राप्तियों में ऋणसेवा अदायगियों के अनुपात के रूप में विश्लेषित किया जाता है। आयात की अदायगी का स्वरूप निरन्तर बदलता रहता है। अतः इसमें ऋण सेवाओं के लिए अदा की जाने वाली राशियों का जो अनुपात है, वह आयात की मात्रा को ठीक प्रकार से परिलक्षित नहीं करता और उसकी पूर्ति के लिए बाह्य उधार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार आयात के संदर्भ में चालू लेखा घाटा

या कुल घरेलू उत्पादन के अंश के रूप में कुछ कहना, ऋण सेवा भार के सूचकांक ठीक प्रकार रखने से ही संभव हो सकेगा। परन्तु इस समय जिन दो संकेतकों का उपयोग किया जा रहा है, उनके अनुसार उधार कार्यक्रम सुरक्षित सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा और ऋण सेवा अनुपात 20 प्रतिशत से कम रहेगा और 1985--90 तक कुल घरेलू उत्पादन में चालू लेखा घाटा औसतन 1.6 प्रतिशत बना रहेगा।

भुगतान शेष की नीति

5.21 विदेशी मुद्रा का पुनः अभाव न हो, सातवीं योजना अवधि में इस बात को रोकने के लिए निरन्तर सतत प्रयास करने होंगे। भुगतान शेष की गतिशीलता बनाए रखने और उत्पादन की बढ़ोतरी या पूंजीगत निर्माण स्वीकृत स्तर तक होता रहे, यह इस संबंध में एक प्रमुख कार्यनीति होगी। इस प्रकार चालू लेखा में जो वास्तविक घाटा होगा और जिस तरीके से इसकी पूर्ति की जाएगी, उससे उसे योजना संकेतों और संभावनाओं के साथ तालमेल बनाए रखना होगा अन्यथा ऋण सेवा बोझ इतना भारी हो सकता है कि वह महत्वपूर्ण न्यूनतम आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मात्रा को बहुत घटा दे। व्यापार घाटे को समुचित स्तर से आगे नहीं बढ़ने देना होगा, जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया है। वस्तुतः आयात विकास अर्थ-व्यवस्था का ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए आयातित निवेशों की उपलब्धि ठीक प्रकार से करने का एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। बेकार क्षमता को गतिशील करने और उद्योग का काम विश्व बाजार के अनुरूप बनाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सारणी 5.5

भुगतान शेष के संकेत 1985—90

(1984-85 के मूल्यों के अनुसार हजार करोड़ रुपए)

1. निर्यात	60.7
2. आयात	-95.4
3. व्यापार संतुलन	-34.7
4. अदृश्य (सकल)	14.7
5. चालू लेखा घाटा	-20.0
वित्त व्यवस्था	
1. सकल सहायता और अन्य उधार	20.9
2. संचित विदेशी मुद्रा का उपयोग (-वृद्धि)	-0.2
3. निर्यात की क्रयशक्ति घटने से आयात में हुई कमी के कारण हानि	-0.7
ज्ञापन मदें (प्रतिशत)	
1. प्राप्तियों के अनुपात में ऋण सेवा	17.6
2. कुल घरेलू उत्पादन के अनुपात में चालू लेखा घाटा	1.6

इसके साथ-साथ कुशल निर्यात प्रतिस्थापन को बढ़ाने और विविधता लाने के काम को निरन्तर समर्थन प्रदान करते रहना होगा क्योंकि फिर से नवीकृत न किए जाने वाले घरेलू संसाधन से ऊर्जा के आयात की जगह लेने के लिए किसी अन्य साधन का उपयोग करने में अधिक सतर्कता बरतनी होगी। इसके अलावा कतिपय आयात के क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके स्थान पर कम लागत से आन्तरिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर निर्यात की अपेक्षा अनिश्चितताओं का कम प्रभाव पड़ता है। अतः प्रतियोगिता के आधार पर उत्पादन बढ़ाने के काम पर ध्यान एकत्रित न कर उत्पादकता में हर प्रकार से सुधार लाने और आयात की जाने वाली वस्तुओं का उपभोग घटाने पर भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार सातवीं योजना में भुगतान शेष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें प्राप्त करना आसान काम नहीं है। परन्तु समुचित नीति ढांचे के अन्तर्गत इनको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि इसका पूरा प्रभाव कुछ समय बाद ही दिखाई देगा, क्योंकि उपलब्ध किए जाने वाली संभारिकी की व्यवस्था और इसके प्रति प्रतिक्रिया तथा नीति संबंधी निर्देशों में परिवर्तन करने में कुछ समय लग जाता है। अपेक्षित नीति के महत्वपूर्ण घटक अध्याय-6 में बताए गए हैं।

अध्याय–6

आर्थिक नीति का ढांचा

6.1 हमारी जैसी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में, योजना में उल्लिखित विनिधान पैटर्न में सम्मिलित निवेश के कार्यक्रम को दो प्रकार से कार्यान्वित करना होगा—एक तो प्रत्यक्ष सरकारी क्षेत्र परिव्यय के माध्यम से, दूसरे—निजी क्षेत्र के माध्यम से, जिसमें घरेलू एवं कृषि उद्योग तथा व्यापार संबंधी व्यावसायिक उद्यम शामिल है। इस तरह, सरकारी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के अतिरिक्त योजना में कुछ ऐसी नीतियां अवश्य होनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र में निवेश के वांछित स्वरूप को निर्धारित कर सके। योजना की समर्थक अन्य नीतियां ऐसी होंगी, जिससे सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में, संसाधन के उपयोग में दक्षता और किफायत होगी। वस्तुतः योजना की सफलता अन्य बातों के साथ-साथ सही नीति के ढांचे के चयन पर निर्भर होगी।

6.2 नीति संबंधी ढांचे की रूप रेखा निर्धारित करते समय साधनों का चयन तथा उनके प्रयोग का स्वरूप इन दोनों बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार के पास दो प्रकार के साधन हैं—पहला प्रत्यक्ष या बाह्य नियंत्रण जैसे—लाइसेंस देना, दूसरा—अप्रत्यक्ष या वित्तीय नियंत्रण, जिसमें राजस्व, वित्तीय और ऋण संबंधी नीति का पालन शामिल है। समय समय पर इन साधनों में ताल-मेल तथा हस्तक्षेप की मात्रा का निर्धारण, पिछले अनुभव, विकास के चरण एवं समय विशेष में विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर करना होगा। निजी क्षेत्र के विनिधान के व्यापक पैटर्न को प्रभावित करने वाली नीतियों के अतिरिक्त योजना में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे—कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार नियोजन आदि के विकास से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अपेक्षित नीतियों की चर्चा खंड-2 के संबंधित अध्यायों में की गई है। इस अध्याय में मोटे तौर पर जिस नीति संबंधी ढांचे की चर्चा की गई है, वह मुख्यतः राजस्व नीति (जैसे सरकारी क्षेत्र का प्रबंध और निजी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बजट नीति), आर्थिक नीति एवं ऋण प्रबंध, विदेश व्यापार नीति तथा आर्थिक क्रिया-कलापों पर बाह्य नियंत्रण से संबंधित है।

राजस्व प्रबंध

6.3 आर्थिक नीति के अत्यन्त प्रबल साधनों में से एक है—बजट। सरकार इसके माध्यम से अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करती है और उसे बनाए रखती है। इस अर्थ-व्यवस्था में लोक सेवाओं तथा लोक-निवेशों के लिए प्रावधान होता है और साथ ही यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों के पुनर्विनिधान, पुनर्वितरण, निजी बचतों और निवेशों के प्रोत्साहन तथा स्थिरता को बनाए रखने का साधन भी होता है। अतः बजट इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि सरकारी अर्थ-व्यवस्था के विकास एवं सम्पोषण को बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व नीति के व्यापक लक्ष्यों का भी अनुसरण करे। तात्पर्य यह है कि निजी क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने के तरीके ऐसे होने चाहिएं, जिनका शेष अर्थ-व्यवस्था पर उपयोगी प्रभाव पड़े और सरकारी अर्थ-व्यवस्था में ही इन संसाधनों का इस्तेमाल अत्यन्त दक्षता से किया जाए।

6.4 अन्ततोगत्वा, आवश्यक लोक सेवाएं उपलब्ध कराने एवं वर्धित आधार पर लोक निवेश करने की सरकार की क्षमता एक ओर कर व्यवस्था की सशक्तता और गतिशीलता पर तो दूसरी ओर ऐसी लोक-व्यय संबंधी नीतियों पर निर्भर होगी, जो बजट संतुलन को बनाए रखेगी। असम्पोषणीय घाटे के बजट से न केवल अर्थ-व्यवस्था में सामान्य रूप से अस्थिरता आती है, अपितु यह सरकार को बाध्य करती है कि वह संसाधन जुटाने के लिए अधिकाधिक ऐसे तरीके अपनाए, जिनसे अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है और अवांछित प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में, उसके कारण सरकार की उपयोगी राजस्व नीति के अनुसरण की क्षमता का ह्रास होता है। भारत में, राजस्व व्यय अंश के रूप में आंकलित सरकारी अर्थ-व्यवस्था सन् 1960-61 में जी.डी.पी. का 18.9% थी जो बढ़ कर सन् 1975-76 में 15.7% और 1984-85 में 19.9% हो गई। व्यय की इस वृद्धि के साथ-साथ 1970 के मध्य तक कर अनुपात में भी समान रूप से न्यूनाधिक वृद्धि हुई और सन् 1960-61 के 9.0% से बढ़ कर सन् 1975-76 में 15.1% हो गई। तब से कर का अनुपात व्यय अनुपात के अनुसार नहीं रहा है। इन बातों ने धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र की उस क्षमता का ह्रास कर दिया है, जिससे वह अनिवार्य लोक सेवाओं के विस्तार तथा लोक निवेश के वित्त-पोषण के लिए अंशदान के वास्ते आवश्यक अधिशेष जुटा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि ह्रास की यह प्रक्रिया छठी योजना के दौरान और तेज हो गई है।

6.5 सातवीं योजना के दौरान 1984-85 के कर की

1. इसमें केवल केन्द्र और राज्य सरकार शामिल हैं।

दरों पर चालू राजस्व का शेष (–) 5,249 करोड़ रु. आंका गया है। पहले यह राशि लगभग हमेशा ही धनात्मक रही है। यदि बजट पूर्वोपायों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य पूरा हो जाए तो वर्तमान लेखा शेष 16,001 करोड़ रुपए पर धनात्मक हो जाएगा। परन्तु फिर भी, चूंकि योजना में चालू परिव्यय के लिए (–) 25,782 करोड़ रु. की व्यवस्था है, सरकारी खाते में निबल बचत (–) 9,781 करोड़ रु. पर ऋणात्मक हो जाएगी। इस का तात्पर्य यह होगा कि यदि कर अनुपात को 2% पाइन्ट तक बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया भी जाए तो भी सरकारी क्षेत्र को चालू परिव्यय के वित्त पोषण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रु० का ऋण लेना होगा, जो इस बात का द्योतक है कि बजट में दीर्घकालीन असंतुलन विद्यमान है।

6.6 यह स्थिति अनेक कारणों से पैदा हुई है। योजनेतर चालू परिव्यय में वृद्धि एक ऐसे दर पर हो रही है, जो चालू राजस्व की वृद्धि की दर से अधिक तेज है। यह आंशिक रूप से मुद्रा-स्फीति के कारण है। ऐसा लगता है कि मुद्रा-स्फीति का प्रभाव कर-राजस्वों की तुलना में व्यय पर अधिक पड़ा है। मुद्रा-स्फीति के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के स्तर पर चालू परिव्यय की कुछ वृहद मदें, जैसे—रक्षा, ब्याज, अदायगियां एवं सहायताएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ राज्य अपने ऐसे बचन-बद्ध व्यय बढ़ाते जा रहे हैं, जो उनकी योजना से संबंधित नहीं हैं और इन व्ययों तथा सम्पूरित प्लान योजना के बचन-बद्ध व्यय एवं ब्याज अदायगियों के कारण राजस्व दर की वृद्धि के अनुरूप इनका ताल-मेल नहीं बैठ रहा है।

6.7 चूंकि सरकारी बचत का स्वरूप ऋणात्मक हो गया है, अतः सरकारी क्षेत्र का सारा निवेश उधार के माध्यम से वित्त पोषित करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार को बजट के माध्यम से सरकारी उद्यमों की निवेश योजनाओं में काफी अंशदान देना होगा, क्योंकि ये उद्यम अपने विकास के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने में सामान्यतः असफल रहे हैं। घाटे पर चलने वाले उद्यमों, जिनमें निजी क्षेत्र से सरकारी नियंत्रण में लिए गए निष्क्रिय यूनिटें भी शामिल है, के लिए आवश्यक सहायक भुगतानों के कारण बजट संसाधनों में और कमी आ गई है। इन सब बातों के कारण सरकार को एक व्यापक उधार का कार्यक्रम बनाना पड़ता है, जो एक ओर तो भावी बजटों के लिए ऋण के बोझ को बढ़ा देता है तो दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं तथा पूंजी बाजार के अधिकांश संसाधनों को पूर्व अधिकृत कर देता है। इस संदर्भ में एक दीर्घकालीन नीति निर्धारित करनी होगी, ताकि बजट राजस्व और व्यय के बीच संतुलन पुनः कायम किया जा सके और मुद्रास्फीती के बिना सरकारी क्षेत्र विकास परिव्यय का वित्तपोषण कर सके और साथ ही निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में एक ठोस राजस्व नीति का भी अनुसरण कर सके।

6.8 इस दीर्घकालीन नीति का पहला अंग यह है कि कर व्यवस्था तथा इसके प्रवर्तन में सुधार लाया जाए और उसे सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि यह आय की वृद्धि के अनुसार उत्पलावक और प्रभावशाली बन सके। नीति का दूसरा तत्व है एक उपयुक्त व्यय नीति का प्रतिपादन। इस का तीसरा तत्व है– राजस्व अनुशासन को बनाए रखना, जिसे गैर मुद्रा-स्फीती राजस्व नीति का अनुसरण करके पोषित किया जा सकता है। नीति का उतना ही महत्वपूर्ण चौथा तत्व है सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए नीतियों का प्रतिपादन करना ताकि उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाया जा सके और उपयुक्त मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सके।

चालू राजस्व

6.9 राजस्व की दृष्टि से इसके कर और गैर कर वाले दोनों ही प्रकार के संसाधनों पर ध्यान देना होगा। जहां तक कराधान का संबंध है, मूल बात यह है कि कर व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि वह आय तथा कीमत, इन दोनों में साम्य बनाए रखते हुए, दोनों ही दृष्टि से अधिक नमनशील हो। कर पद्धति आय की दृष्टि से अधिक नम्य हो, इसके लिए पहले यह आवश्यक है कि विकासशील-अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्र उपयुक्त रूप में इसके अन्तर्गत आ जाएं। इस संबंध में अनियमित औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा दूसरे, प्रशासन और प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, ताकि कर की चोरी को कम किया जा सके। केन्द्र और राज्य सरकारों की कर-व्यवस्थाओं की नम्यता और प्राप्ति में समुचित वृद्धि की संभावनाओं का विभिन्न अध्ययनों द्वारा पता लगा लिया गया है।

6.10 सरकार के ऐसे बहुत से विकास संबंधी क्रिया-कलाप है, जिनमें कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता। इनमें से प्रमुख हैं—समाज सेवाएं, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी विस्तार तथा जल-व्यवस्था और सड़क व्यवस्था जैसी सामाजिक अवस्थापना से संबंधित कुछ मदों के लिए प्रावधान। इन सेवाओं से मिलने वाले सामान्य सामाजिक लाभ तथा निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए इनकी एक प्रकार से निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उपभोक्ताओं से इनके लिए कोई अंशदान नहीं मिलता। यह मामला वैध है, तथा सामाजिक विकास, के वर्तमान चरण में इन सेवाओं के लिए अधिक पैसे मांगने से गरीबो, पिछड़े प्रदेशों और विशेषकर भावी पीढियों को हानि पहुंचेगी। परन्तु फिर भी, इन सेवाओं पर हुए व्यय के एक अंश से उन लोगों को भी लाभ पहुंचता है, जो अदा करने की स्थिति में हैं। भविष्य में फीसों, उपकरों तथा नगरपालिका करों में उपयुक्त परिवर्तन करके इन सेवाओं के लिए ऐसे लोगों से अधिक अंशदान लिया जा सकता है।

स्थानीय प्राधिकरणों की वित्त-व्यवस्थाएं

6.11 अब तक कर और व्यय संबंधी जिन नीतियों पर चर्चा की गई, वे केन्द्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित थी।

स्थानीय प्राधिकरणों के राजस्व और व्यय के विश्वसनीय आंकड़े व्यापक आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं और विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चुने हुए नगर-निकायों के अध्ययनों से यह कहा जा सकता है कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्त -व्यवस्था शोचनीय है और निवेश की योजनाएं लागू करने की बात तो दूर रही, ये निकाय मूल नागरिक सेवाएं भी, जो उनके लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य है, उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। यद्यपि राज्य सरकारों द्वारा सहायता की और उदार अधिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं तथा इन स्थानीय प्राधिकरणों को संस्थागत वित्त व्यवस्था में और अधिक हिस्सा मिलना अपेक्षित है, तथापि इनको चलाने के लिए आवश्यक संसधान इन्हें स्वयं ही जुटाना होगा। परन्तु अधिकाश स्थानीय निकायों की कर-व्यवस्था और उनका प्रवर्तन अत्यन्त दयनीय है। स्थानीय कर व्यवस्था द्वारा होने वाली प्राप्ति और उसकी निष्पक्षता में सुधार लाने तथा स्थानीय प्राधिकरणों के स्टाफ को ठोस वित्तीय प्रबंध में प्रशिक्षित करने के लिए काफी प्रयास करना होगा।

सरकारी व्यय का नियंत्रण

6.12 सातवीं योजना यह मानकर बनाई गई है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के योजनेतर व्यय में वास्तव में लगभग 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी—अर्थात् उसी दर पर जो कि जी.डी. पी. की वृद्धि की दर है। पिछले अनुभव के अनुसार व्यय नियंत्रण पर अत्यधिक प्रयास अपेक्षित होगा अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि गैर-विकास व्यय संबंधी प्रस्तावों की छान-बीन के लिए जो वर्तमान प्रक्रियाएं, हैं उन्हें और सुदृढ़ करना होगा तथा लागत -प्रभावी विश्लेषण से अनुशासित करना होगा। प्रशासनिक सुधार, जो अनावश्यक कार्य को समाप्त कर देता है, कार्य के दौहरेपन को कम करता है तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, शीघ्रता से लाना होगा। वास्तव में, बहुत से क्षेत्रों में ऐसे सुधारों से न केवल व्यय में कमी होगी, बल्कि जनता के साथ संबंधों में भी उन्नति होगी।

6.13 सार्वजनिक सेवाएं जैसे—स्कूल, सड़क जैसे जल-व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने के लिए कुशल प्रबंध सुविधाओं पर अनुरक्षण, पूर्ण उपयोग तथा लागत-प्रभाविता की दृष्टि से और अधिक एवं सुव्यवस्थित रूप में ध्यान देना होगा। इन क्षेत्रों में से अनेक में प्रबंध व्यवस्था तथा प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन लाना आवश्यक होगा, ताकि इन सुविधाओं को सरकारी विभागों की बजाय निष्पादन उन्मुखी उद्यमों के रूप में चलाया जा सके। योजना और बजट प्रक्रियाओं की फिर से जांच की जानी चाहिए, ताकि विकास परिव्ययों पर समेकित दृष्टि रखी जा सके, भले ही ये परिव्यय चालू प्लान की नई योजनाओं के हों या पूर्ववर्ती प्लान में प्रारम्भ की गई योजनाओं से संबंधित हों।

6.14 गरीबों के लिए निर्धारित सहायता, समता और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को देखते हुए जायज है और उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी, कई सहायता योजनाएं ऐसे लोगों को भी लाभ पहुंचाती है, जो खास गरीब नहीं हैं, और ये अनियंत्रित सी होती है। इनसे सरकारी खजाने के बोझ पर नियंत्रण में कमी आती है। उदाहरण के लिए—मान लीजिए कि उर्वरक का बिक्री मूल्य किसी विशेष समय में एक खास पाइन्ट पर निर्धारित किया जाता है, बाद में मुद्रास्फीति या अन्य कारणों से उत्पादन लागत में जो भी वृद्धि होगी, उसको इस सहायता के द्वारा पूरा करना होगा। यदि नियत बिक्री मूल्य में समंजन की अवधि अनियमित और अनिश्चित रहे तो सहायता का बोझ आगामी वर्षों में बढ़ता चला जाता है। इस अनिश्चिता को दूर करने के उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाए और सहायता का बोझ उपयुक्त सीमा तक नीचे रखा जाए। यह भी आवश्यक है कि सहायता प्रस्तावों, विशेषकर प्लान योजनाओं की युक्तिसंगतता पर और अधिक व्यापक रूप से विचार किया जाए तथा ऐसा करते समय लीक होने की संभावना, उपभोक्ता समूहों की आर्थिक स्थिति तथा सहायता विषयक लागत लाभ का ध्यान रखा जाए। घाटे पर चलने वाली सरकारी क्षेत्र की विशिष्ट यूनिटों को मिलने वाली सहायता को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना अवश्य तैयार की जाए।

6.15 उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में हानि-लाभ रहित बजट (जीरो बेस्ड बजट) का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए, जिसमें चालू क्रिया-कलापों के व्यय की भी पुष्टि अपेक्षित होती है। यह न केवल गैर-विकास संबंधी व्यय पर, बल्कि विकास व्यय पर भी लागू किया जाए। इससे व्यक्तियों का पुनर्नियोजन संभव होगा, जिसके फलस्वरूप नई भर्ती में कमी की जा सकेगी। इस प्रकार माल और सेवाओं पर व्यय वृद्धि की दर में में भी कमी जा सकेगी।

6.16 दीर्घकालीन दृष्टि से एक उपयुक्त व्यय-नीति के प्रतिपादन की भी आवश्यकता है। यद्यपि यहां इस नीति का ब्योरा नहीं दिया जा सकता, तथापि इसके दो प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला—चूंकि संसाधनों पर दावों की होड़-सी लगी रहती है, अतः प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होगी और यह मान कर चलना होगा कि ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि होगी, खर्च की कुछ मदों को जी.डी. पी. की स्थिर प्रतिशतता पर बनाए रखना होगा। उच्च प्राथमिकता वाली अन्य मदों को जी. डी. पी. के संदर्भ में अनुमानित दर पर बढ़ने दिया जाए तथा शेष मदों को धीरे-धीरे, पूरी तरह

व्यवहार में, धन की हानि को पूरा करने के लिए केवल ऋण दिए जाते हैं, परन्तु यदि ऋण कभी भी वापस न किए जाए तो वे सहायता राशि में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त निवेश पर उपयुक्त राशि न मिलने का तात्पर्य है बजट से अप्रत्यक्ष सहायता।

नहीं तो अधिक रूप से जी. डी. पी. के अनुपात में कम होने दिया जाए। इस योजना को कार्य देने के लिए विभिन्न व्यय मदों को सुपरिभाषित रूप समूहों में समेकित किया जाए और जी. डी. पी. के अनुपात में तैयार प्रत्येक समूह के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और इन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखा जाए। उदाहरण के लिए--यह माना जा सकता है कि यदि असामान्य परिस्थितियों के कारण अन्यथा अपेक्षित न हो तो बजट सहायताओं को जी. डी. पी. के स्थिर अनुपात के रूप में रखने का लक्ष्य होना चाहिए, जबकि शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले वाले व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि उसमें होने वाली वृद्धि जी० डी० पी० के अनुपात में हो। दूसरे निवेश की योजनाएं, विशेषकर ऐसी परियोजनाएं, जिनसे प्रत्यक्ष रूप में राजस्व की प्राप्ति न होती हो, लागू करते समय विशेष योजना अवधि के दौरान निवेश की मात्रा--बजट को मिलने वाले राजस्वों में अपेक्षित वृद्धि के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि भावी अनुरक्षण व्यय में वृद्धि की दर राजस्व वृद्धि की दर से आगे न बढ़ जाए।

6.17 दीर्घकालीन नीति का एक और महत्वपूर्ण तत्व है, एक ऐसी राजस्व नीति का अनुसरण, जो मुद्रास्फीति को रोके। अनुभव से यह पता चला है कि मुद्रास्फीति, सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध वास्तविक संसाधनों में वृद्धि करने को बजाए उन्हें कम करती हैं। अंशतः बजट व्यय की उच्चतर मुद्रास्फीति नम्यता के कारण और अंशत लागत वृद्धि के द्वारा सरकारी उद्यमों के अधिशेष में कमी के कारण। करों को मुद्रास्फीति के अधिक अनुकूल बनाकर अर्थात यथामूल्य शुल्कों को लागू करके तथा सरकारी उद्यमों के मूल्यों को समंजित करके इसे ठीक किया जा सकता है। परन्तु फिर भी, गैर मुद्रास्फीति राजस्व निति के लिए राजस्व अनुमान की एवं राज्यों के स्तर पर अधिनिकासी और केन्द्र स्तर पर अत्यधिक से बचने की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी क्षेत्र में अत्यधिक घाटे से बचने के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाए तो एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि व्यय पर अधिक नियंत्रण तथा राजस्व अनुशासन का प्रवर्तन स्वयं ही लागू हो जाएगा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में केन्द्र में केवल मध्यम दर्जों के घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

6.18 यद्यपि विभिन्न मामलों में सरकारी उद्यमों से यह आशा की जाती है कि वे लाभांश को बढ़ाने को बजाए कतिपय सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करेंगे, तथापि प्रमुख सरकारी उद्यमों को, जो कोर सैक्टर और लोक उपयोगिताओं में हैं, इस रूप में व्यवस्थित किया गया है कि सामाजिक स्वामित्व के कारण इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से विकास हो सके और साथ ही धन का एक स्थान पर जमाव एवं एकाधिकार को रोका जा सके। सभी उद्योग-सम्पन्न देशों में बड़े उद्योग जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कोयला शक्ति और रेलवे मुख्यतः उन अधिशेषों पर विकसित होते हैं, जो वे स्वयः पैदा करते हैं। विकास की मात्रा उतनी होती है, जितने बराबर वित्त की व्यवस्था की जाती है और प्रतिलाभ को एक उपयुक्त दर को बनाए रखना होता है। भारत में भी इन उद्योगों को, चाहे वे सरकारी क्षेत्रों में हों, उपयुक्त मूल्य-निधारण तथा कुशल प्रचालन के माध्यम से अभिशेष अवश्य बनाना चाहिए। अपेक्षित ससाधन इतने व्यापक है कि सरकार द्वारा बाजार से उधार लेकर या कराधान से इन्हें उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इस समय सहायता प्रदान करने और सरकारी उद्यमों को निधि उपलब्ध कराने के लिए बजट पर अत्यधिक भार है, जिससे सरकारी अर्थ व्यवस्था का उपयुक्त विकास नहीं हो पा रहा है। सरकारी उद्यमों का कुशल बनाने और उन्हें निवेशित पूंजी के अनुरूप अधिशेष जुटाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, सुधार लाने के कार्य को राजस्व सुधार की कार्यसूची में प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि सरकारी उद्यम वित्तीयत रूप से सक्षम और अधिषेष तैयार करने में समर्थ बन जायें यह वित्यीय स्वायत्तता, तदनुरूप प्रबंधकीय स्वायत्तता के बराबर की होनी चाहिए, जिसमें सचिवालय हस्तक्षेप केवल नीति संबंधी निर्देशक सिद्धान्तों एव प्रमुख निवेश संबंधी कार्यक्रमों के बारे में निर्देश देने तक ही सीमित हो। सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों और सरकार के बीच घनिष्ट संबंध बनाए रखने के लिए विभागीय रूप से चलाए जाने वाले कार्यकलापों के संगठन के तरीकों में भारी परिवर्तन करने होंगें। विभिन्न सरकारी समितियों ने इन उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित सिफारिशें की है। सातवीं योजना के दौरान इन सिफारिशों के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई पूरी कर ली जानी चाहिए।

विकास के लिए राजस्व नीति

6.19 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजस्व नीति में सरकारी क्षेत्र के लिए एकाधिक संसाधन उत्पन्न करने की बात शामिल रहती है। इसमें मैक्रो वैरियेबल--जैसे बचत, निवेश, मूल्य स्तर, लागत तथा संसाधन विनिधान को प्रभावित करने के शक्तिशाली साधन होते हैं। इनका इस्तेमाल अधिक से अधिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि एक उपयुक्त राजस्व नीति विकास और बचत को बढ़ावा देगी और इनके बदले में सरकारी राजस्वों के विकास में भी तेजी से वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, केन्द्र सरकार के कर राजस्व का एक मुख्य भाग औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादन शुल्क) तथा आयातों (सीमा शुल्क) पर लगाए गए करों से पैदा किया जाता है अतः जिस राजस्व नीति से उद्योग और निर्यातों में अधिक वृद्धि होती है, उससे स्वतः ही राजस्व में वृद्धि, केन्द्रीय आबकारी शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि, अधिक निर्यातों के माध्यम से संभव बनाए गए अपेक्षाकृत

अधिक आयातों पर लगाए गए शुल्कों से राजस्व में वृद्धि की गति तेज होगी।

6.20 जहां तक उद्योग का संबंध है, राजस्व नीति के मुख्य कार्य होंगे—(क) अपने भीतरी संसाधनों तथा पूंजी बाजार के विस्तार के लिए अपेक्षित संसाधनों के एक बड़े भाग को उत्पन्न करने के लिए उद्योग को सूक्ष्म बनाना (ख) कर व्यवस्थाओं को तर्क संगत और सरल बनाना, ताकि प्रवर्तन और कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सरल हों, मुकदमेबाजी और विवादों की संभावना को कम करना तथा विरुपणों को कम करना। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में हाल ही में किए गए परिवर्तन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही मूलतः किए गए हैं। वैयक्तिक आय कराधान के भार में कमी तथा निर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में बचत के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए जाने पर घरेलू बचत का अधिकांश भाग पूंजी बाजार में पहुंचाया जा सकता है।

6.21 वर्तमान संदर्भ में राजस्व नीति का एक और उद्देश्य होगा घरेलु क्षेत्र में अधिक तेजी से बचत करना तथा काले धन की मात्रा को काफी हद तक कम करना। निजी बचत को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मूल्य स्थिरता को कायम रखना महत्वपूर्ण है। वित्तीय परिसम्पत्तियों पर वास्तविक धनात्मक प्रतिलाभ के लिए कराधान की पुष्टि होनी चाहिए। हाल ही में वैयक्तिक आय तथा सम्पत्तिकर की दरों में कमी की गई है तथा प्रवर्त्तन को कड़ाई से लागू किया गया है, ताकि काले धन की उत्पत्ति को कम किया जा सके।

6.22 चूंकि आय और सम्पत्ति के काफी भाग पर लगने वाले करों की चोरी की जाती है, इसलिए प्रगामी कराधान को पुनर्वितरणात्मक असर काफी निष्प्रभावी हो गया है। काले धन के उत्पादन की मात्रा में कमी होने से कराधोन के बाद आय और सम्पत्ति के वितरण में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कर की चोरी को भारी मात्रा को काफी कम किया जा सके तो कर राजस्व में काफी वृद्धि होगी, और जनता के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाभ दायक सरकारी व्यय में भी वृद्धि की जा सकेगी।

6.23 अप्रत्यक्ष करों का लागत और मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि तैयार माल के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव अपरिहार्य है, और इससे खपत कम हो सकती है, तथापि उद्देश्य, निवेशों की लागतों पर कम से कम प्रभाव पड़ने देना और सापेक्ष कीमतों में अवांछित परिवर्तनों द्वारा लागतों में होने वाले विरूपण से बचने का होना चाहिए।

धन और ऋण

6.24 आर्थिक नीति का संबंध ऋण की मात्रा, लागत और विनिधान के विनियमन से है। परन्तु आर्थिक और राजस्व नीतियां एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि राजस्व नीति बजट घाटे के माध्यम से सदा धन की सप्लाई में परिवर्तन लाती रहती है। जो राजस्व नीति बजट घाटे को कम रखती है, वह आर्थिक नीति की स्वायत्ता के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करती है। दूसरी ओर अत्यधिक घाटे का बजट, मुद्रा-स्फीति नियंत्रण के बोझ को आर्थिक नीति की ओर धकेल देता है। इससे सामान्यतः एक प्रतिबंधित ऋणनीति की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों को काफी मात्रा में ऋण नहीं दिया जा सकेगा। सातवीं योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि (सरकार को रिजर्व बैंक से मिलने वाला निवल ऋण) उस स्तर पर नियत की गई है, धन की मांग में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए बिल्कुल उचित समझी गई है। अर्थात एक ऐसी राजस्व नीति की अभिधारणा की गई है, जो मुद्रा स्फीति रहित है।

6.25 चूंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था पर कृषि उत्पादों में अचानक गिरावट तथा आयात मूल्यों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रा-स्फीति का प्रभाव पड़ता है और चूंकि 'कास्ट-पश्चु' घटक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि 'डिमांड पुल' घटक, अतः मुद्रास्फीति रहित नीति में अतिरिक्त धन उत्पत्ति निवारण के अतिरिक्त निम्नलिखित तत्व भी अवश्य होने चाहिए :—

(1) मौसम के कारण उत्पादन में गिरावट के प्रभाव को कम करने के लिए अनाज का 'बफर स्टाक' बनाना तथा उसका सार्वजनिक वितरण करना;

(2) 'विनियम रिजर्व' को एक ऐसे स्तर पर बनाए रखना, जिससे अन्य अनिवार्य मदें, जैसे खाद्य तेल, और उर्वरक के एहतियाती आयात के लिए उपयुक्त गुंजाइश बनी रहे, ताकि घरेलू कमी के प्रभावों का मुकाबला किया जा सके।

6.26 सांविधिक अपेक्षाओं तथा अन्य साधनों के जरिए कुल उपलब्ध ऋण का एक काफी बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र में अन्तरित कर दिया जाता है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि सरकारी क्षेत्र के निवेश संबंधी अनिवार्य कार्यक्रम के लिए निधि अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार चयनात्मक ऋण-नियंत्रण और ब्याज योजना की अवकलनीय दर से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्राथमिकता क्षेत्र और कमजोर वर्गों को ब्याज के रियायती दर पर ऋण की कुछ राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी वित्तीय संस्थाओं को बाजार दर से कम दर पर संसाधन जुटाने के लिए सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे निजी उद्योगों के निवेश के लिए वित्त पोषण कर सकें। ऋण विनिधान के इस पैटर्न से योजना प्राथमिकताओं के अनुसार पूंजी निधि का विनिधान प्राप्त करने में सहायता मिली है। परन्तु फिर भी, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूंजी बाजार की भूमिका सीमित हो जाएगी और पूंजी का विनिधान मुख्यतः निधि की मांग करने वाले उद्यमों की दक्षता और लाभकारिता पर निर्भर नहीं होगा। सरकारी उद्यमों द्वारा निवेश योग्य संसाधन प्राप्त करने के लिए बजट सहायता पर अनुचित रूप से निर्भरशील होने

की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। यद्यपि प्राथमिकता क्षेत्रों और सरकार को ऋण विनिधान के लिए की जाने वाली मूल व्यवस्थाएं बनाई रखनी होंगी, तथापि एक अवस्था ऐसी आ गई कि अब पूंजी बाजार के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना होगा और उद्यमों से कहना होगा कि वे अपनी क्षमता और ऋण सार्थकता के आधार पर संसाधनों की व्यवस्था करें। निजी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे पूंजी बाजार से अपेक्षाकृत अधिक सहायता प्राप्त करें, इसी प्रकार चयन आधार पर सरकारी उद्यम भी पूंजी बाजार का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं।

6.27 इस दिशा में परिवर्तन की शुरुआत पहले से ही उल्लेखनीय है। हाल के वर्षों में पूंजी बाजार से सीधे धन जुटाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। नीति में ब्याज दर और अन्य शर्तों के बारे में परिवर्तन किए जाने के कारण इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला है। निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी बाजार के जरिए जुटाए गए संसाधनों की मात्रामें काफी वृद्धि हुई है। वित्तीय साधनों का एक अच्छा गौण बाजार तैयार किया जा रहा है, जो नकद को महत्व देने वाले बचतकर्ताओं को आकर्षित कर रहा है। इसके अतिरिक्त स्टाक बाजार में सुधार तथा इसकी कार्य-पद्धति को उन्नत बनाने से प्राथमिक और गौण बाजारों के विकास की गति तेज होगी। नए वित्तीय साधन तथा नई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से पूंजी बाजार को और भी सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

6.28 पूंजी बाजार के संगठित भाग ने क्रिया-कलाप के कुछ क्षेत्रों को छोड़ रखा है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है--आवास-व्यवस्था। पिछले समय में वाणिज्यिक बैंकों को, जो विभिन्न देशों में आवास संबंधी क्रिया-कलापों का वित्त-पोषण करते हैं, आवास क्षेत्र में बहुत ही सीमित मात्रा में ऋण जुटाने की अनुमति दी गई थी। अब तक आवासीय निवेश का केवल एक छोटा भाग ही संस्थागत रूप से वित्तपोषित किया गया है। इसके अधिकांश भाग का वित्त-पोषण अपनी बचतों, परि-सम्पत्तियों की बिक्री तथा गैर संगठित बाजारों से लिए गए उधारों के जरिए किया गया है। हाल ही में इस क्षेत्र में कुछ आशाजनक प्रगति हुई है, परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। वित्तीय मध्यस्थ, जो आवासीय वित्त के विशेषज्ञ होते हैं, बचत के नए संसाधनों को जुटाने तथा आवासीय निवेश को संगठित ऋण-व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत लाने में समर्थ होंगे। सातवीं योजना में इस दिशा में काफी प्रयास की अभिकल्पना की गई है।

नियंत्रणों का ढांचा

6.29 भारतीय अर्थ-व्यवस्था में संसाधनों का विनिधान मोटे तौर पर योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की व्यवस्था इनके माध्यम से की गई है --

(क) प्रत्यक्ष लोक निवेश

(ख) राजस्व और आर्थिक नीतियां

(ग) निजी क्षेत्र और सरकारी उद्यमों का बाह्य नियंत्रणों द्वारा जैसे--निवेश और आयात लाइसेंस व्यवस्था, विनियम-नियंत्रण, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मूल्य-नियंत्रण और सामग्री का मात्रिक विनिधान द्वारा विनियमन। इनमें से, विकास के प्रारंभिक चरण में, लोक निवेश और बाह्य नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान नियंत्रण तंत्र का उद्भव हुआ और योजना-बद्ध आर्थिक-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अनुकूलित कर लिया गया। विकास के प्रारंभिक चरणों में बाह्य नियंत्रण को महत्व दिया गया और यह महसूस किया गया कि वित्तीय साधनों से इस प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जो विस्तृत औद्योगिक लाइसेंस-व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, जो क्षमता को माल की अपेक्षित मांग के अनुसार सीमित कर सके और इस प्रकार दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण कर सके। उन दिनों विद्यमान संसाधनों की कमी तथा अर्थ-व्यवस्था की अविकसित स्थिति को देखते हुए बाह्य-नियंत्रण आवश्यक था। परन्तु ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और औद्योगिक ढांचो में अधिकाधिक विविधता और जटिलता आ गई, त्यों-त्यों लाइसेंस व्यवस्था तथा अन्य बाह्य नियंत्रण का प्रचालन अधिक कठिन हो गया। उत्पादों की संख्या और किस्म में तेजी से विकास के साथ उपयुक्त क्षमता का निर्धारण अधिकाधिक असन्तोष-जनक होता गया। साथ ही औद्योगिक लाइसेंस-व्यवस्था को लागू करने की पद्धति से अनावश्यक विलम्ब होने लगा, जिसके फलस्वरूप अवसर नष्ट होने लगे। अक्सर छोटे और गैर-किफायती आकार वाले संयंत्रों को लाइसेंस दिया जाता था, जिसके कारण लागतों में वृद्धि हो जाती थी। इसी प्रकार यांत्रिक आयात नियंत्रणों से अधिक संरक्षण की भावना और अधिक लागत वाले उद्योगों की सृष्टि हुई। अनेक मामलों में कड़े मूल्य-नियंत्रण के फलस्वरूप उत्पादन में रुद्धता आ गई और उनकी निरन्तर कमी रहने लगी। इन बातों तथा विशेषकर संसाधनों के विस्तार एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा प्राप्त जटिल स्वरूप की मात्रा को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि बाह्य नियंत्रण की कड़ाई और परिधि को कम किया जाए और वित्तीय नियंत्रणों पर अधिक भरोसा किया जाए, जिससे संकेत तो मिल जाएंगे, परन्तु कोई अकुशलता या विलम्ब नहीं होगा। छठी योजना में कहा गया है--"यह आवश्यक नहीं है कि विकास के उदीयमान-चरण से संबंधित नियमों और विनियमों की संरचना उस जटिल औद्योगिक ढांचे के अनुकूल हो, जो अब बन गया है। एक योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का हनन किए बिना इस व्यवस्था में काफी नम्यता लानी होगी, ताकि इन वर्षों में प्रौद्योगिकी और प्रबंध क्षमताओं में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए इसे गतिशीलता प्रदान की जा सके।"

6.30 छठी योजना के दौरान औद्योगिक और आयात लाइसेंस व्यवस्था से संबंधित नियमों को काफी उदार बनाया गया । निवेश का वह स्तर, जिसके नीचे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया । बहुत-सी वस्तुओं को मुक्त आम लाइसेंस (ओ. जी. एल.) की परिधि में रखा गया । छठी योजना में हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में लाइसेंस-नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । कई महत्वपूर्ण उद्योगों पर से लाइसेंस हटा दिया गया है तथा उद्यमियों द्वारा उत्पाद के चयन के संबंध में नम्यता प्रदान करने के लिए 'ब्राड-बैंडिंग' पद्धति शुरू की गई है । जो कदम उठाए गए हैं, उनसे लाइसेंस प्रक्रियाओं की जटिलता और उसमें होने वाले विलम्ब के निवारण के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी भावना का और तेजी से विकास होने की आशा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि महत्वपूर्ण उद्योगों में, विशेषकर उन उद्योगों में जिनमें निवेश की अधिक मात्रा अपेक्षित है, निवेश को और अधिक ढंग से नियमित करना होगा ।

6.31 एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में संसाधनों का मोटे तौर पर विनिधान निश्चय ही सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लोक निवेश के माध्यम से और अपेक्षित मात्रा में निवेशीय संसाधनों को पूर्व अधिकृत करके सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को उनके विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी । दूसरे शब्दों में, इन क्षेत्रों के विकास को अर्थ-व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विनियमित किया जाएगा । शेष अर्थ-व्यवस्था के लिए संसाधनों के विनिधान का निर्धारण बाजार की मांग पर छोड़ा जा सकता है, परन्तु इस मांग पर अप्रत्यक्ष कराधान जैसे वित्तीय साधनों का प्रभाव पड़ सकता है ।

6.32 सातवीं योजना में उद्योग और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता एवं लागत में कमी इन दोनों में सुधार लाने पर काफी बल दिया गया है । इसके लिए पहले तो उपलब्ध क्षमता को बेहतर ढंग से काम में लाने की आवश्यकता होगी । इसके लिए कुछ मामलों में बड़े संयंत्र स्थापित करने होंगे तथा पहले से विद्यमान संयंत्रों का विस्तार करके आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना होगा । ये आवश्यकताएं विशेष रूप से प्रौद्योगिकी की गहनता वाले उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां व्यावहारिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास अपेक्षित हैं । अतः इस बात से बचना होगा कि क्षमताएं न बंटे । इसका मतलब यह होगा कि प्रभुत्व का उपाय अपनाना होगा, जिसे अन्य साधनों से नियंत्रित किया जाएगा । लघु उद्योगों की मदों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों में से कुछ का पुनःपरीक्षण भी आवश्यक होगा ।

मूल्य नियंत्रण

6.33 गत वर्षों में अधिकांश वस्तुओं पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है । दो महत्वपूर्ण वस्तुओं, जैसे चीनी और सीमेंट के मामलों में दोहरी मूल्य पद्धति प्रारंभ की गई है, जिसके कारण नियंत्रित बाजार पर से दबाव हट गया है । इन मामलों में केवल लेवी मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है । इनके अलावा आजकल मूल्य-नियंत्रण केवल अधिकांश दवाओं तथा कागज की कुछ किस्मों पर ही विद्यमान है । इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में उत्पादित कई वस्तुओं, जैसे स्टील, उर्वरक एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर भी मूल्य नियंत्रण है । सार्वजनिक सेवाओं, जैसे रेलवे एवं राजकीय बिजली बोर्डों पर प्रभार और शुल्क को सरकार द्वारा नियत किए जाते है ।

6.34 धीरे धीरे यह सामान्य सिद्धान्त अपनाया जा रहा है कि एकाधिकार तथा सार्वजनिक सेवाओं (जो कि स्वाभाविक एकाधिकार हैं) के मामलों को छोड़ कर किसी भी वस्तु पर स्थायी आधार पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं किया जाएगा, जबकि कतिपय कमी वाले मामलों में अस्थायी मूल्य नियंत्रण लागू किया जा सकता है । यदि चीनी और चावल जैसी वस्तुओं के लिए नियंत्रित सप्लाई आवश्यक समझी जाए तो दोहरी बाजार पद्धति अपनाई जानी चाहिए, ताकि उनकी काला-बाजारी न हो और संबंधित उद्योग से होने वाले लाभ को बाजार की खुली बिक्री के माध्यम से बनाए रखा जा सके । परन्तु दोहरी बाजार पद्धति केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखी जानी चाहिए, क्योंकि नियंत्रित बाजार भाव से कम लागत होने पर मांग में वृद्धि होगी और फलस्वरूप संसाधनों के विनिधान में असंतुलन आ जाएगा ।

6.35 नियंत्रित मूल्य वाली वस्तुएं, यद्यपि इनकी संख्या थोड़ी ही है, अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । थोक मूल्य तालिका में उनका स्थान कुल भार का लगभग 30% है, निजी खपत व्यय का 18% और मध्यवर्ती खपत का 30 प्रतिशत । अतः इनके मूल्यों में वृद्धि होने पर अधिकांश क्षेत्रों में लागत-वृद्धि का दबाव पड़ता है । इन नियंत्रित मूल्यों के लिये अंक नीति संरचना की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन वस्तुओं का उत्पादन लाभदायक रहे ।

6.36 कृषि उत्पाद मूल्य, विशेषकर अनाजों के मूल्य, आय के विवरण तथा मुद्रास्फीति की दर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इस समय सरकार उस कृषि उत्पाद लागत और मूल्य संबंधी आयोग की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, जिसके विचारार्थ विषय का दायरा हाल ही में विस्तृत किया गया है । यह आयोग विभिन्न फसलों के उत्पाद लागत तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अपेक्षित प्रोत्साहनों पर विचार करता है । समर्थन मूल्य नियत करने के लिये यह मूल संरचना उपयोगी सिद्ध हुई है और इसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है । इसमें एक खराबी आ गई है—वह है राज्य सरकारों द्वारा सीमित तर्कों, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के

बीच परस्पर समता का ध्यान नहीं रखा जाता, के आधार पर अपेक्षाकृत ऊंचा न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाता है। दूसरी कठिनाई यह है कि सरकारी प्राप्ति की कोई सुसंगठित पद्धति न होने के कारण समर्थन मूल्य केवल सैद्धांतिक प्रकार का होता है। चावल और गेहूं के उदाहरण से पता चलता है कि तर्क-संगत रूप से निर्धारित समर्थन मूल्य और इसके साथ ही उगाही की व्यवस्था से कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकता है, लाभ को तथा नियमित वृद्धि को बनाये रखा जा सकता है। अन्य फसलों, जैसे—मोटे अनाज, दालें तथा तिलहनों के लिये भी ऐसी व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिये, ताकि तर्क-संगत रूप से निर्धारित समर्थन मूल्यों को सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सके। संसाधनों के सफल इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये कृषि उत्पाद मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिये, जो अधिकाधिक विभिन्न फसलों के उपयुक्त सापेक्ष मूल्य निर्धारण से संबंधित हो।

6.37 औद्योगिक उत्पादों के मूल्य-निर्धारण के लिये नीति की संरचना पूर्णतः सुस्पष्ट नहीं है। कुछ मामलों में प्रत्येक उत्पादक के लिये मूल्य अलग से नियत किये जाते हैं। जैसा कि उर्वरक के मामले में है, दूसरे मामलों में मूल्य उत्पाद विशेष के आधार पर है और प्रदेश के अनुसार बदल जाते हैं, जैसा कि लेवी सीमेंट और चीनी के मामले में है। आम रवैया यह है कि मूल्यों को धनात्मक लागत के आधार पर नियत किया जाये, परन्तु इसके लिये प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न हैं। कभी तो मूल्य वास्तविक लागत के आधार पर नियत किये जाते हैं, जैसा कि कोयले के मामले में, परन्तु मानक लागतों के नियतन में सामान्यतः कुशलता और खपत क्षमता के कतिपय मानकों का ध्यान रखा जाता है। जिस आधार पर पूंजी का प्रतिलाभ लेने दिया जाता है, वह भी बदलता रहता है। कुछ वस्तुओं के लिये निवल मूल्य पर एक विशिष्ट प्रति-लाभ लेने की अनुमति दी जाती है तो कुछ मामलों में निवेशित पूंजी पर सारा का सारा प्रति-लाभ लेने दिया जाता है। यह आवश्यक है कि प्रक्रियाओं की इस विभिन्नता को तर्क-संगत बनाया जाये और मूल्य नियतन के लिये एक आम रवैया निर्धारित किया जाये। मूल्य सदा कुशलता के उपयुक्त मानक के आधार पर नियत किये जाने चाहिये और साथ ही उद्यमों को उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने से होने वाले लाभ को लेने की अनुमति होनी चाहिये, पूंजी पर प्रतिलाभ की मात्रा निवेश निधि जुटाने और इस ओर आकर्षित करने के लिये अपेक्षित स्तर के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लागत वृद्धि और मूल्य समंजन के बीच विलम्ब को अधिकाधिक कम कर देना चाहिये। मूल्यों में बड़े और अनियमित समंजन की बजाय छोटे और नियमित समंजन किये जाने चाहिये।

6.38 प्रायः औद्योगिक उत्पादों के मूल्य संबंधित उत्पादों की मांग और विकास-नीति के साथ उनकी संगति के प्रभाव पर समुचित ध्यान दिए बिना ही नियत किए जाते हैं। ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है, जहां प्रतिस्थापन की संभावनाओं के कारण संबंधित उत्पादों जैसे मिट्टी का तेल, ईंधन का कोयला, बिजली और ईंधन की गैस (एल०पी०जी०) के मूल्य नियत करने में एक सामंजस्य की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, गैर-पारम्परिक ऊर्जा संवर्धन परपारम्परिक ऊर्जा के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। इसी प्रकार, विभिन्न धातुओं और अन्य सामग्री का मूल्य नियत करते समय उन प्रतिस्थापन संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये, जिन्हें समर्थन या असमर्थन दिया जाना है। मूल्य नियतन की वर्तमान प्रक्रिया को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिये कि उसमें ये सारी बातें आ जायें।

6.39 यद्यपि कुछ उत्पादों के मामले में आर्थिक सहायता की व्यवस्था हो सकती है, तथापि अधिकांश औद्योगिक उत्पादों के मूल्य इस प्रकार से नियत किये जाते हैं कि उनके लिये सुनिश्चित सहायता की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु उर्वरक इसके महत्वपूर्ण अपवाद है। इसमें किसान द्वारा अदा किया गया अन्तिम मूल्य औसत उत्पादन लागत से काफी कम होता है और बजट में उर्वरक सहायता के लिये एक काफी बड़ी रकम का प्रावधान करना आवश्यक हो गया है। कृषि उत्पादन में वृद्धि को असंतुलित किये और हानि पहुंचाये बिना उर्वरक के बिक्री मूल्य को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि उससे सारा अन्तर मिट जाये। इसके लिए सहायता की मात्रा को सीमित करने वाली विकल्प योजनायें तैयार करनी होंगी, अन्यथा वर्तमान व्यवस्था में सहायता का भार घरेलु उत्पादनों की वृद्धि के साथ-साथ तेजी से बढ़ता जायेगा।

व्यापार नीति

6.40 घाटे का व्यापार यद्यपि छठी योजना की अवधि में कम होता गया है, तथापि इसके कारण भुगतान-शेषों में रचनात्मक कमजोरी बनी हुई है। वास्तव में कुछ लघु अवधियों को छोड़कर, एक अपेक्षाकृत व्यापक पण्य घाटा, भारत के विदेशी व्यापार का सतत् अंग बना रहा है। इससे संबंधित मुख्य तत्व, नीति निर्धारण के लिये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नीति की आवश्यकताओं को केवल पण्य व्यापार तक ही सीमित रखा जाये। कुछ अप्रत्याशित तत्वों, विशेषकर पर्यटन और प्रवासी प्रेषण-जो वर्तमान लेखे के भुगतान—शेष के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में उभरे हैं, पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

6.41 भारत के विदेश व्यापार क्षेत्र तथा भुगतान शेष को समय-समय पर अप्रत्याशित अन्दरूनी और बाहरी झटकों जैसे—व्यापार संबंधी शर्तों का अचानक असंतुलित हो जाना, सूखा पड़ जाना और अन्य विभिन्न प्रकार की आंतरिक सप्लाई संबंधी समस्याओं का भी सामना करना

होगा । जिन बातों का आसानी से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिन्हें राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता ; उनके अतिरिक्त घरेलू मांग तथा उच्च उत्पादन लागत के दबाव. निर्यात के द्रुत विकास में सतत बाधक रहे हैं ।

6.42 दूर की जाने वाली आन्तरिक रुकावटों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अब तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में धैर्य-परक सुधार की कमी रही है तथा प्रवासी प्रेषणों की संभावनायें अनिश्चित रहीं, जिनके लिये नीति संबंधी व्यापक साधनों—जैसे सामान्य और समग्र से लेकर चयनात्मक और वस्तु-विशिष्ट साधनों तक का नियोजन करना होगा, ताकि सातवीं योजना के भुगतान-शेष संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न निर्यातों के प्रति समान रुख अपनाने एवं कुशल आयात प्रतिस्थापन के उपाय भी शामिल होंगे।

6.43 आयात को संरक्षण देने और उसके स्तर को नीचा बनाये रखने के लिये आयात लाइसेंस व्यवस्था एक प्रमुख साधन रही है । यद्यपि मात्रिक आयात प्रतिबंध प्रभावी रहा है, तथापि उसने एक संरक्षित घरेलु बाजार को जन्म दे कर उत्पादन दक्षता के प्रति एक चिर असम्मान की भावना पैदा कर दी है । विदेशों में बिक्री के लिये समान रूप से संरक्षित और अनुरूप प्रोत्साहनों के अभाव में उनसे निर्यातों के मामले में वैसा ही पक्षपात हुआ, जैसा कि सामान्य निर्यात शुल्क के मामले में हुआ है । फलस्वरूप अधिकांश आयात किये जाने वाले उत्पादनों के स्थान पर ऊंची घरेलू संसाधन लागत पर उत्पादन लिये जा रहे हैं, जो कि निर्यात द्वारा प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में काफी अधिक है । छठी योजना के सिद्धांतों के अनुरूप निर्यात के प्रति इस पक्षपात को कम करने के लिये सुविचारित प्रयास किये गये और घरेलू शुल्क-क्षेत्र (डी०टी० ए०) के निर्यातकर्त्ताओं के लिये उस सर्वांगीण नीति को को दोष-रहित तथा उदार बनाया गया, जिसमें आयात आपूर्ति, चुंगी वापसी, रोकड़ प्रतिपूर्ति समर्थन या सी०सी० एस०, रियायती ऋण अथवा प्रावधान या घरेलू मध्यस्थतायें शामिल हैं । चूंकि निर्यात संबंधी प्रोत्साहन, सामान्यतः घरेलू बाजार के उत्पादनों के लिये दिये गये प्रोत्साहनों की तुलना में अधिक अनुकूल नहीं होते, इसलिये निर्यात के प्रति अवशिष्ट पक्षपात महत्वपूर्ण बना हुआ है।

6.44 निर्यात प्रतिबंध और शुल्कों से संबंधित वर्तमान संरचना के साथ साथ आयात प्रतिस्थापन के लिये प्रोत्साहन भी विभिन्न उत्पादों के अनुसार बदलते रहते हैं और निर्यात से होने वाले समान लाभों को आंकने के लिये कोई सरल या सुनिश्चित तरीका नहीं है । इसके अतिरिक्त यद्यपि आयात प्रतिस्थापन संबंधी प्रोत्साहन पहले ही घरेलु उत्पादों की ऊंची लागत में शामिल हैं और उनके लिये कोई प्रत्यक्ष बजट सहायता नहीं दी जाती, तथापि निर्यातों के लिये प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन बजट संसाधनों पर भार-स्वरूप है। इनमें ऐसे प्रोत्साहन, जैसे सी० एस० एस० भी शामिल है, जो चुंगीवापसी के माध्यम से छूट न पाने वाले अप्रत्यक्ष करों की प्रतिपूर्ति करते हैं । परन्तु इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है । आयात की मांग को सीमित करने के लिये आयात प्रतिबंधों की बजाय शुल्कों पर अधिक भरोसा करके तथा शुल्क संरचना की विभिन्नता को कम करके विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के मान को बेहतर बनाया जा सकेगा । इन प्रोत्साहनों में आयात आपूर्ति, चुंगी वापसी, रोकड़ प्रतिपूर्ति समर्थन, राजस्व रियायतें, सहज बैंक ऋण प्राप्ति और मियादी वित्त शामिल है । यदि हम यह मान कर चलें कि सी०सी० एस० एक प्रकार की चुंगी-वापसी है, तो इसे उन उत्पादों को छोड़कर, जिनके लिये कठोर निर्यात सप्लाई संबंधी रुकावटें हैं या जिनकी विदेशों में नियमित, मांग नहीं है, अन्य सभी उत्पादों पर लागू किया जाना चाहिये । वस्तुतः आयात लाइसेंस व्यवस्था से हट कर अपेक्षाकृत कम विभेदीकृत शुल्कों की ओर आने की प्रक्रिया को, जो कि इस सर्वांगीण नीति का एक अनिवार्य अंग है, कदम-दर-कदम इस प्रकार व्यवस्थित करना होगा, जिससे विदेशी मुद्रा रिजर्व की अनावश्यक निकासी तथा अन्य प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सके।

6.45 निर्यात संबंधी पक्षपातों को दूर किया जा सकता है, जैसा कि मुक्त व्यापार जोनो (एफ०टी०जैड०) की स्थापना या हाल ही में स्थापित शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी यूनिटों (ई०ओ०यु०) जो उपर्युक्त का ही एक स्वरूप है, की स्थापना के जरिए किया गया है । अब तक इनसे विशेष सफलता मुख्यतः इसलिये नहीं मिली, क्योंकि घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी०टी०ए०) के निर्यातों के लिये आंशिक उत्पादन की तुलना में इनका इस्तेमाल कभी भी आकर्षक नहीं रहा। शुल्क माफी या मुक्त आयात की अनुमति से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निर्यात के मामलों की भांति एफ०टी०जैड० या ई०ओ०यु० में प्रयुक्त आयात प्रतिस्थापनों के मूल्यों में सीमान्त मूल्यों से वृद्धि नहीं होगी । आयात प्रतिस्थापनों के प्रति समान रवैया अपनाने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि आयात, घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी०टी० ए०) की तुलना में अधिक लाभदायक बन जायंगे । वस्तुतः कुछ मामलों में घरेलू शुल्क क्षेत्र के निर्यातों से बेहतर प्रतिलाभ मिल सकता है, क्योंकि जब उत्पाद के 25% को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति थी तो आयात मूल्य का एक छोटा सा भाग, जो पूंजीगत माल पर आयात शुल्क छूट की वार्षिक-तुल्य राशि के बराबर होता है, और आर०ई० पी० लाभ के बीच का अन्तर मोटे तौर पर वही होता है , जो एफ०टी०जैड० प्रकार और डी०टी०ए० व्यवस्था* के बीच विद्यमान प्रोत्साहन विभेदक पर आधारित होता है।

*प्रत्यक्ष कर रियायतों की मोटे तौर पर तुलना की जा सकती है, जबकि डी०टी०ए० निर्यातकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले घरेलू निवेशों के उच्च कर मूल्यों में, संबंधित कुछ साज-समान को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के कारण असन्तुलन आ जाता है ।

6.46 इसके अतिरिक्त, आयात प्रतिस्थापन के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये का प्रतिकार, निर्यात बाजार में प्रदर्शन योग्य एवं स्थायी प्रतियोगी लाभ वाले उन उद्योगों के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करके किया जा सकता है, जिन पर अत्यधिक बल दिया जाना है। अन्य बातों में, आयात्ति साज-सामानों की सरलता एवं अधिक मात्रा में उपलब्ध होना और उद्योग लाइसेंस व्यवस्था के संगत प्रावधानों से छूट के द्वारा वे आधुनिक प्रौद्योगिकी और मानक अर्थव्यवस्था से लाभ उठा सकते हैं। तब ये उद्योग जिन पर अत्यधिक बल दिया जाना है घरेलू मांग से काफी अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ा कर और इसके फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में अन्यत्र जो सप्लाई की कमी आएगी, उसे आयात संबंधी उपचार के माध्यम से ठीक करके व्यापक रूप से निर्यात बाजार में प्रवेश कर सकते हैं।

6.47 निर्यातों के प्रति पक्षपात को दूर करने तथा उनकी वृद्धि करने के उपायों के साथ-साथ घरेलू मांग संबंधी समुचित नीतियां भी अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा निर्यात से होने वाला लाभ आयात की वृद्धि के कारण अधिकांश रूप से समाप्त हो जाएगा। यद्यपि इसका आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है, तथापि व्यापार के घाटे को कम करने में इससे विशेष कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु फिर भी व्यापार और चालू लेखा संबंधी घाटों पर अत्यधिक खर्च का खास प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि निर्यात योग्य और आयात प्रतिस्थापनों की प्राथमिकता के आधार पर मांग के द्वारा पड़ता है। आयात प्रतिस्थापनों की माँग, आयात में प्रत्यक्ष रूप से (जैसा कि तेल और वसा के मामले में) या आयातित साज-सामान माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से छलक सकती है।

6.48 यह स्पष्ट है कि मांग से पैदा होने वाली भुगतान-शेष संबंधी कठिनाइयों को केवल निर्यात के प्रति वर्तमान पक्षपातपूर्ण नीति को ठीक करके दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि जब कभी भी निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक प्रतियोगी होंगे तो वे संसाधनों को आयात प्रतिस्थापन से निर्यात में अन्तरित कर देंगे। अतः अन्य ऐसे उपायों की भी आवश्यकता होगी जो इस प्रकार तैयार किए गए हों कि उनसे सामान्यतः आयात प्रतिस्थापन तथा आयात योग्य वस्तुओं (खाद्य-पदार्थ जैसे उजरती माल और अनिवार्य वस्तुएं) की वृद्धि में रुकावट आए और दोनों के लिए उत्पादन आधार मजबूत बने। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-क्षेत्र के प्रतिपक्षों के साथ अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी एवं मूल्य और गुण सचेतन होना पड़ेगा। ऐसा न हो कि आयातित मध्यस्थों, हिस्से-पुर्जों तथा उपस्करों की मांग सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) की तुलना में घट जाए, और अधिशेषों एवं निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए विदेश में बाजार खोजना कठिन हो जाए। आत्म-विश्वास के लिए केवल कतिपय विदेशी अन्तःक्षेत्र ही नहीं, बल्कि अर्थ-व्यवस्था के व्यापक क्षेत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की भावना अनिवार्य है। उनकी इस प्रतियोगिता की भावना को विदेशी मुद्रा-स्फीति की तुलना में ऊंची घरेलू मुद्रास्फीति के जरिए कम होने से बचाना होगा।

6.49 बाहरी शेष पर मांग पैटर्न के प्रभाव को कम करने के लिए सामान्य नीति विषयक उपायों को वस्तु स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई द्वारा और भी सुदृढ़ किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों से इन संभावनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। इनमें मूल्य नियतन, निवेश प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे का समर्थन तथा प्रतिसंरक्षी उपाय शामिल हैं। काफी का उत्पादक मूल्य निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति से, अन्तर्राष्ट्रीय बदलते मूल्यों के संदर्भ में आंशिक रूप से हटने से और वास्तविक प्रतिलाभ को ओर अधिक स्थिर बनाने से, भूमि और पैदावार वृद्धि की भावी प्रवृत्ति और अधिक संतुलित होगी। पिछले कई वर्षों में चाय बागानों में निवेश अत्यन्त अनुपयुक्त रहा है और साथ ही इसकी घरेलू मांग में भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण निर्यात के लिए इनकी उपलब्धता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इलायची, जो एक प्रमुख निर्यात मद है, उसके उत्पादन को और तेजी से तथा नियमित रूप से बढ़ाने के क्षेत्र में जो रुकावटें हैं, उन्हें बेहतर सिंचाई व्यवस्था द्वारा और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उत्पादकों को 25 वर्षीय लीज पर जमीन देने की वर्तमान पद्धति (जो निवेश में बाधा पहुंचाती है) में परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है। जहां तक आयात प्रतिस्थापन का प्रश्न है उच्च पैदावार वाली सामग्री का अभाव, नाशक जीवों का खतरा तथा प्रभावी समर्थन मूल्य की अनुपयुक्तता के कारण खाद्य तिलहनों की खेती के लिए केवल सीमित जमीनें दी जाती हैं। तिलहन उत्पादन की पैदावार को बढ़ाने के लिए उपाय है—अधिक नियमित बाजार की व्यवस्था, मूंगफली के लिए उर्वरक का इस्तेमाल कर सिंचाई व्यवस्था का विस्तार तथा अधिक तेल युक्त सूरजमुखी की खेती प्रारंभ करना।

6.50 अत्यधिक खर्च करने से और उसके फलस्वरूप स्थानीय मुद्रा वित्त में कमी आने पर बाहरी असंतुलन पैदा हो सकता है या उसमें वृद्धि हो सकती है। मांग प्रबंध को बेहतर बनाकर और संसाधन जुटाकर उन्हें ठीक करना होगा। जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा जा चुका है, अत्यधिक मांग को रोकने के लिए व्यय नियंत्रण पर बल देने वाला राजस्व अनुशासन तथा उपयुक्त आर्थिक और ऋण संबंधी नीतियां आवश्यक हैं।

6.51 अर्थ-व्यवस्था के निष्पादन को उन्नत बनाने वाले प्रमुख साधनों के परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता और भुगतान-शेष के बीच आपसी प्रभाव को सुदृढ़ करने वाली क्रिया से काफी राहत मिलती है। प्रथमतः, निर्यात में तेजी से वृद्धि होने पर उच्च मूल्य और अनुपयुक्त आयात प्रतिस्थापन पर निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरे, बाह्य घाटे को उपयुक्त सीमा में बनाए रखने से अपेक्षाकृत अधिक नम्यता और सरल से आयात के जरिए क्षमता का बेहतर उपयोग सभव हो सकेगा। तीसरे, प्रौद्योगिकी को उन्नत और आधुनिक बनाकर तथा घरेलू उत्पादों

की तकनीकी उन्नति में वृद्धि करके वे निर्यात बाजार में अपने लिए व्यापक संभावनाएं पैदा कर सकते हैं और आयात के लिए प्रतिस्थापनों को बढ़ा सकते हैं।

6.52 परन्तु फिर भी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गति लाने के लिए एक प्रतियोगी वातावरण अपेक्षित होगा, जिसमें फर्मों पर घरेलू रूप से और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से दबाव डालना होगा कि वे प्रौद्योगिकी में सुधार लाएं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि दीर्घकालीन आधार पर आयात को उदार बनाया जाए, और उत्पादन क्षमता को विनियम के घेरे से बाहर निकाला जाए, अन्यथा सहज उपलब्धता प्रौद्योगिकी आयात का वांछनीय प्रभाव नहीं होगा। सहज उपलब्ध विदेशी प्रौद्योगिकी से न केवल विदेश में नवीन प्रक्रियाएं तेजी से प्रचलित हो जाएंगी। अपितु इससे नई प्रक्रियाओं और उत्पादों के घरेलू विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अलग-अलग रूप में अक्सर नई प्रक्रियाएं नहीं पनपती। साथ ही प्रौद्योगिकी के अन्तर्वाह का स्वैच्छिक विनियमन भी आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात क्षेत्र के उच्च प्रौद्योगिकी आयातों में एक निर्यात विषयक दायित्व बना रहेगा और अनुकरण योग्य या अनावश्यक रूप से ऊंची लागत वाले प्रौद्योगिकीयों को प्राप्त नहीं किया जाएगा। वास्तव में अनावश्यक आयात या अत्यधिक लागत का निवारण, स्थानीय प्रौद्योगिकी क्षमताओं के प्रगामी विकास के माध्यम से और भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप (क) प्रौद्योगिकी के विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं की तुलना में घरेलू फर्मों की सौदाकारी क्षमता में वृद्धि होगी; और (ख) किसी सर्वांगीण प्रौद्योगिकी के विभिन्न तत्वों के आयात के बारे में उन्हें और अधिक विवेकशील बना देगी।

6.53 गत वर्षों में सेवा संबंधी निर्यात, विशेषकर पर्यटन सेवा, वर्तमान उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जिसकी तुलना इंजीनियरी और रसायन जैसे बड़े व्यापारिक निर्यातों से की जा सकती है। पर्यटन से होने वाले उपार्जन जिनमें अपेक्षाकृत अधिक आमदनी है, की संभावनाओं का पूरा लाभ विभिन्न तरीकों से लिया जा सकता है। प्रथमतः समूल्य और बिना मूल्य के घटकों की दृष्टि से अन्य लक्ष्यों से संबंधित प्रतियोगी भावना पर अधिक ध्यान किया जाना चाहिए। दूसरे, विदेशों में बाजार व्यवस्था संबंधी प्रयासों को समेकित और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसका संबंध विभिन्न प्रकार के ऐसे पर्यटनों से जुड़ा होना चाहिए, जो रुचि के पर्यटन स्थलों तथा प्रतिव्यक्ति व्यय के आधार पर वर्गीकृत हों, ताकि उपार्जन में वृद्धि हो सके। तीसरे, पर्यटन के भावी विकास के निजी और सरकारी क्षेत्रों के बीच कुछ और विशिष्टिकरण भी आवश्यक हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के द्वारा सामान्य संवर्धन, परिवहन और अन्य मूल बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तो निजी क्षेत्र द्वारा होटल निर्माण सहित पर्यटन विकास के अन्य पहलुओं पर नजर रखी जा सकेगी। अन्ततोगत्वा, विदेशी पर्यटकों के लिए उच्च लागत की पर्यटन सुविधाए, जैसे 5 स्टार होटल सुविधा, जो घरेलू मांगों से प्रतिस्पर्धा करती है, समुचित करों के जरिए निरुत्साहित कि जानी चाहिए, ताकि उनसे मिलने वाली विदेशी मुद्रा को कम किया जा सके।

6.54 ऊपर जिन नीति संबधी परिवर्तनों की चर्चा की गई है, उन्हें पूर्णतः प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत और संगठन संबंधी समर्थन आवश्यक है। उन्हें चाहिए कि वे विभिन्न कार्य-कलापों से संबंधित फर्मों में अपेक्षित अनुकूल भावना अवश्य जागृत करें। संगत प्रशासनिक नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं के ब्यौरे ऐसे होने चाहिएं कि उनसे नीति की अपेक्षाएं पूर्णतः प्रतिफलित होती हों। इसके लिए प्रचालन संबंधी हठधर्मिता की नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वर्तमान संस्थाएं, जैसे निर्यात संवर्धन परिषद् तथा वस्तु बोर्ड काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशासनिक निर्णय लेने संबंधी सूचनाएं देने के लिए उन्हें समय-समय पर सही बाजार सूचनाएं तथा वस्तुओं की गहरी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। संवर्धन और बाजार व्यवस्था ऐसे अन्य कार्य हैं, जिन पर उन्हें बल देना चाहिए, विशेषकर उन फर्मों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके पास इसके लिए काफी साज-सामान नहीं है या स्वयं निर्यात करने की क्षमता नहीं है। निर्यात बिक्री के लिए खरीदारों का पता लगाना होगा तथा काफी व्यापक क्षेत्र में व्यापार संबंध बनाने होंगे, आयात करने वाले देशों में दरों या व्यापार विनियमों में परिवर्तन करने होंगे, जोरदार प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा, प्रौद्योगिकी या रुझान में बदलाव लाना होगा और विश्व बाजार में बिक्री के जोखिम तथा जटिलताओं का सामना करना होगा। परन्तु फिर भी, निर्माण में लगी बड़ी और प्रतिष्ठित फर्में अपने वर्षों के अनुभव तथा संबंधों के फलस्वरूप ऐसी नम्यता और संसाधन रखती हैं, जो विदेश में कार्य करने के लिए अपेक्षित होते हैं। अतः नीति समंजन की सफलता, अन्य बातों के साथ-साथ, बड़ी फर्मों की अनुक्रियाशीलता और मुख्यतः घरेलू बाजार पर आश्रित रहने की बजाए निर्यात क्रियाकलापों के उल्लेखनीय विस्तार के लिए अपने को सज्जित करने तथा पूंजी लगाने की तत्परता पर निर्भर करती है। छोटी फर्मों के पास ऐसे संसाधन नहीं होते। उनके मामलों में बड़े व्यापारिक घराने महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वे वित्त जुटाएंगे, सप्लाई आयोजित करेंगे तथा सक्षम निर्यात बाजार की स्थापना के लिए वाणिज्यिक संबंध विकसित करेंगे।

6.55 अन्त में हम कह सकते हैं कि सातवीं योजना की अवधि में और उसके बाद भुगतान-शेष के प्रबंध के लिए घिसी-पिटी नीति की बजाए एक व्यावहारिक बहु-आयामी दृष्टि की आवश्यकता है। नीति और निर्देशन तत्व चयनात्मक होने की बजाए व्यापक होने चाहिएं। एक उपयुक्त नीति ढांचे के प्रमुख रचनात्मक तत्व हैं। उत्पादकता में सुधार, व्यापक संसाधन एकत्रीकरण और कठोर मांग प्रबंध निर्यात को आयात प्रतिबंधों के प्रतिकूल भाव से मुक्त करना, अन्य विनियम संबंधी उपाय करना तथा कराधान की व्यवस्था करना।

प्र० भा० स० मु० रि० रो० न० दि० –4Pc/5—अनु०III—दिन–26-11-85—2000